रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-जी.जे.-अ.-19022025-261146 CG-GJ-E-19022025-261146

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 2025/माघ 24, 1946 No. 116] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 2025/MAGHA 24, 1946

अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिसूचना

गांधीनगर, 10 फरवरी, 2025

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2025

फा. सं. आईएफएससीए/जीएन/2025/002.—अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 की उपधारा (1) और धारा 13 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 28 की उपधारा (1), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 28ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

अध्याय । प्रारंभिक

संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

- 1. (1) इन विनियमों को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2025 कहा जाएगा।
 - (2) ये विनियम आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

1113 GI/2025 (1)

परिभाषाएँ

- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यहाँ परिभाषित शब्दों का अर्थ नीचे दिए गए अनुसार होगा, तथा उनके सजातीय भावों और विविधताओं का अर्थ तदन्सार लगाया जाएगा, -
 - (क) "अधिनियम" का अभिप्राय अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) से है;
 - (ख) "मान्यता प्राप्त निवेशक" का अभिप्राय ऐसे किसी से व्यक्ति है जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करता है;
 - (ग) "विज्ञापन" में निधि प्रबंधन एंटिटी द्वारा या उसकी ओर से जारी किए गए सभी प्रकार के सूचना शामिल होंगे जो किसी निवेशक/संभावित निवेशकों के निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं;
 - (घ) "एसोसिएट" का अभिप्राय है-
 - (i) कोई कंपनी या सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) या कोई निगमित निकाय जिसमें एफएमई या एफएमई का कोई निदेशक या ट्रस्टी या भागीदार या इन विनियमों के विनियम 17 में परिभाषित कोई प्रत्ययी, व्यक्तिगत रूप से या साम्हिक रूप से, अपनी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी या भागीदारी हित का बीस प्रतिशत (20%) या उससे अधिक, जैसा भी मामला हो, रखता हो;
 - (ii) कोई कंपनी या सीमित देयता भागीदारी या निगमित निकाय, व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से, एफएमई में अपनी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी या भागीदारी हित का बीस प्रतिशत (20%) या उससे अधिक, जैसा भी मामला हो, रखता हो;
 - (iii) कोई अन्य कंपनी या सीमित देयता भागीदारी या निगमित निकाय, जिसमें उपर्युक्त खंड (ii) में निर्दिष्ट एंटिटी अपनी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी या भागीदारी हित का बीस प्रतिशत (20%) या उससे अधिक, जैसा भी मामला हो, रखती हो;

- (ङ) "निगम निकाय" का अभिप्राय कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (11) के अधीन निर्दिष्ट किया जाएगा;
- (च) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" का अभिप्राय इन विनियमों के विनियमन 12 के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र से है;
- (छ) "नियंत्रण" में अधिकाँश निदेशकों को नियुक्त करने या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या मिलकर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनके शेयरधारिता या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के समझौतों या मतदान समझौतों या साझेदारी समझौतों या किसी अन्य तरीके से, जिसमें मतदान अधिकारों या हित के पचास प्रतिशत (50%) से अधिक की सीमा तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित धारण करना शामिल है, द्वारा प्रयोग किए जा सकने वाले प्रबंधन या नीति निर्णयों को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा:

बशर्ते कि किसी एंटिटी के निदेशक या अधिकारी को केवल ऐसे पद पर रहने के आधार पर ऐसी एंटिटी पर नियंत्रण में नहीं माना जाएगा;

- (छ) "क्लोज्ड-एंडेड स्कीम" का अभिप्राय ऐसी कोई स्कीम से है जिसमें स्कीम की परिपक्वता अविध निर्दिष्ट की गई हो;
- (ज) "अनुपालन अधिकारी" का अभिप्राय ऐसे वरिष्ठ अधिकारी से है, जिसे इस पदनाम से नामोनिदेशित किया गया हो तथा जो निदेशक मंडल या संगठन के प्रमुख, यदि बोर्ड न हो, को रिपोर्ट करता हो, जो वितीय विवरणों तथा इन विनियमों के अंतर्गत विधिक और विनियामक अनुपालन की आवश्यकताओं को समझने में सक्षम हो, तथा जो नीतियों, प्रक्रियाओं, अभिलेखों के रखरखाव, अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील प्रबंधक(कों) के संरक्षण के लिए नियमों के अनुपालन की निगरानी, व्यापारों की निगरानी, जोखिम प्रबंधन तथा इन विनियमों में निर्दिष्ट संहिताओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा, जो एफएमई के निदेशक मंडल या संगठन, जैसा भी मामला हो, के प्रमुख के समग्र पर्यवेक्षण के अधीन होगा।

- (झ) "कॉर्पस" का अभिप्राय निवेशकों द्वारा किसी स्कीम के अंतर्गत लिखित अनुबंध या किसी ऐसे दस्तावेज के माध्यम से किसी विशेष तारीख को निधि प्रबंधन एंटिटी को प्रतिबद्ध निधियों की कुल राशि से है;
- (ञ) "विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंधक" का अभिप्राय पोर्टफोलियो प्रबंधक से है जो पोर्टफोलियो प्रबंधन से संबंधित अनुबंध के अंतर्गत, निधियों के निवेश या ग्राहक की प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो के प्रबंधन, जैसा भी मामला हो, के संबंध में किसी भी सीमा तक विवेकाधिकार का प्रयोग करता है या कर सकता है;
- (ट) "पारिवारिक निवेश निधि" से अभिप्राय ऐसी निधि से है, जो एक या एक से अधिक निवेश साधनों के अंतर्गत केवल एक ही परिवार से धन एकत्रित करती है और इन विनियमों के अनुसार स्थापित की गई है;
- (ठ) "विदेशी क्षेत्राधिकार" का अभिप्राय भारत के अतिरिक्त किसी भी ऐसे देश से है, जिसका प्रतिभूति बाजार विनियामक अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन के बहुपक्षीय समझौता ज्ञापन (परिशिष्ट क हस्ताक्षरकर्ता) का हस्ताक्षरकर्ता है या प्राधिकरण के साथ द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षरकर्ता है, और जिसे वित्तीय कार्रवाई कार्य बल के सार्वजनिक वक्तव्य में निम्नांकित रूप में चिहिनत नहीं किया गया है:
 - (i) ऐसा क्षेत्राधिकार जिसमें कार्यनीतिक धन शोधन निरोधक या आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने संबंधी कमियां हैं, जिन पर प्रतिकार उपाय लागू होते हैं; या
 - (ii) ऐसा क्षेत्राधिकार जिसने किमयों को दूर करने में पर्याप्त प्रगति नहीं की है या किमयों को दूर करने के लिए वितीय कार्रवाई कार्य बल के साथ विकिसित कार्य स्कीम के लिए प्रतिबद्ध नहीं है;
- (ड) "निधि प्रबंधन एंटिटी (एफएमई)" का अभिप्राय इन विनियमों में निर्दिष्ट किसी भी श्रेणी के अधीन निधि प्रबंधन एंटिटी के रूप में प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत एंटिटी से है;

- (ढ) "निधि प्रबंधक" का अभिप्राय किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे एफएमई द्वारा किसी भी नाम से निवेश का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया जाता है;
- (ण) "निधियों की निधि स्कीम" का अभिप्राय ऐसी स्कीम से है जो आईएफएससी या भारत या विदेशी अधिकार क्षेत्रों में पुनर्खरीद, मोचन और वितरण के उद्देश्य से व्यय, हेजिंग या लिक्विडिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक फंड की सीमा को छोड़कर अन्य स्कीमों में निवेश करती है, जैसा कि स्कीम के स्थापन ज्ञापन या प्रस्तुत दस्तावेज में प्रकट किया गया है;
- (त) "आईएफएससीए" या "प्राधिकरण" का अभिप्राय अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण से है;
- (थ) "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी)" का वही अभिप्राय होगा जो अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खंड (छ) के अधीन इसे सौंपा गया है;
- (द) "निरीक्षण प्राधिकरण" का अभिप्राय प्राधिकरण द्वारा इन विनियमों के अनुसार एफएमई या संबंधित एंटिटियों की बहियों, खातों, रिकार्डों और दस्तावेजों का निरीक्षण करने के लिए अधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों से है;
- (ध) "सूचकांक स्कीम" का अभिप्राय ऐसी स्कीम से है जो प्रतिभूतियों के सूचकांक के समान अनुपात में प्रतिभूतियों में निवेश करती है;
- (न) "निवेशित कंपनी" का अभिप्राय ऐसी कंपनी, विशेष प्रयोजन वाहन या सीमित देयता भागीदारी या निगमित निकाय या भू-संपदा निवेश ट्रस्ट या अवसंरचना निवेश ट्रस्ट या किसी निधि से है जिसमें निवेश किया जाता है;
- (प) "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी)" का अभिप्राय एफएमई के अधिकारी या कार्मिक से है जो इसकी मुख्य प्रबंधन टीम के सदस्य हैं और इसमें एफएमई के कार्यकारी निदेशकों से एक स्तर नीचे के प्रबंधन के सदस्य, कार्यात्मक प्रमुख और कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन

सकता है;

- फ) "निवल मूल्य" का अभिप्राय प्रदत्त शेयर पूंजी (या पूंजी अंशदान) का कुल मूल्य और लाभ, प्रतिभूति प्रीमियम खाते और लाभ और हानि खाते के डेबिट या क्रेडिट शेष से निर्मित सभी रिजर्व, तुलनपत्र के अनुसार संचित घाटे, आस्थगित व्यय और विविध व्यय के कुल मूल्य को घटाने के बाद परिगणित मूल्य से है, लेकिन इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, मूल्यहास और समामेलन के राइट-बैक से निर्मित रिजर्व शामिल नहीं हैं:
- (ब) "पेशकश दस्तावेज" का अभिप्राय ऐसे दस्तावेज से है जिसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत एफएमई (खुदरा) किसी खुदरा स्कीम, एक्सचेंज द्वारा व्यापारित निधि या निवेश ट्रस्ट द्वारा सार्वजनिक प्रस्तुत में सदस्यता के लिए जनता को आमंत्रित करता है;
- (भ) "ओपन एंडेड स्कीम" का अभि प्राय ऐसी स्कीम से है जो क्लोज्ड-एंडेड स्कीम नहीं है;
- (म) "प्लेसमेंट मेमोरेंडम" का अभिप्राय ऐसे दस्तावेज से है जिसके द्वारा एफएमई मान्यता प्राप्त निवेशकों या निर्दिष्ट सीमा से ऊपर निवेश करने वाले निवेशकों को वेंचर कैपिटल स्कीम या प्रतिबंधित स्कीम या निवेश ट्रस्ट द्वारा निजी प्लेसमेंट में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है;
- (कक) "पोर्टफोलियो" का अभिप्राय किसी व्यक्ति से संबंधित प्रतिभूतियों और वितीय परिसंपतियों की क्ल होल्डिंग से है;
- (खख) "प्रधान अधिकारी" का अभिप्राय विनियमन 7 के उप-विनियमन (1) के अधीन एफएमई द्वारा इस प्रकार नामित कर्मचारी से है;
- (गग) "मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज" का अभिप्राय आईएफएससी में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से है;

- (घघ) "रजिस्ट्रीकृत एफएमई" का अभिप्राय ऐसे एफएमई से है जिसने रजिस्ट्रीकृत एफएमई (गैर-खुदरा) या रजिस्ट्रीकृत एफएमई (खुदरा) के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किया है;
- (इङ) "प्रतिबंधित स्कीम" का अभिप्राय केवल "मान्यता प्राप्त निवेशकों" या कम से कम 1,50,000 अमेरिकी डॉलर का निवेश करने वाले और 1000 से अधिक निवेशक या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की गई अन्य संख्या नहीं रखने वाले निवेशकों को निजी प्लेसमेंट के आधार पर प्रस्तुत की गई स्कीम से है;
- (चच) "खुदरा स्कीम" का अभिप्राय सभी निवेशकों या निवेशकों के एक वर्ग को सदस्यता के लिए प्रस्तुत की गई स्कीम जसे है, जिसमें स्कीम में निवेशकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है;
- (छछ) "स्कीम" या "निधि" का अभिप्राय इन विनियमों के अधीन आरंभ की गई एफएमई की स्कीम से है;
- (जज) "क्षेत्रीय स्कीम" का तात्पर्य ऐसी खुदरा स्कीम से है जो मुख्य रूप से किसी विशेष क्षेत्र की प्रतिभूतियों में निवेश करती है जैसा कि इसके पेशकश दस्तावेज में बताया गया है;
- (झझ) "एकल परिवार" में ऐसे व्यक्तियों का समूह शामिल है जो एक ही पूर्वज के वंशज हैं और इसमें उनके पित/पत्नी (विधवा और विधुर, चाहे पुनर्विवाहित हों या नहीं) और बच्चे (सौतेले बच्चे, दत्तक बच्चे, पूर्व विवाहित बच्चे सिहत) शामिल हैं और इसमें एकल स्वामित्व फर्म, साझेदारी फर्म, कंपनी, सीमित देयता भागीदारी, ट्रस्ट या निगमित निकाय जैसी एंटिटियां भी शामिल हैं, जिसमें एकल परिवार का कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह नियंत्रण रखता है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त आर्थिक हित रखता है;
- (ञञ) "सिंगल विंडो आईटी सिस्टम (एसडब्ल्यूआईटी)" ऑनलाइन प्लेटप्ररूप को संदर्भित करता है जिसे अन्य बातों के साथ-साथ इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों के प्रसंस्करण को सुविधाजनक बनाने के लिए तैयार किया गया है;

- (टट) "विषयगत स्कीम" का अभिप्राय खुदरा स्कीम से है जो मुख्य रूप से अपने प्रस्ताव दस्तावेज़ में बताए गए किसी विशेष विषय की प्रतिभूतियों का निवेश करती है;
- (ठठ) "ट्रस्ट" का अभिप्राय भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के अधीन या संसद या राज्य विधान के अधिनियम के अधीन स्थापित ट्रस्ट से है।
- (इड) "वेंचर कैपिटल स्कीम" से अभिप्राय ऐसी स्कीम से है जो मुख्य रूप से स्टार्ट-अप, उभरते या प्रारंभिक चरण के उद्यम पूंजी उपक्रमों की गैर-स्वीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करती है जो मुख्य रूप से नए उत्पादों, नई सेवाओं, प्रौद्योगिकी या बौद्धिक संपदा अधिकार आधारित गतिविधियों या नए व्यवसाय मॉडल या अन्य स्कीमों में शामिल हैं जो ऐसी एंटिटियों में निवेश करती हैं और इसमें प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट एंजल फण्ड भी शामिल होगा।
- (2) इन विनियमों में प्रयुक्त और पिरभाषित नहीं किए गए, लेकिन अधिनियम की पहली अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम या अधिनियमों, या कंपनी अधिनियम, 2013, या उसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या विनियमन में पिरभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों, का वही अर्थ होगा जो उन्हें क्रमशः उन अधिनियमों, नियमों या विनियमों या किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन, जैसा भी मामला हो, में दिया गया है।

अध्याय ॥ निधि प्रबंधन एंटिटी (एफएमई) का रजिस्ट्रीकरण

रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने का दायित्व

- 3. (1) इन विनियमों के अंतर्गत निधि प्रबंधन का व्यवसाय करने की इच्छुक कोई भी एंटिटी आईएफएससी में तब तक परिचालन आरंभ नहीं करेगी, जब तक कि उसने उप-विनियम (4) में उल्लिखित किसी भी श्रेणी के अंतर्गत एफएमई के रूप में प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लिया हो।
 - (2) आईएफएससी में एफएमई के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की इच्छुक कोई भी एंटिटी प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट दस्तावेजों और आवेदन शुल्क के साथ प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट तरीके से घोषणाओं और वचनों सहित एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगी।

- (3) ऐसा आवेदन जो सभी मामलों में पूर्ण नहीं है, उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
 - (4) आवेदक निम्नलिखित तीन श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त कर सकते हैं:

(क) अधिकृत एफएमई:

- (i) एफएमई जो मान्यता प्राप्त निवेशकों या निजी प्लेसमेंट के माध्यम से निर्दिष्ट सीमा से ऊपर निवेश करने वाले निवेशकों से धन एकत्र करते हैं और वेंचर कैपिटल स्कीम के माध्यम से स्टार्ट-अप या प्रारंभिक चरण के उदयमों में निवेश करते हैं;
- (ii) एकल परिवार द्वारा स्थापित एफएमई, प्रतिभूतियों सहित वित्तीय उत्पादों और ऐसे अन्य अनुमत परिसंपत्ति वर्गों में निवेश के लिए अपने पारिवारिक निवेश कॉर्पस का प्रबंधन करने के लिए।

(ख) रजिस्ट्रीकृत एफएमई (गैर-खुदरा):

- (i) एफएमई जो मान्यता प्राप्त निवेशकों या एक या अधिक प्रतिबंधित स्कीमों के माध्यम से प्रतिभूतियों सिहत वित्तीय उत्पादों और ऐसे अन्य अनुमत पिरसंपति वर्गों में निवेश करने के लिए निजी प्लेसमेंट के माध्यम से निर्दिष्ट सीमा से ऊपर निवेश करने वाले निवेशकों से धन एकत्र करते हैं;
- (ii) ऐसी एफएमई पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं (बहु-परिवार कार्यालय के लिए सिहत) भी आरंभ करने में सक्षम होंगे और निवेश ट्रस्टों (आरईआईटी और इनविट) के निजी प्लेसमेंट के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य करेंगे; और
- (iii) ऐसे एफएमई अधिकृत एफएमई को अनुमत सभी गतिविधियों को करने में भी सक्षम होंगे।

(ग) रजिस्ट्रीकृत एफएमई (खुदरा):

(i) एफएमई जो खुदरा स्कीमों के माध्यम से प्रतिभूतियों सहित वितीय उत्पादों और ऐसे अन्य अनुमत परिसंपत्ति वर्गों में निवेश करने के लिए एक या अधिक स्कीमों के अधीन सभी निवेशकों या निवेशकों के एक वर्ग से धन एकत्र करते हैं;

- (ii) एक रजिस्ट्रीकृत एफएमई (खुदरा) निवेश ट्रस्टों (आरईआईटी और इनविट) के सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए निवेश प्रबंधक के रूप में कार्य कर सकता है और एक्सचेंज द्वारा व्यापारित निधि (ईटीएफ) भी आरंभ करने में सक्षम होगा; तथा
- (iii) इसके अतिरिक्त, ऐसे एफएमई प्राधिकृत एफएमई और रजिस्ट्रीकृत एफएमई (गैर-खुदरा) को दी गई सभी गतिविधियों को करने में भी सक्षम होंगे।

स्पष्टीकरण- एफएमई की उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी के लिए गतिविधियों, निवेश की शतों, उत्तरदायित्वों और दायित्वों का विवरण इन विनियमों के अधीन अलग-अलग अध्यायों में निर्दिष्ट किया गया है। संबंधित अध्यायों के अधीन "एफएमई" शब्द का संदर्भ ऊपर निर्दिष्ट श्रेणियों के लिए अनुमत गतिविधियों के अनुसार समझा जाएगा। प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त शर्ते, उत्तरदायित्व और प्रकटीकरण दायित्व भी निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

पात्रता की शर्ते

 इन विनियमों के अधीन रिजस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, आवेदक को इस अध्याय में निर्दिष्ट आवश्यकताओं और शर्तों को पूरा करना होगा।

आवेदक का विधिसम्मत स्वरूप

- 5. (1) आवेदक आईएफएससी में कंपनी या एलएलपी या उसकी शाखा के रूप में या प्राधिकरण द्वारा अनुमत किसी अन्य रूप में स्थापित होगा:
 - बशर्ते कि रजिस्ट्रीकृत एफएमई (खुदरा) को एलएलपी या उसकी शाखा के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी:
 - बशर्ते यह भी कि शाखा संरचना की अनुमित केवल उस एफएमई के लिए दी जाती है जो पहले से ही भारत में किसी वितीय क्षेत्र नियामक या इसी तरह की गतिविधियों के संचालन के लिए किसी विदेशी क्षेत्राधिकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत या विनियमित है।

- (2) आईएफएससी में शाखा संरचना में परिचालन करने वाला कोई एफएमई निम्नलिखित शर्तों का पालन करेगा:
 - (क) मूल एंटिटी आईएफएससी में शाखा के संचालन को पर्याप्त रूप से कवर करेगी;
 - (ख) मूल एंटिटी प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट न्यूनतम पूंजी बनाए रखेगी, जो हर समय आईएफएससी में अपनी शाखा के लिए निर्धारित की जाएगी और उस क्षेत्राधिकार में रखी जा सकती है जहां मूल एंटिटी निगमित है; और
 - (ग) प्राधिकरण दवारा निर्दिष्ट कोई अन्य अपेक्षाएं।
- (3) किसी कंपनी के मामले में संगम ज्ञापन, या एलएलपी के मामले में एलएलपी समझौता, उसे निधि प्रबंधन की गतिविधि को जारी रखने की अनुमति देगा।
- (4) रजिस्ट्रीकृत एफएमई (खुदरा) में कम से कम चार (4) निदेशक होंगे, जिनमें से कम से कम पचास प्रतिशत (50%) स्वतंत्र निदेशक होंगे और एफएमई से संबद्ध नहीं होंगे।

निष्पक्षता का लेखा-जोखा और प्रतिष्ठा

- 6. (1) आवेदक के पास अपने सभी व्यावसायिक लेन-देन में निष्पक्षता और ईमानदारी का अच्छा लेखा-जोखा और सामान्य प्रतिष्ठा होनी चाहिए।
 - (2) उप-विनियमन (1) के प्रयोजनों के लिए "सक्षम ट्रैक रिकॉर्ड" का अर्थ होगा:
 - (क) रजिस्ट्रीकृत एफएमई (खुदरा) के मामले में:
 - (i) एफएमई, इसकी होल्डिंग कंपनी, या उनकी सहायक कंपनियों के पास पच्चीस हजार (25,000) से अधिक निवेशकों के साथ कम से कम 200 मिलियन अमरीकी डॉलर की प्रबंधन के अधीन परिसंपत्तियों (एयूएम) का सामूहिक रूप से प्रबंधन करने का कम से कम पांच (5) वर्ष का अनुभव होना चाहिए; या

(ii) एफएमई के नियंत्रण में कम से कम पच्चीस प्रतिशत (25%) शेयरधारिता रखने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) को कम से कम पांच (5) वर्ष की अविध के लिए, कम से कम एक हजार (1,000) निवेशकों के लिए सामूहिक रूप से कम से कम 50 मिलियन अमरीकी डॉलर की परिसंपत्तियों पर पोर्टफोलियो प्रबंधन, धन प्रबंधन, वितीय उत्पादों का वितरण और निवेश सलाहकार सिहत निधि प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों को अंजाम देना चाहिए, और ऐसे एफएमई का निवल मूल्य कम से कम 2 मिलियन अमरीकी डॉलर या यथा-निर्दिष्ट अन्य रािश है:

बशर्ते कि प्राधिकरण नई पीढ़ी की फिनटेक कंपनियों को नवीन विचारों के साथ सुविधा प्रदान करने के लिए सुदृढ़ लेखाजोखा निर्धारित करने के लिए कोई अन्य मानदंड निर्दिष्ट कर सकता है, जिससे बाजार का और विकास हो सकता है;

(ख) रजिस्ट्रीकृत एफएमई (गैर-खुदरा) और अधिकृत एफएमई के मामले में, उनके कर्मचारियों के पास इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रासंगिक अन्भव है।

प्रधान अधिकारियों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) की नियुक्ति

- 7. (1) आवेदक एक प्रधान अधिकारी को नामित करेगा जो एफएमई की समग्र गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होगा, जिसमें निधि प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन और अन्पालन शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है।
 - (2) रजिस्ट्रीकृत एफएमई के मामले में, प्रधान अधिकारी के अतिरिक्त, एक (1) अतिरिक्त केएमपी को अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा जो इन विनियमों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होगा और एफएमई में जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रथाओं के कार्यान्वयन को स्निश्चित करेगा।
 - (3) रजिस्ट्रीकृत एफएमई (खुदरा) के मामले में, एफएमई, प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी के अतिरिक्त, प्राधिकरण के साथ अपनी पहली खुदरा स्कीम या ईटीएफ का पेशकश दस्तावेज फ़ाइल करने से पहले, एक अतिरिक्त केएमपी को नियुक्त करेगा, जिसे निधि प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

(4) कोई भी एफएमई जो वितीय वर्ष के अंत में निधियों की निधि स्कीमों के एयूएम को छोड़कर कम से कम 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के एयूएम का प्रबंधन कर रहा है, उसे प्रधान अधिकारी और अनुपालन अधिकारी के अतिरिक्त, एक अतिरिक्त केएमपी को नियुक्त करना होगा, जिसे निधि प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

बशर्ते कि अतिरिक्त केएमपी की नियुक्ति ऐसे वितीय वर्ष की समाप्ति से 6 माह के भीतर की जाएगी।

बशर्ते यह भी कि अतिरिक्त केएमपी की नियुक्ति वैकल्पिक होगी, यदि एयूएम किसी भी 2 लगातार वित्तीय वर्षों के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से कम रहता है और उचित उम्मीद है कि अगले वित्तीय वर्ष में एयूएम 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि एफएमई जो सरकार और सरकार से संबंधित निवेशकों जैसे केंद्रीय बैंक, संप्रभु धन कॉर्पस, अंतरराष्ट्रीय या बहुपक्षीय संगठन या एजेंसियों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जिनमें ऐसी सरकार और सरकार से संबंधित निवेशक द्वारा नियंत्रित या कम से कम पचहत्तर प्रतिशत (75%) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाली संस्थाएं शामिल हैं, जिसमें ऐसे निवेशक ऐसे एफएमई द्वारा आरंभ की गई स्कीमों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एकमात्र योगदानकर्ता हैं, अतिरिक्त केएमपी की निय्क्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

- (5) आवेदक यह सुनिश्चित करेगा कि उप-विनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट उपर्युक्त प्रधान अधिकारी और उप-विनियम (2), (3) और (4) के अधीन निर्दिष्ट अन्य केएमपी आईएफएससी से बाहर होंगे और निम्निलिखित शैक्षणिक योग्यता और अन्भव आवश्यकताओं को पूरा करेंगे:
 - (क) केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय या संस्थान या संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वित्त, विधि, लेखा, व्यवसाय प्रबंधन, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, पूंजी बाजार, बैंकिंग, बीमा या एक्चुरियल साइंस में व्यावसायिक योग्यता या स्नातकोत्तर डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा (न्यूनतम एक वर्ष की अविधि) या ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशनल्स से सीएफए या एफआरएम या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता:

बशर्ते कि यदि उप-विनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट प्रधान अधिकारी के पास पोर्टफोलियो प्रबंधन, निवेश सलाहकार या इसी तरह की गतिविधियों सहित निधि प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों में कम से कम 15 (पंद्रह) वर्षों का कार्य अनुभव है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी भी क्षेत्र में स्नातक की डिग्री होगी:

(ख) खंड (क) के अधीन उल्लिखित योग्यताओं के अतिरिक्त, प्रतिभूति बाजार या वितीय उत्पादों में संबंधित गतिविधियों में कम से कम पांच (5) वर्षों का अनुभव, जिसमें पोर्टफोलियो प्रबंधक, निधि प्रबंधक, निवेश सलाहकार, ब्रोकर डीलर, निवेश बैंकर, धन प्रबंधक, अनुसंधान विश्लेषक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, बाजार अवसंरचना संस्थान, वितीय क्षेत्र नियामक या निधि प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों में परामर्श अनुभव, जैसे सौदा उचित परिश्रम, लेनदेन सलाहकार या इसी तरह की गतिविधियाँ शामिल हैं:

बशर्ते कि निधि प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों में परामर्श अनुभव, जैसे सौदा उचित परिश्रम, लेनदेन सलाहकार, आदि को अधिकतम 2 वर्षों की अविध के लिए माना जाएगा और उप-विनियमन (ख) में उल्लिखित अन्य क्षेत्रों में अन्भव कम से कम 3 वर्षों के लिए आवश्यक होगा:

बशर्ते यह भी कि उप-विनियमन (2) के अधीन संदर्भित केएमपी के लिए, खंड (ख) में उल्लिखित अनुभव न्यूनतम 3 (तीन) वर्षों के लिए आवश्यक होगा, यदि ऐसे केएमपी के पास व्यावसायिक योग्यता है और किसी सूचीबद्ध कंपनी या वितीय क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित एंटिटी में अन्पालन या जोखिम प्रबंधन में अन्भव है।

स्पष्टीकरण. - इस विनियमन के प्रयोजनों के लिए, व्यावसायिक योग्यता में भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में इसके समकक्ष किसी संस्थान की सदस्यता शामिल होगी, और उप-विनियम (2) के अधीन संदर्भित केएमपी के लिए इसमें केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी मान्यता प्राप्त विदेशी विश्वविद्यालय या संस्थान या संघ द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि स्नातक (एलएलबी) भी शामिल होगा।

- (6) एफएमई के कर्मचारी ऐसे संस्थानों से ऐसे प्रमाणन पाठ्यक्रम करेंगे, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (7) किसी निधि की पोर्टफोलियो संरचना पर प्रस्ताव आईएफएससी में एफएमई के कार्यालय में स्थित व्यक्ति द्वारा आरंभ किया जाएगा।
- (8) एफएमई अपने संचालन और गतिविधियों के आकार के अनुरूप अन्य कर्मियों की नियुक्ति करेगा।
- (9) इस विनियमन के उप-विनियम (1), (2), (3) और (4) के अधीन नियुक्त केएमपी में कोई भी नियुक्ति और परिवर्तन केवल प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से ही होगा।

निवल मूल्य की अपेक्षाएं

- 8. (1) एफएमई के रूप में रजिस्ट्रीकरण चाहने वाली एंटिटी को इन विनियमों की द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट निवल संपत्ति की आवश्यकताओं या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य राशि का हर समय अनुपालन करना होगा।
 - (2) शाखा के रूप में काम करने वाली एंटिटी को आईएफएससी में अपनी गतिविधियों के लिए इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम निवल संपित की आवश्यकताओं का हर समय अनुपालन करना होगा, जिसे मूल एंटिटी के स्तर पर बनाए रखा जा सकता है, और मूल एंटिटी यह सुनिश्चित करेगी कि शाखा के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध है।
 - (3) ऊपर बताई गई न्यूनतम निवल मूल्य की अपेक्षाएं आईएफएससी के भीतर या बाहर अन्य गतिविधियों के लिए लागू न्यूनतम निवल मूल्य की अपेक्षाओं से पृथक और अतिरिक्त होंगी।

उपयुक्त एवं उचित अपेक्षाएं

- (1) आवेदक और उसके प्रमुख अधिकारी, निदेशक/भागीदार/नामित भागीदार,
 प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और नियंत्रक शेयरधारक हर समय उपयुक्त एवं उचित
 व्यक्ति होंगे।
 - (2) उप-विनियम (1) के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति को उपयुक्त एवं उचित व्यक्ति माना जाएगा यदि:-

- (क) ऐसे व्यक्ति का निष्पक्षता एवं सत्यनिष्ठा का रिकार्ड हो, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है-
 - (i) वितीय सत्यनिष्ठा;
 - (ii) अच्छी प्रतिष्ठा एवं चरित्र; तथा
 - (iii) ईमानदारी।
- (ख) ऐसे व्यक्ति ने निम्नलिखित में से कोई भी अयोग्यता अर्जित नहीं की है-
 - (i) व्यक्ति को नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध या किसी आर्थिक अपराध या प्रतिभूति कानूनों के विरुद्ध किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो;
 - (ii) ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में किसी भारतीय प्रवर्तन अभिकरण द्वारा आरोप-पत्र फ़ाइल किया गया हो और लंबित हो;
 - (iii) आर्थिक अपराधों से संबंधित मामलों में न्यायालय या समकक्ष संस्था द्वारा आरोप-पत्र तैयार किए गए हों;
 - (iv) किसी वितीय विनियामक प्राधिकरण द्वारा व्यक्ति के विरुद्ध वसूली कार्यवाही आरंभ की गई हो और लंबित हो;
 - (v) व्यक्ति के विरुद्ध दुर्व्यवहार के लिए समापन आदेश पारित किया गया हो;
 - (vi) व्यक्ति को दिवालिया घोषित किया गया हो और उसे मुक्त नहीं किया गया हो;
 - (vii) प्रतिभूति कानून या वितीय सेवा बाजार से संबंधित किसी मामले में किसी व्यक्ति को वितीय उत्पाद(दों)

या वितीय सेवा(ओं) तक पहुंचने या उनमें सौदा करने से रोकने, निषिद्ध करने या वर्जित करने वाला कोई आदेश किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया हो और ऐसा आदेश प्रभावी हो;

(viii) प्रतिभूति बाजार पर भौतिक प्रभाव रखने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कोई अन्य आदेश प्राधिकरण या किसी अन्य विनियामक प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है और आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हुई है;

> स्पष्टीकरण.- उपर्युक्त प्रावधान के लिए, भौतिकता निर्धारित करने का निर्णय प्राधिकरण का होगा।

- (ix) व्यक्ति को सक्षम अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ पाया गया है और निष्कर्ष प्रभावी है;
- (x) व्यक्ति आर्थिक रूप से सबल नहीं है या उसे जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है;
- (xi) व्यक्ति को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है; या
- (xii) प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य अयोग्यता।
- (3) जहां किसी व्यक्ति को विनियामक प्राधिकरण के आदेश द्वारा 'उपयुक्त एवं उचित व्यक्ति' नहीं घोषित किया गया है, ऐसा व्यक्ति तब तक किसी भी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि वह उपयुक्त एवं उचित मानदंडों को पूरा नहीं करेगा।

अवसंरचना अपेक्षाएं

(1) एंटिटी के पास इन विनियमों और इसके अधीन जारी परिपत्रों के अधीन
 अपनी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए पर्याप्त कार्यालय

स्थान, उपकरण, सूचना सुविधाएं और जनशक्ति जैसी आवश्यक अवसंरचना है। अवसंरचना की अपेक्षाएं आईएफएससी में इसके संचालन के आकार के अनुरूप होनी चाहिए।

(2) कार्यालय समर्पित, सुरक्षित और केवल एफएमई के अधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा स्लभ होना चाहिए।

प्रबंधक(कों) प्रस्त्त करना

- 11. (1) प्राधिकरण आवेदक से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए स्वयं या निधि की प्रकृति या निधि प्रबंधन गतिविधियों या किसी भी संबंधित मामले के बारे में कोई और जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता कर सकता है।
 - (2) यदि प्राधिकरण द्वारा आवश्यक हो, तो आवेदक व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व के लिए प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होगा।
 - (3) यदि आवश्यक हो, तो प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने से पहले आवेदक के कार्यालय का निरीक्षण कर सकता है।

आवेदन पर विचार और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करना

12. प्राधिकरण सभी जानकारी प्राप्त होने और संतुष्ट होने पर आवेदक को उपयुक्त श्रेणी के अधीन एफएमई के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है, बशर्ते आवेदक लागू रजिस्ट्रीकरण शुल्क का भगतान करे।

रजिस्ट्रीकरण की शर्तें और नियम

- (1) एफएमई को प्रदान किया गया रजिस्ट्रीकरण निम्नलिखित शर्तों और नियमों के अध्यधीन होगा:-
 - (क) एफएमई, इसके सीईओ/निदेशक/नामित भागीदार, प्रमुख अधिकारी/केएमपी इन विनियमों और इसके अधीन जारी परिपत्रों के उपबंधों का अनुपालन करेंगे; और
 - (ख) एफएमई पहले से दी गई जानकारी या विवरण में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को तुरंत सूचित

करेगा, जिसका प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए रजिस्ट्रीकरण पर असर पड़ता है।

(2) एफएमई जिसे किसी विशेष श्रेणी के अंतर्गत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है, वह प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना अपनी श्रेणी में परिवर्तन नहीं कर सकता है।

आवेदन का निरस्तन

- 14. (1) यदि प्राधिकरण, आवेदन की जांच के बाद इस राय पर है कि रिजस्ट्रीकरण प्रदान नहीं किया जा सकता है, तो वह आवेदक को किमयों के बारे में सूचित करेगा और उन्हें ठीक करने के लिए तीस (30) दिन का समय देगा।
 - (2) यदि आवेदक निर्दिष्ट समय के भीतर प्राधिकरण की संतुष्टि के लिए ऐसी कमियों को ठीक करने में विफल रहता है, तो प्राधिकरण रजिस्ट्रीकरण देने से इनकार करते हुए आवेदन का निपटारा कर सकता है और आवेदक को इस तरह के इनकार के कारण बताते हुए इसकी प्रबंधक(कों) देगा।

वैधता अवधि

15. एफएमई का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट अविध के लिए वैध होगा, जब तक कि इसे प्राधिकरण द्वारा निलंबित या रद्द नहीं किया जाएगा या एफएमई द्वारा वापस नहीं किया जाएगा और प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।

रजिस्ट्रीकरण का अभ्यर्पण

16. एफएमई अपने रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अभ्यर्पण के लिए प्राधिकरण के पास आवेदन फ़ाइल कर सकता है।

> स्पष्टीकरण.- रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का स्वैच्छिक अभ्यर्पण प्राधिकरण द्वारा इसकी स्वीकृति के बाद ही प्रभावी होगा।

निधि/स्कीम का संघटन

17. (1) एफएमई इन विनियमों के अधीन प्रदान की गई विभिन्न स्कीमों को आरंभ कर सकता है।

- (2) एफएमई, प्राधिकरण के पास स्कीम दस्तावेज फ़ाइल करने से पहले, निम्नलिखित रूप से प्रत्ययी नियुक्त करेगा:
 - (क) यदि स्कीम कंपनी के रूप में स्थापित की जाती है तो निदेशक मंडल:
 - (ख) यदि स्कीम सीमित देयता भागीदारी के रूप में स्थापित की जाती है तो नामित भागीदार; या
 - (ग) यदि स्कीम ट्रस्ट के रूप में स्थापित की जाती है तो ट्रस्टी(ट्रस्टी कंपनी के मामले में बोर्ड सहित)।
- (3) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि सभी प्रत्ययी इस अध्याय में निर्दिष्ट उचित और उचित आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
- (4) खुदरा स्कीमें आरंभ करने की मंशा रखने वाले एफएमई को किसी भी व्यक्ति को प्रत्ययी के रूप में नियुक्त करने के लिए प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।
- (5) प्रत्ययी तृतीय अनुसूची के भाग ख में वर्णित आचार संहिता और दायित्वों का पालन करेंगे।

अध्याय ।।। निधि प्रबंधन के लिए स्कीमें

भाग क: वेंचर केपिटल स्कीम

वेंचर केपिटल स्कीम

18. इस भाग के अधीन वेंचर केपिटल स्कीम को श्रेणी । वैकल्पिक निवेश निधि के अधीन "वेंचर केपिटल निधि" के रूप में प्राधिकरण के साथ फ़ाइल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:-इस भाग के अधीन फ़ाइल की गई स्कीम को आयकर अधिनियम, 1961, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999, या इन अधिनियमों या किसी अन्य प्रासंगिक क़ानून के अधीन जारी किए गए किसी भी नियम, विनियमन, परिपत्र, अधिप्रबंधक(कों), दिशा-निदेश के अधीन श्रेणी । वैकल्पिक निवेश निधि के अधीन "वेंचर केपिटल निधि" के रूप में समझा जा सकता है।

प्लेसमेंट मेमोरेंडम फ़ाइल करना

- 19. (1) एक एफएमई प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से लागू शुल्क के साथ प्राधिकरण के साथ प्लेसमेंट मेमोरेंडम फ़ाइल करके निजी प्लेसमेंट के माध्यम से वेंचर कैपिटल स्कीमें आरंभ कर सकता है।
 - (2) ऐसी वेंचर कैपिटल स्कीमों के लिए स्कीम दस्तावेजों की फाइलिंग ग्रीन चैनल के अधीन होगी, जिसके अधीन फ़ाइल की गई स्कीमें निवेशकों द्वारा सदस्यता के लिए प्राधिकरण से सूचना के तुरंत बाद खुली होंगी कि प्लेसमेंट मेमोरेंडम रिकॉर्ड पर ले लिया गया है:

बशर्ते कि प्राधिकरण किसी भी स्तर पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है, जिन्हें एफएमई द्वारा प्लेसमेंट मेमोरेंडम में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजन के लिए, एफएमई द्वारा प्राधिकरण से प्राप्त सूचना कि प्लेसमेंट मेमोरेंडम रिकॉर्ड पर ले लिया गया है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रूप में माना जाएगा।

(3) वेंचर कैपिटल स्कीम के शुभारंभ के लिए प्लेसमेंट मेमोरेंडम प्राधिकरण से एफएमई को सूचना की तारीख से बारह (12) माह के लिए वैध होगा कि प्लेसमेंट मेमोरेंडम को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है, जिस अविध के दौरान एफएमई विनियमन 23 के उप-विनियमन (1) के अधीन निर्दिष्ट कॉर्पस के कम से कम न्यूनतम आकार को प्राप्त करके स्कीम के पहले समापन की घोषणा करेगा:

बशर्ते कि यदि कोई एफएमई निर्दिष्ट समय अविध के भीतर विनियमन 23 के उप-विनियमन (1) के अधीन निर्दिष्ट कॉर्पस के न्यूनतम आकार को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसके पास नई स्कीम फ़ाइल करने के लिए लागू शुल्क का पचास प्रतिशत (50%) का भुगतान करके प्लेसमेंट मेमोरेंडम की वैधता को छह (6) माह की अतिरिक्त अविध के लिए बढ़ाने का एकम्श्त विकल्प होगा।

(4) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि प्लेसमेंट मेमोरेंडम में प्रदान की गई जानकारी में कोई भी भौतिक परिवर्तन तुरंत प्राधिकरण को सूचित किया जाए।

पात्र निवेशक

- (1) किसी वेंचर कैपिटल स्कीम में पचास (50) से अधिक निवेशक नहीं होने चाहिए।
 - (2) कम से कम 250,000 अमेरिकी डॉलर का निवेश करने वाले निवेशक और मान्यता प्राप्त निवेशक ऐसी स्कीमों में निवेश करने की अनुमित होगी:

बशर्ते कि जहां निवेशक एफएमई के कर्मचारी या निदेशक या नामित भागीदार हों, वहां निवेश का न्यूनतम मूल्य 60,000 अमेरिकी डॉलर होगा:

बशर्ते यह भी कि एफएमई संयुक्त निवेशक के रूप में एक साथ काम करने वाले कई निवेशकों से वेंचर कैपिटल स्कीम में निवेश स्वीकार कर सकता है, जिसमें प्रत्येक निवेशक कम से कम न्यूनतम लागू निवेश राशि का निवेश करेगा:

बशर्ते यह भी कि संयुक्त निवेशक के रूप में काम करने वाले निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा कुल निवेश कम से कम 250,000 अमेरिकी डॉलर होगा:

- (i) एक निवेशक और उसका/उसकी जीवनसाथी;
- (ii) एक निवेशक और उसके माता-पिता;
- (iii) एक निवेशक और उसकी बेटी/बेटा।

बशर्ते यह भी कि निर्दिष्ट न्यूनतम निवेश सीमा मान्यता प्राप्त निवेशक पर लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण.-पचास (50) से अधिक निवेशकों को लक्षित करने के लिए वेंचर कैपिटल स्कीम आरंभ करने या 150,000 अमेरिकी डॉलर के कम आवेदन आकार वाले निवेशकों से धन एकत्र करने का इरादा रखने वाला रिजस्ट्रीकृत एफएमई इस अध्याय के भाग ख के अधीन प्रदान की गई प्रतिबंधित स्कीमों के अधीन ऐसा करने में सक्षम होगा।

स्कीम की प्रकृति और संरचना

- 21. (1) एक वेंचर केपिटल स्कीम केवल एक बंद अवधि वाली स्कीम होगी।
 - (2) वेंचर केपिटल स्कीम के अधीन जुटाई जाने वाली राशि और स्कीम की अविध, जो तीन (3) वर्षों से कम नहीं होगी, प्लेसमेंट मेमोरेंडम में बताई जाएगी।
 - (3) एक बंद अविध वाली स्कीम की अविध को दो (2) वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, जो कि वेंचर केपिटल स्कीम में उनके निवेश के मूल्य के अनुसार दो-तिहाई (2/3) निवेशकों की स्वीकृति के अधीन है.:
 - (4) दो (2) वर्ष की अवधि से परे वेंचर केपिटल स्कीम की अवधि का आगे विस्तार इच्छुक निवेशकों की स्पष्ट सहमति और असहमत निवेशकों को बाहर निकलने का अवसर उपलब्ध कराए जाने के अधीन होगा।
 - (5) वेंचर कैपिटल स्कीम का गठन आईएफएससी में भारत के लागू कानूनों के अधीन कंपनी या एलएलपी या ट्रस्ट के रूप में किया जाएगा।

अनुमेय निवेश

- 22. (1) इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन, वेंचर कैपिटल स्कीम आईएफएससी, भारत या विदेशी क्षेत्राधिकार में केवल निम्नलिखित उपकरणों या एंटिटियों में निवेश कर सकती है:-
 - (क) गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां;
 - (ख) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने वाली या कारोबार की जाने वाली प्रतिभृतियां;
 - (ग) मुद्रा बाजार उपकरण;
 - (घ) ऋण प्रतिभूतियां;
 - (ङ) प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरण, जो या तो परिसंपति-समर्थित या बंधक-समर्थित प्रतिभूतियां हैं;
 - (च) प्लेसमेंट मेमोरेंडम में उचित प्रकटीकरण के अधीन अन्य वेंचर कैपिटल स्कीमों की यूनिटें;

- (छ) खुदरा स्कीमों और प्रतिबंधित स्कीमों या वैकल्पिक निवेश निधि की यूनिटें प्लेसमेंट मेमोरेंडम में उचित प्रकटीकरण के अधीन;
- (ज) सीमित देयता भागीदारी; या
- (झ) प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य प्रतिभूतियाँ या वितीय उत्पाद/परिसंपत्तियाँ या उपकरण:

बशर्ते कि धनराशि के निवेश तक, एफएमई प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट जमा प्रमाणपत्रों, निवेश स्कीमों की यूनिटों जैसे ओवरनाइट, लिक्विड या मनी मार्केट स्कीमों, मनी मार्केट उपकरणों, बैंक जमाओं या किसी अन्य प्रतिभूतियों या वितीय परिसंपत्तियों या उपकरणों में निवेश कर सकता है।

(2) उप-विनियमन (1) के अधीन किया गया कोई भी निवेश इन विनियमों के उपबंधों, वेंचर कैपिटल स्कीम के निवेश उद्देश्य और प्लेसमेंट मेमोरेंडम में किए गए खुलासे के अनुसार होगा।

स्कीम के निवेश और कॉर्पस पर प्रतिबंध

- 23. (1) वेंचर कैपिटल स्कीमों के मामले में, कॉर्पस का न्यूनतम आकार 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगा, और कुल कॉर्पस 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक नहीं होगा।
 - (2) वेंचर कैपिटल स्कीम अपने एसोसिएट में निवेश कर सकती है, बशर्ते कि स्कीम में मूल्य के हिसाब से पचहत्तर प्रतिशत (75%) निवेशकों की पूर्व स्वीकृति हो।
 - (3) वेंचर कैपिटल स्कीमें कम से कम 80 प्रतिशत (80%) कॉर्पस का निवेश निवेशित कंपनियों में करेंगी, जहां ऐसी कंपनियों के निगमन के बाद से दस (10) वर्ष से अधिक समय नहीं बीता हो, या अन्य स्कीमें जो ऐसी आवश्यकता को पूरा करती हों।
 - (4) वेंचर कैपिटल स्कीमें सहयोगियों, एफएमई या उसके सहयोगियों की अन्य स्कीमों, या ऐसे निवेशक से प्रतिभूतियां नहीं खरीदेंगी या नहीं बेचेंगी, जिन्होंने स्कीम के कॉर्पस का कम से कम पचास प्रतिशत (50%) निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है, जब तक कि स्कीम में

मूल्य के आधार पर पचहत्तर प्रतिशत (75%) निवेशकों से पूर्व स्वीकृति प्राप्त न हो जाए:

बशर्ते कि मतदान प्रक्रिया में ऐसे निवेशक (निवेशकों) को शामिल नहीं किया जाएगा, जिन्होंने स्कीम के कॉर्पस का कम से कम पचास प्रतिशत (50%) निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है और स्कीम से या स्कीम के लिए प्रतिभूतियां खरीद या बेच रहे हैं:

बशर्ते यह भी कि निवेशकों से इस तरह की स्वीकृति निधियों की निधि स्कीम के लिए आवश्यक नहीं होगी, जिसने अपने प्लेसमेंट मेमोरेंडम में अंतर्निहित स्कीम (स्कीमों) का विवरण प्रकट किया है, जिसमें निवेश किए जाने का इरादा है और एफएमई की ऐसी अंतर्निहित स्कीम (स्कीमों) के प्रबंधक (प्रबंधकों) के साथ संबद्धता, यदि कोई हो, का स्वरूप दर्शाया है।

निवेशकों के लिए प्रकटीकरण

- 24. (1) वेंचर कैपिटल स्कीमों के लिए प्लेसमेंट मेमोरेंडम में निवेश उद्देश्य, लक्षित निवेशक, प्रस्तावित कॉर्पस, निवेश शैली या कार्यनीति, निवेश पद्धित, स्कीम की प्रस्तावित अविध, शुल्क और व्यय, जोखिम प्रबंधन प्रथाओं, एफएमई के केएमपी और एफएमई और स्कीम के अन्य प्रासंगिक विवरणों के बारे में प्रकटीकरण स्पष्ट रूप से शामिल होंगे।
 - (2) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि निवल परिसंपति मूल्य (एनएवी) का खुलासा निवेशकों के समक्ष कम से कम वार्षिक आधार पर ऐसी समयाविध के भीतर किया जाए, जैसा कि स्कीम के प्लेसमेंट मेमोरेंडम में बताया गया है।
 - (3) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि स्कीम के अंतर्गत पोर्टफोलियों का खुलासा निवेशकों के समक्ष कम से कम वार्षिक आधार पर लेकिन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के एक (1) माह की अविध के भीतर किया जाए।
 - (4) एफएमई या प्रत्ययी द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी अन्य महत्वपूर्ण खुलासे की जानकारी निवेशकों को त्रंत दी जाएगी।

(5) एफएमई और प्रत्ययी प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अन्पालन करेंगे।

उधार लेना

- 25. एक वेंचर कैपिटल स्कीम निम्नलिखित शर्तों के अधीन निधि उधार ले सकती है या लीवरेजिंग गतिविधियों में संलग्न हो सकती है:-
 - (क) स्कीम द्वारा अधिकतम लीवरेज, लीवरेज की गणना के लिए कार्यप्रणाली के साथ, प्लेसमेंट मेमोरेंडम में खुलासा किया जाएगा;
 - (ख) लीवरेज का प्रयोग प्लेसमेंट मेमोरेंडम में प्रकटीकरण के अनुसार किया जाएगा तथा इससे कोई विचलन मूल्य के आधार पर निवेशकों के दो-तिहाई (2/3) की सहमति के अध्यधीन होगा; तथा
 - (ग) लीवरेज का उपयोग करने का इरादा रखने वाले एफएमई के पास स्कीम के आकार, जटिलता और जोखिम प्रोफाइल के लिए उपयुक्त व्यापक जोखिम प्रबंधन ढांचा होना चाहिए।

मूल्यांकन

- 26. (1) एफएमई और प्रत्ययी छठी अनुसूची में निर्दिष्ट निवेश मूल्यांकन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
 - (2) निवेश मूल्यांकन मानदंडों के अनुरूप, स्कीम की परिसंपितयों का मूल्यांकन एक स्वतंत्र सेवा प्रदाता, जैसे कि निधि प्रशासक, संरक्षक, प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या भारतीय दिवाला और धनशोधन बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक या प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा:

बशर्ते कि यह आवश्यकता किसी ऐसे निधियों की निधि स्कीम के मामले में लागू नहीं होगी जो आईएफएससी, भारत या विदेशी क्षेत्राधिकार में सीधे या किसी प्रबंधक के माध्यम से किसी वितीय क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित स्कीम(मों) में निवेश करती है, जिसका मूल्यांकन किसी स्वतंत्र एंटिटी द्वारा किया जाता है।

एनएवी की गणना

- 27. (1) एफएमई प्रत्येक वेंचर कैपिटल स्कीम के एनएवी की गणना कम से कम वार्षिक आधार पर करेगा।
 - (2) एनएवी की गणना के लिए प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को पूरी तरह से प्रलेखित किया जाना चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो ऐसे दस्तावेज़ीकरण को नियमित रूप से सत्यापित और संशोधित किया जाना चाहिए।

स्कीम में एफएमई का योगदान

- 28. (1) वेंचर कैपिटल स्कीम के अधीन, एफएमई या उसके एसोसिएट निम्नलिखित निवेश करेंगे:-
 - (क) 30 मिलियन अमरीकी डॉलर तक के लिक्षित कॉर्पस वाली स्कीम में लिक्षित कॉर्पस का कम से कम 2.5% लेकिन यह योगदान 10% से अधिक नहीं होना चाहिए;
 - (ख) 30 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक के लिक्षित कॉर्पस वाली स्कीम में कम से कम 750,000 अमरीकी डॉलर लेकिन यह 10% से अधिक नहीं होना चाहिए:

बशर्ते कि भारत के बाहर स्थापित या निगमित या आईएफएससी में रजिस्ट्रीकृत अंतरित स्कीमों के मामले में एफएमई या उसके एसोसिएट का योगदान अनिवार्य नहीं होगा।

बशर्ते यह भी कि 10% की अधिकतम सीमा वेंचर कैपिटल स्कीमों के लिए लागू नहीं होगी यदि:

(i) एफएमई और स्कीम में निवेश करने वाले उसके एसोसिएट भारत के बाहर के निवासी हैं और उनके अंतिम लाभार्थी स्वामी के रूप में भारत में रहने वाला कोई ट्यक्ति नहीं है; और

- (ii) स्कीम की एक तिहाई से अधिक राशि निवेशित कंपनी और उसके सहयोगियों में निवेशित नहीं है।
- (2) स्कीम में निवेशक(कों) द्वारा निवेश के अनुपात में उक्त योगदान एफएमई या उसके एसोसिएट द्वारा पैंतालीस (45) दिनों के भीतर किया जाएगा और इसे निरंतर आधार पर बनाए रखा जाएगा:
 - बशर्ते कि पैंतालीस (45) दिनों की अविध को प्राधिकरण की संतुष्टि के अधीन बढ़ाया जा सकता है।
- (3) यदि एफएमई द्वारा योगदान लाया जाता है, तो अध्याय ॥ के अधीन विस्तृत निवल-मूल्य अपेक्षाओं के उद्देश्य के लिए पर विचार किया जा सकता है।
- (4) उक्त योगदान को छूट दी जाएगी यदि:
 - (क) स्कीम में मूल्य के हिसाब से निवेशकों का कम से कम दो-तिहाई (2/3) हिस्सा ऐसे योगदान की छूट की अनुमति देता है;
 - (ख) स्कीम में निवेशकों का कम से कम दो-तिहाई (2/3) हिस्सा मान्यता प्राप्त निवेशक हैं; या
 - (ग) स्कीम निधियों की निधि स्कीम है जो समान आवश्यकताओं वाली स्कीम(मों) में निवेश करती है।

सह-निवेश और लीवरेज

- 29. (1) एक वेंचर कैपिटल स्कीम विनियमन 22 के उप-विनियम (1) के अधीन अनुमेय निवेशों में प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट फ्रेमवर्क के अनुसार विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से या यूनिटों की अलग श्रेणी जारी करके अलग पोर्टफोलियों के माध्यम से सह-निवेश कर सकती है।
 - (2) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि:-
 - (क) ऐसे अलग-अलग पोर्टफोलियो द्वारा निवेश, किसी भी परिस्थित में, वेंचर कैपिटल स्कीम के सामान्य पोर्टफोलियो के लिए प्रस्तुत शर्तों से अधिक अनुकूल शर्तों पर नहीं होगा; और
 - (ख) अलग-अलग पोर्टफोलियो के निर्माण के बारे में प्लेसमेंट मेमोरेंडम
 में उचित खुलासे किए गए हैं।

(3) उप-विनियम (1) में उल्लिखित एक एसपीवी प्लेसमेंट मेमोरेंडम में बताए अनुसार लीवरेज ले सकता है।

भाग ख: प्रतिबंधित स्कीमें (गैर-खुदरा स्कीमें)

प्रतिबंधित स्कीमें (गैर-ख्दरा स्कीमें)

- 30. (1) प्रतिबंधित स्कीमें वे स्कीमें हैं जिन्हें रजिस्ट्रीकृत एफएमई द्वारा विभिन्न निवेश कार्यनीतियों के लिए आरंभ किया जा सकता है, जैसे:-
 - (क) स्टार्ट-अप, प्रारंभिक चरण के उपक्रमों, सामाजिक उपक्रमों, एसएमई, अवसंरचना या अन्य क्षेत्रों या क्षेत्रों में निवेश करना जिन्हें सरकार या नियामक सामाजिक या आर्थिक रूप से वांछनीय मानते हैं, जिसमें उद्यम पूंजी निधि, एसएमई फंड, सामाजिक उद्यम/प्रभाव निधि, अवसंरचना निधि, ईएसजी निधि, विशेष स्थिति निधि (जैसा कि इस अध्याय के भाग घ में वर्णित है) और प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट ऐसी अन्य स्कीमें/निधि; और उन्हें श्रेणी । वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में प्राधिकरण के समक्ष फ़ाइल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.- खंड (क) के अंतर्गत फ़ाइल की गई स्कीम को आयकर अधिनियम, 1961, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 या इन अधिनियमों या किसी अन्य सुसंगत क़ानून के अंतर्गत जारी किए गए किसी नियम, विनियमन, परिपत्र, अधिप्रबंधक(कों), दिशा-निदेश आदि के अंतर्गत श्रेणी । वैकल्पिक निवेश निधि समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण II.- इस भाग के अंतर्गत उद्यम पूंजी निधियों को इन विनियमों के अध्याय III के भाग क के अंतर्गत निर्दिष्ट वेंचर कैपिटल स्कीमों के लिए निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(ख) सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध डेरिवेटिव में निवेश सिहत विविध या जिटल व्यापारिक कार्यनीतियों को अपनाने के लिए निवेश; और इसे प्राधिकरण के समक्ष श्रेणी III वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में फ़ाइल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण- खंड (ख) के अंतर्गत फ़ाइल की गई स्कीम को आयकर अधिनियम, 1961, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 या इन अधिनियमों या किसी अन्य स्संगत क़ानून के अंतर्गत जारी किए गए किसी नियम, विनियमन, परिपत्र, अधिप्रबंधक(कों), दिशा-निदेश आदि के अंतर्गत श्रेणी III वैकल्पिक निवेश निधि समझा जाएगा।

(ग) निवेश जो खंड (क) और (ख) के अंतर्गत नहीं आता है, उसे प्राधिकरण के समक्ष श्रेणी ।। वैकल्पिक निवेश निधि के रूप में फ़ाइल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण-स्कीम को आयकर अधिनियम, 1961, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 या इन अधिनियमों या किसी अन्य प्रासंगिक क़ानून के अधीन जारी किसी नियम, विनियम, परिपत्र, अधिप्रबंधक(कों), दिशा-निदेश आदि के अधीन संदर्भित श्रेणी ॥ वैकल्पिक निवेश निधि समझा जाएगा।

(2) उप-विनियम (1) के खंड (क) और (ग) के अंतर्गत आने वाली स्कीमों को प्राधिकरण के समक्ष क्लोज्ड-एंडेड स्कीम के रूप में फ़ाइल किया जाएगा और खंड (ख) के अंतर्गत आने वाली स्कीमों को प्राधिकरण के समक्ष क्लोज्ड-एंडेड स्कीम या ओपन एंडेड स्कीम के रूप में फ़ाइल किया जाएगा।

पात्र एफएमई और प्लेसमेंट मेमोरेंडम फ़ाइल करना

- 31. (1) रजिस्ट्रीकृत एफएमई प्राधिकरण के साथ प्लेसमेंट मेमोरेंडम फ़ाइल करके प्रतिबंधित स्कीमों को लागू शुल्क के साथ, इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से आरंभ कर सकता है।
 - (2) प्रतिबंधित स्कीमों के लिए स्कीम दस्तावेजों को फ़ाइल करना ग्रीन चैनल के अधीन होगा, जिसके अधीन फ़ाइल की गई स्कीमें प्राधिकरण से ऐसी प्रबंधक(कों) प्राप्त होने के तुरंत बाद निवेशकों द्वारा सदस्यता के लिए खोल दी जाएंगी कि प्लेसमेंट मेमोरेंडम को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है:

बशर्ते कि प्राधिकरण किसी भी स्तर पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है, जिन्हें एफएमई द्वारा प्लेसमेंट मेमोरेंडम में उचित रूप से शामिल किया जाएगा। स्पष्टीकरणः आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजन के लिए, एफएमई द्वारा प्राधिकरण से प्राप्त प्रबंधक(कों) कि प्लेसमेंट मेमोरेंडम को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रूप में माना जाएगा।

- (3) प्रतिबंधित स्कीम के शुभारंभ के लिए प्लेसमेंट मेमोरेंडम प्राधिकरण से रिजस्ट्रीकृत एफएमई को प्रबंधक(कों) की तारीख से बारह (12) माह के लिए वैध होगा कि प्लेसमेंट मेमोरेंडम को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है, जिस अविध के दौरान एफएमई विनियमन 35 के उप-विनियमन (2) के अधीन निर्दिष्ट कॉर्पस के कम से कम न्यूनतम आकार को प्राप्त करके स्कीम के पहले समापन की घोषणा करेगा: बशर्ते कि यदि कोई एफएमई निर्दिष्ट समय अविध के भीतर विनियमन 35 के उपविनियमन (2) के अधीन निर्दिष्ट कॉर्पस के न्यूनतम आकार को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसके पास नई स्कीम फ़ाइल करने के लिए लागू शुल्क का 50 प्रतिशत (50%) का भुगतान करके प्लेसमेंट मेमोरेंडम की वैधता को 6 माह की अतिरिक्त अविध के लिए बढ़ाने का एकमुश्त विकल्प होगा।
- (4) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि प्लेसमेंट मेमोरेंडम में प्रदान की गई जानकारी में कोई भी भौतिक परिवर्तन प्राधिकरण को तुरंत स्चित किया जाएगा।

पात्र निवेशक

- 32. (1) प्रतिबंधित स्कीमों में निवेशकों की संख्या एक हजार (1000) से अधिक या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट संख्या से अधिक नहीं होगी।
 - (2) कम से कम 150,000 अमेरिकी डॉलर का निवेश करने वाले निवेशक और मान्यता प्राप्त निवेशक ऐसी स्कीमों में निवेश कर सकते हैं:

बशर्ते कि ऐसे निवेशकों के मामले में जो एफएमई के कर्मचारी या निदेशक या नामित भागीदार हैं, निवेश का न्यूनतम मूल्य 40,000 अमेरिकी डॉलर होगा:

बशर्ते यह भी कि एफएमई संयुक्त निवेशक के रूप में एक साथ काम करने वाले कई निवेशकों से प्रतिबंधित स्कीम में निवेश स्वीकार कर सकता है, जिसमें प्रत्येक निवेशक कम से कम न्यूनतम लागू निवेश राशि का निवेश करेगा: बशर्ते यह भी कि निम्नलिखित व्यक्ति, अधिकतम दो व्यक्ति, जब संयुक्त निवेशक के रूप में कार्य करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों द्वारा कुल निवेश कम से कम 150,000 अमेरिकी डॉलर होगा:

- (i) एक निवेशक और उसका/उसकी जीवनसाथी;
- (ii) एक निवेशक और उसके माता-पिता;
- (iii) एक निवेशक और उसकी बेटी/बेटा।

बशर्ते यह भी कि न्यूनतम निवेश सीमा किसी मान्यता प्राप्त निवेशक पर लागू नहीं होगी।

स्कीम की प्रकृति और संरचना

- 33. (1) प्रतिबंधित स्कीमों को ओपन एंडेड या क्लोज्ड-एंडेड स्कीमों के रूप में आरंभ किया जा सकता है।
 - (2) क्लोज्ड-एंडेड प्रतिबंधित स्कीम के मामले में, जुटाई जाने वाली राशि और स्कीम की अवधि, जो एक(1) वर्ष से कम नहीं होगी, प्लेसमेंट मेमोरेंडम में बताई जाएगी।
 - (3) क्लोज्ड-एंडेड प्रतिबंधित स्कीमों की अवधि को प्रतिबंधित स्कीम में अपने निवेश के मूल्य के अनुसार निवेशकों के दो-तिहाई (2/3) की स्वीकृति के अध्यधीन दो (2) वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।
 - (4) दो (2) वर्ष की अविध से परे एक बंद अविध वाली प्रतिबंधित स्कीम के कार्यकाल को आगे बढ़ाया जाना इच्छुक निवेशकों की स्पष्ट सहमित के अध्यधीन होगा और असहमत निवेशकों को बाहर निकलने का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।
 - (5) प्रतिबंधित स्कीमों का गठन आईएफएससी में भारत के लागू कानूनों के अधीन कंपनी या एलएलपी या ट्रस्ट के रूप में किया जाएगा।

अनुमेय निवेश

34. (1) इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन, प्रतिबंधित स्कीम आईएफएससी, भारत या विदेशी क्षेत्राधिकार में केवल निम्नलिखित उपकरणों या एंटिटियों में निवेश कर सकती है:-

- (क) गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां;
- (ख) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने वाली या कारोबार की जाने वाली प्रतिभृतियां;
- (ग) मुद्रा बाजार लिखत;
- (घ) ऋण प्रतिभूतियां;
- (ङ) प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत, जो या तो परिसंपित समर्थित या बंधक-समर्थित प्रतिभूतियां हैं;
- (च) अन्य निवेश स्कीमों की यूनिटें प्लेसमेंट मेमोरेंडम में उचित प्रकटीकरण के अध्यधीन हैं;
- (छ) पण्य डेरिवेटिव सहित डेरिवेटिव प्लेसमेंट मेमोरेंडम में उपयुक्त प्रकटीकरण के अध्यधीन हैं;
- (ज) सीमित देयता भागीदारी; या
- (झ) प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य प्रतिभूतियाँ या वित्तीय उत्पाद/परिसंपत्तियाँ या लिखतः

बशर्त कि धनराशि के निवेश की प्रतीक्षा में, एफएमई जमा प्रमाणपत्रों, निवेश स्कीमों की यूनिटों जैसे ओवरनाइट, लिक्विड या मनी मार्केट स्कीमों, मनी मार्केट लिखतों, बैंक जमाओं या किसी अन्य प्रतिभूतियों या वितीय परिसंपत्तियों या प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट लिखतों में निवेश कर सकता है।

- (2) उप-विनियमन (1) के अधीन किया गया कोई भी निवेश इन विनियमों के उपबंधों, प्रतिबंधित स्कीम के निवेश उद्देश्य और प्लेसमेंट मेमोरेंडम में किए गए प्रकटीकरणों के अनुसार होगा।
- (3) उपर्युक्त के अतिरिक्त, एक क्लोज्ड-एंडेड स्कीम बीस प्रतिशत (20%) तक भौतिक परिसंपत्तियों जैसे भू-संपदा, बुलियन, कला या प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट किसी अन्य भौतिक परिसंपत्ति में निवेश कर सकती है।

स्कीम के निवेश और कॉर्पस पर प्रतिबंध

35. (1) ओपन एंडेड स्कीम के मामले में, गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में अधिकतम निवेश स्कीम के कॉर्पस का पच्चीस प्रतिशत (25%) से अधिक नहीं होना चाहिए।:

बशर्ते कि ओपन-एंडेड निधियों की निधि स्कीम के मामले में, यह आवश्यकता लागू नहीं होगी यदि ऐसी स्कीम अन्य ओपन-एंडेड स्कीम(मों) में निवेश कर रही है, जिसमें उनके कॉर्पस के पच्चीस प्रतिशत (25%) से अधिक गैर-सूचीबद्ध प्रतिभृतियों में निवेश नहीं होगा।

(2) प्रतिबंधित स्कीमों के कॉर्पस का न्यूनतम आकार 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगा:

बशर्त कि ओपन-एंडेड स्कीम कम से कम 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कॉर्पस जुटाने पर निवेश गतिविधियाँ आरंभ कर सकती है और प्राधिकरण से ऐसी प्रबंधक(कों) प्राप्त होने की तारीख से 12 माह के भीतर 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का न्यूनतम कॉर्पस प्राप्त करेगी कि स्कीम का प्लेसमेंट मेमोरेंडम रिकॉर्ड पर लिया गया है।

- (3) प्रतिबंधित स्कीमें निवेशक की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन अपने एसोसिएट में पचहत्तर प्रतिशत (75%) स्कीम में मूल्य के हिसाब से निवेश कर सकती हैं।
- (4) प्रतिबंधित स्कीमें एसोसिएट्स, एफएमई या उसके एसोसिएट्स की अन्य स्कीमों या ऐसे निवेशक से प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री नहीं करेंगी, जिसने कम से कम पचास प्रतिशत निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है, जब तक कि मूल्य के अनुसार स्कीम में पचहतर प्रतिशत (75%) निवेशकों की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है:

बशर्ते कि मतदान प्रक्रिया में ऐसे निवेशक (निवेशकों) को शामिल नहीं किया जाएगा, जिन्होंने स्कीम के कॉर्पस का कम से कम पचास प्रतिशत (50%) निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है और वे स्कीम से या स्कीम को प्रतिभूतियां खरीद या बेच रहे हैं:

बशर्ते यह भी कि उन निवेशकों से ऐसा अनुमोदन निधियों की निधि स्कीम के स्कीम के लिए आवश्यक नहीं होगा. जिन्होंने अपने प्लेसमेंट मेमोरेंडम में अंतर्निहित स्कीम (स्कीमों) का विवरण प्रकट किया है, जिसमें निवेश किए जाने का इरादा है और एफएमई की ऐसी अंतर्निहित स्कीम (स्कीमों) के प्रबंधक (प्रबंधकों) के साथ सहयोग की प्रकृति, यदि कोई हो, है।

(5) श्रेणी । एआईएफ, श्रेणी ॥ एआईएफ या श्रेणी ॥ एआईएफ के रूप में प्राधिकरण के साथ फ़ाइल की गई प्रतिबंधित स्कीम प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट अतिरिक्त शर्तों के अनुसार निवेश करेगी।

निवेशकों को प्रकटीकरण

- 36. (1) प्रतिबंधित स्कीमों के लिए प्लेसमेंट मेमोरेंडम में निवेश उद्देश्य, लिक्षित निवेशक, प्रस्तावित कॉर्पस, निवेश शैली या कार्यनीति, निवेश पद्धिति, स्कीम की प्रस्तावित अविध, प्रस्तावित शुल्क और व्यय, जोखिम प्रबंधन प्रथाएं, एफएमई के केएमपी और एफएमई तथा स्कीम के अन्य प्रासंगिक विवरण के बारे में प्रकटीकरण स्पष्ट रूप से शामिल होंगे।
 - (2) निधि कार्यनीति में कोई भी भौतिक विचलन या परिवर्तन मूल्य के हिसाब से कम से कम दो-तिहाई (2/3) निवेशकों की सहमति से किया जाना चाहिए।
 - (3) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि प्लेसमेंट मेमोरेंडम में बताई गई समय अविध के भीतर ओपन-एंडेड स्कीम के मामले में एनएवी का निवेशकों को कम से कम मासिक आधार पर और क्लोज्ड-एंडेड स्कीम के मामले में अर्ध-वार्षिक आधार पर खुलासा किया जाए।
 - (4) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि स्कीम के अधीन पोर्टफोलियों का निवेशकों को तिमाही के अंत से एक माह के भीतर कम से कम तिमाही आधार पर खुलासा किया जाए।
 - (5) एफएमई या प्रत्ययी द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी अन्य भौतिक प्रकटीकरण की जानकारी निवेशकों को तुरंत दी जाएगी।
 - (6) एफएमई और प्रत्ययी प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

उधारीकरण

- 37. प्रतिबंधित स्कीम निम्नलिखित शर्तों के अधीन निधि उधार ले सकती है या लीवरेजिंग गतिविधियों में संलग्न हो सकती है:-
 - (क) स्कीम द्वारा अधिकतम लीवरेज, लीवरेज की गणना के लिए कार्यप्रणाली के साथ, प्लेसमेंट मेमोरेंडम में प्रकट किया जाएगा:
 - (ख) लीवरेज का प्रयोग प्लेसमेंट मेमोरेंडम में प्रकटीकरण के अनुसार किया जाएगा और उससे कोई विचलन, मूल्य के हिसाब से दो-तिहाई (2/3) निवेशकों की सहमति के अध्यधीन होगा; और
 - (ग) लीवरेज को नियोजित करने का इरादा रखने वाले एफएमई के पास निधि के आकार, जिंटलता और जोखिम प्रोफाइल के लिए उपयुक्त व्यापक जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क होना चाहिए।

मूल्यांकन

- 38. (1) एफएमई और प्रत्ययी छठी अनुसूची में निर्दिष्ट निवेश मूल्यांकन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
 - (2) निवेश मूल्यांकन मानदंडों के अनुरूप, स्कीम की परिसंपतियों का मूल्यांकन एक स्वतंत्र सेवा प्रदाता, जैसे कि निधि प्रशासक, संरक्षक, प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी या भारतीय दिवाला और धनशोधन बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक या प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा:

बशर्ते कि उपर्युक्त आवश्यकता निधियों की निधि स्कीम के मामले में लागू नहीं होगी जो आईएफएससी, भारत या विदेशी क्षेत्राधिकार में, सीधे या किसी प्रबंधक के माध्यम से, वितीय क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित स्कीम(मों) में निवेश करती है, जिसका मूल्यांकन किसी स्वतंत्र एंटिटी द्वारा किया जाता है।

एनएवी की गणना

39. (1) एफएमई प्रत्येक प्रतिबंधित स्कीम के एनएवी की गणना कम से कम मासिक आधार पर करेगा:

> बशर्ते कि क्लोज्ड-एंडेड प्रतिबंधित स्कीम के मामले में एनएवी की गणना कम से कम अर्ध-वार्षिक रूप से की जाएगी।

> (2) एनएवी की गणना के लिए प्रक्रिया और कार्यप्रणाली पूरी तरह से प्रलेखित होनी चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो ऐसे दस्तावेज़ीकरण को नियमित रूप से सत्यापित और संशोधित किया जाना चाहिए।

स्कीम में एफएमई का योगदान

- 40. प्रतिबंधित स्कीम के अधीन, एफएमई या उसके एसोसिएट निम्नलिखित निवेश करेंगे:-
 - (क) क्लोज्ड-एंडेड स्कीम के मामले में,
 - (i) 30 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की लिक्षित कॉर्पस वाली स्कीम में लिक्षित राशि का 10% से अधिक नहीं लेकिन कम से कम 2.5%:
 - (ii) 30 मिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक की लिक्षित कॉर्पस वाली स्कीम में कम से कम 750,000 अमरीकी डॉलर लेकिन लिक्षित कॉर्पस का 10% से अधिक नहीं:
 - (ख) ओपन एंडेड स्कीम के मामले में.
 - (i) 30 मिलियन अमरीकी डॉलर से कम की लिक्षित कॉर्पस वाली स्कीम में लिक्षित कॉर्पस का कम से कम 5% लेकिन 10% से अधिक नहीं;
 - (ii) कम से कम 1,500,000 अमेरिकी डॉलर और 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक लक्षित कॉर्पस वाली स्कीम में लक्षित कॉर्पस का 10% से अधिक नहीं:

बशर्ते कि भारत के बाहर स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत अंतरित निधियों/स्कीमों के मामले में एफएमई या उसके एसोसिएट द्वारा आईएफएससी में योगदान अनिवार्य नहीं होगा:

बशर्ते यह भी कि प्रतिबंधित स्कीमों के लिए 10% की सीमा लागू नहीं होगी यदि:

- (i) एफएमई और स्कीम में निवेश करने वाले उसके एसोसिएट्स भारत के बाहर के निवासी हैं और उनके पास भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति उनका अंतिम लाभकारी स्वामी नहीं है; और
- (ii) स्कीम के कॉर्पस का एक तिहाई से अधिक निवेशित कंपनी और उसके एसोसिएट्स में नहीं किया गया है।
- (2) स्कीम में निवेशक के निवेश के अनुपात में उक्त योगदान एफएमई या उसके एसोसिएट द्वारा पैंतालीस (45) दिनों के भीतर किया जाएगा और निरंतर आधार पर बनाए रखा जाएगा:

बशर्ते कि पैंतालीस (45) दिनों की अविध प्राधिकरण की संतुष्टि के अध्यधीन बढ़ाई जा सकती है।

- (3) यदि एफएमई द्वारा उक्त योगदान लाया जाता है, तो अध्याय ॥ के अंतर्गत विस्तृत निवल-मूल्य अपेक्षाओं के प्रयोजन के लिए उस पर विचार किया जा सकता है।
- (4) उक्त योगदान से छूट प्राप्त होगी यदि:-
 - (क) स्कीम में निवेशकों का कम से कम दो-तिहाई (2/3) मूल्य के अनुसार ऐसे अंशदान से छूट की अनुमति देता है;
 - (ख) स्कीम में निवेशकों का कम से कम दो-तिहाई (2/3) मान्यता प्राप्त निवेशक हैं; या
 - (ग) यह स्कीम एक निधियों की निधि स्कीम है जो समान आवश्यकताओं वाली स्कीम(मों) में निवेश करती है।

सह-निवेश और लीवरेज

- 41. (1) प्रतिबंधित स्कीम प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट फ्रेमवर्क के अनुसार एसपीवी के माध्यम से या यूनिटों की अलग श्रेणी जारी करके पृथक पोर्टफोलियों के माध्यम से विनियमन 34 के उप-विनियमन (1) के अधीन अनुमेय निवेशों में सह-निवेश कर सकती है।
 - (2) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि:-
 - (क) ऐसे पृथक पोर्टफोलियो द्वारा निवेश, किसी भी परिस्थिति में, प्रतिबंधित स्कीम के सामान्य पोर्टफोलियो को दी जाने वाली शर्तों से अधिक अनुकूल नहीं होंगे; और
 - (ख) पृथक पोर्टफोलियो के निर्माण के संबंध में प्लेसमेंट मेमोरेंडम में उचित खुलासे किए गए हैं।
- (3) उप-विनियमन (1) में उल्लिखित एसपीवी प्लेसमेंट मेमोरेंडम में बताए अनुसार लीवरेज ले सकता है।

भाग गः खुदरा स्कीमएँ

ख्दरा स्कीमएँ

42. खुदरा स्कीमएँ ऐसी स्कीमएँ हैं जो रजिस्ट्रीकृत एफएमई (खुदरा) द्वारा सभी निवेशकों या निवेशकों के वर्ग से विभिन्न अनुमत निवेशों में अपने घोषित निवेश उद्देश्य के अनुसार निवेश के लिए प्रस्ताव दस्तावेज़ के माध्यम से धन एकत्र करने के लिए आरंभ की जा सकती हैं।

पात्र एफएमई और प्रस्ताव दस्तावेज फ़ाइल करना

- 43. (1) कोई भी स्कीम तब तक आरंभ नहीं की जाएगी जब तक कि स्कीम के आरंभ होने से कम से कम इक्कीस (21) कार्य दिवस पहले लागू शुल्क के साथ प्राधिकरण के पास मसौदा प्रस्ताव दस्तावेज़ फ़ाइल न किया जाए।
 - (2) स्कीम के आरंभ होने के लिए प्रस्ताव दस्तावेज़ की वैधता प्राधिकरण से एफएमई को सूचना की तारीख से बारह (12) माह होगी कि प्रस्ताव दस्तावेज़ को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।

स्पष्टीकरण.-आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजन के लिए, एफएमई द्वारा प्राधिकरण से प्राप्त यह प्रबंधक(कों) कि प्रस्ताव दस्तावेज़ को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रूप में माना जाएगा।

- (3) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि प्राधिकरण की टिप्पणियों को स्कीम आरंभ होने से पहले पेशकश दस्तावेज में शामिल किया जाए।
- (4) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि मसौदा पेशकश दस्तावेज में प्रकट की गई जानकारी में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राधिकरण को तुरंत सूचित किया जाए।
- (5) कोई भी खुदरा स्कीम प्राधिकरण के पास तब तक फ़ाइल नहीं की जाएगी जब तक कि उसे प्रत्ययी द्वारा अनुमोदित न कर दिया जाए।

निवेशकों की न्यूनतम संख्या

44. खुदरा स्कीमों में कम से कम बीस (20) निवेशक होने चाहिए, जिसमें कोई भी एकल निवेशक किसी स्कीम में पच्चीस प्रतिशत (25%) से अधिक निवेश नहीं करेगा और प्रस्ताव के बंद होने से अधिकतम छह (6) माह की अवधि के भीतर इस आवश्यकता का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

स्कीम की प्रकृति और संरचना

- 45. (1) ख्दरा स्कीमें ओपन-एंडेड या क्लोज्ड-एंडेड हो सकती हैं।
 - (2) क्लोज्ड-एंडेड स्कीम की अविधि, जो तीन (3) वर्ष से कम नहीं होगी, पेशकश दस्तावेज में बताई जाएगी।
 - (3) क्लोज्ड-एंडेड स्कीम की अविध को दो (2) वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि स्कीम में निवेश के मूल्य के आधार पर निवेशकों के दो-तिहाई (2/3) की स्वीकृति हो और प्राधिकरण की स्वीकृति हो।
 - (4) आईएफएससी में खुदरा स्कीमें भारत के लागू कानूनों के अधीन कंपनी या ट्रस्ट के रूप में गठित की जाएंगी।
 - (5) खुदरा स्कीमें विभिन्न निवेश कार्यनीतियों के लिए आरंभ की जा सकती हैं, जिनमें सामाजिक उपक्रमों, अवसंरचना, ईएसजी उद्देश्यों, विशिष्ट क्षेत्रों (क्षेत्रीय स्कीम), अवसंरचना (विषयगत स्कीम), कुछ परिसंपति वर्ग (इक्विटी

स्कीमें, ऋण स्कीमें, आदि) या उनके संयोजन या कुछ समाधानों (सेवानिवृत्ति स्कीमें, बच्चों की शिक्षा के लिए स्कीमें, आदि) में निवेश शामिल है, जो प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अध्यधीन हैं।

अनुमेय निवेश

- 46. (1) इन विनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन, खुदरा स्कीम आईएफएससी, भारत या विदेशी अधिकार क्षेत्रों में केवल निम्नलिखित उपकरणों या एंटिटियों में निवेश कर सकती है:-
 - (क) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने वाली या कारोबार की जाने वाली प्रतिभृतियां;
 - (ख) गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियां;
 - (ग) मुद्रा बाजार लिखतें;
 - (घ) ऋण प्रतिभृतियाँ;
 - (ङ) प्रतिभूतिकृत ऋण लिखत, जो या तो परिसंपत्ति समर्थित या बंधक समर्थित प्रतिभूतियाँ हैं;
 - (च) प्रस्ताव दस्तावेजों में उचित प्रकटीकरण के अध्यधीन अन्य निवेश स्कीमों की यूनिटें;
 - (छ) केवल हेजिंग के उद्देश्य के लिए पण्य डेरिवेटिव सिहत डेरिवेटिव, पेशकश दस्तावेज में उपयुक्त प्रकटीकरण के अध्यधीन; या
 - (ज) प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य प्रतिभूतियाँ या वित्तीय उत्पाद/परिसंपत्तियाँ या लिखतें:

बशर्ते कि धन के निवेश की प्रतीक्षा में, एफएमई जमा प्रमाणपत्रों, निवेश स्कीमों की यूनिटों जैसे ओवरनाइट, लिक्विड या मुद्रा बाजार स्कीमों, मुद्रा बाजार लिखतों, बैंक जमाओं या प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट किसी अन्य प्रतिभूतियों या वित्तीय परिसंपत्तियों या लिखतों में निवेश कर सकता है। (2) उप-विनियमन (1) के अधीन किया गया कोई भी निवेश इन विनियमों के उपबंधों, खुदरा स्कीम के निवेश उद्देश्य और पेशकश दस्तावेज में प्रकटीकरण के अनुसार होगा।

स्कीम के निवेश और एयएम पर प्रतिबंध

47. (1) ओपन-एंडेड स्कीम के मामले में, गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में अधिकतम निवेश स्कीम के कुल एयूएम के पंद्रह प्रतिशत (15%) से अधिक नहीं होना चाहिए:

बशर्ते कि यह प्रतिबंध किसी निवेश कॉर्पस द्वारा जारी गैर-स्चीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश के मामले में लागू नहीं होगा, जो प्रकृति में ओपन-एंडेड है, अपने गृह क्षेत्राधिकार में संबंधित नियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित है, और अपने गृह क्षेत्राधिकार में खुदरा निवेशकों को प्रस्तुत करने की अनुमति है।

(2) गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में पंद्रह प्रतिशत (15%) से अधिक निवेश करने वाली क्लोज्ड-एंडेड स्कीमों के मामले में निवेशक द्वारा निवेश की न्यूनतम राशि 10,000 अमेरिकी डॉलर होगी:

बशर्ते कि क्लोज्ड-एंडेड स्कीम गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में पचास प्रतिशत (50%) से अधिक निवेश नहीं करेगी:

बशर्ते यह भी कि निवेश की न्यूनतम राशि 10,000 अमेरिकी डॉलर और पचास प्रतिशत (50%) की सीमा क्लोज्ड-एंडेड रिटेल स्कीम द्वारा किसी निवेश निधि द्वारा जारी गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश के मामले में लागू नहीं होगी जिसे उसके गृह क्षेत्राधिकार में संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, और जिसे अपने गृह क्षेत्राधिकार में खुदरा निवेशकों को प्रस्तुत करने की अनुमति है।

(3) कोई रिटेल स्कीम किसी एकल कंपनी की प्रतिभूतियों में अपने एयूएम का दस प्रतिशत (10%) से अधिक निवेश नहीं करेगी:

बशर्ते कि कोई रिटेल स्कीम प्रत्ययी की पूर्व स्वीकृति के साथ एकल कंपनी में पंद्रह प्रतिशत (15%) तक निवेश कर सकती है: बशर्ते यह भी कि क्षेत्रीय या विषयगत या सूचकांक स्कीमों के मामले में एकल कंपनी में निवेश की सीमा उस कंपनी का प्रतिनिधि सूचकांक में वेटेज होगा, जो किसी स्वतंत्र एंटिटी, जिसके साथ ऐसी स्कीम बेंचमार्क करना चाहती है, द्वारा प्रदान किया गया है, या 15%, जो भी अधिक हो:

बशर्ते कि निधियों की निधि स्कीम को अन्य स्कीम में निवेश करने की अनुमति होगी यदि ऐसी स्कीम इस विनियमन के अधीन आवश्यकता को पूरा करती है।

(4) रिटेल स्कीम पच्चीस प्रतिशत से अधिक निवेश नहीं करेगी। (25%) किसी एकल क्षेत्र में:

बशर्ते कि वितीय सेवा क्षेत्र के मामले में, राशि स्कीम के एयूएम के पचास प्रतिशत (50%) से अधिक नहीं होगी:

बशर्ते यह भी कि क्षेत्रीय कैप पर सीमा क्षेत्रीय या विषयगत या सूचकांक स्कीम के मामले में लागू नहीं होगी:

बशर्ते यह भी कि निधियों की निधि स्कीम के मामले में, क्षेत्रीय कैप पर सीमा लागू नहीं होगी यदि ऐसी स्कीम अन्य स्कीम(मों) में निवेश कर रही है, जिनके पास किसी एकल क्षेत्र में उनके एयूएम के 25% से अधिक निवेश नहीं है, या वितीय सेवा क्षेत्र के मामले में उनके एयूएम का 50% या जब ऐसी स्कीम(स्कीमें) क्षेत्रीय या विषयगत या सूचकांक स्कीम(स्कीमें) हैं।

(5) खुदरा स्कीम अपने एसोसिएट में एयूएम का पच्चीस प्रतिशत (25%) से अधिक निवेश नहीं करेगी:

बशर्ते कि यह प्रतिबंध निधियों की निधि स्कीमों के मामले में लागू नहीं होगा, जिन्होंने पेशकश दस्तावेज में अंतर्निहित स्कीम(मों) के विवरण के बारे में खुलासा किया है, जिसमें निवेश किए जाने का इरादा है और एफएमई का अंतर्निहित स्कीम(मों) के प्रबंधक(कों) के साथ किसी प्रकार के संबंध की प्रकृति, यदि कोई हो, है।

(6) खुदरा स्कीमों का न्यूनतम आकार 3 मिलियन अमरीकी डॉलर होगा:

बशर्ते कि ओपन-एंडेड स्कीम निवेशकों से कम से कम 1 मिलियन अमरीकी डॉलर प्राप्त करने पर अपनी निवेश गतिविधियों को आरंभ कर सकती है और इसे प्राधिकरण से प्राप्त सूचना कि पेशकश दस्तावेज को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है, की तारीख से 12 महीनों के भीतर निवेशकों से कम से कम 3 मिलियन अमरीकी डॉलर प्राप्त करना होगा.

बशर्ते यह भी कि यदि कोई एफएमई निर्दिष्ट समय के भीतर न्यूनतम निवेश प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसके पास नई स्कीम फ़ाइल करने के लिए लागू शुल्क का 50 प्रतिशत (50%) का भुगतान करके पेशकश दस्तावेज की वैधता को 6 माह की अविध के लिए बढ़ाने का एकम्श्त विकल्प होगा।

निवेशकों के लिए प्रकटीकरण

- 48. (1) खुदरा स्कीमों के लिए पेशकश दस्तावेज में स्पष्ट रूप से वे सभी प्रकटीकरण शामिल होंगे जो निवेशकों के लिए ऐसी स्कीमों में निवेश करने के बारे में निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
 - (2) पेशकश दस्तावेज में प्रकटीकरण में अन्य बातों के साथ-साथ निवेश उद्देश्य, लिक्षित निवेशक, प्रस्तावित आकार, निवेश शैली या कार्यनीति, निवेश पद्धिति, स्कीम की प्रस्तावित अविध, शुल्क और व्यय, जोखिम प्रबंधन प्रेक्टिस, एफएमई के केएमपी और एफएमई और स्कीम के अन्य प्रासंगिक विवरण शामिल होंगे।
 - (3) निधि कार्यनीति में कोई भी भौतिक विचलन या परिवर्तन मूल्य के हिसाब से कम से कम दो-तिहाई (2/3) निवेशकों की सहमित से किया जाना चाहिए।
 - (4) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि ओपन-एंडेड स्कीम के मामले में एनएवी निवेशकों को दैनिक आधार पर और क्लोज्ड-एंडेड स्कीम के मामले में साप्ताहिक आधार पर प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट तरीके से प्रकट किया जाए।
 - (5) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि स्कीम के अधीन पोर्टफोलियो निवेशकों को तिमाही के अंत से कम से कम एक (1) माह के भीतर तिमाही आधार पर प्रकट किया जाए।

- (6) एफएमई या प्रत्ययी द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी अन्य महत्वपूर्ण प्रकटीकरण की जानकारी निवेशकों को त्रंत दी जाएगी।
- (7) एफएमई और प्रत्ययी ऊपर निर्दिष्ट, या प्राधिकरण द्वारा यथा-निर्दिष्ट, प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अन्पालन करेंगे।

उधारीकरण

49. खुदरा स्कीम मोचन के उद्देश्य से अस्थायी लिक्विडिटी आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा उधार नहीं लेगी:

> बशर्ते कि खुदरा स्कीम, स्कीम के एयूएम के बीस प्रतिशत (20%) से अधिक राशि उधार नहीं लेगी और इस तरह के उधार की अवधि छह (6) महीने से अधिक नहीं होगी।

मूल्यांकन

- 50.(1) एफएमई और प्रत्ययी छठी अनुसूची में निर्दिष्ट निवेश मूल्यांकन मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
 - (2) निवेश मूल्यांकन मानदंडों के अनुरूप, स्कीम की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन एक स्वतंत्र सेवा प्रदाता जैसे कि निधि प्रशासक, संरक्षक या प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, या भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा किया जाएगा:

बशर्ते कि उपर्युक्त आवश्यकता निधियों की निधि स्कीम के मामले में लागू नहीं होगी जो आईएफएससी या भारत या विदेशी क्षेत्राधिकार में सीधे या प्रबंधक के माध्यम से एक वितीय क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित स्कीम(मों) में निवेश करती है, जिसका मूल्यांकन किसी स्वतंत्र एंटिटी द्वारा किया जाता है।

एनएवी की गणना

51. (1) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक खुदरा स्कीम के एनएवी की गणना प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से ओपन-एंडेड स्कीम के मामले में दैनिक आधार पर और क्लोज्ड-एंडेड स्कीम के मामले में साप्ताहिक आधार पर की जाए।

(2) एनएवी की गणना के लिए प्रक्रिया और कार्यप्रणाली का पूर्ण दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए, तथा ऐसे दस्तावेजीकरण का नियमित रूप से सत्यापन और संशोधन किया जाना चाहिए।

स्कीम में एफएमई द्वारा योगदान

52. (1) खुदरा स्कीम के अंतर्गत, एफएमई या उसके एसोसिएट खुदरा स्कीम के एयूएम का कम से कम एक प्रतिशत (1%) या 200,000 अमेरिकी डॉलर, जो भी कम हो, निवेश करेंगे:

> बशर्ते कि भारत के बाहर स्थापित या निगमित या रजिस्ट्रीकृत अंतरित निधियों/स्कीमों के मामले में एफएमई या उसके एसोसिएट द्वारा आईएफएससी में योगदान अनिवार्य नहीं होगा।

> बशर्ते यह भी कि एफएमई या उसके एसोसिएट द्वारा निधियों की निधि स्कीम में निवेश करने वाली ऐसी स्कीम(मों) के मामले में योगदान अनिवार्य नहीं होगा, जिसकी अपेक्षाएं समान हैं।

(2) उक्त योगदान एफएमई या उसके एसोसिएट द्वारा पैंतालीस (45) दिनों के भीतर किया जाएगा और निरंतर आधार पर बनाए रखा जाएगा:

बशर्ते कि पैंतालीस (45) दिनों की अविध को प्राधिकरण की संतुष्टि के अध्यधीन बढ़ाया जा सकता है।

(3) यदि एफएमई द्वारा उक्त योगदान लाया जाता है, तो अध्याय ॥ के अंतर्गत विस्तृत निवल-मूल्य आवश्यकताओं के उद्देश्य से विचार किया जा सकता है।

भाग घः विशेष परिस्थिति निधि

53. रजिस्ट्रीकृत एफएमई इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार विशेष परिस्थिति निधि आरंभ कर सकता है।

परिभाषाएँ

- अध्याय III के इस भाग के उद्देश्य के लिए,
 - (1) "विशेष परिस्थिति वाली परिसंपति" में शामिल हैं:-

- (क) मास्टर निदेश भारतीय रिजर्व बैंक (ऋण जोखिम का अंतरण) निदेश, 2021 के खंड 58 के अनुसार अधिग्रहण के लिए उपलब्ध तनावग्रस्त ऋण, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है या दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन अनुमोदित समाधान स्कीम के हिस्से के रूप में या भारतीय रिजर्व बैंक या आईएफएससीए या भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी की गई किसी अन्य नीति के अनुसार;
- (ख) भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रजिस्ट्रीकृत परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा जारी प्रतिभृति रसीदें;
- (ग) निवेशित कंपनियों की प्रतिभूतियाँ:
 - (i) जिनके तनावग्रस्त ऋण मास्टर निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक (ऋण जोखिमों का अंतरण) निदेश, 2021, समय-समय पर संशोधित, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अधीन अनुमोदित समाधान स्कीम, या भारतीय रिज़र्व बैंक या आईएफएससीए या भारत सरकार की समय-समय पर इस संबंध में जारी की गई कोई अन्य नीति के अनुसार अधिग्रहण के लिए उपलब्ध हैं;
 - (ii) जिनके उधार के समक्ष, भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ रजिस्ट्रीकृत एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी द्वारा सुरक्षा रसीदें जारी की गई हैं;
 - (iii) जिनके उधार दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अध्याय II के अधीन कारपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अधीन हैं;
 - (iv) जिन्होंने बैंकों/वितीय संस्थानों/प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वितीय कंपनियों/जमा स्वीकार करने वाली गैर-बैंकिंग वितीय कंपनियों और/या सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों से ऋण पर ब्याज के भुगतान या मूल राशि के पुनर्भुगतान से संबंधित सभी चूकों का खुलासा किया है और इस तरह की भुगतान चूक ऐसी चूक होने के बाद कम से कम नब्बे (90) कैलेंडर दिनों की अवधि तक जारी है:

बशर्ते कि उप-खंड (iii) और (iv) के मामले में, कंपनी के वितीय लिखतों या ऋण लिखतों या उधार की क्रेडिट रेटिंग को "घ" या समकक्ष में डाउनग्रेड कर दिया गया हो;

- (घ) प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-निर्दिष्ट कोई अन्य परिसंपति।
- (2) "विशेष परिस्थिति निधि" का अभिप्राय ऐसी स्कीम से है जो अपने निवेश उद्देश्यों के अनुसार विशेष परिस्थिति वाली परिसंपत्तियों में निवेश करती है तथा दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के अंतर्गत समाधान आवेदक के रूप में कार्य कर सकती है।

पात्र एफएमई तथा प्लेसमेंट मेमोरेंडम फ़ाइल करना

- 55. (1) रजिस्ट्रीकृत एफएमई प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से लागू शुल्क के साथ प्राधिकरण के पास ज्ञापन फ़ाइल करके निजी प्लेसमेंट मेमोरेंडम के माध्यम से विशेष परिस्थिति निधि आरंभ कर सकता है।
 - (2) प्रतिबंधित स्कीमों के लिए स्कीम दस्तावेजों की फाइलिंग ग्रीन चैनल के अंतर्गत होगी, जिसके अंतर्गत फ़ाइल की गई स्कीमें प्राधिकरण द्वारा एफएमई को यह सूचित किए जाने के तुरंत बाद निवेशकों द्वारा सदस्यता के लिए खुली होंगी कि प्लेसमेंट मेमोरेंडम को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है:

बशर्ते कि प्राधिकरण किसी भी स्तर पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकता है, जिन्हें एफएमई द्वारा प्लेसमेंट मेमोरेंडम में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण:-आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजन के लिए, एफएमई द्वारा प्राधिकरण से प्राप्त यह सूचित किया जाना कि प्लेसमेंट मेमोरेंडम को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रूप में माना जाएगा।

(3) स्कीम के शुभारंभ के लिए प्लेसमेंट मेमोरेंडम की वैधता प्राधिकरण से सूचना की तारीख से बारह (12) माह होगी, कि प्लेसमेंट मेमोरेंडम को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है, जिस अविध के दौरान एफएमई विनियमन 58 के उप-विनियमन (1) के अधीन निर्दिष्ट कॉर्पस के कम से कम न्यूनतम आकार को प्राप्त करके स्कीम के पहले बंद की घोषणा करेगा:

बशर्ते यह भी कि यदि कोई एफएमई निर्दिष्ट समय के भीतर विनियमन 58 के उप-विनियमन (1) के अधीन निर्दिष्ट कॉर्पस के न्यूनतम आकार को प्राप्त करने में विफल रहता है, तो उसके पास नई स्कीम फ़ाइल करने के लिए लागू शुल्क का 50 प्रतिशत (50%) का भुगतान करके प्लेसमेंट मेमोरेंडम की वैधता को 6 माह की अतिरिक्त अविध के लिए बढ़ाने का एकम्श्त विकल्प होगा।

(4) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि प्लेसमेंट मेमोरेंडम में किसी भी भौतिक परिवर्तन के बारे में प्राधिकरण को त्रंत सूचित किया जाए।

स्कीम का स्वरूप और संरचना

- 56. (1) एक विशेष परिस्थिति वाली निधि केवल एक क्लोज्ड-एंडेड निधि होगी।
 - (2) विशेष परिस्थिति वाली निधि की अवधि, जो तीन (3) वर्ष से कम नहीं होगी, प्लेसमेंट मेमोरेंडम में बताई जाएगी।
 - (3) विशेष परिस्थिति वाली निधि की अविध को दो (2) वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते कि स्कीम में निवेश के मूल्य के आधार पर दो-तिहाई (2/3) निवेशकों की स्वीकृति हो।
 - (3) विशेष परिस्थिति वाली निधि की अविध को दो (2) वर्ष की अविध से आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक निवेशकों की स्पष्ट सहमित और असहमत निवेशकों को बाहर निकलने का अवसर उपलब्ध कराए जाने की शर्त होगी।
 - (3) आईएफएससी में एक विशेष परिस्थिति वाली निधि का गठन कंपनी या एलएलपी या ट्रस्ट या किसी अन्य रूप में किया जाएगा, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा भारत के प्रवृत्त कानूनों के अधीन अनुमति दी जा सकती है।

अनुमेय निवेश

57. एक विशेष परिस्थिति वाली निधि केवल विशेष परिस्थिति परिसंपत्तियों में निवेश करेगी।

स्कीम कॉर्पस, पात्र निवेशक, निवेश की शर्तें

- 58. (1) एक विशेष परिस्थिति वाली निधि में न्यूनतम कॉर्पस होगा, जैसा कि प्राधिकरण दवारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।
 - (2) विशेष परिस्थिति वाली निधि ऐसे पात्र निवेशकों को स्वीकार करेगी, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।
 - (3) विशेष परिस्थिति वाली निधि प्राधिकरण द्वारा यथा-विनिर्दिष्ट अतिरिक्त निवेश शर्तों का अनुपालन करेगी।

उधारीकरण

59. विशेष परिस्थिति वाली निधि दिन-प्रतिदिन की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रकार की उधारी नहीं लेगी या किसी भी प्रकार की लीवरेजिंग गतिविधियों में संलग्न नहीं होगी।

अन्य अपेक्षाएं

- 60. (1) इन विनियमों के अध्याय III के अधीन क्लोज्ड-एंडेड प्रतिबंधित स्कीम के लिए लागू प्रकटीकरण, मूल्यांकन, एनएवी की गणना, स्कीम में एफएमई द्वारा योगदान के संबंध में मानदंड विशेष परिस्थिति वाली निधि पर लागू होंगे।
 - (2) विशेष परिस्थिति वाली निधि को प्रतिबंधित स्कीमों के अधीन एक श्रेणी के रूप में माना जाएगा और तदनुसार विशेष परिस्थिति वाली निधि अतिरिक्त रूप से ऐसी आवश्यकताओं का अनुपालन करेगी जो समय-समय पर क्लोज्ड-एंडेड प्रतिबंधित स्कीमों के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जाएंगी।

अध्याय IV एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ)

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड

61. (1) केवल रजिस्ट्रीकृत एफएमई (खुदरा) ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) आरंभ करने से कम से कम इक्कीस (21) कार्य दिवस पहले प्राधिकरण के पास मसौदा पेशकश दस्तावेज को लागू शुल्क के साथ फ़ाइल करके इसे आरंभ कर सकते हैं।

(2) ईटीएफ के आरंभ के लिए पेशकश दस्तावेज की वैधता प्राधिकरण से एफएमई को सूचना की तारीख से बारह (12) माह होगी कि पेशकश दस्तावेज को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है।

स्पष्टीकरण.-आयकर अधिनियम, 1961 के प्रयोजन के लिए, एफएमई द्वारा प्राधिकरण से प्राप्त सूचना कि पेशकश दस्तावेज को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रूप में माना जाएगा।

- (3) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि ईटीएफ के आरंभ से पहले प्राधिकरण की टिप्पणियों को पेशकश दस्तावेज में विधिवत शामिल किया गया है।
- (4) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि मसौदा पेशकश दस्तावेज में दी गई जानकारी में कोई भी महत्वपूर्ण परिवर्तन प्राधिकरण को तुरंत सूचित किया जाए।
- (5) ईटीएफ को अनिवार्य रूप से किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध और ट्रेड किया जाना चाहिए और इसमें निम्नांकित शामिल होंगे:
 - (क) इक्विटी इंडेक्स आधारित ईटीएफ;
 - (ख) ऋण सूचकांक आधारित ईटीएफ;
 - (ग) पण्य आधारित ईटीएफ;
 - (घ) हाइब्रिड ईटीएफ (2 या अधिक परिसंपत्ति वर्ग में निवेश);
 - (ङ) सक्रिय रूप से प्रबंधित ईटीएफ;
 - (च) संबंधित मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और प्राधिकरण के अनुमोदन के अध्यधीन कोई अन्य ईटीएफ।
- (6) ईटीएफ का कोई भी पेशकश दस्तावेज प्राधिकरण के पास तब तक फ़ाइल नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे प्रत्ययी द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है:

बशर्ते कि उप-विनियमन (5) के खंड (ङ) और (च) के अंतर्गत आने वाले ईटीएफ के मामले में, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा, जहां ऐसे ईटीएफ को सूचीबद्ध करने का इरादा है।

(7) आईएफएससी में ईटीएफ पहचानकर्ता 'आईएफएससी ईटीएफ' का उपयोग करेगा जो इसे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध और कारोबार किए जाने वाले ईटीएफ के रूप में पहचानता है, और इसका उपयोग इसके नाम, पेशकश दस्तावेज और सभी विज्ञापन सामग्री सहित सभी स्थानों पर किया जाएगा।

इक्विटी इंडेक्स आधारित ईटीएफ

- 62. (1) एफएमई आईएफएससी या भारत या विदेशी क्षेत्राधिकार के इक्विटी इंडेक्स की प्रतिकृति वाला ईटीएफ आरंभ कर सकता है।
 - (2) इक्विटी इंडेक्स आधारित ईटीएफ जो किसी विशेष इंडेक्स की प्रर्तिकृति करना चाहता है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा इंडेक्स निम्नलिखित मानदंडों का अनुपालन करेगा:-
 - (क) इंडेक्स में कम से कम दस (10) स्टॉक इसके घटक होंगे;
 - (ख) क्षेत्रीय / विषयगत सूचकांक के लिए, किसी भी एकल स्टॉक का सूचकांक में पैंतीस प्रतिशत (35%) से अधिक वेटेज नहीं होगा; और
 - (ग) क्षेत्रीय / विषयगत सूचकांकों के अतिरिक्त, किसी भी एकल
 स्टॉक का सूचकांक में पच्चीस प्रतिशत (25%) से अधिक
 भार नहीं होगा।
 - (3) इक्विटी इंडेक्स आधारित ईटीएफ कुल परिसंपत्तियों के कम से कम पचानवे प्रतिशत (95%) की सीमा तक अंतर्निहित इंडेक्स की प्रतिकृति बनाएगा।

ऋण सूचकांक आधारित ईटीएफ

63. (1) एफएमई आईएफएससी या भारत या विदेशी क्षेत्राधिकार के ऋण सूचकांक की प्रतिकृति वाला ईटीएफ आरंभ कर सकता है।

- (2) ऋण स्चकांक आधारित फंड जो किसी विशेष स्चकांक की प्रतिकृति करना चाहता है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा सूचकांक निम्निलिखित मानदंडों का अनुपालन करेगा:-
 - (क) सूचकांक में कम से कम पांच (5) जारीकर्ता इसके घटक होंगे;
 - (ख) किसी भी एकल जारीकर्ता का सूचकांक में पच्चीस प्रतिशत (25%) से अधिक वेटेज नहीं होगा; और
 - (ग) सूचकांक के घटकों की रेटिंग निवेश ग्रेड होगी:

बशर्ते कि खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट शर्तें सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले सूचकांक आधारित फंड पर लागू नहीं होंगी।

(3) ऋण सूचकांक आधारित ईटीएफ कम से कम नब्बे प्रतिशत (कुल परिसंपत्तियों का 90%) की सीमा तक अंतर्निहित सूचकांक की प्रतिकृति करेगा:

बशर्ते कि यदि ईटीएफ सूचकांक का हिस्सा बनने वाले जारीकर्ता के निर्गमों की अनुपलब्धता के कारण सूचकांक को दोहराने में सक्षम नहीं है, तो एफएमई ऐसे विचलनों पर विचार कर सकता है जिससे न्यूनतम संभावित ट्रैकिंग त्रृटि हो और पेशकश दस्तावेज़ में प्रकटीकरण के अनुरूप होगा।

पण्य आधारित ईटीएफ

- 64. (1) पण्य आधारित ईटीएफ कम से कम नब्बे प्रतिशत (90%) का निवेश प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट पण्य या पण्य से संबंधित सुरक्षा / उपकरण में करेगा।
 - (2) पण्य आधारित ईटीएफ आरंभ करने के लिए, एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि पण्य से निपटने में कम से कम पांच (5) वर्ष के अन्भव वाले केएमपी को निधि प्रबंधक के रूप में नामित किया जाए।

स्वर्ण ईटीएफ

65. (1) स्वर्ण ईटीएफ के मामले में, एयूएम का कम से कम नब्बे प्रतिशत (90%) स्वर्ण या ब्रियन लिखत जैसे ब्रियन डिपॉजिटरी रिसीट्स में निवेश

किया जाएगा, जिसमें स्वर्ण अंतर्निहित हो, और एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) जिसमें स्वर्ण अंतर्निहित हो:

बशर्ते कि स्वर्ण को अंतर्निहित रखने वाले ईटीसीडी में प्रकटीकरण स्कीम के एयूएम के दस प्रतिशत (10%) से अधिक नहीं होगा:

बशर्ते यह भी कि दस प्रतिशत की सीमा (10%) स्वर्ण ईटीएफ पर लागू नहीं होगी, जहां भौतिक स्वर्ण की डिलीवरी लेने का इरादा है और इसको अगले अनुबंध चक्र में रोलओवर नहीं करना है।

- (2) स्वर्ण ईटीएफ को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में स्पॉट स्वर्ण की कीमत या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य बेंचमार्क मूल्य की तुलना में बेंचमार्क किया जाएगा और एफएमई को ट्रैकिंग त्रुटि को यथासंभव कम रखने का प्रयास किया जाएगा।
- (3) एफएमई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भौतिक स्वर्ण में निवेश के लिए, स्वर्ण की आपूर्ति रिफाइनर द्वारा की जानी चाहिए जो युद्ध-प्रभावित और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से खनिजों की उत्तरदायी आपूर्ति शृंखलाओं के लिए ओईसीडी समुचित परिश्रम मार्गदर्शन के अनुपालन के लिए प्रमाणित हो।
- (4) भौतिक स्वर्ण को प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत वॉल्ट में संग्रहीत किया जाएगा।
- (5) स्वर्ण ईटीएफ यूनिटों में अंतर्निहित स्वर्ण का भौतिक सत्यापन स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाएगा जो ऐसी गतिविधियों को करने में सक्षम हो और एफएमई और प्रत्ययी को अर्धवार्षिक आधार पर और अर्ध वर्ष की समाप्ति से दो माह की अविधि से पहले रिपोर्ट करेगी।

चांदी ईटीएफ

66. (1) चांदी ईटीएफ के मामले में, एयूएम का कम से कम नब्बे प्रतिशत (90%) चांदी या बुलियन लिखतों जैसे कि चांदी के साथ बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट्स और चांदी के साथ एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव्स (ईटीसीडी) में निवेश किया जाना चाहिए:

बशर्ते कि चांदी के साथ ईटीसीडी में प्रकटीकरण स्कीम के एयूएम के दस प्रतिशत (10%) से अधिक नहीं होना चाहिए:

बशर्ते कि दस प्रतिशत (10%) की सीमा चांदी ईटीएफ पर लागू नहीं होगी, जहां इरादा भौतिक चांदी की डिलीवरी लेना है और इसको अगले अनुबंध चक्र में रोलओवर नहीं करना है।

- (2) चांदी ईटीएफ को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य बेंचमार्क मूल्य पर स्पॉट चांदी की कीमत की तुलना में बेंचमार्क किया जाएगा और एफएमई ट्रैकिंग त्रुटि को यथासंभव कम रखने का प्रयास किया जाएगा।
- (3) एफएमई यह सुनिश्चित करेंगे कि भौतिक चांदी में निवेश के लिए, चांदी की आपूर्ति रिफाइनर द्वारा की जानी चाहिए जो युद्ध-प्रभावित और उच्च-जोखिम वाले क्षेत्रों से खनिजों की उत्तरदायी आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए ओईसीडी सम्चित परिश्रम मार्गदर्शन के अन्पालन के लिए प्रमाणित हो।
- (4) भौतिक चांदी को प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत वॉल्ट में संग्रहित किया जाएगा।
 - (5) चांदी ईटीएफ यूनिटों के अंतर्गत आने वाली चांदी का भौतिक सत्यापन स्वतंत्र एजेंसी द्वारा किया जाएगा जो ऐसी गतिविधियों को करने में सक्षम हो और एफएमई और प्रत्ययी को अर्धवार्षिक आधार पर लेकिन अर्ध वर्ष की समाप्ति से दो माह की अविध से पहले रिपोर्ट करे।

सक्रिय रूप से प्रबंधित ईटीएफ

- 67. (1) सिक्रिय रूप से प्रबंधित ईटीएफ ऐसे ईटीएफ हैं जिनमें एफएमई के पास निवेश उद्देश्यों और नीतियों के अनुसार पोर्टफोलियो की संरचना पर विवेकाधिकार होता है।
 - (2) सिक्रिय रूप से प्रबंधित ईटीएफ अपने पेशकश दस्तावेज और सभी विज्ञापन सामग्री में यह खुलासा करेगा कि यह एक सिक्रिय रूप से प्रबंधित ईटीएफ है, और यह खुलासा करेगा कि यह बताए गए निवेश उद्देश्यों को कैसे पूरा करेगा, जिसमें, जहां लागू हो, किसी सूचकांक से बेहतर प्रदर्शन करने का उसका इरादा शामिल है।

(3) सिक्रिय रूप से प्रबंधित ईटीएफ के लिए मसौदा पेशकश दस्तावेज मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) के साथ फ़ाइल किया जाएगा जहां ऐसे ईटीएफ को सूचीबद्ध करने का इरादा है और प्राधिकरण के साथ भी।

मार्केट मेकर

- 68. (1) एफएमई मार्केट मेकर नियुक्त करेगा जो दो-तरफा उद्धरण प्रदान करके ईटीएफ के व्यापार में लिक्विडिटी सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
 - (2) मार्केट मेकर को यूनिट बनाने और एफएमई से सीधे मोचन प्राप्त करने की अन्मति होगी।
 - (3) मान्यता प्रा प्त स्टॉक एक्सचेंज प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत मध्यस्थों को मार्केट मेकर के रूप में अधिकृत करने के लिए सरलीकृत फ्रेमवर्क प्रदान कर सकते हैं।
 - (4) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज मार्केट मेकर के लिए विस्तृत नियम भी प्रदान करेंगे जैसे अधिकतम प्रसार, न्यूनतम मात्रा, यदि कोई हो, प्रोत्साहन, मार्जिनिंग, नेट-सेटलमेंट आदि।

एनएवी की गणना

- 69. (1) एफएमई प्रत्येक ईटीएफ के एनएवी की दैनिक आधार पर गणना करेगा और इसे अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा और उस मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को सूचित करेगा जहां यह अपनी वेबसाइट पर प्रकटीकरण के लिए सूचीबद्ध है।
 - (2) एनएवी की गणना के लिए प्रक्रिया और कार्यप्रणाली को पूरी तरह से प्रलेखित किया जाना चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो ऐसे दस्तावेज़ीकरण को नियमित रूप से सत्यापित और संशोधित किया जाना चाहिए।

निवेशकों को ईटीएफ का मोचन

70. मार्केट मेकर्स के अतिरिक्त अन्य निवेशक भी ईटीएफ के मोचन के लिए सीधे एफएमई से संपर्क कर सकते हैं, और कोई निकास भार नहीं लिया जाएगा यदि:

- (क) ईटीएफ यूनिटों का कारोबार मूल्य (समापन मूल्य के आधार पर) लगातार तीस (30) कारोबारी दिनों के लिए एनएवी के पांच प्रतिशत (5%) से अधिक की छूट पर है; या
- (ख) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर लगातार पांच (5) कारोबारी दिनों के लिए कोई उद्धरण उपलब्ध नहीं है; या
- (ग) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर कुल बोली का आकार ईटीएफ में एनएवी या यूएसडी 2,500 मूल्य पर कुल यूनिटों के एक प्रतिशत (1%) से अधिक नहीं है, जो लगातार सात (7) कारोबारी दिनों की अविध में औसत है।
- 71. (1) ईटीएफ के लिए पेशकश दस्तावेज में स्पष्ट रूप से सभी प्रकटीकरण शामिल होंगे जो निवेशकों के लिए ऐसे ईटीएफ में निवेश के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
 - (2) पेशकश दस्तावेज में किए जाने वाले खुलासों में अन्य बातों के साथ-साथ निवेश उद्देश्य, लक्षित निवेशक, निवेश शैली या कार्यनीति, निवेश पद्धति, प्रस्तावित शुल्क और व्यय, जोखिम प्रबंधन प्रथाएं, एफएमई के केएमपी और एफएमई तथा ईटीएफ के अन्य प्रासंगिक विवरण शामिल होंगे।
 - (3) निधि कार्यनीति में कोई भी भौतिक विचलन या परिवर्तन मूल्य के हिसाब से कम से कम दो-तिहाई (2/3) निवेशकों की सहमति से किया जाना चाहिए।
 - (4) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि एनएवी का निवेशकों के समक्ष दैनिक आधार पर खुलासा किया जाए और इस तरह के खुलासे का तरीका पेशकश दस्तावेज में विस्तृत रूप से बताया जाएगा।
 - (5) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि ईटीएफ के अधीन पोर्टफोलियों का निवेशकों के समक्ष खुलासा किया जाए और इस तरह के खुलासे का तरीका पेशकश दस्तावेज में विस्तृत रूप से बताया जाएगा।
 - (6) एफएमई या प्रत्ययी द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी अन्य भौतिक खुलासे के बारे में निवेशकों को तुरंत सूचित किया जाएगा।

(7) एफएमई और प्रत्ययी ऊपर निर्दिष्ट या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

अध्याय V पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी)

- 72. (1) एक वितीय वर्ष के अंत में 3 बिलियन अमरीकी डॉलर से अधिक या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट एयूएम की किसी अन्य सीमा से अधिक एयूएम का प्रबंधन करने वाला एफएमई:
 - (क) भौतिक स्थिरता-संबंधी जोखिमों और अवसरों के आसपास शासन पर नीति स्थापित करेगा:
 - (ख) अपनी वार्षिक रिपोर्ट में खुलासा करेगा कि एफएमई भौतिक स्थिरता-संबंधी जोखिमों की पहचान, आकलन और प्रबंधन कैसे करता है;
 - (ग) अपनी वार्षिक रिपोर्ट में निधि प्रबंधक की निवेश कार्यनीतियों और प्रक्रियाओं में स्थिरता से संबंधित जोखिमों और अवसरों को शामिल करने की प्रक्रिया स्थापित और प्रकट करेगा, जिसमें प्रासंगिक होने पर उपयोग किए जाने वाले डेटा और कार्यप्रणाली शामिल हैं; और
 - (घ) प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य स्थिरता संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा।
- (2) एक एफएमई जो ईएसजी से संबंधित स्कीम आरंभ करता है, वह प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निवेश उद्देश्य, निवेश नीति, कार्यनीति, भौतिक जोखिम, बेंचमार्क आदि के बारे में पूर्ण प्रकटीकरण करेगा।
- (3) अध्याय III के अधीन प्राधिकरण के साथ एफएमई द्वारा फ़ाइल सभी स्कीम दस्तावेजों में यह खुलासा किया जाएगा कि स्थिरता संबंधी जोखिम निर्णय लेने में शामिल किए गए हैं या नहीं, साथ ही उनका विवरण भी दिया जाएगा:

बशर्ते कि यदि स्थिरता संबंधी जोखिम निर्णय लेने में शामिल नहीं किए गए हैं, तो नकारात्मक कथन शामिल किया जाएगा।

अध्याय VI अन्य निधि प्रबंधन गतिविधियाँ

भाग कः पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ

पात्र एफएमई और ग्राहक

- 73. (1) एक रजिस्ट्रीकृत एफएमई इन विनियमों के अनुसार अपने ग्राहकों को पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएँ प्रदान कर सकता है।
 - (2) एक पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में अपनी क्षमता में एक एफएमई के पास निम्नलिखित श्रेणियों के ग्राहक हो सकते हैं:
 - (क) भारत के बाहर रहने वाला व्यक्ति;
 - (ख) अनिवासी भारतीय;
 - (ग) भारत में रहने वाला गैर-व्यक्तिगत निवासी जो एफईएमए के अधीन विदेश में निवेश करने के लिए पात्र है, बाहरी निवेश की अनुमति की सीमा तक; और
 - (घ) भारत में रहने वाला कोई व्यक्ति जो भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत विप्रेषण स्कीम (एलआरएस) के अधीन अनुमत सीमा तक, फेमा के अधीन विदेशों में धन निवेश करने के लिए पात्र है।
 - (3) आईएफएससी में पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में काम करने वाले एफएमई को आईएफएससी, भारत या विदेशी क्षेत्राधिकार में प्रतिभूतियों और वितीय उत्पादों में निवेश करने की अन्मति होगी:

बशर्ते कि विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवा के मामले में, यह स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने वाली या कारोबार की जाने वाली प्रतिभूतियों, मुद्रा बाजार की लिखतों, निवेश स्कीमों की यूनिटों और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट अन्य वितीय उत्पादों में निवेश करेगा।

प्रकटीकरण

- 74. (1) एफएमई ग्राहक के साथ पोर्टफोलियो प्रबंधन समझौता करने से पहले ग्राहक को प्रकटीकरण दस्तावेज प्रदान करेगा।
 - (2) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि प्रकटीकरण दस्तावेज की एक प्रति उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
 - (3) उप-विनियमन (1) में संदर्भित प्रकटीकरण दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ प्रदान की जाने वाली सेवाओं, जोखिम कारकों, ग्राहक प्रतिनिधित्व, वितीय प्रदर्शन, पोर्टफोलियो प्रबंधक का प्रदर्शन, लेखा परीक्षक की टिप्पणियां, व्यय की प्रकृति, कराधान, निवेशक शिकायत निवारण तंत्र और पोर्टफोलियो प्रबंधक और उसके प्रमुख अधिकारियों, निदेशकों/भागीदारों/नामित भागीदारों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के विरुद्ध नियामक प्राधिकरणों द्वारा किए गए मुकदमों से संबंधित विवरण शामिल होंगे।

पोर्टफोलियो प्रबंधन समझौता

- 75. (1) एफएमई पोर्टफोलियो प्रबंधन ग्राहक के साथ लिखित समझौता करेगा जो स्पष्ट रूप से आपसी संबंधों को परिभाषित करता है और निवेश उद्देश्यों, जोखिम कारकों, शुल्क की शर्तों, अनुबंध की अविध आदि से संबंधित विवरणों सिहत पोर्टफोलियों के प्रबंधन से संबंधित उनके पारस्परिक अधिकारों, देयताओं और दायित्वों को निर्धारित करता है।
 - (2) एफएमई और ग्राहक के बीच समझौते में निहित किसी भी बात के बावजूद, निम्नलिखित परिस्थितियों में अनुबंध की परिपक्वता से पहले ग्राहक द्वारा निधियों या प्रतिभृतियों को वापस लिया जा सकता है, अर्थात्-
 - (क) एफएमई या ग्राहक द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं की स्वैच्छिक या अनिवार्य समाप्ति;
 - (ख) प्राधिकरण द्वारा एफएमई के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन या निरस्तीकरण: या
 - (ग) एफएमई की शोधन अक्षमता या परिसमापन।

ग्राहक को रिपोर्ट

- 76. (1) एफएमई समय-समय पर ग्राहक के साथ समझौते के अनुसार पोर्टफोलियो प्रबंधन ग्राहक को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पोर्टफोलियो की संरचना और मूल्य, रिपोर्ट की अविध के दौरान किए गए लेन-देन, रिपोर्ट की अविध के दौरान प्राप्त लाभकारी ब्याज, पोर्टफोलियो के प्रबंधन में किए गए व्यय और निवेश या विनिवेश के लिए पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा अनुशंसित प्रतिभूतियों से संबंधित जोखिम का विवरण शामिल होगा।
 - (2) उप-विनियमन (1) में संदर्भित रिपोर्ट प्रत्येक ग्राहक के लिए प्रतिबंधित पहुंच के साथ ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा सकती है।

ग्राहक निधियों की डीलिंग

- 77. (1) एफएमई पोर्टफोलियो प्रबंधन समझौते के मामले में ग्राहक से 75,000 अमेरिकी डॉलर से कम मूल्य की निधियां या प्रतिभूतियां स्वीकार नहीं करेगा:
 - (2) पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं (केवल सलाहकार सेवाओं का लाभ उठाने वालों के अतिरिक्त) का लाभ उठाने वाले ग्राहक की निधियों को निम्न प्रकार से बनाए रखा जा सकता है-
 - (क) बैंकिंग एंटिटी में एफएमई का विशिष्ट बैंक खाता;
 - (ख) बैंकिंग एंटिटी, भारत में बैंक या विदेशी क्षेत्राधिकार में ग्राहक का खाता;
 - (ग) आईएफएससी में एक विनियमित ब्रोकर डीलर या भारत या विदेशी क्षेत्राधिकार में एक समतुल्य एंटिटी के साथ ग्राहक का एक विशिष्ट खाता; या
 - (घ) प्राधिकरण दवारा निर्दिष्ट किसी अन्य तरीके से।

बशर्ते कि जब निधियां किसी ग्राहक के विशिष्ट बैंक खाते में रखी जाती हैं, तो पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाला एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि वह उक्त बैंक खाते को स्वयं या किसी संरक्षक के माध्यम से संचालित करने के लिए विधिवत अधिकृत है और वह ऐसे सभी बैंक खातों का ब्यौरा, जिसमें उसके अंतर्गत किए गए लेन-देन शामिल हैं, प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगा, जब भी ऐसा करने का निदेश दिया जाएगा:

बशर्ते यह भी कि, जब ग्राहकों का धन किसी विनियमित ब्रोकर डीलर के पास रखे गए विशिष्ट खाते में होता है, तो पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाला एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि -

- (i) यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण विद्यमान हैं कि उप-विनियमन (1) के अधीन निर्दिष्ट आवश्यकता का अनुपालन किया जाता है;
- (ii) वह उक्त खाते को संचालित करने के लिए विधिवत अधिकृत है, और
- (iii) वह ऐसे सभी खातों का ब्यौरा, जिसमें उसके अंतर्गत किए गए लेन-देन शामिल हैं, प्राधिकरण को उपलब्ध कराएगा, जब भी ऐसा करने का निदेश दिया जाएगा।
- (3) एफएमई प्रत्येक पोर्टफोलियो प्रबंधन ग्राहक की प्रतिभूतियों में होल्डिंग को अलग-अलग खातों में अलग करेगा:

बशर्ते कि यह उप-विनियमन लागू नहीं होगा यदि ग्राहकों के निवेश सर्वट्यापी खाता संरचना की अनुमित देने वाले क्षेत्राधिकार में हैं। ऐसे मामलों में, एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि सर्वट्यापक संरचना का उपयोग करते हुए निवेश ग्राहकों की पूर्व सहमित के अनुसार हो; तथा यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जाँच की जाए कि ग्राहकों की प्रतिभूतियाँ अलग से निर्धारित की गई हैं।

- (4) ग्राहकों से प्राप्त निधियाँ, निवेश या विनिवेश, ग्राहक के खाते में सभी जमा राशियाँ जिसमें निवेश पर प्राप्त ब्याज, लाभांश, बोनस या कोई अन्य लाभकारी ब्याज और व्यय के लिए डेबिट, यदि कोई हो, ग्राहक के खातों में उचित रूप से दर्शाए जाएँगे।
- (5) एफएमई ग्राहक की निधियों और प्रतिभूतियों के संबंध में प्रत्ययी क्षमता में कार्य करेगा, तथा ग्राहक की निधियों या प्रतिभूतियों से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं करेगा।

(6) एफएमई ग्राहक की ओर से निधियाँ या प्रतिभृतियाँ उधार नहीं लेगा।

निवेश प्रतिबंध

- 78. (1) एफएमई द्वारा स्वीकार किए गए धन या प्रतिभूतियों का निवेश या प्रबंधन एफएमई और ग्राहक के बीच पोर्टफोलियो प्रबंधन समझौते के अनुसार किया जाएगा।
 - (2) एफएमई अपने ग्राहकों के पोर्टफोलियो का उपयोग डेरिवेटिव में निवेश के लिए नहीं करेगा, जब तक कि उसके ग्राहकों से स्पष्ट सहमति प्राप्त न हो जाए।
 - (3) एफएमई किसी भी प्रतिभूति की खरीद या बिक्री के लिए कोई लेनदेन नहीं करेगा, जो डेरिवेटिव में लेनदेन को छोड़कर, प्रतिभूति की वास्तविक डिलीवरी या अंतरण के अतिरिक्त आवधिक या अंतिम रूप से निपटाया जाता है।
 - (4) एफएमई, आमतौर पर प्रत्येक पोर्टफोलियो प्रबंधन ग्राहक के लिए अलग-अलग प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री करेगा:

बशर्ते कि पैमाने की अर्थव्यवस्था के लिए खरीद या बिक्री के एकत्रीकरण की स्थिति में, परस्पर आवंटन आनुपातिक आधार पर और दिन के लेनदेन के भारित औसत मूल्य पर किया जाएगा और एफएमई एक दिन में की गई बिक्री या खरीद के आवंटन के संबंध में कोई खुली स्थिति नहीं रखेगा।

- (5) एफएमई प्रत्येक ग्राहक के फंड और प्रतिभूतियों के पोर्टफोलियो को अलग करेगा और उन्हें अपने स्वयं की निधि और प्रतिभूतियों से अलग रखेगा और ग्राहकों की निधि और प्रतिभूतियों की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा।
- (6) एफएमई अपने ग्राहकों की ओर से पोर्टफोलियो खाते से संबंधित प्रतिभूतियों को ग्राहकों के साथ अनुबंध के आधार पर या अन्यथा अपने नाम पर नहीं रखेगा:

बशर्ते कि यदि ग्राहकों के निवेश सर्वव्यापक खाता संरचना की अनुमित देने वाले अधिकार क्षेत्र में हैं, तो ऐसा प्रतिबंध लागू नहीं होगा: बशर्ते यह भी कि एफएमई द्वारा सर्वव्यापक खाता संरचना के माध्यम से किए गए निवेश के मामले में, यह इस बात को सुनिश्चित करेगा कि ऐसे निवेश ग्राहकों की पूर्व सहमति के अध्यधीन किए गए हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त जांच की गई है कि ग्राहकों की प्रतिभूतियों को अलग से चिहिनत किया गया है।

(7) पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाले एफएमई, केवल सलाहकार सेवाएं प्रदान करने वालों को छोड़कर, अपने द्वारा प्रबंधित या प्रशासित प्रतिभूतियों के संबंध में संरक्षक नियुक्त करेंगे।

सामान्य दायित्व

- 79. (1) एफएमई ग्राहकों से पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रिटर्न की प्रत्याभूति या आश्वासन दिए बिना सहमत शुल्क लेगा और इस प्रकार लिया जाने वाला शुल्क निश्चित शुल्क या रिटर्न-आधारित शुल्क या दोनों का संयोजन हो सकता है।
 - (2) एफएमई विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में अपनी क्षमता में ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार ग्राहक के फंड को व्यक्तिगत और स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करेगा, इस तरीके से कि यह खुदरा निधि के चरित्र का हिस्सा नहीं है, जबिक गैर-विवेकाधीन पोर्टफोलियो प्रबंधक ग्राहक की निधि को ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार प्रबंधित करेगा।
 - (3) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि उसकी सेवाओं के वितरण में शामिल कोई भी व्यक्ति या एंटिटी इन विनियमों और प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों और निदेशों के अनुपालन में वितरण गतिविधियाँ कर रही है।
 - (4) एफएमई प्राधिकरण को प्रकटीकरण, विज्ञापन सामग्री, ग्राहकों को रिपोर्ट और अपनी वेबसाइट पर अपने प्रदर्शन की समान रूप से रिपोर्ट करेगा।
 - (5) एफएमई द्वारा पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में प्रबंधित और प्रशासित पोर्टफोलियो खातों का वार्षिक रूप से ऑडिट किया जाएगा और प्रमाण पत्र की प्रति ग्राहक को दी जाएगी।

सलाहकार सेवाएँ

- 80. एफएमई अपने पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाओं के हिस्से के रूप में सलाहकार सेवाएँ प्रदान करने के लिए संभावित ग्राहकों के साथ एक समझौता करेगा, बशर्तै:
 - (क) यह आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2021 के विनियमन 43 से 50 का अनुपालन करता हो।
 - (ख) यह आईएफएससीए (पूंजी बाजार मध्यस्थ) विनियम, 2021 के अधीन आचार संहिता का अनुपालन करता हो; और
 - (ग) सलाहकार सेवाएँ 75,000 अमेरिकी डॉलर से कम मूल्य के पोर्टफोलियों के लिए नहीं हैं।

बह्-परिवार कार्यालय

- 81. (1) एफएमई इस अध्याय में विस्तृत रूप से पोर्टफोलियो प्रबंधन समझौते के अधीन बह्-परिवार कार्यालय को भी सेवाएँ प्रदान कर सकता है।
 - (2) प्राधिकरण पोर्टफोलियो प्रबंधन समझौते के अधीन बहु-परिवार कार्यालय को सेवाएँ प्रदान करने वाले एफएमई के लिए अतिरिक्त शर्तें, अतिरिक्त अनुमेय निवेश आदि निर्दिष्ट कर सकता है।

भाग ख: निवेश ट्रस्ट

आईएफएससी में निवेश ट्रस्ट

- 82. (1) आईएफएससी या भारत या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार से कोई भी व्यक्ति, जो आईएफएससी में निवेश ट्रस्ट संचालित करना चाहता है, उसे प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना होगा।
 - (2) निवेश ट्रस्ट को निम्नलिखित माध्यमों से धन जुटाने की अनुमित है:
 - (क) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध यूनिटों के साथ सार्वजनिक निर्गम;
 - (ख) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध यूनिटों के साथ निजी प्लेसमेंट; या

- (ग) निजी प्लेसमेंट जिसकी यूनिटों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव नहीं है।
- (3) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज विस्तृत रूपरेखा निर्दिष्ट करेंगे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्रस्ताव दस्तावेज़ में प्रारंभिक प्रकटीकरण अपेक्षाएँ, निरंतर दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ, ट्रेडिंग, समाशोधन और निवेश ट्रस्ट के लिए निपटान शामिल होंगे जिनकी यूनिटें किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं या सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है।
- (4) निवेश ट्रस्ट मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करेगा ।

परिभाषाएँ

- 83. (1) अध्याय VI के इस भाग के प्रयोजन के लिए:
 - (क) "पात्र अवसंरचना परियोजना" का अभिप्राय अवसंरचना परियोजना से है जो इनविट द्वारा अधिग्रहण या अंतरण की तारीख से पहले निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है,
 - (i) पीपीपी परियोजनाओं के लिए, -
 - (क) अवसंरचना परियोजना जो पूरी हो चुकी हैऔर राजस्व पैदा करने वाली परियोजना है;
 - (ख) अवसंरचना परियोजना जिसने वाणिज्यिक परिचालन तारीख (सीओडी) प्राप्त कर ली है और जिसके पास एक वर्ष से कम अविध के लिए परिचालन से राजस्व का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है; या
 - (ग) अवसंरचना परियोजना एक प्री-सीओडी परियोजना है;
 - (ii) गैर-पीपीपी परियोजनाओं में, अवसंरचना परियोजना ने परियोजना के निर्माण आरंभ करने के लिए सभी अपेक्षित अनुमोदन और प्रमाणन प्राप्त कर लिए हैं;

- (ख) "शासी बोर्ड" का अभिप्राय एलएलपी द्वारा नियुक्त सदस्यों के समूह से है जो कंपनी के मामले में निदेशक मंडल के समान तरीके से कार्य करता है;
- (ग) "होल्डको" या "होल्डिंग कंपनी" का अर्थ कंपनी या एलएलपी या प्राधिकरण द्वारा अन्मोदित कोई अन्य संरचना है-
 - (i) जिसमें निवेश ट्रस्ट नियंत्रित हित रखता है या रखने का प्रस्ताव करता है, और इक्विटी शेयर पूंजी या हित का इक्यावन प्रतिशत (51%) से कम नहीं है, और जिसने इसके एवज में अन्य एसपीवी में निवेश किया है, जो अंततः अवसंरचना की परिसंपत्ति या संपत्ति, जैसा भी मामला हो, रखता है:
 - (ii) जो अंतर्निहित एसपीवी, भू-संपदा/संपत्तियों या अवसंरचना परियोजनाओं, जैसा भी मामला हो, को धारण करने के अतिरिक्त किसी अन्य गतिविधि और ऐसी होल्डिंग्स से संबंधित और प्रासंगिक कोई अन्य गतिविधि में संलग्न नहीं है;
 - (घ) "निवेश ट्रस्ट" का अभिप्राय आरईआईटी या इनविट, जैसा भी मामला हो से है;
 - (ङ) "निवेश प्रबंधन समझौता" का अभिप्राय ट्रस्टी और निवेश प्रबंधक के बीच समझौते से है जो निवेश ट्रस्ट के प्रति निवेश प्रबंधक की भूमिका और उत्तरदायित्वों को निर्धारित करता है;
 - (च) "निवेश प्रबंधक" का अभिप्राय इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत निधि प्रबंधन एंटिटी से है जो निवेश ट्रस्ट की परिसंपत्तियों और निवेशों का प्रबंधन करती है और निवेश ट्रस्ट की गतिविधियों को संचालित करती है:
 - (छ) "इनविट" या 'अवसंरचना निवेश ट्रस्ट' का अर्थ है इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत ट्रस्ट;
 - (ज) "इनविट परिसंपितयां" का अभिप्राय सीधे या होल्डको और/या एसपीवी के माध्यम से, इनविट के स्वामित्व वाली परिसंपितयों से है और इसमें ऐसी परिसंपितयों के स्वामित्व से उत्पन्न और उससे संबंधित सभी अधिकार, हित और लाभ शामिल हैं;

- (झ) "निवेश ट्रस्ट के पक्ष" में प्रायोजक, निवेश प्रबंधक, ट्रस्टी और परियोजना प्रबंधक, यदि लागू हो, शामिल हैं;
- (ञ) "पीपीपी परियोजना" का अभिप्राय सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर आरंभ की गई अवसंरचना परियोजना से है;
- (ट) "पूर्व-सीओडी परियोजना" का अभिप्राय अवसंरचना परियोजना से है:
 - (i) जिसने रियायत समझौते, बिजली खरीद समझौते या किसी परियोजना के संचालन के संबंध में किए गए समान प्रकृति के किसी अन्य समझौते या उधारदाताओं के साथ किए गए किसी समझौते सहित प्रासंगिक परियोजना समझौतों के अधीन परिभाषित वाणिज्यिक संचालन तारीख प्राप्त नहीं की है; और

(ii) जिसने,-

- क. अवसंरचना परियोजना के निर्माण का कम से कम पचास प्रतिशत (50%) पूरा कर लिया है, जैसा कि ऐसी परियोजना के एक स्वतंत्र इंजीनियर दवारा प्रमाणित किया गया है; या
- ख. निर्धारित कुल पूंजी लागत का कम से कम पचास प्रतिशत (50%) खर्च किया है। प्रासंगिक परियोजना समझौते के वितीय पैकेज में;
- (ठ) "परियोजना कार्यान्वयन समझौता" या "परियोजना प्रबंधन समझौता" का अर्थ है परियोजना प्रबंधक, रियायतकर्ता एसपीवी और ट्रस्टी के बीच एक समझौता जो परियोजना के निष्पादन और/या प्रबंधन के संबंध में परियोजना प्रबंधक के दायित्वों को निर्धारित करता है:

बशर्ते कि पीपीपी परियोजनाओं के मामले में, ऐसे दायित्व रियायत समझौते या रियायत प्राधिकरण के साथ किए गए किसी ऐसे समझौते के अधीन उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त होंगे;

- (ड) "परियोजना प्रबंधक" का अभिप्राय ऐसी कंपनी या एलएलपी या निकाय कारपोरेट से है जिसे इनविट द्वारा परियोजना प्रबंधक के रूप में नामित किया गया है, जो परियोजना के निष्पादन/प्रबंधन को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है और पीपीपी परियोजनाओं के मामले में, रियायत समझौते या किसी अन्य प्रासंगिक परियोजना दस्तावेज़ के अनुसार परियोजना के मील के पत्थर के ऐसे निष्पादन और उपलब्धि के लिए उत्तरदायी एंटिटी होगी;
- (ढ) "भू-संपदा से संबंधित परिसंपत्ति" का अभिप्राय सूचीबद्ध या
 गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियां और संपत्ति निगमों द्वारा जारी
 या सूचीबद्ध शेयर, बंधक-समर्थित प्रतिभूतियां, अन्य संपत्ति
 निधि, और भू-संपदा के स्वामित्व के लिए प्रासंगिक संपत्तियां;
- (ण) "आरईआईटी" या "भू-संपदा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट" का अभिप्राय इन विनियमों के अधीन रजिस्ट्रीकृत ट्रस्ट से है;
- (त) "आरईआईटी संपत्ति" का अभिप्राय भू-संपदा संपत्ति और आरईआईटी द्वारा सीधे या होल्डको और/या विशेष प्रयोजन वाहन के माध्यम से फ्रीहोल्ड या लीजहोल्ड आधार पर रखी गई कोई अन्य संपत्ति से है;
- (थ) "विशेष प्रयोजन वाहन" या "एसपीवी" का अभिप्राय ऐसी कंपनी या एलएलपी या प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संरचना से है, -
 - (i) जिसमें निवेश ट्रस्ट या होल्डको इक्विटी शेयर पूंजी या ब्याज का कम से कम इक्यावन प्रतिशत (51%) नियंत्रित हित रखता है या रखने का प्रस्ताव करता है:

बशर्ते कि यह खंड पीपीपी परियोजनाओं के मामले में लागू नहीं होगा जहां रियायत समझौते या ऐसे अन्य समझौते के अधीन सरकार या नियामक उपबंधों द्वारा इस तरह के अधिग्रहण या होल्डिंग की अनुमति नहीं है, और चौथी अनुसूची के अधीन भाग घ के खंड (ङ) के अधीन उपबंधों के अधीन होगा;

- (ii) जो अपनी परिसंपत्तियों का अस्सी प्रतिशत (80%) से कम हिस्सा सीधे अवसंरचना परियोजनाओं या संपत्तियों में नहीं रखता है और अन्य एसपीवी में निवेश नहीं करता है; और
- (iii) जो संपत्तियों या अवसंरचना परियोजनाओं, जैसा भी मामला हो, को धारण करने और विकसित करने के अतिरिक्त और ऐसे धारण या विकास से संबंधित और प्रासंगिक गतिविधियों जैसी किसी अन्य गतिविधि में संलग्न नहीं है;
- (द) "प्रायोजक" का अभिप्राय किसी कंपनी या एलएलपी या निकाय कारपोरेट से है जो निवेश ट्रस्ट की स्थापना करता है और आवेदन के समय इस रूप में नामित होता है;
- (ध) "प्रायोजक समूह" में शामिल हैं:
 - (i) प्रायोजक;
 - (ii) एंटिटियाँ या व्यक्ति जो प्रायोजक द्वारा नियंत्रित होते हैं;
 - (iii) एंटिटियाँ या व्यक्ति जो प्रायोजक को नियंत्रित करते हैं:
 - (iv) एंटिटियाँ या व्यक्ति जो उप-खंड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं।
- (न) "ट्रस्टी" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो निवेशकों के लाभ के लिए निवेश ट्रस्ट की परिसंपत्तियों को ट्रस्ट में रखता है;
- (प) "मूल्यांकक" का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जो उस राज्य या देश के कानून के अधीन मूल्यांकक के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत है जहां मूल्यांकन किया जाता है;

रजिस्ट्रीकरण

- 84. (1) निवेश ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए एक आवेदन, ट्रस्ट की ओर से प्रायोजक द्वारा प्राधिकरण को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) या प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में किया जाएगा, और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट गैर-वापसी योग्य शुल्क के साथ होगा।
 - (2) प्राधिकरण निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए, निवेश ट्रस्ट के अभिलेखों, दस्तावेजों का प्रभार लेने के लिए किसी भी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है और इस उद्देश्य के लिए, ऐसी नियुक्ति की शर्तों और नियमों को भी निर्धारित कर सकता है।
 - (3) प्राधिकरण आवेदक से ऐसी कोई भी जानकारी या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है जो आवेदन के प्रसंस्करण के उद्देश्य के लिए उसके द्वारा अपेक्षित हो।
 - (4) प्राधिकरण, यदि वह चाहे, तो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के संबंध में व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व के लिए आवेदक या किसी अधिकृत प्रतिनिधि को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता कर सकता है।
 - (5) प्राधिकरण, सभी प्रबंधक(कों) प्राप्त होने तथा संतुष्ट होने पर, आवेदक द्वारा लागू शुल्क का भुगतान करने के अध्यधीन, निवेश ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान कर सकता है।

ट्रस्ट

- 85. निवेश ट्रस्ट के लिए पात्रता की निम्नलिखित शर्तें हैं:
 - (क) ट्रस्ट भारत के कानूनों (आईएफएससी या आईएफएससी के बाहर) या विदेशी क्षेत्राधिकार के अधीन बनाया जाएगा;
 - (ख) ट्रस्ट डीड का मुख्य उद्देश्य निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी या इनविट, जैसा भी मामला हो) की गतिविधि करना है तथा इसमें इन विनियमों में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अन्सार ट्रस्टी के उत्तरदायित्व शामिल हैं;

(ग) व्यक्तियों को प्रायोजक, निवेश प्रबंधक तथा ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया है तथा ऐसे सभी व्यक्ति अलग-अलग एंटिटी हैं।

प्रायोजक

- 86. निवेश ट्रस्ट के प्रायोजक के लिए पात्रता की निम्नलिखित शर्तें हैं:
 - (क) प्रत्येक प्रायोजक प्रारंभिक प्रस्ताव के बाद के आधार पर निवेश ट्रस्ट की यूनिटों की संख्या का पांच प्रतिशत (5%) से कम नहीं रखेगा या रखने का प्रस्ताव करेगा:
 - बशर्ते कि यदि होल्डिंग पांच प्रतिशत (5%) से कम हो जाती है, तो प्रायोजक को ऐसी अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष की समयाविध के भीतर अपेक्षा का अन्पालन करना होगा;
 - (ख) यदि प्रायोजक कोई निगमित निकाय या कंपनी है तो प्रत्येक प्रायोजक को 15 मिलियन अमरीकी डॉलर से कम की निवल परिसंपत्ति नहीं रखनी चाहिए, या यदि वह सीमित देयता भागीदारी है तो 15 मिलियन अमरीकी डॉलर से कम मूल्य की शुद्ध मूर्त परिसंपत्ति नहीं रखनी चाहिए:
 - बशर्ते कि आरईआईटी के मामले में, प्रत्येक प्रायोजक को 3 मिलियन अमरीकी डॉलर से कम की निवल परिसंपत्ति नहीं रखनी चाहिए और प्रायोजक(कों) को सामूहिक आधार पर 15 मिलियन अमरीकी डॉलर से कम की निवल परिसंपत्ति नहीं रखनी चाहिए;
 - (ग) प्रायोजक(कों) या उसके सहयोगियों के पास भू-संपदा या अवसंरचना के विकास या अवसंरचना/ भू-संपदा क्षेत्र में निधि प्रबंधन में अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए।
 - स्पष्टीकरण.- इस उप-विनियमन के प्रयोजन के लिए, 'अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड' का अभिप्राय कम से कम पांच (5) वर्षों के प्रासंगिक अनुभव से है, और जहां प्रायोजक एक भवन निर्माता है, प्रायोजक की कम से कम दो परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।

निवेश प्रबंधक

- 87. (1) निजी प्लेसमेंट के मामले में, कोई भी रजिस्ट्रीकृत एफएमई निवेश प्रबंधक के रूप में निय्क्त होने के लिए पात्र होगा।
 - (2) सार्वजनिक निर्गम के मामले में, केवल रजिस्ट्रीकृत एफएमई (खुदरा) ही निवेश प्रबंधक के रूप में नियुक्त होने के लिए पात्र होगा।

ट्रस्टी

- 88. निवेश ट्रस्ट के ट्रस्टी के लिए पात्रता की निम्नलिखित शर्तें हैं:
 - (क) एंटिटी को प्राधिकरण या किसी अन्य प्रतिभूति बाजार नियामक के साथ ट्रस्टी के रूप में अधिकृत/रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए और प्रायोजक(कों) या निवेश प्रबंधक का एसोसिएट नहीं होना चाहिए;
 - (ख) ट्रस्टी के पास प्राधिकरण और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) की संतुष्टि के लिए अवसंरचना, किर्मियों आदि के संबंध में आवश्यक साधन हैं।

उपयुक्त और उचित मानदंडों और अन्य उत्तरदायित्वों का पालन

- 89. (1) रजिस्ट्रीकरण केवल तभी दिया जाएगा जब निवेश ट्रस्ट और निवेश ट्रस्ट के पक्ष इन विनियमों के अधीन निर्दिष्ट उपयुक्त और उचित व्यक्ति हों।
 - (2) निवेश ट्रस्ट के पक्ष अपनी भूमिकाएं निभाएंगे और अपनी उत्तरदायित्वों का निर्वहन चौथी अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार करेंगे।

मुद्रा

- 90. निवेश ट्रस्ट की यूनिटें केवल स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा में होंगी। निवेश ट्रस्ट की यूनिटों की प्रस्तुत
- 91. (1) किसी निवेश ट्रस्ट द्वारा यूनिटों की कोई प्रारंभिक प्रस्तुत तब तक नहीं की जाएगी, जब तक कि,-
 - (क) निवेश ट्रस्ट प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत न हो;

(ख) निवेश ट्रस्ट की परिसंपत्तियों का मूल्य 75 मिलियन अमरीकी डॉलर से कम न हो; और

या

(2) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित निवेश ट्रस्ट के संबंध में पेशकश दस्तावेज या प्लेसमेंट मेमोरेंडम के माध्यम से जनता को यूनिटों की न्यूनतम प्रस्तुत और आवंटन नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगा:

इश्यू-उपरांत कैपिटल	प्रस्तुत की जाने वाली यूनिटों की न्यूनतम
	संख्या/ मूल्य
240 मिलियन अमरीकी	निवेश ट्रस्ट की कुल बकाया यूनिटों का कम
डॉलर से कम	से कम पच्चीस प्रतिशत (25%)
240 मिलियन अमरीकी	कम से कम 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर
डॉलर या उससे अधिक	
लेकिन 600 मिलियन	
अमरीकी डॉलर से कम	
600 मिलियन अमरीकी	निवेश ट्रस्ट की कुल बकाया यूनिटों का कम
डॉलर के बराबर या उससे	से कम दस प्रतिशत (10%)
अधिक	

बशर्ते कि प्रायोजक या निवेश प्रबंधक या परियोजना प्रबंधक या उनके संबंधित पक्षों या उनके सहयोगियों को दी जाने वाली यूनिटों को जनता को दी जाने वाली यूनिटों में नहीं गिना जाएगा।

सूचीबद्धता के साथ निजी प्लेसमेंट

- 92. निजी प्लेसमेंट के माध्यम से निवेश ट्रस्ट द्वारा निधि जुटाना, जिसकी यूनिटों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव है, निम्नलिखित के अन्पालन के अध्यधीन होगा:
 - (क) निवेश ट्रस्ट मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) से सैद्धांतिक अन्मोदन प्राप्त करेगा:

बशर्ते कि सैद्धांतिक अनुमोदन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से इसकी प्राप्ति की तारीख से छह (6) माह से अधिक की अवधि के लिए वैध नहीं होगा। (ख) निवेश ट्रस्ट, निवेश प्रबंधक या निवेश बैंकर के माध्यम से, निर्गम खुलने से कम से कम पांच (5) कार्य दिवस पहले लागू शुल्क के साथ प्राधिकरण के पास प्लेसमेंट मेमोरेंडम फ़ाइल करेगा:

बशर्ते कि निर्गम का खुलना मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) से सूचीबद्धता के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन मिलने के छह(6) माह बाद की तारीख में न हो।

(ग) निवेश ट्रस्ट मान्यता प्राप्त निवेशक या कम से कम 150,000 अमेरिकी डॉलर का निवेश करने वाले निवेशकों से धन ज्टाएगा:

बशर्ते कि यदि कोई निजी तौर पर स्थापित निवेश ट्रस्ट निवेश ट्रस्ट की परिसंपत्तियों के मूल्य का अस्सी प्रतिशत से कम निवेश करता है या निवेश करने का प्रस्ताव करता है, तो प्रत्येक निवेशक से न्यूनतम निवेश 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर होगा।

- (घ) निवेश ट्रस्ट कम से कम दो (2) और अधिकतम एक हजार (1000) निवेशकों से धन ज्टाएगा।
- (ङ) निवेश ट्रस्ट, निवेश प्रबंधक के माध्यम से, यूनिटों की सूचीबद्धता की तारीख से दस (10) कार्य दिवसों की अविध के भीतर प्राधिकरण के साथ अंतिम प्लेसमेंट मेमोरेंडम फ़ाइल करेगा।

सूचीबद्धता के बिना निजी प्लेसमेंट

- 93. निजी प्लेसमेंट के माध्यम से निवेश ट्रस्ट द्वारा निधि जुटाना, जिसकी यूनिटों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में सूचीबद्ध करने का प्रस्ताव नहीं है, निम्नलिखित के अनुपालन के अधीन होगा:
 - (क) निवेश ट्रस्ट प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से, लागू शुल्क के साथ, निर्गम के खुलने से कम से कम पांच (5) कार्य दिवस पहले प्राधिकरण के साथ मसौदा प्लेसमेंट मेमोरेंडम फ़ाइल करेगा:

बशर्ते कि निर्गम की ऐसी ओपनिंग प्राधिकरण से जारी सूचना कि प्लेसमेंट मेमोरेंडम को रिकॉर्ड पर लिया गया है, की तारीख से तीन (3) माह बाद की तारीख पर नहीं होगी।

- (ख) निवेश ट्रस्ट कम से कम 250,000 अमेरिकी डॉलर का निवेश करने वाले निवेशकों या मान्यता प्राप्त निवेशकों से धन ज्टाएगा।
- (ग) निवेश ट्रस्ट पचास (50) से अधिक निवेशकों से धन नहीं ज्टाएगा।
- (घ) निवेश ट्रस्ट निवेशकों को यूनिटों के आबंटन की तारीख से दस (10) कार्य दिवसों की अविध के भीतर प्राधिकरण के पास अंतिम प्लेसमेंट मेमोरेंडम फ़ाइल करेगा।

सार्वजनिक निर्गम

- 94. निवेश ट्रस्ट द्वारा सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से निधि जुटाना निम्नलिखित के अन्पालन के अधीन होगा:
 - (क) निवेश ट्रस्ट आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तुत के माध्यम से निधि जुटाएगा तथा उसके बाद यूनिटों का कोई भी निर्गम अनुवर्ती पेशकश, अधिमान्य आवंटन, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट, अधिकार निर्गम, बोनस निर्गम, बिक्री के लिए प्रस्ताव या किसी अन्य तंत्र के माध्यम से तथा प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से हो सकता है।
 - (ख) निवेश ट्रस्ट, निवेश प्रबंधक या उसके द्वारा नियुक्त निवेश बैंकर के माध्यम से, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज तथा प्राधिकरण के साथ पेशकश दस्तावेज फ़ाइल करने से कम से कम तीस (30) कार्य दिवस पहले लागू शुल्क के साथ एक मसौदा पेशकश दस्तावेज फ़ाइल करेगा।
 - (ग) प्राधिकरण के साथ फ़ाइल मसौदा पेशकश दस्तावेज, यदि कोई हो, को टिप्पणियों के लिए प्राधिकरण, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) तथा निवेश प्रबंधक, निर्गम से संबद्ध निवेश बैंकरों की वेबसाइटों पर कम से कम चौदह (14) दिनों की अविध के लिए पोस्ट करके सार्वजिनक किया जाएगा।
 - (घ) मसौदा पेशकश दस्तावेज और/या पेशकश दस्तावेज के साथ निवेश प्रबंधक या निवेश बैंकर, जैसा भी मामला हो, द्वारा हस्ताक्षरित सम्चित परिश्रम प्रमाणपत्र संलग्न किया जाएगा।
 - (ङ) प्राधिकरण निवेश प्रबंधक या निवेश बैंकर को पेशकश दस्तावेज फ़ाइल करने की तारीख से तीस (30) कार्य दिवसों के भीतर या प्राधिकरण

द्वारा मांगे गए प्रश्नों या स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर निवेश प्रबंधक या निवेश बैंकर से संतोषजनक उत्तर प्राप्त होने की तारीख से इक्कीस (21) कार्य दिवसों के भीतर, जो भी बाद में हो, अपनी टिप्पणियां संप्रेषित कर सकता है।

- (च) निवेश प्रबंधक या निवेश बैंकर यह सुनिश्चित करेगा कि मसौदा पेशकश दस्तावेज पर प्राधिकरण से प्राप्त सभी टिप्पणियां मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों के साथ पेशकश दस्तावेज फ़ाइल करने से पहले उपयुक्त रूप से शामिल की गई हैं।
- (छ) पेशकश दस्तावेज को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) और प्राधिकरण के साथ प्रस्ताव खुलने से कम से कम पांच (5) कार्य दिवस पहले फ़ाइल किया जाएगा।
- (ज) निवेश ट्रस्ट द्वारा आरंभिक आफ़र या अनुवर्ती आफ़र या अधिकार निर्गम प्राधिकरण द्वारा अवलोकन जारी करने की तारीख से एक (1) वर्ष से अधिक की अवधि के भीतर किया जाएगा:
 - बशर्ते कि यदि आरंभिक आफ़र या अनुवर्ती आफ़र या अधिकार निर्गम निर्दिष्ट समय अविध के भीतर नहीं किया जाता है, तो नया मसौदा पेशकश दस्तावेज फ़ाइल किया जाएगा।
- (झ) निवेश ट्रस्ट निवेशकों को सदस्यता के लिए आमंत्रित कर सकता है और उन्हें यूनिट आवंटित कर सकता है, जो उस क्षेत्राधिकार में लागू निवेश दिशानिदेशों और अन्मतियों के अध्यधीन हो।
- (ण) आरंभिक आफ़र और अनुवर्ती आफ़र तीस (30) दिनों से अधिक अविध के लिए सदस्यता के लिए ओपन नहीं होगा।
- (ट) अधिक सदस्यता के मामले में, निवेश ट्रस्ट आवेदकों को प्रति ग्राहक न्यूनतम सदस्यता राशि के अधीन, निकटतम पूर्णांक तक आनुपातिक आधार पर यूनिट आवंटित करेगा।
- (ठ) निवेश ट्रस्ट निर्गम के समापन की तारीख से बारह (12) कार्य दिवसों के भीतर यूनिट आबंटन या आवेदन राशि की वापसी, जैसा भी मामला हो, करेगा।

- (ड) निवेश ट्रस्ट सभी आवेदकों को केवल डीमैट रूप में यूनिट जारी करेगा।
- (ढ) सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से जारी निवेश ट्रस्ट यूनिटों का मूल्य बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के माध्यम से या प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जारी परिपत्रों या दिशानिदेशों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(ण) निवेश ट्रस्ट, -

- यदि यह पेशकश दस्तावेज में निर्दिष्ट नए निर्गम आकार के नब्बे प्रतिशत (90%) से अधिक की सदस्यता राशि एकत्र करने में विफल रहता है तो सभी आवेदकों को धन वापस करेगा;
- ii. यदि प्राप्त धन पेशकश दस्तावेज में निर्दिष्ट ओवर-सब्सिक्रिप्शन की सीमा से अधिक है तो आवेदकों को ओवरसब्सिक्रप्शन की सीमा तक धन वापस करेगा:

बशर्ते कि ऐसे ओवरसब्सक्रिप्शन को बनाए रखने का अधिकार निर्गम आकार के पच्चीस प्रतिशत (25%) से अधिक नहीं हो सकता:

बशर्ते यह भी कि, पेशकश दस्तावेज में ऐसे ओवरसब्सक्रिप्शन आय, यदि कोई हो, के उपयोग के लिए पर्याप्त प्रकटीकरण शामिल होंगे और ओवरसब्सक्रिप्शन के कारण रखी गई ऐसी आय का उपयोग सामान्य उददेश्यों के लिए नहीं किया जाएगा।

(त) यूनिटों को जनता को बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है यिद ऐसी यूनिटें प्राधिकरण के साथ मसौदा पेशकश दस्तावेज फ़ाइल करने से पहले कम से कम एक (1) वर्ष की अविध के लिए विद्यमान यूनिटधारकों द्वारा धारण की गई हैं:

बशर्ते कि इक्विटी शेयरों, अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के लिए धारण अवधि, ऐसी प्रतिभूतियों के पूर्ण रूप से चुकता होने की तारीख से, या होल्डको और/या एसपीवी में भागीदारी हित जिसके विरुद्ध ऐसी यूनिटें प्राप्त की गई हैं, को इस विनियमन में निर्दिष्ट एक (1) वर्ष की अवधि की गणना के प्रयोजन के लिए माना जाएगा:

बशर्ते यह भी कि अनिवार्य रूप से परिवर्तनीय प्रतिभूतियां, जिनकी धारण अविध बिक्री के लिए प्रस्ताव के लिए गणना के प्रयोजन के लिए शामिल की गई है, को पेशकश दस्तावेज फ़ाइल करने से पहले होल्डको या एसपीवी के इक्विटी शेयरों में परिवर्तित किया जाएगा।

(थ) सामान्य प्रयोजनों के लिए राशि, जैसा कि मसौदा प्रस्ताव में मुद्दे के उददेश्यों में उल्लिखित है

पेशकश दस्तावेज या प्लेसमेंट मेमोरेंडम

- 95. (1) निवेश ट्रस्ट के पेशकश दस्तावेज या प्लेसमेंट मेमोरेंडम में निवेशकों को सूचित निवेश निर्णय लेने में सक्षम बनाने के लिए सामग्री, सत्य, सही और पर्याप्त प्रकटीकरण शामिल होंगे।
 - (2) पेशकश दस्तावेज या प्लेसमेंट मेमोरेंडम में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा अपेक्षित सभी जानकारी और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में शामिल होगी, जिसमें शामिल हैं:
 - (क) परिचय;
 - (ख) प्रायोजक(कों), निवेश प्रबंधक, परियोजना प्रबंधक, ट्रस्टी और अन्य संबंधित पक्षों का विवरण;
 - (ग) निवेश ट्रस्ट की संक्षिप्त पृष्ठभूमि;
 - (घ) निवेश ट्रस्ट के अधीन परिसंपत्तियों का विवरण;
 - (ङ) व्यावसायिक विवरण और कार्यनीति;
 - (च) लीवरेज;
 - (छ) हितों का टकराव और संबंधित पक्ष लेनदेन;
 - (ज) मूल्यांकन;
 - (झ) वित्तीय;
 - (ञ) यूनिट धारकों के अधिकार;
 - (ट) शीर्षक प्रकटीकरण, मुकदमेबाजी और नियामक कार्रवाई;

- (ठ) जोखिम कारक;
- (ड) कराधान।
- (3) प्राधिकरण को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तृत किए जाएंगे:
 - (क) पेशकश दस्तावेज/प्लेसमेंट मेमोरेंडम के साथ मूल्यांकन रिपोर्ट;
 - (ख) मसौदा पेशकश दस्तावेज या प्लेसमेंट मेमोरेंडम के साथ पिरयोजना कार्यान्वयन/प्रबंधन समझौता;
 - (ग) मसौदा पेशकश दस्तावेज और पेशकश दस्तावेज/प्लेसमेंट मेमोरेंडम के साथ सम्चित परिश्रम प्रमाणपत्र; और
 - (घ) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) से सैद्धांतिक अन्मोदन।
- (4) किसी निवेश ट्रस्ट के प्लेसमेंट मेमोरेंडम में, जिसकी यूनिटों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव नहीं है, उस निवेश ट्रस्ट के लिए निर्दिष्ट सभी प्रबंधक(कों)एं शामिल होंगी, जिनकी यूनिटों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है।

सतत दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं

- 96. (1) किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निवेश ट्रस्ट को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा निर्दिष्ट सतत दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा।
 - (2) निम्नलिखित प्रकटीकरण आवश्यकताएं ऐसे निवेश ट्रस्ट पर लागू होंगी, जिनकी यूनिटें किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं:
 - (क) निवेश ट्रस्ट का निवेश प्रबंधक निवेश ट्रस्ट के ट्रस्टी और यूनिट धारकों को वार्षिक रिपोर्ट, अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट और मूल्यांकन रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप से या भौतिक प्रतियों के माध्यम से प्रस्तुत करेगा;

- (ख) वार्षिक और अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट में मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निजी तौर पर रखे गए निवेश ट्रस्टों के लिए निर्दिष्ट प्रकटीकरण शामिल होंगे;
- (ग) निवेश प्रबंधक ट्रस्टी और यूनिट धारकों को निवेश ट्रस्ट के संचालन या प्रदर्शन पर असर डालने वाली किसी भी जानकारी का खुलासा करेगा, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है:
 - i. िकसी भी अवसंरचना पिरयोजना या संपित का अधिग्रहण या निपटान, सीधे या होल्डको या एसपीवी के माध्यम से, जिसका मूल्य निवेश ट्रस्ट की पिरसंपितयों के मूल्य का पांच प्रतिशत (5%) से अधिक है;
 - ii. निवेश ट्रस्ट द्वारा यूनिटों का अतिरिक्त निर्गम;
 - iii. निवेश ट्रस्ट द्वारा प्राप्त किसी भी क्रेडिट रेटिंग का विवरण और ऐसी रेटिंग में कोई परिवर्तन;
 - iv. कोई भी निर्गम जिसके लिए यूनिट धारकों की स्वीकृति की आवश्यकता होती है;
 - कोई भी कानूनी कार्यवाही जिसका निवेश ट्रस्ट के कामकाज
 पर महत्वपूर्ण असर हो सकता है;
 - vi. यूनिट धारकों की बैठकों के नोटिस और परिणाम,
 - vii. इन विनियमों और इसके अधीन जारी परिपत्रों या दिशानिदेशों का गैर-अनुपालन का कोई भी उदाहरण जिसमें सीमाओं का कोई उल्लंघन शामिल है; और
 - viii. कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा जिसे निवेश प्रबंधक या ट्रस्टी की राय में यूनिट धारकों के समक्ष प्रकट किया जाना आवश्यक है।

निवेश की शर्ते

- 97. (1) निवेश ट्रस्ट, एसपीवी के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, अवसंरचना की परियोजनाओं या संपत्तियों में निवेश कर सकता है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें हों:-
 - (क) एसपीवी का कोई अन्य शेयरधारक या भागीदार ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जो निवेश ट्रस्ट को प्राधिकरण और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा निर्दिष्ट नियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने से रोकता हो, और एसपीवी में निवेश से पहले ऐसे शेयरधारकों या भागीदारों के साथ इस आशय का समझौता किया गया हो:

बशर्ते कि शेयरधारकों का समझौता या भागीदारी समझौता निवेश ट्रस्ट और एसपीवी में अन्य शेयरधारकों या भागीदारों के बीच विवादों के समाधान के लिए एक उपयुक्त तंत्र प्रदान करेगा:

बशर्ते यह भी कि प्राधिकरण और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा निर्दिष्ट उपबंध ऐसे समझौते(तों) और प्राधिकरण और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा निवेश ट्रस्ट पर लगाए गए दायित्वों के बीच विसंगतियों के मामले में प्रबल होंगे।

- (ख) यदि एसपीवी कोई कंपनी या एलएलपी है, तो निवेश प्रबंधक ट्रस्टी के परामर्श से ऐसे एसपीवी के निदेशक मंडल या शासी बोर्ड के बहुमत को नियुक्त करेगा, जैसा लागू हो:
 - बशर्ते कि आरईआईटी के मामले में, निवेश प्रबंधक ट्रस्टी के परामर्श से ऐसे एसपीवी के निदेशक मंडल या शासी बोर्ड में कम से कम उतनी संख्या में नामितियों को नियुक्त करेगा, जो एसपीवी में आरईआईटी की शेयरधारिता या होल्डिंग हित, जैसा लागू हो, के अनुपात में हो;
- (ग) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि एसपीवी की वार्षिक आम बैठक सहित प्रत्येक बैठक में निवेश ट्रस्ट के मत का प्रयोग किया जाए।

- (2) निवेश ट्रस्ट, होल्डको के माध्यम से, जैसा भी मामला हो, अवसंरचना परियोजनाओं या संपत्तियों में निवेश कर सकता है, बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:
 - (क) अंतर्निहित एसपीवी में निवेश ट्रस्ट की अंतिम होल्डिंग हिस्सेदारी छब्बीस प्रतिशत (26%) से कम न हो;
 - (ख) होल्डको या एसपीवी का कोई अन्य शेयरधारक या भागीदार ऐसे किसी अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जो निवेश ट्रस्ट, होल्डको या एसपीवी को प्राधिकरण और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट विनियामक आवश्यकताओं का अनुपालन करने से रोकता हो और होल्डको और/या एसपीवी में निवेश से पहले ऐसे शेयरधारकों या भागीदारों के साथ इस आशय का समझौता किया गया हो:

बशर्ते कि शेयरधारकों का समझौता या भागीदारी समझौता निवेश ट्रस्ट और होल्डको और/या एसपीवी में अन्य शेयरधारकों या भागीदारों के बीच विवादों के समाधान के लिए एक उपयुक्त तंत्र प्रदान करेगा; बशर्ते कि ऐसे समझौते(तों) और प्राधिकरण तथा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निवेश ट्रस्ट पर लगाए गए दायित्वों के बीच विसंगतियों के मामले में, ऐसे दायित्व प्रभावी होंगे;

- (ग) निवेश प्रबंधक, ट्रस्टी के परामर्श से, होल्डको तथा एसपीवी(ओं) के निदेशक मंडल या शासी बोर्ड के बहुमत को नियुक्त करेगा: बशर्ते कि आरईआईटी के मामले में, निवेश प्रबंधक, ट्रस्टी के परामर्श से, होल्डको तथा/या एसपीवी के निदेशक मंडल या शासी बोर्ड में कम से कम इतनी संख्या में नामितियों को नियुक्त करेगा, जो एसपीवी में आरईआईटी की शेयरधारिता या होल्डिंग हित के अन्पात में हों; तथा
- (घ) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि होल्डको तथा एसपीवी(ओं) की वार्षिक आम बैठक सहित प्रत्येक बैठक में, निवेश ट्रस्ट के मत का प्रयोग किया जाए।

(3) निवेश ट्रस्ट द्वारा निवेश आईएफएससी या भारत या विदेशी क्षेत्राधिकार में हो सकता है:

> बशर्ते कि जहां निवेश किसी विदेशी अवसंरचना परियोजना या अचल संपति परिसंपत्ति, जैसा भी मामला हो, में किया जाता है निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा निवेश ऐसे क्षेत्राधिकारों में सभी लागू कानूनों और अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।

- (4) निवेश ट्रस्ट, जैसा भी मामला हो, पूर्ण हो चुकी और किराया देने वाली संपत्ति या अवसंरचना परिसंपत्ति को ऐसी परिसंपत्ति की खरीद की तारीख से कम से कम तीन वर्ष की अविध के लिए सीधे या होल्डको और/या एसपीवी के माध्यम से धारण करेगा: बशर्ते कि यह एसपीवी के अतिरिक्त अवसंरचना क्षेत्र की कंपनियों की प्रतिभूतियों में निवेश पर लागू नहीं होगा।
- (5) किसी भी संपित की बिक्री के लिए, चाहे निवेश ट्रस्ट या होल्डको या एसपीवी द्वारा या होल्डको या निवेश ट्रस्ट द्वारा एसपीवी में शेयरों या ब्याज की बिक्री के लिए, एक वितीय वर्ष में निवेश ट्रस्ट पिरसंपितयों के मूल्य का दस प्रतिशत (10%) से अधिक, निवेश प्रबंधक यूनिट धारकों से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करेगा।
- (6) निवेश ट्रस्ट अन्य निवेश ट्रस्ट की युनिटों में निवेश नहीं करेगा।
- (7) निवेश ट्रस्ट उस होल्डको या विशेष प्रयोजन वाहन (वाहनों) के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को ऋण नहीं देगा जिसमें निवेश ट्रस्ट ने निवेश किया है:

स्पष्टीकरण.-ऋण प्रतिभूतियों में निवेश को ऋण नहीं माना जाएगा।

इनविट के मामले में अतिरिक्त शर्तें

98. (1) इनविट द्वारा निवेश केवल होल्डको और/या एसपीवी या अवसंरचना परियोजनाओं या प्रतिभूतियों में ही किया जाएगा जो इन विनियमों में निर्दिष्ट आवश्यकताओं और प्रस्ताव दस्तावेज़ में विस्तृत निवेश कार्यनीति के अनुसार होगा:

बशर्ते कि पीपीपी परियोजनाओं के मामले में, इनविट अनिवार्य रूप से होल्डको और/या एसपीवी के माध्यम से अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करेगा।

- (2) इनविट के सार्वजनिक निर्गमों के मामले में:-
 - (क) इनविट परिसंपत्तियों के मूल्य का कम से कम अस्सी प्रतिशत (80%) इनविट की होल्डिंग के अनुपात में, पूर्ण और राजस्व उत्पन्न करने वाली अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश किया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1- यदि निवेश होल्डको और/या एसपीवी के माध्यम से किया गया है, तो ऐसे होल्डको और/या एसपीवी द्वारा पूर्ण और राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजनाओं में प्रत्यक्ष निवेश का केवल हिस्सा ही इस खंड के अंतर्गत माना जाएगा, और शेष भाग को इस उप-विनियमन के खंड (ख) में शामिल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण II- यदि कोई परियोजना चरणों में कार्यान्वित की जाती है, तो परियोजना का वह हिस्सा जिसे पूर्ण और राजस्व उत्पन्न करने वाली परियोजना के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, इस खंड के अंतर्गत माना जाएगा और शेष भाग को इस उप-विनियमन के खंड (ख) के अंतर्गत शामिल किया जाएगा;

- (ख) इनविट परिसंपितयों के मूल्य का बीस प्रतिशत (20%) से अधिक निवेश नहीं किया जाएगा:
 - (i) निर्माणाधीन अवसंरचना पिरयोजनाएं, चाहे सीधे या होल्डको और/या एसपीवी के माध्यम से: बशर्ते कि ऐसी पिरसंपितयों में निवेश इनविट पिरसंपितयों के मूल्य के दस प्रतिशत (10%) से अधिक नहीं होगा;
 - (ii) अवसंरचना क्षेत्र में कंपनियों या निकाय कारपोरेट का सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध ऋण:

बशर्ते कि इस निवेश में होल्डको और/या एसपीवी(एस) के ऋण में किया गया कोई निवेश शामिल नहीं होगा;

- (iii) सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर जो अपनी परिचालन आय का अस्सी प्रतिशत (80%) से कम अवसंरचना क्षेत्र से प्राप्त नहीं करते हैं;
- (iv) सरकारी प्रतिभूतियाँ;
- (v) किसी सुपरनैशनल एजेंसी द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ;और
- (vi) मुद्रा बाजार उपकरण, लिक्विड म्यूचुअल फंड या नकद समकक्षा
- (3) सार्वजिनक निर्गम के माध्यम से धन जुटाने वाले इनविट के संबंध में, यिद अंतर्निहित पिरसंपितयों या प्रतिभूतियों के मूल्य के बाजार आंदोलनों के कारण निवेश की शर्तों का उल्लंघन होता है, तो निवेश प्रबंधक ट्रस्टी को इसकी सूचना देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इन विनियमों में निर्दिष्ट निवेश की शर्तें ऐसे उल्लंघन के छह (6) महीनों के भीतर पूरी हों:

बशर्ते कि निवेशकों से अनुमोदन के अधीन अविध को एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

- (4) इनविट के निजी प्लेसमेंट के मामले में:-
 - (क) इनविट परिसंपत्तियों के मूल्य का कम से कम अस्सी प्रतिशत (80%) पात्र अवसंरचना परियोजनायों में सीधे या होल्डको या एसपीवी के माध्यम से निवेश किया जाएगा;
 - (ख) निवेश न किए गए फंड का निवेश निम्नलिखित में किया जा सकता है:
 - (i) इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में कंपनियों या निकाय कारपोरेट के सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध ऋण:

बशर्ते कि इसमें होल्डको और/या एसपीवी(एस) के ऋण में किया गया कोई निवेश शामिल नहीं होगा;

- (ii) सूचीबद्ध कंपिनयों के इक्विटी शेयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र से अपनी परिचालन आय का अस्सी प्रतिशत (80%) से कम नहीं प्राप्त करते हैं;
- (iii) सरकारी प्रतिभूतियाँ;
- (iv) किसी सुपरनैशनल एजेंसी द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ; और
- (iv) मनी मार्केट इंस्ड्रमेंट्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड या नकद समकक्षा

आरईआईटी के मामले में अतिरिक्त शर्तें

- 99. (1) आरईआईटी द्वारा निवेश या तो सीधे या एसपीवी के माध्यम से या होल्डको के माध्यम से किया जाएगा।
 - (2) आरईआईटी केवल निम्नलिखित में निवेश करेगा:-
 - (क) आईएफएससी में या उसके बाहर भू-संपदा, चाहे फ्रीहोल्ड हो या लीजहोल्ड;
 - (ख) भू-संपदा से संबंधित संपत्तियाँ;
 - (ग) सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियाँ या स्थानीय या विदेशी गैर-संपति निगमों के सूचीबद्ध शेयर;
 - (घ) सरकारी प्रतिभूतियाँ;
 - (ङ) किसी सुपरनैशनल एजेंसी द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ; और
 - (च) नकद और नकद-समतुल्य वस्तुएँ।
- (3) सार्वजनिक प्रस्ताव के मामले में निवेश निम्नलिखित आवश्यकताओं के अन्पालन में होना चाहिए:

- (क) आरईआईटी पिरसंपितयों का कम से कम पचहत्तर प्रतिशत (75%) आय-उत्पादक अचल संपित में निवेश किया जाना चाहिए;
- (ख) संपति विकास गतिविधियाँ नहीं करनी चाहिए, जब तक कि वह विकसित संपत्ति को पूरा होने पर रखने का इरादा न रखे;
- (ग) बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों को छोड़कर खाली भूमि और बंधक में निवेश नहीं करना चाहिए:
 - बशर्ते कि यह आवश्यकता किसी भी भूमि पर लागू नहीं होगी जो चरणों में कार्यान्वित की जा रही विद्यमान परियोजना के समीप और विस्तार है;
- (घ) की गई संपत्ति विकास गतिविधियों का कुल अनुबंध मूल्य और अधूरे संपत्ति विकास में निवेश आरईआईटी परिसंपत्तियों के दस प्रतिशत (10%) से अधिक नहीं होना चाहिए:
 - बशर्ते कि संपति विकास गतिविधियों का कुल अनुबंध मूल्य आरईआईटी परिसंपत्तियों के अधिकतम पच्चीस प्रतिशत (25%) के अधीन दस प्रतिशत (10%) से अधिक हो सकता है, केवल तभी जब:
 - (i) आरईआईटी परिसंपितयों के पंद्रह प्रतिशत (15%) तक का अतिरिक्त भत्ता केवल विद्यमान संपित के पुनर्विकास के लिए उपयोग किया जाता है, जो कम से कम तीन (3) वर्षों से उसके पास है और जिसे आरईआईटी पुनर्विकास के पूरा होने के बाद कम से कम तीन (3) वर्षों तक अपने पास रखना जारी रखेगा; और
 - (ii) उसने यूनिट धारकों की विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त कर ली है।
- (ङ) ऋण प्रतिभूतियों या स्थानीय या विदेशी गैर-संपति निगमों के सूचीबद्ध शेयरों, या सरकारी प्रतिभूतियों या किसी

सुपरनैशनल एजेंसी द्वारा जारी प्रतिभूतियों, या नकदी या नकदी-समतुल्य वस्तुओं में निवेश के लिए, आरईआईटी परिसंपत्तियों का पांच प्रतिशत (5%) से अधिक किसी एक जारीकर्ता की प्रतिभूतियों या किसी एक प्रबंधक के फंड में निवेश नहीं किया जा सकता है; और

- (च) अपने राजस्व का दस प्रतिशत (10%) से अधिक अन्य स्रोतों से प्राप्त नहीं करना चाहिए:
 - इसके द्वारा धारित अचल संपत्ति के किरायेदारों से किराया भुगतान, या

स्पष्टीकरण.- किराया भुगतान में वह आय शामिल है जो अचल संपत्ति के पट्टे के लिए सहायक या आकस्मिक है जैसे कि साइनेज स्थान के उपयोग से आय और किरायेदारों द्वारा विज्ञापन योगदान;

- ii. स्वीकार्य निवेशों से ब्याज, लाभांश और अन्य समान भुगतान।
- (4) उप-विनियमन (3) के खंड (घ) और (ङ) के अधीन निवेश प्रतिबंध और आवश्यकताएं लेनदेन में प्रवेश करने के समय लागू होती हैं।
- (5) यदि उप-विनियमन (3) के खंड (क) और (च) के अधीन निर्दिष्ट निवेश शर्तों का उल्लंघन अंतर्निहित परिसंपत्तियों या प्रतिभूतियों की कीमत के बाजार आंदोलनों या किरायेदारों में परिवर्तन या पट्टे की समाप्ति या संपत्तियों की बिक्री के कारण होता है, तो निवेश प्रबंधक ट्रस्टी को इसकी सूचना देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को ऐसे उल्लंघन के छह (6) महीनों के भीतर पूरा किया जाता है:
 - बशर्ते कि यूनिट धारकों से अनुमोदन के अधीन अविध को अन्य छह (6) महीनों तक बढ़ाया जा सकता है।
 - (6) निजी प्लेसमेंट के मामले में निवेश निम्नलिखित अपेक्षाओं के अनुपालन में होना चाहिए: -

- (क) आरईआईटी परिसंपत्तियों के मूल्य का कम से कम अस्सी प्रतिशत (80%) पात्र भू-संपदा संपत्तियों में सीधे या होल्डको या एसपीवी के माध्यम से निवेश किया जाना चाहिए;
- (ख) निवेश न किए गए फंडों का निवेश निम्नलिखित में किया जा सकता है:
 - (i) भू-संपदा क्षेत्र में कंपनियों या निकाय कारपोरेट के सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध ऋण:
 - बशर्ते कि इसमें होल्डको और/या एसपीवी के ऋण में किया गया कोई निवेश शामिल न हो;
 - (ii) सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर जो भू-संपदा क्षेत्र से अपनी परिचालन आय का अस्सी प्रतिशत (80%) से कम प्राप्त नहीं करते हैं;
 - (iii) सरकारी प्रतिभूतियाँ;
 - (iv) किसी सुपरनैशनल एजेंसी द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ; और
 - (v) मनी मार्केट इंस्ट्रमेंट्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड या नकद समकक्षा

वितरण नीति

- 100. (1) निवेश ट्रस्ट और होल्डको तथा/या एसपीवी द्वारा किए गए वितरण के संबंध में,-
 - (क) एसपीवी के शुद्ध वितरण योग्य नकदी प्रवाह का कम से कम नब्बे प्रतिशत (90%) निवेश ट्रस्ट/होल्डको को एसपीवी में उसकी हिस्सेदारी के अनुपात में वितरित किया जाएगा;
 - (ख) निवेश ट्रस्ट के शुद्ध वितरण योग्य नकदी प्रवाह का कम से कम नब्बे प्रतिशत (90%) यूनिट धारकों को वितरित किया जाएगा;

- (ग) होल्डको द्वारा निवेश ट्रस्ट को शुद्ध वितरण योग्य नकदी प्रवाह के वितरण के संबंध में, निम्नलिखित का अनुपालन किया जाएगा:
 - (i) अंतर्निहित एसपीवी से होल्डको द्वारा प्राप्त नकदी प्रवाह के संबंध में, होल्डको द्वारा प्राप्त ऐसे नकदी प्रवाह का सौ प्रतिशत (100%) निवेश ट्रस्ट को वितरित किया जाएगा; और
 - (ii) होल्डको द्वारा स्वयं उत्पन्न नकदी प्रवाह के संबंध में, ऐसे शुद्ध वितरण योग्य नकदी प्रवाह का कम से कम नब्बे प्रतिशत (90%) होल्डको द्वारा निवेश ट्रस्ट को वितरित किया जाएगा।
- (घ) सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए इनविट के मामले में ऐसे वितरण प्रत्येक वितीय वर्ष में कम से कम छह (6) माह में घोषित किए जाएंगे और ऐसी घोषणा की तारीख से पंद्रह (15) दिनों के भीतर किए जाएंगे।
- (2) यदि कोई अवसंरचना पिरसंपित या संपित, जैसा भी मामला हो, निवेश ट्रस्ट या होल्डको या एसपीवी द्वारा बेची जाती है या यदि होल्डको/एसपीवी में इक्विटी शेयर या हित निवेश ट्रस्ट दवारा बेचे जाते हैं:
 - (क) यदि निवेश ट्रस्ट बिक्री आय को अवसंरचना परिसंपत्ति या किसी अन्य संपत्ति में, जैसा भी मामला हो, पुनर्निवेशित करने का प्रस्ताव करता है, तो उसे निवेशकों को कोई बिक्री आय वितरित करने की आवश्यकता नहीं होगी:
 - (ख) यदि निवेश ट्रस्ट बिक्री आय को किसी अन्य अवसंरचना परिसंपत्ति या संपत्ति में, जैसा भी मामला हो, एक (1) वर्ष की अविध के भीतर निवेश नहीं करने का प्रस्ताव करता है, तो उसे उप-विनियम (1) के अनुसार इसे वितरित करने की आवश्यकता होगी।

उधार और आस्थगित भ्गतान

- 101. (1) निम्नलिखित उपबंध किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निवेश ट्रस्ट पर लागू होंगे:
 - (क) कोई निवेश ट्रस्ट जिसकी यूनिटें किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके से ऋण प्रतिभूतियाँ जारी कर सकता है:
 - बशर्ते कि ऐसी ऋण प्रतिभूतियाँ मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में सूचीबद्ध होंगी।
 - (ख) निवेश ट्रस्ट, होल्डको और एसपीवी(ओं) की कुल समेकित उधारियाँ और आस्थगित भुगतान, नकदी और नकदी समकक्षों को छोड़कर, निम्न से अधिक नहीं होंगे:
 - (i) इनविट परिसंपत्तियों के मूल्य का सत्तर प्रतिशत.(70%); या
 - (ii) आरईआईटी परिसंपत्तियों के मूल्य का उनचास प्रतिशत.(49%)।
 - (ग) यदि निवेश ट्रस्ट, होल्डको और एसपीवी(ओं) की कुल समेकित उधारियाँ और आस्थगित भुगतान, नकदी और नकदी समकक्षों को छोड़कर, पच्चीस प्रतिशत से अधिक हो। निवेश ट्रस्ट की परिसंपत्तियों के मूल्य का (25%), किसी भी अतिरिक्त उधार के लिए.-
 - (i) निवेश ट्रस्ट उनतालीस प्रतिशत (49%) तक, -
 - (क) क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करेगा; और
 - (ख) यूनिटधारकों की स्वीकृति लेगा।
 - (ii) एक इनविट उनतालीस प्रतिशत (49%)से ऊपर, -

- (क) अपने समेकित उधार और प्रस्तावित उधार
 के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से "एएए" या
 समकक्ष की क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करेगा;
- (ख) केवल अवसंरचना परियोजनाओं के अधिग्रहण या विकास के लिए धन का उपयोग करेगा;
- (ग) वितीय वर्ष से पहले के वर्षों में, जिसमें बढ़ा हुआ उधार लेने का प्रस्ताव है, सूचीबद्धता के बाद, निरंतर आधार पर कम से कम छह वितरण का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए; और
- (घ) यूनिटधारकों की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना चाहिए। (घ) यदि अंतर्निहित परिसंपतियों या प्रतिभूतियों के मूल्य में बाजार की गतिविधियों के कारण उपर्युक्त उप-खंडों में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो निवेश प्रबंधक ट्रस्टी को इसकी सूचना देगा और यह सुनिश्चित करेगा कि शर्तों को ऐसे उल्लंघन के छह माह के भीतर पूरा किया जाए।
- (2) ऐसा निवेश ट्रस्ट जिसकी यूनिटें किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, ट्रस्ट डीड में निर्दिष्ट निवेशकों की ऐसी संख्या से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, ट्रस्ट डीड के अधीन अनुमत सीमा तक उधार ले सकता है।

परिसंपतियों का मूल्यांकन

102. (1) मूल्यांकक द्वारा प्रत्येक वितीय वर्ष में कम से कम एक बार पूर्ण मूल्यांकन किया जाएगा:

> बशर्ते कि ऐसा पूर्ण मूल्यांकन 31 मार्च को समाप्त होने वाले वितीय वर्ष के अंत में ऐसे वर्ष के अंत से दो (2) माह के भीतर किया जाएगा।

(2) निवेश ट्रस्ट की परिसंपत्तियों का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 30 सितंबर को समाप्त होने वाले अर्ध-वर्ष के लिए मूल्यांकक द्वारा पिछले छह (6) महीनों में किसी भी प्रमुख परिवर्तन को शामिल करने के लिए किया जाएगा और ऐसी अर्धवार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट ऐसी अर्ध वर्ष की समाप्ति की तारीख से एक (1) माह के भीतर तैयार की जाएगी:

बशर्ते कि यदि किसी इनविट की समेकित उधारीकरण और आस्थगित भुगतान उनचास प्रतिशत (49%) से अधिक है, तो ऐसे इनविट की पिरसंपितयों का मूल्यांकन जून, सितंबर और दिसंबर को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए मूल्यांकक द्वारा पिछली तिमाही में किसी भी प्रमुख पिरवर्तन को शामिल करने के लिए किया जाएगा और ऐसी तिमाही रिपोर्ट ऐसी तिमाही की समाप्ति की तारीख से एक माह के भीतर तैयार की जाएगी।

- (3) निवेश प्रबंधक द्वारा प्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट, ऐसे इनविट के संबंध में, जिसकी यूनिटें किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं, ऐसी मूल्यांकन रिपोर्ट की प्राप्ति से पंद्रह (15) दिनों के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत की जाएगी।
- (4) बोनस इश्यू के अतिरिक्त सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए निवेश ट्रस्ट द्वारा यूनिटों के किसी भी निर्गम से पहले, मूल्यांकक सभी परिसंपत्तियों का पूर्ण मूल्यांकन करेगा और उसे पेशकश दस्तावेज में शामिल करेगा:

बशर्ते कि ऐसी मूल्यांकन रिपोर्ट ऐसे प्रस्ताव के समय छह माह से अधिक पुरानी नहीं होगी:

बशर्ते यह भी कि यह उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां ऐसे निर्गम से छह (6) माह से अधिक पहले पूर्ण मूल्यांकन किया गया हो और उसके बाद कोई भौतिक परिवर्तन नहीं हुआ हो।

(5) सार्वजनिक रूप से प्रस्तुत किए गए निवेश ट्रस्टों के लिए, चाहे सीधे या होल्डको और/या एसपीवी के माध्यम से, अवसंरचना परियोजनाओं या संपत्तियों की खरीद या बिक्री के किसी भी लेनदेन के लिए, विशिष्ट परियोजना का पूर्ण मूल्यांकन मूल्यांकक द्वारा किया जाएगा; यदि,-

- (i) खरीद लेनदेन के मामले में, पिरसंपित को मूल्यांकक द्वारा निर्धारित पिरसंपित के मूल्य का एक सौ दस प्रतिशत (110%)
 से अधिक मूल्य पर खरीदने का प्रस्ताव है।;
- (ii) बिक्री लेनदेन के मामले में, परिसंपत्ति को नब्बे प्रतिशत से कम मूल्य पर बेचा जाना प्रस्तावित है। (90%) मूल्यांकक द्वारा निर्धारित परिसंपत्ति के मूल्य का, यूनिट धारकों की स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
- (6) किसी भी भौतिक विकास के मामले में जो निवेश ट्रस्ट के अधीन पिरसंपितयों के मूल्यांकन पर प्रभाव डाल सकता है, तो निवेश प्रबंधक मूल्यांकक से अपेक्षा करेगा कि वह ऐसी घटना की तारीख से दो (2) माह से अधिक समय के भीतर विचाराधीन अवसंरचना पिरयोजना या संपित का पूर्ण मूल्यांकन करे और ऐसे मूल्यांकन के पंद्रह (15) दिनों के भीतर ट्रस्टी और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को इसका खुलासा करे।
- (7) मूल्यांकक ऐसी किसी भी परिसंपत्ति का मूल्यांकन नहीं करेगा जिसमें वह पिछले बारह (12) महीनों के भीतर अधिग्रहण या निपटान में शामिल रहा हो, ऐसे मामलों को छोड़कर जहां मूल्यांकक को ऐसे अधिग्रहण या निपटान के लिए निवेश ट्रस्ट द्वारा नियुक्त किया गया था।

ऐसे निवेश ट्रस्ट द्वारा प्रमाणपत्र का समर्पण, जिसकी यूनिटें सूचीबद्ध नहीं हैं

- 103. (1) ऐसा निवेश ट्रस्ट, जिसकी यूनिटें किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, प्राधिकरण को अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र समर्पित करने का विकल्प चुन सकता है और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के समर्पण को स्वीकार करने पर, वह अब निवेश ट्रस्ट की गतिविधि नहीं करेगा।
 - (2) निवेश ट्रस्ट और निवेश ट्रस्ट के पक्षकार प्राधिकरण को रजिस्ट्रीकरण के समर्पण के बावजूद निवेश ट्रस्ट की गतिविधियों के संबंध में अपने सभी भूल-चूक के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे।

भाग ग: पारिवारिक निवेश निधि

पात्रता शर्ते

- 104. (1) पारिवारिक निवेश निधि आईएफएससी में कंपनी, ट्रस्ट के रूप में केवल अंशदायी ट्रस्ट या सीमित देयता भागीदारी या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर अनुमत किसी अन्य रूप में स्थापित की जा सकती है। बशर्ते कि जहां अंशदायी साधन ट्रस्ट के रूप में हो, वहां यह सुनिश्चित किया जाएगा कि, -
 - (क) लाभार्थी ट्रस्ट डीड के उपबंधों के आधार पर पहचाने जा सकें,हालांकि ट्रस्ट डीड में उनका नाम विशेष रूप से न हो;
 - (ख) प्रत्येक लाभार्थी का हिस्सा ट्रस्ट डीड में उल्लिखित प्रावधानों के आधार पर निर्धारित किया जा सके और यह ट्रस्टी के विवेक पर नहीं होगा; और
 - (ग) प्रारंभिक योगदानकर्ताओं के अतिरिक्त ट्रस्ट में आगे के योगदानकर्ता विद्यमान लाभार्थियों को अज्ञात या उनके शेयरों को अनिश्चित नहीं बनाएंगे।
- (2) एफएमई के कानूनी स्वरूप और निवल मूल्य से संबंधित विनियम 5 और 8 के अंतर्गत आवश्यकताएं पारिवारिक निवेश निधि पर लागू नहीं होंगी।
- (3) पारिवारिक निवेश निधि में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने की तारीख से तीन (3) वर्ष की अविध के भीतर न्यूनतम 10 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश होना चाहिए और उसे बनाए रखना चाहिए।
- (4) पारिवारिक निवेश निधि परिवार की आवश्यकताओं के आधार पर या तो ओपन-एंडेड या क्लोज्ड-एंडेड हो सकती है।
- (5) पारिवारिक निवेश निधि प्राधिकरण के पास ऐसे वाहनों के लिए दस्तावेज फ़ाइल करने और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट लागू शुल्क का भुगतान करने के बाद अतिरिक्त निवेश वाहन स्थापित कर सकती है।
 - स्पष्टीकरण ।.-कंपनियों, सीमित देयता भागीदारी, ट्रस्ट या प्राधिकरण दवारा निर्दिष्ट किसी अन्य रूप में ऐसे अतिरिक्त निवेश वाहनों पर उप-

विनियमन (3) के अधीन निर्दिष्ट शर्त को पूरा करने के उद्देश्य से संयोजन में विचार किया जाएगा।

स्पष्टीकरण ॥. - पारिवारिक निवेश कॉर्पस या निवेश साधन को विनियमन 30 के अनुसार अपनाई गई निवेश कार्यनीति के आधार पर श्रेणी । वैकल्पिक निवेश कॉर्पस, श्रेणी ॥ वैकल्पिक निवेश कॉर्पस या श्रेणी ॥ वैकल्पिक निवेश कॉर्पस के रूप में समझा जा सकता है।

अनुमेय गतिविधियाँ

105. पारिवारिक निवेश कॉर्पस पारिवारिक निवेश कॉर्पस के प्रबंधन से संबंधित सभी गतिविधियाँ और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अन्य गतिविधियाँ कर सकता है।

अनुमेय निवेश

- 106. इन विनियमों के अन्य प्रावधानों के अधीन, पारिवारिक निवेश कॉर्पस केवल आईएफएससी, भारत या विदेशी क्षेत्राधिकारों में निम्नलिखित उपकरणों या एंटिटियों में प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके और सीमा तक धन का निवेश कर सकता है:-
 - (क) गैर-सूचीबद्ध प्रतिभूतियाँ;
 - (ख) स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध या सूचीबद्ध होने वाली या कारोबार की जाने वाली प्रतिभृतियाँ;
 - (ग) मुद्रा बाजार उपकरण;
 - (घ) ऋण प्रतिभूतियाँ;
 - (ङ) प्रतिभूतिकृत ऋण उपकरण, जो या तो परिसंपत्ति समर्थित या बंधक-समर्थित प्रतिभूतियाँ हैं;
 - (च) निवेश स्कीमों की यूनिटें;
 - (छ) पण्य डेरिवेटिव सहित डेरिवेटिव;
 - (ज) सीमित देयता भागीदारी;

- (झ) भौतिक परिसंपत्तियाँ जैसे कि अचल संपत्ति, बुलियन, कला, आदि; या
- (ञ) प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अन्य प्रतिभूतियाँ या वित्तीय उत्पाद/परिसंपत्तियाँ या उपकरण।

उधारीकरण

107. पारिवारिक निवेश निधि अपनी जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार धन उधार ले सकती है और लीवरेजिंग गतिविधियों में संलग्न हो सकती है।

अध्याय VII सूचीबद्धता

ओपन-एंडेड स्कीमों की सूची

108. एफएमई अपनी ओपन-एंडेड स्कीमों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कर सकते हैं।

क्लोज्ड-एंडेड स्कीमों की सूची

109. एफएमई अपनी क्लोज्ड-एंडेड स्कीमों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कर सकते हैं:

बशर्ते कि क्लोज्ड-एंडेड रिटेल स्कीम जिसमें निवेशक द्वारा निवेश की न्यूनतम राशि 10,000 अमेरिकी डॉलर से कम हो, उसे कम से कम एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा।

ईटीएफ की सूची

110. ईटीएफ की यूनिटों को कम से कम एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा।

निवेश ट्रस्ट की सूचीबद्धता

111. (1) निवेश ट्रस्ट की यूनिटें, निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई यूनिटों को छोड़कर, जो न तो सूचीबद्ध हैं और न ही किसी मान्यता

प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव है, किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध की जाएंगी:

- (क) आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तुत के मामले में, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तुत के बंद होने की तारीख से 12 कार्य दिवसों के भीतर;
- (ख) निजी प्लेसमेंट के मामले में, आवंटन की तारीख से 30 कार्य दिवसों के भीतर:

बशर्ते कि यह उप-विनियमन लागू नहीं होगा यदि आरंभिक प्रस्तुत इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम सदस्यता राशि की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है।

- (2)निवेश ट्रस्ट की यूनिटों की सूचीबद्धता निवेश ट्रस्ट और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के बीच किए गए सूचीबद्धता समझौते के अन्सार होगी।
- (3) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में सूचीबद्ध निवेश ट्रस्ट की यूनिटों का व्यापार, निकासी और निपटान मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा निर्दिष्ट आवश्यकताओं और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट ऐसी आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा।
- (4) प्रारंभिक प्रस्ताव से पहले निवेश ट्रस्ट की यूनिटों को धारण करने वाले प्रायोजक(कों) के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति, यूनिटों की सूचीबद्धता की तारीख से कम से कम छह (6) माह की अविध के लिए यूनिटों को धारण करेगा।
- (5) निवेश ट्रस्ट जिसकी यूनिटें किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, ऐसी यूनिटों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर सकता है, बशर्ते कि वह इन विनियमों के अधीन निजी तौर पर रखे गए और सूचीबद्ध निवेश ट्रस्ट के लिए निर्दिष्ट अपेक्षा और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके का अन्पालन करे।

सूचीबद्धता के लिए मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अनुमोदन

112. (1) एफएमई जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) पर अपनी स्कीम या ईटीएफ या निवेश ट्रस्ट की यूनिटों को सूचीबद्ध करने का इरादा रखता है, उसे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) से समय-समय पर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) की आवश्यकताओं के अनुसार 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

(2) स्कीमों या ईटीएफ या निवेश ट्रस्ट की असूचीयन को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन अनुमित दी जाएगी।

प्रकटीकरण

113. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध स्कीमें या ईटीएफ या निवेश ट्रस्ट ऐसे प्रकटीकरण करेंगे जैसा कि प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

भारत या विदेशी क्षेत्राधिकार में सूचीबद्ध ईटीएफ या निवेश ट्रस्ट की द्वितीयक सूची

- 114. (1) किसी ईटीएफ या निवेश ट्रस्ट (आईएफएससी के बाहर इसे किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है) को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने और व्यापार करने की अनुमित दी जा सकती है बशर्ते:
 - (क) ईटीएफ या निवेश ट्रस्ट, जैसा भी मामला हो, भारत में (आईएफएससी के बाहर) या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में सूचीबद्ध हो; और
 - (ख) ईटीएफ या निवेश ट्रस्ट अपने गृह क्षेत्राधिकार के कानून का अनुपालन करता हो।
 - (2) ऐसे ईटीएफ या निवेश ट्रस्ट की सूची के लिए आवेदन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप और तरीके से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में फ़ाइल किया जाएगा।
 - (3) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ईटीएफ या उन पर सूचीबद्ध निवेश ट्रस्ट के लिए निरंतर दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं से छूट दे सकते हैं, बशर्ते कि एफएमई ऐसे एक्सचेंज को अंग्रेजी में सभी जानकारी और दस्तावेज उसी समय प्रस्तुत करे जब वे उस होम एक्सचेंज को जारी किए जाते हैं जहां इसकी प्राथमिक सूचीबद्धता है।

सूचीबद्धता और ट्रेडिंग का निलंबन

- 115. (1) प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज किसी निवेश ट्रस्ट या स्कीमों या ईटीएफ की यूनिटों की सूचीबद्धता और ट्रेडिंग को निलंबित कर सकता है यदि:
 - (क) निवेश ट्रस्ट या निवेश ट्रस्ट या एफएमई के पक्ष प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट नियामक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हैं;
 - (ख) निवेश ट्रस्ट या स्कीमें या ईटीएफ किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज में निलंबित हैं; या
 - (ग) बाजार के व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए निलंबन आवश्यक है।
 - (2) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज निवेश ट्रस्ट या स्कीमों या ईटीएफ की सूचीबद्धता और ट्रेडिंग को बहाल कर सकता है जिन्हें निलंबित कर दिया गया है यदि वह समझता है कि निलंबन अब आवश्यक नहीं है।

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा असूचीयन

- 116. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज निवेश ट्रस्ट या स्कीम या ईटीएफ को सूची से हटाने कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि -
 - क) निवेश ट्रस्ट/स्कीम/ईटीएफ को छह माह से अधिक समय के लिए ट्रेडिंग के लिए निलंबित कर दिया गया है या निवेश ट्रस्ट या एफएमई के पक्ष सूचीबद्धता और ट्रेडिंग की बहाली प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं;
 - (ख) निवेश ट्रस्ट या निवेश ट्रस्ट या एफएमई के पक्ष अब सूचीबद्धता या ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं हैं;
 - (ग) निवेश ट्रस्ट या स्कीम या ईटीएफ को किसी अन्य एक्सचेंजसे अनिवार्य रूप से सूची से हटाने कर दिया गया है;

- (घ) यदि एक्सचेंज संतुष्ट हो कि ऐसी विशेष परिस्थितियाँ हैं जिनके लिए निवेश ट्रस्ट या स्कीम या ईटीएफ को सूची से हटाने करने की आवश्यकता है; या
- (ङ) उसे प्राधिकरण या किसी अन्य प्रासंगिक प्राधिकरण या लागू क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय के आदेश द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया गया है।

स्वैच्छिक असूचीयन

117. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, निवेश ट्रस्ट या एफएमई से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए तरीके से निवेश ट्रस्ट या स्कीम या ईटीएफ को सूची से हटा सकता है।

अध्याय VII

सूचीबद्धता

ओपन-एंडेड स्कीमों की सूची

108. एफएमई अपनी ओपन-एंडेड स्कीमों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कर सकते हैं।

क्लोज्ड-एंडेड स्कीमों की सूची

109. एफएमई अपनी क्लोज्ड-एंडेड स्कीमों को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध कर सकते हैं:

बशर्ते कि क्लोज्ड-एंडेड रिटेल स्कीम जिसमें निवेशक द्वारा निवेश की न्यूनतम राशि 10,000 अमेरिकी डॉलर से कम हो, उसे कम से कम एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा।

ईटीएफ की सूची

110. ईटीएफ की यूनिटों को कम से कम एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर अनिवार्य रूप से सूचीबद्ध किया जाएगा।

निवेश ट्रस्ट की सूचीबद्धता

- 111. (1) निवेश ट्रस्ट की यूनिटें, निजी प्लेसमेंट के माध्यम से जुटाई गई यूनिटों को छोड़कर, जो न तो सूचीबद्ध हैं और न ही किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने का प्रस्ताव है, किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध की जाएंगी:
 - (क) आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तुत के मामले में, आरंभिक सार्वजनिक प्रस्तुत के बंद होने की तारीख से 12 कार्य दिवसों के भीतर;
 - (ख) निजी प्लेसमेंट के मामले में, आवंटन की तारीख से 30 कार्य दिवसों के भीतर:

बशर्ते कि यह उप-विनियमन लागू नहीं होगा यदि आरंभिक प्रस्तुत इन विनियमों में निर्दिष्ट न्यूनतम सदस्यता राशि की आवश्यकता को पूरा नहीं करती है।

- (2) निवेश ट्रस्ट की यूनिटों की सूचीबद्धता निवेश ट्रस्ट और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के बीच किए गए सूचीबद्धता समझौते के अनुसार होगी।
- (3) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में सूचीबद्ध निवेश ट्रस्ट की यूनिटों का व्यापार, निकासी और निपटान मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षाओं और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट ऐसी अपेक्षाओं के अन्सार किया जाएगा।
- (4) प्रारंभिक प्रस्ताव से पहले निवेश ट्रस्ट की यूनिटों को धारण करने वाले प्रायोजक(कों) के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति, यूनिटों की सूचीबद्धता की तारीख से कम से कम छह (6) माह की अविध के लिए यूनिटों को धारण करेगा।
- (5) निवेश ट्रस्ट जिसकी यूनिटें किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, ऐसी यूनिटों को किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कर सकता है, बशर्ते कि वह इन विनियमों के अधीन निजी तौर पर रखे गए और सूचीबद्ध निवेश ट्रस्ट के लिए

निर्दिष्ट अपेक्षाओं और समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके का अन्पालन करे।

सूचीबद्धता के लिए मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा अनुमोदन

- 112. (1) एफएमई जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) पर अपनी स्कीम या ईटीएफ या निवेश ट्रस्ट की यूनिटों को सूचीबद्ध करने का इरादा रखता है, उसे मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) से समय-समय पर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) की अपेक्षाओं के अनुसार 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
 - (2) स्कीमों या ईटीएफ या निवेश ट्रस्ट की असूचीयन को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अधीन अनुमित दी जाएगी।

प्रकटीकरण

113. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध स्कीमें या ईटीएफ या निवेश ट्रस्ट ऐसे प्रकटीकरण करेंगे जैसा कि प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों दवारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

भारत या विदेशी क्षेत्राधिकार में सूचीबद्ध ईटीएफ या निवेश ट्रस्ट की द्वितीयक सूची

- 114. (1) किसी ईटीएफ या निवेश ट्रस्ट (आईएफएससी के बाहर इसे किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है) को मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने और व्यापार करने की अनुमित दी जा सकती है बशर्तै:
 - (क) ईटीएफ या निवेश ट्रस्ट, जैसा भी मामला हो, भारत में (आईएफएससी के बाहर) या किसी विदेशी क्षेत्राधिकार में सूचीबद्ध हो; और
 - (ख) ईटीएफ या निवेश ट्रस्ट अपने गृह क्षेत्राधिकार के कानून काअनुपालन करता हो।

- (2) ऐसे ईटीएफ या निवेश ट्रस्ट की सूची के लिए आवेदन मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) द्वारा प्रदान किए गए प्रारूप और तरीके से मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज(जों) में फ़ाइल किया जाएगा।
- (3) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज ईटीएफ या उन पर सूचीबद्ध निवेश ट्रस्ट के लिए निरंतर दायित्वों और प्रकटीकरण अपेक्षाओं से छूट दे सकते हैं, बशर्ते कि एफएमई ऐसे एक्सचेंज को अंग्रेजी में सभी जानकारी और दस्तावेज उसी समय प्रस्तुत करे जब वे उस होम एक्सचेंज को जारी किए जाते हैं जहां इसकी प्राथमिक सूचीबद्धता है।

सूचीबद्धता और ट्रेडिंग का निलंबन

- 115. (1) प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज किसी निवेश ट्रस्ट या स्कीमों या ईटीएफ की यूनिटों की सूचीबद्धता और ट्रेडिंग को निलंबित कर सकता है यदि:
 - (क) निवेश ट्रस्ट या निवेश ट्रस्ट या एफएमई के पक्ष प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट नियामक प्रावधानों का अनुपालन नहीं करते हैं;
 - (ख) निवेश ट्रस्ट या स्कीमें या ईटीएफ किसी अन्य स्टॉक एक्सचेंज में निलंबित हैं: या
 - (ग) बाजार के व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए निलंबन आवश्यक है।
 - (2) मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज निवेश ट्रस्ट या स्कीमों या ईटीएफ की सूचीबद्धता और ट्रेडिंग को बहाल कर सकता है जिन्हें निलंबित कर दिया गया है यदि वह समझता है कि निलंबन अब आवश्यक नहीं है।

मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा असूचीयन

- 116. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज निवेश ट्रस्ट या स्कीम या ईटीएफ को सूची से हटाने कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि -
 - (क) निवेश ट्रस्ट/स्कीम/ईटीएफ को छह माह से अधिक समय के लिए ट्रेडिंग के लिए निलंबित कर दिया गया है या निवेश

- ट्रस्ट या एफएमई के पक्ष सूचीबद्धता और ट्रेडिंग की बहाली प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं;
- (ख) निवेश ट्रस्ट या निवेश ट्रस्ट या एफएमई के पक्ष अब सूचीबद्धता या ट्रेडिंग के लिए पात्र नहीं हैं;
- (ग) निवेश ट्रस्ट या स्कीम या ईटीएफ को किसी अन्य एक्सचेंज से अनिवार्य रूप से सूची से हटा दिया गया है;
- (घ) यदि एक्सचेंज संतुष्ट हो कि ऐसी विशेष परिस्थितियाँ हैं जिनके लिए निवेश ट्रस्ट या स्कीम या ईटीएफ को सूची से हटाने की आवश्यकता है; या
- (ङ) उसे प्राधिकरण या किसी अन्य प्रासंगिक प्राधिकरण या लागू क्षेत्राधिकार के किसी न्यायालय के आदेश द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया गया है।

स्वैच्छिक असूचीयन

117. मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज, निवेश ट्रस्ट या एफएमई से प्राप्त अनुरोध के आधार पर, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज या प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए तरीके से निवेश ट्रस्ट या स्कीम या ईटीएफ को सूची से हटा सकता है।

अध्याय VIII

सामान्य दायित्व और उत्तरदायित्व

आचार संहिता

118. प्रत्येक एफएमई, प्रत्ययी, केएमपी (प्रधान अधिकारी, निधि प्रबंधक और नामित अनुपालन अधिकारी सहित) तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट आचार संहिता का पालन करेंगे।

खाता बही, अभिलेख और अन्य दस्तावेजों का रखरखाव

119. (1) प्रत्येक एफएमई प्रत्येक स्कीम के लिए उचित खाता बही, अभिलेख और दस्तावेज रखेगा और उनका रखरखाव करेगा ताकि उसके लेन-देन को स्पष्ट किया जा सके और किसी भी समय प्रत्येक स्कीम की वित्तीय स्थिति का खुलासा किया जा सके और विशेष रूप से, स्कीम की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके, और प्राधिकरण को उस स्थान की जानकारी दी जा सके जहां ऐसी खाता बही, अभिलेख और दस्तावेज का रखरखाव किया जाता है।

- (2) प्रत्येक एफएमई कम से कम आठ वर्षों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पुनर्प्राप्ति रूप में निम्नलिखित खाता बही, अभिलेख और दस्तावेज बनाए रखेगा और स्रक्षित रखेगा, अर्थात्:
 - (क) प्रत्येक लेखा अवधि के अंत में तुलनपत्र की प्रति;
 - (ख) प्रत्येक लेखा अविध के लिए लाभ और हानि खातेकी प्रति;
 - (ग) प्रत्येक लेखा अविध के लिए खातों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की प्रति;
 - (घ) प्रत्येक तिमाही के लिए निवल मूल्य का विवरण;
 - (ङ) एएमएल और सीएफटी दिशानिदेशों के अनुपालन से संबंधित दस्तावेज;
 - (च) प्रत्येक ग्राहक के खाता खोलने से संबंधित दस्तावेज और ग्राहकों के किसी भी पावर ऑफ अटॉर्नी या हस्ताक्षर प्राधिकरण प्ररूप;
 - (छ) इन विनियमों के अधीन इसकी गतिविधियों से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड और दस्तावेज; और
 - (ज) ऐसे अन्य खाता बही, रिकॉर्ड और दस्तावेज जो प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
- (3) एफएमई को स्कीम के समापन के बाद कम से कम पांच वर्ष के लिए इलेक्ट्रॉनिक पुनर्प्राप्ति रूप में निम्नलिखित रिकॉर्ड बनाए रखने की आवश्यकता होगी, अर्थातः
 - (क) प्रत्येक स्कीम के अधीन संपत्ति;

- (ख) मूल्यांकन नीतियां और प्रथाएं;
- (ग) निवेश कार्यनीतियां;
- (घ) निवेशकों और उनके योगदान का विवरण;
- (ङ) किए गए निवेशों का औचित्य।

प्राधिकरण को सूचना

- 120. (1) एफएमई, प्रत्ययी या इन विनियमों में वर्णित गतिविधियों में शामिल कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथा-निर्दिष्ट ऐसी रिपोर्ट, रिटर्न, विवरण और विवरण, ऐसे तरीके, अंतराल और रूप में सटीक और समय पर प्रस्तुत करेगा।
 - (2) प्राधिकरण इन विनियमों के अधीन विस्तृत गतिविधियों पर किसी भी संबंधित कार्य के लिए एफएमई और एफएमई द्वारा नियोजित एंटिटियों से कोई भी जानकारी, दस्तावेज या रिकॉर्ड मांग सकता है।
 - (3) जहां उप-विनियमन (2) के अधीन कोई भी जानकारी मांगी जाती है, एफएमई प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर सटीक रूप से प्रस्तृत करेगा।

व्यापार निरंतरता स्कीम

- 121. (1) रजिस्ट्रीकृत एफएमई एक व्यवसाय निरंतरता स्कीम बनाए रखेगा, जिसमें किसी आपात स्थिति या महत्वपूर्ण व्यावसायिक व्यवधान से संबंधित प्रक्रियाओं की पहचान की जाएगी।
 - (2) एक रजिस्ट्रीकृत एफएमई अपने संचालन, संरचना, व्यवसाय या स्थान में किसी भी भौतिक परिवर्तन की स्थिति में अपनी व्यवसाय निरंतरता स्कीम को अद्यतन करेगा।
 - (3) रजिस्ट्रीकृत एफएमई अपनी व्यवसाय निरंतरता स्कीम की वार्षिक समीक्षा करेगा।

व्यापार निरंतरता स्कीम

122. रजिस्ट्रीकृत एफएमई के पास समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार सुदृढ़ साइबर सुरक्षा और साइबर लचीलापन ढांचा होगा।

जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण

- 123. (1) एफएमई के पास सभी जोखिमों को व्यापक रूप से प्रबंधित करने के लिए ठोस जोखिम प्रबंधन प्रणाली होगी।
 - (2) एफएमई के पास पर्याप्त आंतरिक प्रक्रियाएं और नियंत्रण होंगे, जिसमें वह जिस प्रकार का व्यवसाय करता है, उसे देखते हुए, जिसमें आउटसोर्स की गई कोई भी गतिविधि शामिल है, जिसका उद्देश्य ग्राहकों/निवेशकों और उनकी परिसंपत्तियों के हितों की रक्षा करना और जोखिम का उचित प्रबंधन स्निश्चित करना है।

प्रत्याभूतित रिटर्न

- 124. पीएमएस के लिए किसी स्कीम या समझौते के अधीन कोई प्रत्याभृतिकृत रिटर्न नहीं दिया जाएगा,
 - (क) जब तक कि ऐसे रिटर्न की एफएमई द्वारा पूरी तरह से प्रत्याभृति न दी जाए;
 - (ख) जब तक कि प्रत्याभूति को इंगित करने वाला विवरण सिहत एक बयान पेशकश दस्तावेज/समझौते में नहीं दिया जाता है;
 - (ग) जिस तरीके से प्रत्याभूति को पूरा किया जाना है, वह पेशकश दस्तावेज/समझौते में बताया गया है।

नियंत्रण में परिवर्तन

125. (1) एफएमई को एफएमई के नियंत्रण में किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिवर्तन के मामले में प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति लेनी होगी:

बशर्ते कि जहां शाखा के रूप में परिचालन करने वाले एफएमई को पूर्व स्वीकृति लेने की आवश्यकता हो बशर्ते यह भी कि जहां शाखा के रूप में परिचालन करने वाले एफएमई को अपने परिचालन के मुख्य स्थान में अपने क्षेत्रीय विनियामक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है, वह केवल पंद्रह (15) दिनों के भीतर प्राधिकरण को ऐसे परिवर्तन की सूचना देगा।

(2) प्राधिकरण निवेशकों को निकास अवसर प्रदान करने सहित उचित समझी जाने वाली शर्तों के अध्यधीन नियंत्रण में परिवर्तन के लिए ऐसे अन्रोध पर विचार कर सकता है।

शुल्क का भुगतान

126. एफएमई वार्षिक शुल्क, स्कीम फ़ाइल करने का शुल्क या प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किसी अन्य शुल्क से संबंधित शुल्क का भ्गतान करेगा।

विज्ञापन

127. एफएमई द्वारा जारी किए गए विज्ञापन, यदि कोई हों, इन विनियमों की पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट विज्ञापन संहिता के अनुरूप होंगे।

स्कीमों के शुल्क और व्यय

- 128. (1) सभी शुल्क और व्यय स्पष्ट रूप से पहचाने जाने चाहिए और प्रत्येक स्कीम के लिए अलग से विनियोजित किए जाने चाहिए।
 - (2) एफएमई को पेशकश दस्तावेज/प्लेसमेंट मेमोरेंडम में अधिकतम शुल्क और व्यय के बारे में उचित प्रकटीकरण सुनिश्चित करना होगा, जो वह वसूल सकता है और प्रत्येक व्यय मद को पेशकश दस्तावेज/प्लेसमेंट मेमोरेंडम में विशिष्ट लाइन मद के रूप में अलग से प्रकट किया जाएगा।

निवेश समिति की नियुक्ति

129. (1) एफएमई अपने विवेक से स्कीमों के लिए निवेश निर्णय लेने के लिए एक निवेश समिति का गठन कर सकता है।

(2) इन विनियमों के अधीन एफएमई और फंड मैनेजरों पर डाली गई सभी उत्तरदायित्वों का, जहां तक लागू हो, ऐसी निवेश समिति के सदस्यों द्वारा भी अनुपालन किया जाएगा।

स्कीमों का विलय, विभाजन या पुनर्गठन

130. स्कीम(मों) का विलय, विभाजन और पुनर्गठन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार और प्राधिकरण द्वारा पूर्व अनुमोदन के साथ किया जाएगा।

स्कीम का समापन

- 131. (1) एफएमई की एक स्कीम का समापन किया जा सकता है:-
 - (क) जब प्लेसमेंट मेमोरेंडम/पेशकश दस्तावेज में उल्लिखित स्कीम का कार्यकाल समाप्त हो जाता है;
 - (ख) यदि पचहत्तर प्रतिशत (75%) निवेशक, स्कीम में अपने निवेश के मूल्य के अनुसार, निवेशकों की बैठक में यह प्रस्ताव पारित करते हैं कि स्कीम को समाप्त कर दिया जाए।
 - (2) प्राधिकरण, निवेशकों के हित में तथा वित्तीय बाजार के सुव्यवस्थित विकास के लिए, किसी एफएमई को निदेश दे सकता है कि:-
 - (क) किसी स्कीम को समाप्त किया जाए, ऐसी शर्तों के अधीन जो उचित समझी जाएं;
 - (ख) कुछ स्कीमों का विलय किया जाए; या
 - (ग) अन्य एफएमई की स्कीमों का प्रबंधन किया जाए।

संरक्षक की नियुक्ति

- 132. एफएमई निम्नलिखित स्कीमों के लिए संरक्षक सेवाएं प्रदान करने के लिए एक स्वतंत्र संरक्षक की नियुक्ति करेगा:-
 - (क) खुदरा स्कीमें;
 - (ख) ओपन एंडेड प्रतिबंधित स्कीमें; तथा

(ग) 70 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक एयूएम का प्रबंधन करने वाली अन्य सभी स्कीमें।

बशर्ते कि संरक्षक की नियुक्ति की आवश्यकता निधियों की निधि स्कीमों के लिए अनिवार्य नहीं होगी, जहां अंतर्निहित स्कीम(मों) ने स्वतंत्र संरक्षक(कों) की नियुक्ति की है।

स्पष्टीकरण 1. - इस विनियमन के अधीन नियुक्त अभिरक्षक आईएफएससी में आधारित होगा, जब तक कि उस क्षेत्राधिकार के स्थानीय कानून जहां प्रतिभूतियां जारी की गई हैं, उस क्षेत्राधिकार में अभिरक्षक की नियुक्ति को अनिवार्य न करें, ऐसी स्थिति में, एफएमई उस क्षेत्राधिकार में स्थित एक अभिरक्षक को नियुक्त कर सकता है जो ऐसी प्रतिभूतियों के लिए उस क्षेत्राधिकार में वितीय क्षेत्र नियामक द्वारा विनियमित हो और जब भी ऐसा करने का निदेश दिया जाए, प्राधिकरण को ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करे।

स्पष्टीकरण II.-ऐसी स्कीमों के मामले में जिन्हें उपर्युक्त उपबंध के अनुसार आईएफएससी में अभिरक्षक नियुक्त करने की आवश्यकता है, यदि किसी ऐसे अभिरक्षक के साथ कोई समझौता किया गया है जो इन विनियमों की अधिप्रबंधक(कों) की तारीख तक आईएफएससी में आधारित नहीं है, तो ऐसी स्कीमों को इन विनियमों की अधिप्रबंधक(कों) की तारीख से बारह (12) महीनों के भीतर आईएफएससी में अभिरक्षक नियुक्त करना आवश्यक होगा।

क्लोज्ड-एंडेड स्कीम का मोचन

133. क्लोज्ड-एंडेड स्कीम, जब तक कि इन विनियमों के अधीन निर्दिष्ट रूप से इसकी अविध को बढ़ाया नहीं जाता है, परिपक्वता अविध के अंत में पूरी तरह से मोचन हो जाएगी।

स्कीम की वार्षिक रिपोर्ट

134. (1) एफएमई प्रत्येक वर्ष के संबंध में स्कीमों के खातों की वार्षिक रिपोर्ट और उसका संक्षिप्त सारांश

तैयार करेगा और उसे वितीय वर्ष की समाप्ति से चार माह के भीतर प्राधिकरण को प्रस्त्त करेगा।

- (2) वार्षिक रिपोर्ट और संक्षिप्त सारांश में वे विवरण शामिल होंगे जो स्कीम के संचालन का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक हैं।
- (3) स्कीमों की वार्षिक रिपोर्ट का संक्षिप्त सारांश वितीय वर्ष की समाप्ति से चार माह के भीतर निवेशकों के साथ साझा किया जाएगा:

बशर्ते कि यदि कोई निवेशक पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट चाहता है, तो एफएमई ऐसे अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह (15) दिनों के भीतर इसे उपलब्ध कराएगा।

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

- 135. (1) एफएमई द्वारा आरंभ की गई प्रत्येक स्कीम में लेखा परीक्षक द्वारा लेखा का वार्षिक विवरण होगा जो किसी भी तरह से एफएमई से जुड़ा नहीं है।
 - (2) लेखा परीक्षक को न्यासियों द्वारा नियुक्त किया जाएगा।
 - (3) लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट प्रत्ययी एंटिटियों को भेजेगा और ऐसी रिपोर्ट स्कीमों की वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा बनेगी।

निवेशकों के लिए अन्य खुलासे

- 136. (1) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि निवेशकों को हर माह के अंत में एफएमई की स्कीमों में उनकी हिस्सेदारी के बारे में जानकारी प्रदान की जाए और निवेशक से ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति में दस कार्य दिवसों के भीतर।
 - (2) न्यासी निवेशकों को ऐसे खुलासे करेंगे जो उन्हें किसी भी जानकारी के बारे में सूचित रखने के लिए आवश्यक हैं जो उनके निवेश पर प्रतिकृत प्रभाव डाल सकती है।

एफएमई की व्यावसायिक गतिविधियों पर प्रतिबंध

137. एफएमई प्राधिकरण की पूर्व स्वीकृति के बिना इन विनियमों के अधीन निर्दिष्ट की गई व्यावसायिक गतिविधि के अतिरिक्त कोई अन्य गतिविधि नहीं करेगा:

बशर्ते कि आईएफएससी में शाखा के रूप में काम करने वाला एफएमई अपने संचालन के मुख्य स्थान में क्षेत्रीय नियामक से प्राप्त किसी भी अनुमोदन के बारे में पंद्रह (15) दिनों के भीतर प्राधिकरण को सूचित करेगा, यदि आईएफएससी के बाहर संचालित की जाने वाली गतिविधि के लिए ऐसी विशिष्ट स्वीकृति की आवश्यकता होती है।

बशर्ते यह भी कि एफएमई जो अपनी पेशकशों और ग्राहक सेवा के विपणन के उद्देश्य से अन्य क्षेत्राधिकारों में शाखा या प्रतिनिधि कार्यालय खोलने का इरादा रखते हैं, उन्हें ऐसी शाखा या प्रतिनिधि कार्यालय के बारे में विवरण के साथ प्राधिकरण को पूर्व प्रबंधक(कों) देनी होगी।

अध्याय IX निरीक्षण और लेखापरीक्षा

निरीक्षण

- 138. (1) प्राधिकरण किसी भी समय प्रबंधक(कों) या शिकायत प्राप्त होने पर किसी भी उद्देश्य के लिए एफएमई या इन विनियमों के अधीन गतिविधियों से जुड़ी किसी अन्य एंटिटी की पुस्तकों, खातों, अभिलेखों, दस्तावेजों, अवसंरचना, प्रक्रियाओं, प्रणालियों का निरीक्षण करने या उप-विनियम (2) के अधीन निर्दिष्ट उद्देश्यों सिहत इन विनियमों के अधीन विस्तृत स्कीमों और गतिविधियों के मामलों की जांच करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को निरीक्षण प्राधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकता है।
 - (2) उप-विनियम (1) में संदर्भित उद्देश्यों में शामिल हो सकते हैं, -

- (क) यह सुनिश्चित करना कि इन विनियमों के अधीन अपेक्षित तरीके से खाता बही, रिकॉर्ड और दस्तावेजों का रखरखाव किया जा रहा है;
- (ख) यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम के उपबंधों, विनियमों और उसके अधीन जारी परिपत्रों का अनुपालन किया जाता है;
- (ग) यह पता लगाना कि क्या एफएमई या अन्य एंटिटियों द्वारा इन विनियमों के अधीन अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय स्थापित किए गए हैं या उनका पालन किया जा रहा है;
- (घ) यह पता लगाना कि क्या ऐसी कोई परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जो एफएमई या अन्य एंटिटियों को अयोग्य या अपात्र बनाती हैं;
- (ङ) एफएमई की गतिविधियों पर असर डालने वाले किसी भी मामले पर निवेशकों, ग्राहकों, अन्य बाजार सहभागियों या किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों की जाँच करना; और
 - (च) आईएफएससी में निवेशकों या वितीय बाजार के हित में उचित समझे जाने वाले मामलों की स्वप्रेरणा से जाँच करना।
- (3) उप-विनियम (1) के अधीन निरीक्षण करने से पहले, निरीक्षण प्राधिकारी एफएमई या उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट ऐसी अन्य एंटिटियों को नोटिस देगा:

बशर्ते कि जहाँ निरीक्षण प्राधिकारी संतुष्ट हो कि निवेशकों के हित में ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया जाना चाहिए, वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसे नोटिस से छूट दे सकता है।

निरीक्षण पर एफएमई के दायित्व

- (1) जहां प्राधिकरण द्वारा एफएमई का निरीक्षण किया जाएगा, ऐसे एफएमई और एफएमई के प्रत्येक प्रमुख अधिकारी, भागीदार, नामित भागीदार, ट्रस्टी, निदेशक, अध्यक्ष, सीईओ, केएमपी, अधिकारी, कर्मचारी और कोई भी एजेंट आदि निरीक्षण प्राधिकरण को सभी सहायता प्रदान करेंगे और उसके साथ सहयोग करेंगे और निरीक्षण प्राधिकरण को लेखा बहियाँ, रिकॉर्ड और दस्तावेज ऐसे विवरण और अपनी गतिविधियों से संबंधित जानकारी के साथ निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा तय समय के भीतर प्रस्तुत करेंगे।
 - (2) एफएमई निरीक्षण के संबंध में आवश्यक सभी सहायता प्रदान करेगा और निरीक्षण प्राधिकरण को अपने परिसर में उचित पहुंच की अनुमित देगा और अपने कब्जे में किसी भी लेखा पुस्तकों, रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच करने के लिए उचित सुविधा प्रदान करेगा, और रिकॉर्ड या दस्तावेजों या अन्य सामग्री की प्रतियां भी प्रदान करेगा जो निरीक्षण प्राधिकरण की राय में निरीक्षण के प्रयोजनों के लिए प्रासंगिक हैं।
 - (3) निरीक्षण के दौरान निरीक्षण प्राधिकारी एफएमई के किसी भी प्रधान अधिकारी, भागीदार, नामित भागीदार, ट्रस्टी, निदेशक, अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी और किसी भी एजेंट के बयानों की जांच या रिकॉर्ड करने का हकदार होगा।
 - (4) एफएमई के प्रत्येक प्रधान अधिकारी, भागीदार, नामित भागीदार, ट्रस्टी, निदेशक, अध्यक्ष, सीईओ, केएमपी, अधिकारी, कर्मचारी और किसी भी एजेंट का यह कर्तव्य होगा कि वे निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण के संबंध में वह सभी सहायता प्रदान करें, जिसकी निरीक्षण अधिकारी को आवश्यकता हो।

लेखा परीक्षक या मूल्यांकक की नियुक्ति

140. (1) प्राधिकरण किसी एफएमई की लेखा पुस्तकों, अभिलेखों, दस्तावेजों, अवसंरचनाओं, प्रणालियों और प्रक्रियाओं या मामलों का निरीक्षण करने के लिए लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है:

बशर्ते कि इस प्रकार नियुक्त लेखा परीक्षक के पास निरीक्षण प्राधिकारी की समान शक्तियाँ होंगी:

बशर्ते यह भी कि एफएमई और उसके कर्मचारियों के पास लेखा परीक्षक के प्रति वही दायित्व होंगे जो उनके पास विनियमन 139 के अधीन निर्दिष्ट निरीक्षण प्राधिकारी के प्रति हैं।

- (2) यदि आवश्यक समझा जाए तो प्राधिकरण स्कीम परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए मूल्यांकक की नियुक्ति कर सकता है।
- (3) प्राधिकरण लेखा परीक्षकों/मूल्यांकक को भुगतान किए गए शुल्क सिहत व्यय वसूलने का हकदार होगा, जो ऐसे निरीक्षण के लिए उसके दवारा वहन किया जा सकता है।

रिपोर्ट प्रस्तुत करना

141. निरीक्षण प्राधिकारी प्राधिकरण को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और प्राधिकरण ऐसी रिपोर्ट पर ऐसी कार्रवाई कर सकता है, जिसे वह उपयुक्त और उचित समझे:

बशर्ते कि यदि प्राधिकरण द्वारा ऐसा करने का निदेश दिया जाता है, तो निरीक्षण प्राधिकारी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्त्त कर सकता है।

प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण पर की जाने वाली कार्रवाई

- 142. प्राधिकरण निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात तथा एफएमई और/या उसके साझेदार, नामित साझेदार, ट्रस्टी, निदेशक, अध्यक्ष, सीईओ, केएमपी तथा किसी भी एजेंट आदि को सुनवाई का उचित अवसर देने के पश्चात वितीय बाजार या निवेशकों के हित में उचित समझे जाने वाले निदेश जारी कर सकता है, जिसमें निम्न प्रकृति के निदेश शामिल हैं:-
 - (क) एफएमई को किसी विशेष अविध के लिए नई स्कीमें आरंभ न करने या निवेशकों से धन न जुटाने की आवश्यकता;

- (ख) संबंधित व्यक्ति को इन विनियमों के उल्लंघन में अर्जित निधि या स्कीम की किसी भी संपति का निपटान करने से रोकना:
 - (ग) संबंधित व्यक्ति को निधि या स्कीम की परिसंपत्तियों का निपटान निदेशों के अनुसार करने की अपेक्षा करना;
 - (घ) संबंधित व्यक्ति को स्कीम के अधीन एकत्रित किसी भी धन या परिसंपत्तियों को संबंधित निवेशकों को ब्याज सहित या उसके बिना वापस करने की अपेक्षा करना:
 - (ङ) संबंधित व्यक्ति को निर्दिष्ट अविध के लिए वितीय बाजार में पिरचालन करने या वितीय बाजार तक पहंचने से रोकना;
 - (च) कोई अन्य निदेश, जैसा कि प्राधिकरण उचित समझे।

अध्याय X चूक के मामले में कार्रवाई के लिए उत्तरदायित्व

रजिस्ट्रीकरण का निलंबन, निरस्तीकरण या कोई अन्य कार्रवाई

- 143. प्राधिकरण िकसी एफएमई के विरुद्ध रिजस्ट्रीकरण का निलंबन या निरस्त करने सिहत उचित समझी जाने वाली कार्रवाई कर सकता है, यिद वह:-
 - (क) उचित परिश्रम करने में विफल रहता है या रिजस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने के अधीन किसी भी शर्त का पालन करने में विफल रहता है;
 - (ख) अधिनियम या नियमों या विनियमों या परिपत्रों या दिशानिदेशों या निदेशों या उसके अधीन जारी निदेशों में से किसी का उल्लंघन करता है;

- (ग) प्राधिकरण द्वारा निदेशित एफएमई के रूप में अपनी
 गतिविधि से संबंधित कोई भी जानकारी प्रस्तुत करने
 में विफल रहता है;
- (घ) प्राधिकरण को ऐसी जानकारी प्रदान करता है जो किसी भी महत्वपूर्ण विवरण में झूठी या भ्रामक है;
- (ङ) प्राधिकरण द्वारा निर्देशित आविधक रिटर्न या रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है;
- (च) प्राधिकरण द्वारा की गई किसी भी जांच, निरीक्षणया जांच में सहयोग नहीं करता है;
- (छ) निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने में विफल रहता है या प्राधिकरण को संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहता है; या
- (ज) कोई अन्य कार्य/चूक करता है जो प्राधिकरण की राय में ऐसी कार्रवाई की मांग करता है या जो निवेशकों के हित के विरुद्ध है।

अध्याय XI

शिथिल करने, स्पष्टीकरण जारी करने और अतिरिक्त अपेक्षाओं को निर्दिष्ट करने की शक्ति

विनियमों के कठोर प्रवर्तन में शिथिलता लाने की शक्ति

- 144. (1) प्राधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, आईएफएससी में वित्तीय बाजार के विकास के हित में, इन विनियमों की किसी भी अपेक्षा के कठोर प्रवर्तन में शिथिलता ला सकता है।
 - (2) उप-विनियम (1) के अधीन छूट प्राप्त करने के लिए, विवरण और जिन आधारों पर ऐसी छूट मांगी गई है, उन्हें देते हुए एक आवेदन प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट गैर-वापसी योग्य शुल्क के साथ प्राधिकरण के पास फ़ाइल किया जाएगा।

(3) प्राधिकरण ऐसे आवेदन को आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ (60) दिनों के भीतर संसाधित करेगा, जो मांगे गए स्पष्टीकरणों के जवाबों सिहत सभी मामलों में पूर्ण होगा और आवेदक द्वारा मांगी गई छूट को स्वीकार या अस्वीकार करने के कारणों को दर्ज करेगा।

विनियामक या नवाचार सैंडबॉक्स और फंड लैब

145. (1) प्राधिकरण किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को, वितीय बाजारों में विनियामक या नवाचार सैंडबॉक्स के जीवंत वातावरण में नए उत्पादों, कार्यनीतियों, प्रक्रियाओं, सेवाओं, व्यापार मॉडल, प्रौद्योगिकी के उपयोग आदि के परीक्षण से संबंधित पहलुओं में नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए निर्दिष्ट अविध के लिए इन विनियमों के अधीन सभी या किसी भी अपेक्षा के संचालन से छूट दे सकता है, लेकिन यह छूट अठारह माह से अधिक समय के लिए नहीं होगी:

बशर्ते कि किसी नई कार्यनीति की दिशा में किसी स्कीम में कोई प्रयोग जनता से धन की मांग नहीं करेगा और प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट ढांचे द्वारा शासित होगा।

(2) उप-विनियमन (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा दी गई कोई भी छूट आवेदक द्वारा प्राधिकरण की यथा-निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन होगी, जिसमें निरंतर आधार पर अनुपालन की जाने वाली शर्ते शामिल हैं।

मानदंड, प्रक्रियाएं निर्दिष्ट करने, स्पष्टीकरण जारी करने और कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

- 146. (1) इन विनियमों और इसके आनुषंगिक मामलों के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण परिपत्रों, दिशानिदेशों या निदेशों के माध्यम से मानदंड, प्रक्रियाएं, प्रक्रियाएं, अतिरिक्त आवश्यकताएं आदि निर्दिष्ट कर सकता है।
 - (2) इन विनियमों के उपबंधों की व्याख्या या अनुप्रयोग में किसी भी किठनाई को दूर करने के लिए, प्राधिकरण मार्गदर्शन नोट या परिपत्रों के माध्यम से निदेश जारी कर सकता है।

अध्याय XII विविध

शक्तियों का प्रत्यायोजन

147. इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जा सकेंगी, जिसे प्राधिकरण द्वारा ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हों।

निरसन और व्यावृतियाँ

- 148. (1) इन विनियमों के प्रारंभ से ही, अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 निरस्त हो जाएँगे।
 - (2) इन विनियमों के प्रारंभ से ही, प्राधिकरण द्वारा जारी निम्नलिखित परिपत्रों का स्थान ले लिया जाएगा:
 - क. आईएफएससीए पिरपत्र संख्या आईएफएससीए-आईएफ-10पीआर/1/2023-पूंजी बाजार/4, जो 25 जुलाई, 2024 को जारी की गई; और
 - ख. आईएफएससीए परिपत्र संख्या आईएफएससीए-आईएफ-10पीआर/1/2023-पूंजी बाजार/5, 29 अक्टूबर, 2024 को जारी किया गया।
 - (3) ऐसे निरसन और अधिक्रमण के बावजूद, -
 - (क) निरस्त विनियमों, अधिक्रमण परिपत्रों के अंतर्गत किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई या किए जाने का दावा किया गया कार्य, जिसमें रजिस्ट्रीकरण या अनुमोदन प्रदान किया जाना, निलंबित या रद्द किया जाना, एकत्रित शुल्क, कोई न्यायनिर्णयन, जांच या जांच आरंभ किया जाना या कारण बताओ नोटिस जारी किया जाना शामिल है, इन विनियमों के संगत उपबंधों के अंतर्गत किया गया या लिया गया या आरंभ किया गया माना जाएगा;

- (ख) ऐसे निरसन से पहले निरस्त विनियमों के अंतर्गत प्राधिकरण को किया गया कोई भी आवेदन और उसके समक्ष लंबित इन विनियमों के संगत प्रावधानों के अंतर्गत किया गया माना जाएगा;
- (ग) निरस्त विनियमों, अधिगृहीत परिपत्रों या उसके अधीन विधिवत् किए गए या भुगते गए किसी भी कार्य का पूर्व संचालन, निरस्त विनियमों के अधीन अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या देयता, निरस्त विनियमों के विरुद्ध किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में उपगत कोई दंड, या पूर्वोक्त किसी भी ऐसे अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय, अप्रभावित रहेंगे, मानो निरस्त विनियम कभी निरस्त ही नहीं किए गए हों।
- (4) अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के निरसन के पश्चात, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए किसी अन्य विनियम, दिशा-निदेश या उसके अधीन जारी परिपत्र, भारत सरकार के किसी अधिनियम या अन्य वैधानिक प्राधिकरणों द्वारा अधिनियमित कानूनों में इसका कोई संदर्भ इन विनियमों के संगत उपबंधों का संदर्भ माना जाएगा।
- (5) उप-विनियम (2) में अन्यथा निहित के सिवाय, अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (निधि प्रबंधन) विनियम, 2022 के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र या दिशानिदेश, इन विनियमों के अंतर्गत जारी किए गए माने जाएंगे, जब तक कि उन्हें प्राधिकरण द्वारा विशिष्ट रूप से प्रतिस्थापित या संशोधित नहीं किया जाएगा।

प्रथम अनुसूची (विनियमन 3)

रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का तरीका

आवेदक एसडब्ल्यूआईटी में अपना आवेदन फ़ाइल करेंगे तथा एसडब्ल्यूआईटी में अपने आवेदन के भाग के रूप में निम्नलिखित घोषणाएँ तथा वचनबद्धताएँ प्रदान करेंगे:

- क) हम घोषणा करते हैं कि आवेदन में दी गई जानकारी, उसके अनुलग्नकों
 सिहत, पूर्ण तथा सत्य है।
- ख) आईएफएससी में प्रस्तावित गतिविधियाँ उद्देश्य खंड के अनुरूप हैं।
- ग) आवेदक तथा उसके प्रमुख अधिकारी, निदेशक/भागीदार/नामित भागीदार, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक तथा नियंत्रक शेयरधारक योग्य तथा योग्य व्यक्ति हैं।
- घ) हम आवेदक के अन्य परिचालनों से शाखा के परिचालन को अलग रखेंगे (शाखा के मामले में लागू)
- इ) हम आवेदन में दी गई जानकारी में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में आईएफएससीए को तुरंत सूचित करेंगे।
- च) हम यह सुनिश्चित करेंगे कि निवेश निर्णय, पोर्टफोलियो प्रबंधन तथा शिकायत निवारण की प्रमुख गतिविधियाँ आईएफएससी से की जाएँगी।
- छ) हम यह सुनिश्चित करेंगे कि विनियमन 7 के अंतर्गत अपेक्षित प्रमुख प्रबंधन कार्मिक आईएफएससी से बाहर होंगे।
- ज) हम अंतरराष्ट्रीय वितीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 और आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर जारी किए गए विनियमों, परिपत्रों, दिशानिदेशों और निदेशों का अनुपालन करने और उनसे बाध्य होने का वचन देते हैं।
- झ) हम आगे सहमत हैं कि रजिस्ट्रीकरण की शर्त के रूप में, हम हर समय आईएफएससीए द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले ऐसे परिचालन निदेशों/निदेशों का पालन करेंगे।

ण) हम आईएफएससीए की संतुष्टि के लिए आईएफएससीए द्वारा मांगी गई कोई भी अन्य जानकारी प्रदान करेंगे।

द्सरी अनुसूची निवल मूल्य आवश्यकताएँ

क्रम संख्या	श्रेणी	निवल मूल्य
1	अधिकृत एफएमई	75,000 यूएसडी
2	रजिस्ट्रीकृत एफएम्ई (गैर-खुदरा)	5,00,000 यूएसडी
3	रजिस्ट्रीकृत एफएमई (खुदरा)	1,000,000 यूएसडी

तीसरी अनुसूची आचार संहिता और दायित्व

भाग क: निधि प्रबंधन एंटिटी की आचार संहिता और दायित्व

- (क) एफएमई सभी उचित कदम उठाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित परिश्रम करेगा कि किसी भी स्कीम से संबंधित निधियों का निवेश इन विनियमों के उपबंधों के विपरीत न हो।
- (ख) एफएमई अपने कर्मचारियों या उन व्यक्तियों द्वारा किए गए भूल या चूक के लिए उत्तरदायी होगा जिनकी सेवाएं एफएमई द्वारा प्राप्त की गई हैं।
- (ग) िकसी भी अनुबंध या समझौते या समाप्ति में निहित िकसी भी बात के बावजूद, एफएमई या उसके निदेशक या भागीदार या अन्य अधिकारी ऐसे पद या कार्यालय में रहते हुए, भूल या चूक के अपने कार्यों के लिए स्कीम या उसके निवेशकों के प्रति दायित्व से मुक्त नहीं होंगे।
- (घ) एफएमई का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पदनाम चाहे जो भी हो) यह सुनिश्चित करेगा कि एफएमई इन विनियमों के सभी उपबंधों और समय-समय पर इसके संबंध में जारी दिशानिदेशों या परिपत्रों का अनुपालन करता है और एफएमई द्वारा किए गए निवेश यूनिट धारकों के हित में हैं और एफएमई के समग्र जोखिम प्रबंधन कार्य के लिए भी उत्तरदायी होगा।

- (ङ) एफएमई किसी ऐसे व्यक्ति को मुख्य कार्मिक के रूप में नियुक्त नहीं करेगा जो किसी आर्थिक अपराध का दोषी पाया गया हो या प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन में शामिल हो।
- (च) एफएमई छठी अनुसूची में निर्दिष्ट निवेश मूल्यांकन मानदंडों के अनुसार अपनी स्कीम(मों) द्वारा किए गए निवेशों का मूल्यांकन करेगा और उसे प्रकाशित करेगा।
- (छ) एफएमई और उसके नियंत्रक शेयरधारक अनुचित मूल्यांकन के परिणामस्वरूप किसी भी निवेशक के साथ किसी भी अनुचित व्यवहार के लिए प्रभावित निवेशकों और/या स्कीम को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- (ज) एफएमई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी निवेशकों को निवेश नीतियों, निवेश उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और स्कीम के सामान्य मामलों के बारे में सरल भाषा में उचित रूप से प्रस्तुत पर्याप्त, सटीक, स्पष्ट और समय पर जानकारी प्रदान की जाए।
- (झ) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक स्कीम की परिसंपत्तियों और देनदारियों को एफएमई की अन्य स्कीमों से अलग और सुरक्षित रखा जाए; और प्रत्येक स्कीम के बैंक खातों और प्रतिभूति खातों को अलग और सुरक्षित रखा जाए।
- (ञ) एफएमई को अपनी स्कीमों को बेचने, विपणन करने या किसी निवेशक को खरीदने के लिए प्रेरित करने के लिए किसी भी अनैतिक साधन का उपयोग नहीं करना चाहिए।
- (ट) एफएमई अपने सभी लेन-देन और अपने व्यवसाय के संचालन में ईमानदारी और निष्पक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखेगा।
- (ठ) एफएमई हर समय सेवा के उच्च मानकों को प्रदान करेगा, उचित परिश्रम करेगा, उचित देखभाल स्निश्चित करेगा और स्वतंत्र व्यावसायिक निर्णय लेगा।
- (इ) एफएमई अपनी योग्यता या निवेश प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने की क्षमता या अपनी उपलब्धियों के बारे में कोई भी अतिशयोक्तिपूर्ण मौखिक या लिखित वक्तव्य नहीं देगा।

(ढ) एफएमई लागू होने पर धनशोधन प्रतिषेध/आतंकवाद के वित्तपोषण (एएमएल/सीएफटी) से निपटने के लिए मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

भाग ख: आचार संहिता और प्रत्ययी व्यक्तियों (निदेशक/नामित भागीदार/निधि के ट्रस्टी) के दायित्व

- (क) निधि/स्कीम के विधिसम्मत ढांचे के आधार पर, कंपनी के मामले में निदेशक मंडल, एलएलपी के मामले में नामित भागीदार और ट्रस्ट के मामले में ट्रस्टी (ट्रस्टी कंपनी के मामले में बोर्ड सिहत) निम्नलिखित कार्य करेंगे:
 - मुनिश्चित करें कि स्कीमों के धन का निवेश स्कीम के उद्देश्यों को प्राप्त करने और निवेशकों के हित में किया जाए।
 - ii. प्रत्येक स्कीम की परिसंपत्तियों और देनदारियों को एफएमई की अन्य स्कीमों से अलग और रिंग-फेंस किया जाए; और प्रत्येक स्कीम के बैंक खातों और प्रतिभूति खातों को अलग और रिंग-फेंस किया जाए।
 - iii. सुनिश्चित करें कि एफएमई की विभिन्न गतिविधियों को एक दूसरे से अलग रखा जाए और एक गतिविधि के अधीन निवेशक के हितों को किसी अन्य स्कीम या एफएमई की अन्य गतिविधियों के साथ समझौता नहीं किया जाए।
 - iv. एफएमई से ऐसी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है जिसे आवश्यक समझा जाए।
 - v. हर समय उच्च स्तर की सेवा प्रदान करना, उचित परिश्रम करना, उचित देखभाल स्निश्चित करना और स्वतंत्र व्यावसायिक निर्णय लेना।
 - vi. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों से आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करना, जब भी उचित समझा जाए।
 - vii. यह सुनिश्चित करने के लिए लगातार बैठकें आयोजित करना कि यह इन विनियमों के अधीन विभिन्न उत्तरदायित्वों का निर्वहन करता है।
 - viii. एफएमई को कमियों के बारे में लिखित रूप से सूचित करना और कमियों के सुधार की जांच करना।

- ix. किसी भी स्कीम के शुभारंभ से पहले यह सुनिश्चित करना कि उसके पास,—
- (क) उसके बैक ऑफिस, डीलिंग रूम और अकाउंटिंग के लिए सिस्टम विद्यमान हैं;
- (ख) सभी प्रम्ख किमयों को निय्क्त किया है;
- (ग) अपने खातों का ऑडिट करने के लिए ऑडिटर नियुक्त किए हैं;
- (घ) अनुपालन अधिकारी को नामित किया है जो प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिनियम, नियमों और विनियमों, अधिप्रबंधक(कों), दिशानिदेशों, निदेशों आदि के अनुपालन की निगरानी और निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए उत्तरदायी होगा;
- (ङ) प्राधिकरण के साथ रजिस्ट्रीकृत निधि प्रशासकों की नियुक्ति या एफएमई द्वारा आंतरिक रूप से ऐसी गतिविधियों को करने की क्षमता।
- (च) जहां भी इन विनियमों के अधीन आवश्यक हो, सिफारिशी प्राधिकरण से पूर्व सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।
- (x) यह सुनिश्चित करेगा कि एफएमई ने किसी भी एसोसिएट को कोई अनुचित या अनुचित लाभ नहीं दिया है या एफएमई के किसी भी एसोसिएट के साथ किसी भी तरह से निवेशकों के हितों के लिए हानिकारक व्यवहार नहीं किया है।
- (xi) स्कीमों, एफएमई और उसके सहयोगियों के बीच किए गए सभी लेन-देन की तिमाही समीक्षा करेगा।
- (xii) दूसरी अनुसूची में प्रदान की गई सीमा के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एफएमई के निवल मूल्य की वार्षिक आधार पर समीक्षा करेगा।
- (xiii) यह सुनिश्चित करेगा कि स्कीम/निधि संपत्ति उचित व्यक्तियों द्वारा और उचित संख्या में ऐसे व्यक्तियों द्वारा उचित रूप से संरक्षित, धारण और प्रशासित है।

भाग गः प्रधान अधिकारी, निधि प्रबंधक और अनुपालन अधिकारी की आचार संहिता और दायित्व

- (क) प्रधान अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि एफएमई की सभी गतिविधियाँ इन विनियमों और इसके अधीन जारी विभिन्न परिपत्रों और दिशानिदेशों के उपबंधों के अनुसार हों।
- (ख) प्रधान अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि स्कीमों के फंड को स्कीम के उद्देश्यों को प्राप्त करने और निवेशकों के हित में निवेश किया जाए।
- (ग) जहाँ प्रधान अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि एफएमई का व्यवसाय संचालन इन विनियमों के अनुसार नहीं है, तो वह तुरंत ऐसे उपचारात्मक कदम उठाएगा जो उसके लिए आवश्यक हों और उल्लंघन और उसके द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में प्राधिकरण को तुरंत सूचित करेगा।
- (घ) प्रधान अधिकारी समय-समय पर प्राप्त निवेशक शिकायतों की समीक्षा करेगाऔर एफएमई द्वारा उनका तत्काल निवारण स्निश्चित करेगा।
- (ङ) प्रधान अधिकारी और निधि प्रबंधक:
 - प्रतिभृति बाजार को नियंत्रित करने वाले अधिनियम, नियमों, विनियमों,
 दिशानिदेशों और परिपत्रों का पालन करेंगे;
 - ii. बाजारों की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उच्चतम नैतिक और व्यावसायिक मानकों के लिए प्रयास करना;
 - अन्य बाजार सहभागियों के साथ व्यवहार में ईमानदारी से काम करना;
 - iv. निष्पक्ष रूप से काम करना और बाजार सहभागियों के साथ सुसंगत
 और पारदर्शी तरीके से व्यवहार करना;
 - र. ईमानदारी से काम करना, विशेष रूप से संदिग्ध प्रथाओं और व्यवहार से बचना;
 - vi. किसी भी अनैतिक व्यावसायिक गतिविधियों या बेईमानी, धोखाधड़ी या छल से जुड़े व्यावसायिक कदाचार में लिप्त नहीं होना या ऐसा कोई कार्य नहीं करना जिससे संगठन या निधि प्रबंधन उद्योग की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंच सकती हो;

- vii. अपनी एंटिटियों की नीतियों के अनुसार विद्यमान या संभावित हितों के टकराव की पहचान करना और उसका समाधान करना;
- viii. किसी भी काउंटर पार्टी के साथ किसी स्कीम की ओर से कोई लेनदेन नहीं करना जो एफएमई / नियंत्रक शेयरधारकों का एसोसिएट हो, जब तक कि ऐसा लेनदेन
 - (क) निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए और;
 - (ख) इन विनियमों और इसके अधीन जारी परिपत्रों के उपबंधों के अन्सार नहीं किया जाता है।
- (ix) निवेशकों के धन के प्रबंधन के मामलों या व्यवसाय के संबंध में कोई प्रलोभन न देना या न लेना, जो निवेशकों के प्रति दायित्वों के साथ टकराव की संभावना रखता हो;
 - (x) कोई उपहार या मनोरंजन न लेना, जो इस संबंध में तैयार की गई एफएमई की उपहार और मनोरंजन नीति के अन्रूप न हो।
- (च) अनुपालन अधिकारी के रूप में नामित केएमपी
 - i. प्राधिकरण द्वारा जारी अधिनियम, नियमों और विनियमों, अधिप्रबंधक(कों)ओं, दिशानिदेशों, निदेशों आदि के अनुपालन की निगरानी करने और निवेशकों की शिकायतों का तुरंत निवारण करने के लिए उत्तरदायी होगा।
 - अपने द्वारा देखे गए किसी भी गैर-अनुपालन की स्वतंत्र रूप से
 प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा।

भाग घ : हितों का टकराव

- (क) एफएमई अपने निवेशकों के प्रति प्रत्ययी क्षमता में कार्य करेगा और निवेशकों को सभी हितों का खुलासा करेगा, जब भी वे उत्पन्न होते हैं या उत्पन्न होने की संभावना होती है।
- (ख) एफएमई व्यवसाय के पूरे दायरे में हितों के टकराव का पता लगाने, निगरानी करने और उचित रूप से कम करने के लिए लिखित नीतियों और प्रक्रियाओं को स्थापित और कार्यान्वित करेगा।

- (ग) एफएमई, संबद्ध व्यक्तियों के साथ हितों के टकराव से बचने के उच्च स्तरीय सिद्धांतों का पालन करेगा, जैसा कि प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।
- (घ) एफएमई यह सुनिश्चित करेगा कि एफएमई की विभिन्न गतिविधियों को एक दूसरे से अलग रखा जाए तथा गतिविधि के अंतर्गत निवेशक के हितों को किसी अन्य स्कीम या एफएमई की अन्य गतिविधियों के हितों से समझौता नहीं किया जाए।

भाग ङ: पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाली निधि प्रबंधन एंटिटी की आचार संहिता और दायित्व

- (क) पोर्टफोलियो प्रबंधक के रूप में कार्य करने वाला एफएमई:-
 - यह सुनिश्चित करेगा कि किसी निवेश उद्देश्य के लिए ग्राहक से प्राप्त धन को यथाशीघ्र उस उद्देश्य के लिए लगाया जाए तथा ग्राहक को देय और देय धन का तुरंत भुगतान किया जाए।
 - ii. अपने स्वामित्व खाते में ग्राहकों के हितों के विरुद्ध कोई व्यापार न करें।
 - iii. विभिन्न कारपोरेट निकायों में ग्राहक के हितों को लिखित रूप में प्राप्त करें, जिससे ऐसे ग्राहक को ऐसे कारपोरेट निकायों की अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिले।
 - iv. जहां आवश्यक हो और ग्राहक के हित में हो, ग्राहक की प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए तथा ग्राहक को मिलने वाले लाभांश, ब्याज भुगतान और अन्य अधिकारों का दावा करने और प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएं।
 - ग्राहक के निर्देशानुसार प्रतिभूतियों के रूपांतरण और अधिकारों के त्याग के लिए आवश्यक कार्रवाई करें।
 - vi. पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं प्रदान करते समय ग्राहकों के निवेश निर्णय को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत मध्यस्थ के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग नहीं करना।

- vii. िकसी भी कार्य, अभ्यास या अनुचित प्रतिस्पर्धा में कोई बयान नहीं देना या शामिल नहीं होना, जो अन्य पोर्टफोलियो प्रबंधकों के हितों के लिए हानिकारक होने की संभावना है या किसी असाइनमेंट के लिए प्रतिस्पर्धा या निष्पादन करते समय ऐसे अन्य पोर्टफोलियो प्रबंधकों को पोर्टफोलियो प्रबंधक के संबंध में नुकसानदेह स्थिति में डालने की संभावना है।
- viii. यह सुनिश्चित करना कि निवेशकों को कोई भ्रामक या अतिरंजित दावा किए बिना सही और पर्याप्त जानकारी प्रदान की जाती है और उनके द्वारा कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले उन्हें जोखिमों के बारे में अवगत कराया जाता है;
- ix. ग्राहक की आवश्यकताओं और पर्यावरण, और अपने स्वयं के व्यावसायिक कौशल को ध्यान में रखते हुए ग्राहक को सर्वोत्तम संभव सलाह प्रदान करना; और
- x. यह सुनिश्चित करना कि सभी व्यावसायिक व्यवहार शीघ्र, कुशल और लागत प्रभावी तरीके से किए जाते हैं।

चौथी अनुसूची

निवेश ट्रस्ट के पक्षों की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व

भाग कः ट्रस्टी की भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व

- (क) ट्रस्टी ट्रस्ट डीड और इन विनियमों में निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार यूनिट धारकों के लाभ के लिए व्यावसायिक परिसंपत्तियों को ट्रस्ट में रखेगा।
- (ख) ट्रस्टी निवेश ट्रस्ट की ओर से निवेश प्रबंधक के साथ निवेश प्रबंधन समझौता करेगा।
- (ग) ट्रस्टी यूनिट धारकों के हित में निवेश प्रबंधक की गतिविधियों की देखरेख करेगा और यह मुनिश्चित करेगा कि निवेश प्रबंधक उत्तरदायित्वों का अनुपालन करे और तिमाही आधार पर निवेश प्रबंधक से अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।
- (घ) ट्रस्टी इन विनियमों और परियोजना कार्यान्वयन समझौते/परियोजना प्रबंधन समझौते के अनुपालन के संबंध में, परियोजना प्रबंधक, जहां लागू हो, की

- गतिविधियों की देखरेख करेगा और तिमाही आधार पर परियोजना प्रबंधक से अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।
- (ङ) ट्रस्टी वितरण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश प्रबंधक यूनिट धारकों को वितरण की समय पर घोषणा करे।
- (च) ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश ट्रस्ट के नाम से आईएफएससी बैंकिंग एंटिटी के साथ सदस्यता राशि एक अलग बैंक खाते में रखी जाए और इसका उपयोग केवल यूनिटों के आवंटन के विरुद्ध समायोजन या आवेदकों को धन वापसी के लिए किया जाए, जब तक कि ऐसी यूनिटें सूचीबद्ध न हो जाएं।
- (छ) ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेगा कि मूल्यांकक का पारिश्रमिक मूल्यांकन की जा रही परिसंपत्ति के मूल्य से जुड़ा या उस पर आधारित न हो।
- (ज) ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश प्रबंधक एंटिटी धारकों की बैठकें बुलाए और एंटिटी धारकों द्वारा मतदान की देखरेख करे तथा मतदान के परिणाम की घोषणा करे।
- (झ) हटाए जाने या अन्यथा के कारण निवेश प्रबंधक में किसी भी परिवर्तन के मामले में,
 - i. ऐसे परिवर्तन से पहले, ट्रस्टी एंटिटी धारकों से अनुमोदन और प्राधिकरण से अनुमोदन प्राप्त करेगा: बशर्ते कि निजी तौर पर रखे गए निवेश ट्रस्ट के संबंध में प्राधिकरण से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, जिसकी यूनिटें किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।
 - іі. ट्रस्टी पहले के निवेश प्रबंधन समझौते की समाप्ति की तारीख से तीन माह के भीतर नए निवेश प्रबंधक की निय्कित करेगा;
 - ііі. पिछला निवेश प्रबंधक, नए निवेश प्रबंधक की नियुक्ति होने तक
 टूस्टी के विवेक पर उसी रूप में कार्य करना जारी रखेगा;
 - iv. ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेगा कि नए निवेश प्रबंधक को उन सभी दस्तावेजों में पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा, जिनमें पहले निवेश प्रबंधक पक्षकार था;

- प्रस्टी यह सुनिश्चित करेगा कि पहले निवेश प्रबंधक ऐसी समाप्ति
 के बावजूद अपनी सभी चूकों और भूल के लिए उत्तरदायी बना
 रहेगा।
- (ञ) हटाए जाने या अन्यथा के कारण परियोजना प्रबंधक में किसी भी परिवर्तन के मामले में,-
 - ं. ट्रस्टी पहले परियोजना कार्यान्वयन समझौते/परियोजना प्रबंधन समझौते की समाप्ति की तारीख से तीन माह के भीतर नए परियोजना प्रबंधक की निय्कित करेगा;
 - ii. ट्रस्टी, या तो स्वप्रेरणा से या रियायत प्राधिकरण की सलाह के आधार
 पर किसी अवसंरचना परियोजना(मों) के संबंध में प्रशासक नियुक्त कर
 सकता है;
 - iii. पिछला परियोजना प्रबंधक, नए परियोजना प्रबंधक की नियुक्ति होने तक टूस्टी के विवेक पर उसी रूप में कार्य करना जारी रखेगा;
 - iv. इस संबंध में सभी लागत और व्यय नए परियोजना प्रबंधक द्वारा वहन किए जाएंगे;
 - v. ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेगा कि नया परियोजना प्रबंधक उन सभी दस्तावेजों में पक्षकार के रूप में प्रतिस्थापित होगा, जिनमें पहले वाला परियोजना प्रबंधक पक्षकार था:
 - vi. ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेगा कि पहले वाला परियोजना प्रबंधक, ऐसी समाप्ति के बावजूद, उस अविध के लिए अपनी सभी चूकों और कार्यों के लिए उत्तरदायी बना रहेगा, जिसके दौरान उसने परियोजना प्रबंधक के रूप में कार्य किया था।
- (ट) किसी पीपीपी परियोजना में परियोजना प्रबंधक के नियंत्रण में परिवर्तन के मामले में, ट्रस्टी यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे परिवर्तन, जहां लागू हो, से पहले रियायत समझौते के अनुसार रियायत प्राधिकरण की लिखित सहमति प्राप्त कर ली गई है।

भाग ख: निवेश प्रबंधक की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

- (क) निवेश प्रबंधक निवेश ट्रस्ट की अंतर्निहित परिसंपत्तियों या परियोजनाओं के संबंध में निवेश निर्णय लेगा, जिसमें परिसंपत्तियों का कोई और निवेश या विनिवेश शामिल है।
- (ख) निवेश प्रबंधक इन विनियमों और परियोजना कार्यान्वयन समझौते/परियोजना प्रबंधन समझौते के अनुपालन के संबंध में परियोजना प्रबंधक की गतिविधियों की देखरेख करेगा और तिमाही आधार पर परियोजना प्रबंधक से अनुपालन प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।
- (ग) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश ट्रस्ट या होल्डको या एसपीवी की परिसंपितयों के पास, जहां तक लागू हो, उचित विधिक और विपणन योग्य अधिकार हैं और निवेश ट्रस्ट या एसपीवी की ओर से किए गए सभी महत्वपूर्ण अनुबंध विधिमान्य, वैध, बाध्यकारी और निवेश ट्रस्ट या एसपीवी की ओर से लागू करने योग्य हैं।
- (घ) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश ट्रस्ट द्वारा किए गए निवेश निवेश की शर्तों और निवेश ट्रस्ट की निवेश कार्यनीति के अनुसार हैं।
- (ङ) निवेश प्रबंधक, ट्रस्टी के परामर्श से, लगातार पांच वर्षों से अधिक की अवधि के लिए एक लेखा परीक्षक निय्क्त करेगा:
 - बशर्ते कि लेखा परीक्षक, जो एक व्यक्ति नहीं है, को वार्षिक बैठक में यूनिटधारकों के अनुमोदन के अधीन, लगातार पांच वर्षों की अविध के लिए फिर से नियुक्त किया जा सकता है।
- (च) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश ट्रस्ट की पिरसंपितयों का पर्याप्त
 बीमा किया गया है।
- (छ) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास पर्याप्त अवसंरचना और पर्याप्त अनुभव और योग्यता वाले पर्याप्त प्रमुख कर्मचारी हैं जो हर समय निवेश ट्रस्ट का प्रबंधन कर सकते हैं।
- (ज) निवेश प्रबंधक और निवेश बैंकर निवेश ट्रस्ट की यूनिटों के निर्गम और सूचीकरण से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होंगे।

- (झ) निवेश प्रबंधक निजी तौर पर रखे गए निवेश ट्रस्ट के संबंध में निवेश ट्रस्ट की यूनिटों के निर्गम से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होगा, जिनकी यूनिटें किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।
- (ञ) निवेश प्रबंधक और निवेश बैंकर यह सुनिश्चित करेंगे कि पेशकश दस्तावेज या प्लेसमेंट मेमोरेंडम में किए गए खुलासे में वास्तविक, सत्य, सही और पर्याप्त जानकारी शामिल हैं और यह किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निवेश ट्रस्ट के संबंध में प्राधिकरण या मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार है।
- (ट) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि प्लेसमेंट मेमोरेंडम में किए गए खुलासे में वास्तविक, सत्य, सही और पर्याप्त जानकारी शामिल हैं और यह किसी निजी तौर पर रखे गए निवेश ट्रस्ट के संबंध में प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार है, जिनकी यूनिटें किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।
- (ठ) निवेश प्रबंधक इन विनियमों में प्रदान की गई वितरण नीति के अनुसार यूनिट धारकों को वितरण की घोषणा करेगा।
- (इ) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश ट्रस्ट के प्रबंधक के रूप में इसकी गतिविधि को इसकी अन्य गतिविधियों से अलग करने के लिए पर्याप्त नियंत्रण विदयमान हैं।
- (ढ) निवेश प्रबंधक ट्रस्टी को निम्नलिखित प्रस्तुत करेगा -
 - (i) निवेश ट्रस्ट की गतिविधियों पर त्रैमासिक रिपोर्ट;
 - (ii) मूल्यांकक से मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर मूल्यांकन रिपोर्ट;
- (ण) निवेश प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि लेखा परीक्षक द्वारा निवेश ट्रस्ट के खातों का ऑडिट वर्ष में कम से कम एक बार किया जाता है और ऐसी रिपोर्ट:
 - i. िकसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध निवेश ट्रस्ट के संबंध में, 31 मार्च को समाप्त होने वाले ऐसे वितीय वर्ष के अंत के साठ (60) दिनों के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत की जाती है; या

- ii. निजी तौर पर रखे गए निवेश ट्रस्ट के संबंध में, जिनकी यूनिटें किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं, ट्रस्टी और यूनिटधारकों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या भौतिक प्रतियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है।
- (त) निवेश प्रबंधक ट्रस्टियों द्वारा अधिकृत ऐसी अभिरक्षक सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक संरक्षक नियुक्त कर सकता है।
- (थ) निवेश प्रबंधक, कंपनी के मामले में अपने निदेशक मंडल के समक्ष या एलएलपी के मामले में शासी बोर्ड के समक्ष, निवेश ट्रस्ट की गतिविधि और प्रदर्शन पर हर तीन माह में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

भाग गः परियोजना प्रबंधक की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

- (क) परियोजना प्रबंधक इनविट परिसंपितयों का संचालन और प्रबंधन, जैसा भी लागू हो, करेगा, जिसमें उचित रखरखाव की व्यवस्था करना शामिल है, या तो सीधे या उपयुक्त एजेंटों की नियुक्ति और पर्यवेक्षण के माध्यम से और किसी भी परियोजना समझौते के अधीन आवश्यक है, जिसमें पीपीपी परियोजना के मामले में रियायत समझौता शामिल है।
- (ख) यदि इनविट निर्माणाधीन परियोजनाओं में निवेश करता है, तो परियोजना प्रबंधक,-
 - (i) परियोजनाओं का संचालन और प्रबंधन करेगा, या तो सीधे या उपयुक्त एजेंटों के माध्यम से;
 - (ii) निष्पादन के उद्देश्य से एजेंटों की नियुक्ति के मामले में, विकास की प्रगति, अनुमोदन की स्थिति और परियोजना के अन्य पहलुओं की देखरेख इसके पूरा होने तक करेगा।
- (ग) परियोजना प्रबंधक परियोजना कार्यान्वयन समझौते/अवसंरचना परियोजना, जहां भी लागू हो, को समय पर पूरा करने के लिए, परियोजना प्रबंधन समझौते के अनुसार ऐसी अवसंरचना परियोजना के कार्यान्वयन, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के संबंध में सभी दायित्वों का निर्वहन करेगा।

भाग घः प्रायोजक की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

- (क) प्रायोजक(कों) और प्रायोजक समूह(हों) निवेश ट्रस्ट की स्थापना करेंगे और निवेश ट्रस्ट के ट्रस्टी(ट्रस्टियों) की निय्क्ति करेंगे।
- (ख) प्रायोजक और प्रायोजक समूह, निवेश ट्रस्ट की यूनिटों के आवंटन से पहले, बाध्यकारी समझौते और पेशकश दस्तावेज या प्लेसमेंट मेमोरेंडम में पर्याप्त खुलासे के अध्यधीन, होल्डको और/या एसपीवी में अपने संपूर्ण शेयरधारिता या हित और अधिकार या भू-संपदा परिसंपत्तियों या अवसंरचना परियोजनाओं के स्वामित्व को निवेश ट्रस्ट को अंतरित करेंगे या अंतरित करने का दायित्व लेंगे:

बशर्ते कि यह किसी अधिनियम या विनियमन या परिपत्र या सरकार या किसी नियामक प्राधिकरण या रियायत समझौते के दिशानिदेशों के अनुसार प्रायोजक और प्रायोजक समूह द्वारा होल्डको और/या एसपीवी में शेयरों या हित और अधिकारों के किसी भी अनिवार्य होल्डिंग की सीमा तक लागू नहीं होगा।

- (ग) निवेश ट्रस्ट में यूनिटों की होल्डिंग के संबंध में,
 - (i) प्रायोजक(कों) और प्रायोजक समूह(हों) को निवेश ट्रस्ट की कुल यूनिटों का कम से कम बीस प्रतिशत (20%) यूनिटों की आरंभिक प्रस्तुत के बाद, ऐसी यूनिटों की सूचीबद्धता की तारीख से कम से कम 3 वर्ष की अविध के लिए पोस्ट-इश्यू आधार पर धारण करना होगा
 - (ii) निवेश ट्रस्ट में प्रायोजक द्वारा पोस्ट-इश्यू आधार पर बीस प्रतिशत (20%) से अधिक की कोई भी होल्डिंग, ऐसी यूनिटों की सूचीबद्धता की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अविध के लिए धारण की जाएगी।
- (घ) प्रायोजक(कों) को निवेश ट्रस्ट के गठन, निवेश ट्रस्ट को परिसंपत्तियों/होल्डको /एसपीवी की बिक्री/अंतरण से संबंधित निवेश ट्रस्ट के सभी कार्यों, चूकों और अभ्यावेदनों/संविदाओं के लिए उत्तरदायी होना होगा।
- (ङ) पीपीपी परियोजनाओं के मामले में, जहां इनविट एसपीवी के माध्यम से अवसंरचना की परिसंपतियों में निवेश कर रहा है, यदि सरकार द्वारा या रियायत समझौते या किसी अन्य ऐसे समझौते के किसी उपबंध के अधीन ऐसे अधिग्रहण या होल्डिंग की अनुमति नहीं दी जाती है, तो -

- (i) प्रायोजक एसपीवी स्तर पर ऐसी होल्डिंग को बनाए रख सकता है;
- (ii) एसपीवी स्तर पर ऐसी सभी होल्डिंग का समेकित मूल्य और प्रायोजक द्वारा रखी गई इनविट की यूनिटों का मूल्य, निर्गम के बाद के आधार पर यूनिटों के प्रारंभिक निर्गम के बाद इनविट की कुल यूनिटों के पंद्रह प्रतिशत (15%) के मूल्य से कम नहीं होगा;
- (iii) इनविट की ऐसी यूनिटें और एसपीवी में शेयर या हिस्सेदारी इनविट की यूनिटों की सूचीबद्धता की तारीख से तीन वर्ष से कम की अवधि के लिए रखी जाएगी;
- (iv) यदि एसपीवी में प्रायोजक की ऐसी होल्डिंग के परिणामस्वरूप इनविट के पास नियंत्रित हित नहीं है और इक्यावन प्रतिशत से अधिक नहीं है। एसपीवी में शेयरधारिता या हिस्सेदारी (51%) के लिए, प्रायोजक को इनविट के साथ बाध्यकारी समझौता करना होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसपीवी के संबंध में मतदान सहित प्रायोजक द्वारा लिए गए निर्णय नियमों के अन्पालन में हों।

भाग इ: मूल्यांकक की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

- (क) मूल्यांकक यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यावसायिक परिसंपत्तियों का मूल्यांकन निष्पक्ष, सत्य और उचित है तथा इन विनियमों के अनुसार है।
- (ख) मूल्यांकक यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके पास मूल्यांकन करने के लिए पर्याप्त
 वितीय, मानवीय और अन्य संसाधन हैं।
- (ग) मूल्यांकक और निवेश ट्रस्ट की परिसंपत्तियों के मूल्यांकन में शामिल उनके किसी भी कर्मचारी को.-
 - (i) निवेश ट्रस्ट की यूनिटों में या मूल्यांकित की जा रही परिसंपत्तियों में निवेश नहीं करना चाहिए; और
 - (ii) मूल्यांकक के रूप में नियुक्त किए जाने से पहले धारित निवेश ट्रस्ट की परिसंपत्तियों या यूनिटों को बेचना नहीं चाहिए, जब तक कि ऐसे व्यक्ति को ऐसे निवेश ट्रस्ट के मूल्यांकक के रूप में नामित नहीं किया जाता है और निवेश ट्रस्ट के मूल्यांकक के रूप में कार्य करना बंद करने के कम से कम छह माह बाद तक।

- (घ) मूल्यांकक निवेश ट्रस्ट की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ करेंगे तथा हर समय उच्च मानकों की सेवा प्रदान करेंगे, उचित परिश्रम करेंगे, उचित देखभाल स्निश्चित करेंगे तथा स्वतंत्र व्यावसायिक निर्णय लेंगे।
- (ङ) मूल्यांकक मूल्यांकन करते समय स्वतंत्रता, वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता के साथ कार्य करेंगे।
- (च) मूल्यांकक निवेश ट्रस्ट की परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करने के लिए निवेश ट्रस्ट या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से किसी भी रूप में पारिश्रमिक स्वीकार नहीं करेंगे।
- (छ) मूल्यांकक निवेश ट्रस्ट से संबंधित किसी भी पक्ष से कोई असाइनमेंट स्वीकार करने से पहले, निवेश ट्रस्ट को ऐसे असाइनमेंट के संबंध में मूल्यांकक के पास उपलब्ध कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विचार प्रकट करेंगे।

भाग च: लेखा परीक्षक की भूमिकाएं और उत्तरदायित्व

- (क) लेखा परीक्षक निवेश ट्रस्ट के खातों का ऑडिट करेगा तथा उसके द्वारा जांचे गए खातों के आधार पर तथा प्रासंगिक लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों को ध्यान में रखने के बाद ऑडिट रिपोर्ट तैयार करेगा।
- (ख) लेखा परीक्षक अपनी सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान के अनुसार यह सुनिश्चित करेगा कि खाते और वितीय विवरण, जिसमें लाभ या हानि और अवधि के लिए नकदी प्रवाह और ऐसे अन्य मामले शामिल हैं, जो निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, मामलों की स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं।
- ग) लेखा परीक्षक को निवेश ट्रस्ट की गतिविधियों से संबंधित खातों और वाउचरों तक हर समय पहुंच का अधिकार होगा।
- घ) लेखा परीक्षक को निवेश ट्रस्ट की गितिविधियों से संबंधित ऐसी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने का अधिकार होगा, जिसे वह निवेश ट्रस्ट के कर्मचारियों या निवेश ट्रस्ट या होल्डको या एसपीवी या ऐसी जानकारी रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति से लेखा परीक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझे।

पांचवीं अनुसूची विज्ञापन संहिता

- (क) विज्ञापन सटीक, सत्य, निष्पक्ष, स्पष्ट, पूर्ण, अस्पष्ट और संक्षिप्त होने चाहिए।
- (ख) विज्ञापनों में ऐसे कथन नहीं होने चाहिए जो झूठे, भ्रामक, पक्षपाती या भ्रामक हों, जो धारणा/अनुमानों पर आधारित हों और उनमें किसी भी मानदंड के आधार पर कोई प्रशंसापत्र या कोई रैंकिंग नहीं होनी चाहिए।
- (ग) विज्ञापनों को इस तरह से डिज़ाइन नहीं किया जाना चाहिए कि जिनका अभिप्राय गलत समझा जा सकता हो या इससे किसी कथन का महत्व भ्रमित होने की संभावना हो। विज्ञापनों में ऐसे कथन नहीं होने चाहिए जो सीधे या निहितार्थ या चूक से निवेशक को गुमराह कर सकते हों।
- (घ) विज्ञापनों में कोई ऐसा नारा नहीं होना चाहिए जो अतिरंजित या अनुचित हो या ऐसा नारा जो उत्पाद की प्रकृति और जोखिम और रिटर्न प्रोफ़ाइल से असंगत या असंबंधित हो।
- ड) विज्ञापन इस तरह से तैयार नहीं िकए जाने चाहिए िक निवेशकों के अनुभव या ज्ञान की कमी का लाभ उठाया जा सके। तकनीकी या विधिक शब्दावली या जिटल भाषा का अत्यिधिक उपयोग और अत्यिधिक विवरण शामिल करने से बचना चाहिए जो निवेशकों को विचलित कर सकता हो।
- (च) विज्ञापनों में ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो समय पर हो और स्कीम दस्तावेजों
 में किए गए खुलासे के अनुरूप हो।

छठी अनुसूची निवेश मूल्यांकन मानदंड - उचित मूल्यांकन के सिद्धांत

एफएमई अपने निवेशों का मूल्यांकन निम्नितिखित व्यापक सिद्धांतों के अनुसार करेगा ताकि विद्यमान निवेशकों के साथ-साथ निवेश करने के इच्छुक निवेशकों सिहत सभी निवेशकों के साथ उचित व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके:

> (क) निवेशों का मूल्यांकन उचित मूल्यांकन के सिद्धांतों पर आधारित होगा, अर्थात मूल्यांकन प्रतिभूतियों/वितीय उत्पाद/पिरसंपितयों के प्राप्ति योग्य मूल्य को प्रतिबिंबित करेगा। मूल्यांकन उचित मूल्यांकन नीतियों और

प्रक्रियाओं के माध्यम से सद्भावनापूर्वक और सही और निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा।

- (ख) नीतियों और प्रक्रियाओं में उन पद्धतियों की पहचान की जाएगी उपयोग स्कीमों द्वारा धारित प्रत्येक प्रकार की प्रतिभृतियों/वितीय उत्पादों/परिसंपत्तियों के मूल्यांकन के लिए किया स्कीम की प्रतिभूतियों/वितीय जाएगा। दवारा नए प्रकार प्रतिभूतियों/वित्तीय उत्पादों/परिसंपत्तियों में निवेश केवल ऐसी उत्पादों/परिसंपत्तियों के लिए मूल्यांकन पद्धतियों की स्थापना के बाद ही किया जाएगा।
- (ग) एफएमई द्वारा धारित परिसंपत्तियों का लगातार नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार मूल्यांकन किया जाएगा। नीतियों और प्रक्रियाओं में उन घटनाओं से निपटने की प्रक्रिया का वर्णन किया जाएगा जहां बाजार उद्धरण किसी विशेष परिसंपत्ति के लिए विश्वसनीय नहीं रह जाते हैं।
- (घ) एफएमई मूल्यांकन नीतियों और प्रक्रियाओं की आवधिक समीक्षा करेगा, ताकि प्रतिभूतियों/वितीय उत्पादों/परिसंपतियों के मूल्यांकन में प्रयुक्त पद्धितियों की उपयुक्तता और सटीकता तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन को स्निश्चित किया जा सके।
- (ङ) एफएमई द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन नीतियों और प्रक्रियाओं को हितों के टकराव को संबोधित करने का प्रयास करना चाहिए।
- (च) मूल्यांकन नीति और प्रक्रियाओं का प्रकटीकरण (प्रतिभूतियों/वितीय उत्पाद/पिरसंपितयों की प्रत्येक श्रेणी के मूल्यांकन के संबंध में, जहां स्कीम निवेश करेगी, स्थिति जहां इन विधियों का उपयोग किया जाएगा, प्रक्रिया और कार्यप्रणाली तथा इन विधियों के कार्यान्वयन का प्रभाव, यदि कोई हो) एफएमई द्वारा अपनाए जाने वाले मूल्यांकन मानदंडों की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पेशकश दस्तावेज में और एफएमई की वेबसाइट पर किया जाएगा। यह खंड केवल खुदरा स्कीमों के संबंध में लागू होगा।
- (छ) मूल्यांकन की सत्यता और निष्पक्षता तथा सही एनएवी की जिम्मेदारी एफएमई की होगी, चाहे अन्मोदित मूल्यांकन नीतियों और प्रक्रियाओं

का खुलासा किया गया हो या नहीं, अर्थात यदि मूल्यांकन की स्थापित नीतियों और प्रक्रियाओं के परिणामस्वरूप निष्पक्ष/उपयुक्त मूल्यांकन नहीं होता है, तो एफएमई परिसंपत्तियों/वितीय उत्पादों/प्रतिभूतियों का उचित मूल्य पर मूल्यांकन करने के लिए स्थापित नीतियों और प्रक्रियाओं से विचलित हो जाएगा:

बशर्ते कि प्रकट की गई मूल्यांकन नीति और प्रक्रियाओं से किसी भी विचलन को निवेशकों को उचित खुलासे के साथ अनुमति दी जा सकती है।

> के. राजारामन, अध्यक्ष [विज्ञापन-III/4/असा./971/2024-25]

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY NOTIFICATION

Gandhinagar, the 10th February, 2025

INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY (FUND MANAGEMENT) REGULATIONS, 2025

F. No. IFSCA/GN/2025/002.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 28 read with sub-section (1) of Section 12 and sub-section (1) of Section 13 of the International Financial Services Centres Authority Act, 2019; Section 28C of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, the International Financial Services Centres Authority hereby makes the following regulations, namely: -

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title and commencement

- 1. (1) These regulations shall be called the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2025.
- (2) These regulations shall come into force on and from the date of their publication in the Official Gazette.

DEFINITIONS

- 2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings as assigned below, and their cognate expressions and variations shall be construed accordingly, -
 - (a) "Act" means the International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
 - (b) "accredited investor" means any person who fulfils the eligibility criteria as specified by the Authority;
 - (c) "advertisement" shall include all forms of communication issued by or on behalf of the fund management entity that may influence investment decisions of any investor/prospective investors;
 - (d) "associate" means-
 - (i) a company or a limited liability partnership (LLP) or a body corporate in which a director or trustee or partner of the FME or the FME or any fiduciaries as defined in regulation 17 of these regulations, either individually or collectively, hold twenty per cent. (20%) or more of its paid-up equity share capital or partnership interest, as the case may be;
 - (ii) a company or a limited liability partnership or a body corporate, either individually or collectively, hold twenty per cent. (20%) or more of its paid-up equity share capital or partnership interest, as the case may be in the FME;
 - (iii) Any other company or a limited liability partnership or a body corporate, in which the entity referred in clause (ii) above holds twenty per cent. (20%) or more of its paid-up equity share capital or partnership interest, as the case may be;
 - (e) "body corporate" shall have the meaning assigned to it under clause (11) of Section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
 - (f) "certificate of registration" means a certificate of registration granted by the Authority under regulation 12 of these regulations;
 - (g) "control" shall include the right to appoint majority of the directors or to control the management or policy decisions exercisable by a person or persons acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of their shareholding or management rights or shareholders agreements or voting agreements or partnership agreements or in any other manner, including by holding interest, whether direct or indirect, to the extent of more than fifty per cent. (50%) of voting rights or interest:
 - *Provided* that a director or officer of an entity shall not be considered to be in control over such entity, merely by virtue of holding such position;
 - (h) "close ended scheme" means any scheme in which the period of maturity of the scheme is specified;
 - (i) "compliance officer" means any senior officer, designated so and reporting to the board of directors or head of the organization in case board is not there, who is capable of understanding the financial statements and the requirements for legal and regulatory compliance under these regulations, and who shall be responsible for compliance of policies, procedures, maintenance of records, monitoring

adherence to the rules for the preservation of unpublished price sensitive information, monitoring of trades, risk management, and the implementation of the codes specified in these regulations, under the overall supervision of the board of directors of the FME or the head of an organization, as the case may be.

- (j) "corpus" means the total amount of funds committed by investors to the fund management entity under a scheme by way of a written contract or any such document as on a particular date;
- (k) "discretionary portfolio manager" means a portfolio manager who under a contract relating to portfolio management, exercises or may exercise, any degree of discretion as to the investment of funds or management of the portfolio of securities of the client, as the case may be;
- (1) "family investment fund" means a fund, pooling money only from a single family under one or more investment vehicles and has been set up in terms of these regulations;
- (m) "foreign jurisdiction" means a country, other than India, whose securities market regulator is a signatory to International Organization of Securities Commissions' Multilateral Memorandum of Understanding (Appendix A signatories) or a signatory to a bilateral Memorandum of Understanding with the Authority, and which is not identified in the public statement of Financial Action Task Force as:
 - (i) a jurisdiction having a strategic Anti-Money Laundering or Combating the Financing of Terrorism deficiencies to which counter measures apply; or
 - (ii) a jurisdiction that has not made sufficient progress in addressing the deficiencies or has not committed to an action plan developed with the Financial Action Task Force to address the deficiencies;
- (n) "fund management entity (FME)" means an entity registered with the Authority as a Fund Management Entity under any of the categories specified in these regulations;
- (o) "fund manager" means any individual who is appointed by the FME to manage investments by whatever name called;
- (p) "fund of funds scheme" means a scheme that invests in other schemes whether in IFSC or India or foreign jurisdictions, except to the extent of funds required for meeting expenses, hedging or liquidity requirements for the purpose of repurchases, redemptions and distribution, as disclosed in the placement memorandum or offer document of the scheme;
- (q) "IFSCA" or "Authority" means the International Financial Services Centres Authority established under sub-section (1) of Section 4 of the Act;
- (r) "International Financial Services Centre (IFSC)" shall have the same meaning as assigned to it under clause (g) of sub-section (1) of Section 3 of the Act;
- (s) "inspecting authority" means one or more persons authorised by the Authority to undertake inspection of the books, accounts, records and documents of a FME or related entities in terms of these regulations;
- (t) "index scheme" means a scheme that invests in securities in the same proportion as an index of securities;
- (u) "investee company" means any company, special purpose vehicle or limited liability partnership or body corporate or real estate investment trust or infrastructure investment trust or a fund in which an investment is made;
- (v) "key managerial personnel (KMP)" means the officers or personnel of the FME who are members of its core management team and includes members of the management one level below the executive directors of the FME, functional heads and includes 'key managerial personnel' as defined under the Companies Act, 2013, or any other person whom the FME may designate as a key managerial personnel;
- (w) "net worth" means the aggregate value of the paid-up share capital (or capital contribution) and all reserves created out of the profits, securities premium account and debit or credit balance of profit and loss account, after deducting the aggregate value of the accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off, as per the balance sheet, but does not include reserves created out of revaluation of assets, write-back of depreciation and amalgamation;
- (x) "offer document" means any document by which a Registered FME (Retail) invites public for subscription in a retail scheme, exchange traded fund, or public offer by an Investment Trust;
- (y) "open ended scheme" means a scheme which is not a close ended scheme;

- (z) "placement memorandum" means any document by which a FME invites accredited investors or investors investing above a specified threshold to invest in a Venture Capital scheme or a restricted scheme or a private placement by an Investment Trust;
- (aa) "portfolio" means the total holdings of securities and financial assets belonging to any person;
- (bb) "principal officer" means an employee designated as such by the FME under sub-regulation (1) of regulation 7;
- (cc) "recognised stock exchange" means a recognised stock exchange in IFSC;
- (dd) "Registered FME" shall mean a FME which has received a Certificate of registration as Registered FME (Non-Retail) or Registered FME (Retail);
- (ee) "restricted scheme" means a scheme offered on private placement basis only to "accredited investors" or investors investing at least USD 1,50,000 and not having more than 1000 investors or such other number as may be specified by the Authority;
- (ff) "Retail scheme" means a scheme offered to all investors or a section of the investors for subscription with no ceiling as to number of investors in the scheme;
- (gg) "Scheme" or "fund" means a scheme of a FME launched under these regulations;
- (hh) "sectoral scheme" refers to a retail scheme which primarily invests in the securities of a particular sector as disclosed in its offer document;
- (ii) "single family" includes a group of individuals who are the lineal descendants of a common ancestor and includes their spouses (including widows and widowers, whether remarried or not) and children (including stepchildren, adopted children, ex nuptial children) and also includes entities such as sole proprietorship firm, partnership firm, company, limited liability partnership, trust or a body corporate, in which an individual or a group of individuals of a single family exercises control and directly or indirectly hold substantial economic interest;
- (jj) "Single Window IT Systems (SWITs)" refers to an online platform designed, *inter-alia*, to facilitate the processing of applications submitted by the applicants for obtaining Certificate of Registration under these regulations;
- (kk) "thematic scheme" means a retail scheme which primarily invests the securities of a particular theme as disclosed in its offer document;
- (II) "trust" means a trust established under the Indian Trusts Act, 1882, or under an Act of Parliament or State Legislation.
- (mm) "Venture Capital Scheme" means a scheme that invests primarily in unlisted securities of start-ups, emerging or early-stage venture capital undertakings primarily involved in new products, new services, technology or intellectual property right based activities or a new business model or other schemes which invest in such entities and shall also include an angel fund as specified by the Authority.
- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or Acts mentioned in the First Schedule to the Act, or the Companies Act, 2013, or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations or any statutory modification or reenactment thereto, as the case may be.

CHAPTER II

REGISTRATION OF FUND MANAGEMENT ENTITY (FME)

Obligation to seek registration

- 3. (1) Any entity, desirous to undertake the business of fund management under these regulations shall not commence operations in an IFSC unless it has obtained a certificate of registration from the Authority as a FME under any of the categories mentioned in sub-regulation (4).
 - (2) An entity desirous of obtaining a certificate of registration as a FME in IFSC shall submit an application form including the declarations and undertakings in the manner as specified in **First Schedule** along with documents and application fees as specified by the Authority.
 - (3) An application which is not complete in all respects shall be liable to be rejected.
 - (4) The applicant shall seek registration under any of the following three categories:

(a) Authorised FME:

(i) The FMEs that pool money from accredited investors or investors investing above the specified threshold by way of private placement and invest in start-ups or early-stage ventures through Venture Capital Scheme;

(ii) The FMEs set up by a Single Family to manage its Family Investment Fund for investing in financial products including securities and such other permitted asset classes.

(b) Registered FME (Non-Retail):

- (i) The FMEs that pool money from accredited investors or investors investing above a specified threshold by way of private placement for investing in financial products including securities, and such other permitted asset classes through one or more restricted schemes;
- (ii) Such FMEs shall also be able to undertake Portfolio Management Services (including for multifamily office) and act as investment manager for private placement of Investment Trusts (REITs and InvITs); and
- (iii) Such FMEs shall also be able to undertake all activities as permitted to Authorised FMEs.

(c) Registered FME (Retail):

- (i) The FMEs that pool money from all investors or a section of investors under one or more schemes for investing in financial products including securities, and such other permitted asset classes through retail schemes;
- (ii) A Registered FME (Retail) may act as investment manager for public offer of Investment Trusts (REITs and InvITs) and shall also be able to launch Exchange Traded Funds (ETFs); and
- (iii) Further, such FMEs shall also be able to undertake all activities as permitted to Authorised FMEs and Registered FMEs (Non-retail).

Explanation.- Details of activities, investment conditions, responsibilities and obligations for each of the aforesaid category of FME have been specified in distinct Chapters under these regulations. The reference to the term "FME" under the respective Chapters shall be construed according to the permitted activities for the categories specified above. Additional conditions, responsibilities and disclosure obligations may also be specified by the Authority.

Eligibility Conditions

4. For obtaining a certificate of registration under these regulations, the applicant shall meet the requirements and the conditions specified in this Chapter.

Legal form of the applicant

5. (1) The applicant shall be set up in IFSC in the form of a company or LLP or branch thereof or any other form as may be permitted by the Authority:

Provided that a Registered FME (Retail) shall not be permitted in the form of an LLP or branch thereof:

Provided further that the branch structure is permitted only for a FME which is already registered or regulated by a financial sector regulator in India or a foreign jurisdiction for conducting similar activities.

- (2) A FME operating in branch structure in an IFSC shall comply with the following conditions:
 - (a) the parent entity shall adequately ring fence the operations of the branch in IFSC;
 - (b) the parent entity shall maintain such minimum capital as may be specified by the Authority, which shall at all times be earmarked for its branch in IFSC and may be held in the jurisdiction where the parent entity is incorporated; and
 - (c) any other requirements as may be specified by the Authority.
- (3) The memorandum of association in case of a company, or the LLP agreement in case of a LLP, shall permit it to carry on the activity of Fund Management.
- (4) A Registered FME (Retail) shall have at least four (4) directors with at least fifty per cent. (50%) of them to be independent directors and not associated with the FME.

Track Record and Reputation of Fairness

- 6. (1) The applicant shall have a sound track record and general reputation of fairness and integrity in all its business transactions.
 - (2) For the purposes of sub-regulation (1) "sound track record" shall mean:
 - (a) In case of Registered FME (Retail):
 - (i) The FME, its holding company, or their subsidiaries, shall have at least five (5) years of experience in collectively managing Assets under Management (AUM) of at least USD 200 million with more than twenty-five thousand (25,000) investors; or

(ii) Person(s) in control of the FME holding at least twenty-five per cent. (25%) shareholding in the FME be carrying on activities related to fund management, including portfolio management, wealth management, distribution of financial products, and investment advisory, for a period not less than five (5) years, collectively for at least one thousand (1,000) investors on assets of at least USD 50 million, and such FME has a net worth of at least USD 2 Million or such other amount as may be specified:

Provided that the Authority may specify any other criteria for determining sound track record to facilitate new generation fintech companies with innovative ideas that may lead to further market development;

(b) In case of Registered FME (non-retail) and Authorised FME, that their employees have relevant experience as specified in these regulations.

Appointment of Principal Officers and other Key managerial personnel(s) (KMP)

- 7. (1) The applicant shall designate a principal officer who shall be responsible for overall activities of the FME including but not limited to fund management, risk management and compliance.
 - (2) In case of Registered FME, in addition to the principal officer, one (1) additional KMP shall be designated as Compliance Officer who shall be responsible for compliance with these regulations and ensure implementation of risk management policies and practices at the FME.
 - (3) In case of Registered FME (Retail), the FME shall, in addition to the principal officer and compliance officer, appoint, before filing with the Authority the offer document of its first retail scheme or ETF, an additional KMP who shall be assigned with the responsibility of fund management.
 - (4) Any FME that is managing an AUM of at least USD 1 billion, excluding the AUM of fund of funds schemes, as at the close of a financial year shall, in addition to the principal officer and compliance officer, appoint an additional KMP, who shall be assigned with the responsibility of fund management.

Provided that appointment of the additional KMP shall be made within 6 months from the end of such financial year.

Provided further that continuation of the additional KMP shall be optional, if the AUM remains below USD 1 billion for any 2 subsequent consecutive financial years and there is a reasonable expectation that the AUM shall not exceed USD 1 billion in the near term:

Provided also that FMEs which are set up by Government and Government related investors such as central banks, sovereign wealth funds, international or multilateral organizations or agencies including entities controlled or at least seventy-five per cent. (75%) directly or indirectly owned by such Government and Government related investor wherein such investors are the sole contributors, directly or indirectly, of the schemes launched by such FMEs, the appointment of the additional KMP may not be required.

- (5) The applicant shall ensure that the aforementioned principal officer as specified under sub-regulation (1) and other KMPs as specified under sub-regulations (2), (3) and (4), shall be based out of IFSC and meet the following educational qualification and experience requirements:
- (a) A professional qualification or post-graduate degree or post graduate diploma (minimum one year in duration) in finance, law, accountancy, business management, commerce, economics, capital market, banking, insurance or actuarial science from a university or an institution recognised by the Central Government or any State Government or a recognised foreign university or institution or association or a CFA or a FRM from Global Association of Risk Professionals or any other relevant educational qualifications as may be specified by the Authority:
 - *Provided* that if the principal officer, specified under sub-regulation (1), has a work experience of at least 15 (fifteen) years in the activities related to fund management, including portfolio management, investment advisory or similar activities, the minimum educational qualification required for such person shall be a graduate degree in any field:
- (b) In addition to the qualifications mentioned under clause (a), an experience of at least five (5) years in related activities in the securities market or financial products including in a portfolio manager, fund manager, investment advisor, broker dealer, investment banker, wealth manager, research analyst, credit rating agency, market infrastructure institution, financial sector regulator or consultancy experience in areas related to fund management, such as deal due diligence, transaction advisory or similar activities:

Provided that the consultancy experience in areas related to fund management, such as deal due diligence, transaction advisory, etc. shall be considered for a maximum period of 2 years and experience in other areas as mentioned in sub-regulation (b) shall be required for at least 3 years:

Provided further that for the KMP referred under sub-regulation (2), the experience mentioned in clause (b) shall be required for a minimum period of 3 (three) years, if such KMP possesses a professional qualification and has experience in compliance or risk management in a listed company or an entity regulated by a financial sector regulator.

Explanation. – For the purposes of this regulation, the professional qualification shall include membership of Institute of Chartered Accountants of India, Institute of Company Secretaries of India, Institute of Cost Accountants of India or any institution equivalent thereto in a foreign jurisdiction, and for KMP referred under sub-regulation (2) it shall also include Bachelor of Laws (LLB) from a university or an institution recognised by the Central Government or any State Government or a recognised foreign university or institution or association.

- (6) The employees of FME, shall undergo such certification courses from such institutions, as may be specified by the Authority.
- (7) The proposal on the portfolio composition of a fund shall be initiated by a person who is based in the office of the FME in the IFSC.
- (8) The FME shall appoint other personnel commensurate with the size of its operations and activities.
- (9) Any appointment and changes to the KMPs appointed under sub-regulation (1), (2), (3) and (4) of this regulation shall take place only in the manner as specified by the Authority.

Net worth requirements

- 8. (1) An entity seeking registration as a FME shall at all times comply with the net worth requirements as specified in **Second Schedule** of these regulations or such other amount as may be specified by the Authority.
 - (2) An entity operating as a branch shall at all times comply with the minimum net worth requirements specified in these regulations for its activities in IFSC which may be maintained at the level of the parent entity, and the parent entity shall ensure that adequate funds are available for the day-to-day operations of the branch.
 - (3) The minimum net worth requirements as stated above shall be separate and in addition to the minimum net worth requirements applicable for other activities within or outside IFSC.

Fit and proper requirements

- 9. (1) The applicant and its principal officer, directors/ partners/ designated partners, key managerial personnel and controlling shareholders shall be fit and proper persons, at all times.
 - (2) For the purpose of sub-regulation (1), a person shall be deemed to be a fit and proper person if :-
 - (a) such person has a record of fairness and integrity, including but not limited to-
 - (i) financial integrity;
 - (ii) good reputation and character; and
 - (iii) honesty.
 - (b) such person has not incurred any of the following disqualifications
 - (i) the person has been convicted by a court of law for any offence involving moral turpitude or any economic offence or any offence against securities laws;
 - (ii) charge sheet has been filed against such person by any Indian enforcement agency in matters concerning economic offences and is pending;
 - (iii) charges have been framed by a court of law or an equivalent institution in matters concerning economic offences;
 - (iv) a recovery proceeding has been initiated against the person by a financial regulatory authority and is pending;
 - (v) an order for winding up has been passed against the person for malfeasance;
 - (vi) the person has been declared insolvent and not discharged;
 - (vii) an order restraining, prohibiting or debarring the person from accessing or dealing in financial product(s) or financial service(s), has been passed by any regulatory authority, in any matter concerning securities laws or financial services market and such order is in force;

- (viii) any other order against the person, which has a material bearing on the securities market, has been passed by the Authority or any other regulatory authority, and a period of three years from the date of the order has not elapsed;
 - *Explanation.* For the above provision, the decision to determine materiality shall be that of the Authority.
- (ix) the person has been found to be of unsound mind by a court of competent jurisdiction and the finding is in force;
- (x) the person is financially not sound or has been categorized as a wilful defaulter;
- (xi) the person has been declared a fugitive economic offender; or
- (xii) any other disqualification as may be specified by the Authority.
- (3) Where any person has been declared as not 'fit and proper person' by an order of a regulatory authority, such a person shall not be eligible to apply for any registration, until she satisfies the fit and proper criteria.

Infrastructure Requirements

- 10. (1) The entity has the necessary infrastructure like adequate office space, equipment, communication facilities and manpower to effectively discharge its activities under these regulations and circulars issued thereunder. The infrastructure requirements should be commensurate to the size of its operations in IFSC.
 - (2) The office shall be dedicated, secured and accessible only by authorised person(s) of the FME.

Furnishing of Information

- 11. (1) The Authority may require the applicant to furnish any further information or clarification regarding itself or nature of the fund or fund management activities or any related matter to consider the application for grant of a certificate of registration.
 - (2) If required by the Authority, the applicant shall appear before the Authority for personal representation.
 - (3) If required, the Authority may undertake an inspection of the office of the applicant before the grant of a certificate of registration.

Consideration of application and Grant of Certificate of Registration

12. The Authority may, on receipt of all information and on being satisfied, grant Certificate of Registration as FME to the applicant under the appropriate category, subject to the applicant paying applicable registration fee.

Terms and conditions of registration

- 13. (1) The registration granted to a FME, shall be subject to the following terms and conditions:-
 - (a) the FME, its CEO / Directors / Designated Partners, Principal officer / KMPs shall comply with the provisions of these regulations and circulars issued thereunder; and
 - (b) the FME shall forthwith inform the Authority, of any material change in the information or particulars previously furnished, which have a bearing on the registration granted by the Authority.
 - (2) The FME which has been granted certificate of registration under a particular category cannot change its category, except with the prior approval of the Authority.

Rejection of application

- 14. (1) If the Authority, after examination of the application, is of the opinion that the registration cannot be granted, it shall communicate the deficiencies to the Applicant giving it thirty (30) days' time to rectify them.
 - (2) If the Applicant fails to rectify such deficiencies to the satisfaction of the Authority within the specified time, the Authority may dispose of the application refusing to grant registration and shall communicate the same to the Applicant, giving reasons for such refusal.

Period of validity

15. The certificate of registration of a FME shall be valid for such period as may be specified by the Authority, unless it is suspended or cancelled by the Authority or surrendered by the FME and taken on record by the Authority.

Surrender of registration

16. A FME may file an application with the Authority for surrender of its certificate of registration.

Explanation.- The voluntary surrender of certificate of registration shall be effective only after its acceptance by the Authority.

Constitution of the Fund / Scheme

- 17. (1) A FME may launch various schemes as provided under these regulations.
 - (2) A FME, prior to the filing of a scheme document with the Authority, shall appoint fiduciaries as follows:
 - (a) Board of Directors in case the scheme is set up in the form of a Company;
 - (b) Designated Partners in case the scheme is set up in the form of a Limited Liability Partnership; or
 - (c) Trustees (including the Board in case of a Trustee company) in case the scheme is set up in the form of a Trust.
 - (3) A FME shall ensure that all the fiduciaries meet with the fit and proper requirements as specified in this Chapter.
 - (4) A FME intending to launch retail schemes shall take prior approval of the Authority for appointing any person as a fiduciary.
 - (5) The fiduciaries shall comply with the Code of Conduct and obligations as detailed in Part B of **Third Schedule**.

CHAPTER III

SCHEMES FOR FUND MANAGEMENT

PART A: VENTURE CAPITAL SCHEMES

Venture Capital Schemes

18. A Venture Capital Scheme under this Part shall be filed with the Authority as "venture capital fund" under Category I Alternative Investment Fund.

Explanation.- A Scheme filed under this Part may be construed as "venture capital fund" under Category I Alternative Investment Fund as referred under the Income Tax Act, 1961, the Foreign Exchange Management Act, 1999, or any rules, regulations, circulars, notifications, guidelines issued under these Acts or any other relevant statute.

Filing of Placement Memorandum

- 19. (1) A FME may launch Venture Capital schemes through private placement by filing a placement memorandum with the Authority along with the applicable fee, in the manner as may be specified by the Authority.
 - (2) The filing of scheme documents for such Venture Capital schemes shall be under green channel whereby the schemes filed shall be open for subscription by investors immediately upon communication from the Authority that the placement memorandum has been taken on record:

Provided that Authority may, at any stage, offer its comments which shall suitably be incorporated by the FME in the placement memorandum.

Explanation.- For the purpose of the Income Tax Act, 1961, the communication received by the FME from the Authority that the placement memorandum has been taken on record, shall be construed as Certificate of Registration.

(3) The placement memorandum for launch of the Venture Capital scheme shall be valid for twelve (12) months from the date of communication from the Authority to the FME that the placement memorandum has been taken on record, during which period the FME shall declare the first close of the scheme by achieving at least the minimum size of corpus as specified under sub-regulation (1) of regulation 23:

Provided that if a FME fails to achieve the minimum size of corpus, as specified under sub-regulation (1) of regulation 23, within the specified time period, it shall have the one-time option to extend the validity of the placement memorandum for a further period of six (6) months by paying fifty per cent. (50%) of the fee as applicable for filing of a fresh scheme.

(4) The FME shall ensure that any material changes from the information provided in the placement memorandum are immediately informed to the Authority.

Eligible Investors

- 20. (1) A Venture Capital scheme shall not have more than fifty (50) investors.
 - (2) Investors investing at least USD 250,000 and Accredited Investors shall be permitted to invest in such schemes:

Provided that where the investors are employees or directors or designated partners of the FME, the minimum value of investment shall be USD 60,000:

Provided further that a FME may accept investments in a Venture Capital scheme from multiple investors acting together as joint investors, wherein each such investor shall invest at least the minimum applicable investment amount:

Provided also that the total investments by the following individuals when acting as joint investors, shall be at least USD 250,000:

- (i) An investor and his/her spouse;
- (ii) An investor and his/her parent;
- (iii) An investor and his/her daughter/son.

Provided also that the minimum investment threshold specified above shall not apply to an Accredited Investor.

Explanation.- A Registered FME intending to launch Venture Capital Schemes to target more than fifty (50) investors or pool money from investors investing with lower application size of USD 150,000 shall be able to do so under restricted schemes as provided under Part B of this Chapter.

Nature and structure of Scheme

- 21. (1) A Venture Capital scheme shall only be a close ended scheme.
 - (2) The amount to be raised under a Venture Capital scheme and the tenure of the scheme, which shall not be less than three (3) years, shall be disclosed in the placement memorandum.
 - (3) The tenure of a close ended scheme may be extended up to two (2) years, subject to approval of two-thirds $(2/3^{rd})$ of the investors by value of their investment in the Venture Capital scheme.:
 - (4) Further extension to the tenure of a Venture Capital scheme beyond the two (2) year period shall be subject to express consent of the willing investors and exit opportunity being made available to the dissenting investors.
 - (5) A Venture Capital scheme shall be constituted in IFSC as Company or LLP or Trust under the applicable laws of India.

Permissible investments

- 22. (1) Subject to other provisions of these regulations, a Venture Capital scheme may invest only in the following instruments or entities in IFSC, India or foreign jurisdiction:-
 - (a) Unlisted securities;
 - (b) Securities listed or to be listed or traded on stock exchanges;
 - (c) Money market instruments;
 - (d) Debt securities;
 - (e) Securitised debt instruments, which are either asset-backed or mortgage-backed securities;
 - (f) Units of other Venture Capital schemes subject to appropriate disclosure in the placement memorandum;
 - (g) Units of retail schemes and restricted schemes or alternative investment funds subject to appropriate disclosure in the placement memorandum;
 - (h) Limited liability partnerships; or
 - (i) Such other securities or financial products/ assets or instruments as specified by the Authority:

Provided that pending deployment of monies, FME may invest in certificates of deposit, units of investment schemes such as overnight, liquid or money market schemes, money market instruments, bank deposits or any other securities or financial assets or instruments as may be specified by the Authority.

(2) Any investment made under sub-regulation (1) shall be in accordance with the provisions of these regulations, investment objective of the Venture Capital scheme and disclosures made in the placement memorandum.

Restrictions on Investment and Corpus of the Scheme

- 23. (1) In case of Venture Capital schemes, the minimum size of the corpus shall be USD 3 Million, and the total corpus shall not exceed USD 200 Million.
 - (2) Venture Capital scheme may invest in its associate, subject to the prior approval of seventy-five per cent. (75%) investors in the scheme by value.

- (3) Venture Capital schemes shall invest at least 80 per cent. (80%) of the corpus in Investee Companies where not more than ten (10) years have elapsed since incorporation of such companies, or other schemes which meet such requirement.
- (4) Venture Capital schemes shall not buy or sell securities from associates, other schemes of the FME or its associates, or an investor who has committed to invest at least fifty per cent. (50%) of the corpus of the scheme, unless prior approval has been obtained from seventy-five per cent. (75%) investors in the scheme by value:

Provided that the voting process shall exclude such investor(s) who has committed to invest at least fifty per cent. (50%) of the corpus of the scheme and is buying or selling the securities, from or to the scheme:

Provided further that such approval from investors may not be required for a fund of funds scheme which has disclosed in its placement memorandum the details of the underlying scheme(s) wherein the investments are intended to be made and the nature of association, if any, that the FME has with the manager(s) of such underlying scheme(s).

Disclosures to investors

- 24. (1) The placement memorandum for Venture Capital schemes shall clearly include disclosures regarding the investment objective, the targeted investors, proposed corpus, investment style or strategy, investment methodology, proposed tenure of the scheme, fees and expenses, risk management practices, KMPs of the FME and other relevant details of the FME and the scheme.
 - (2) The FME shall ensure that the Net Asset Value (NAV) is disclosed to the investors at least on a yearly basis within such time period as disclosed in the placement memorandum of the scheme.
 - (3) The FME shall ensure that the portfolio under the scheme is disclosed to the investors at least on a yearly basis and not later than one (1) month of the end of each financial year.
 - (4) Any other material disclosure, as considered suitable by the FME or the fiduciaries, shall be informed to the investors immediately.
 - (5) The FME and fiduciaries shall comply with the disclosure requirements as may be specified by the Authority.

Borrowing

- 25. A Venture Capital scheme may borrow funds or engage in leveraging activities, subject to the following conditions:-
 - (a) The maximum leverage by the scheme, along with the methodology for calculation of leverage, shall be disclosed in the placement memorandum;
 - (b) The leverage shall be exercised in accordance with the disclosures in the placement memorandum and any deviation therefrom shall be subject to consent of two-thirds (2/3rd) of the investors by value; and
 - (c) The FME intending to employ leverage shall have a comprehensive risk management framework appropriate to the size, complexity and risk profile of the scheme.

Valuation

- 26. (1) The FME and fiduciaries shall ensure compliance of investment valuation norms, as specified in the Sixth Schedule.
 - (2) In line with the investment valuation norms, the assets of the scheme shall be valued by an independent service provider, such as a fund administrator, a custodian, a credit rating agency registered with the Authority or a valuer registered with Insolvency and Bankruptcy Board of India or such other person as may be specified by the Authority:

Provided that this requirement shall not apply in case of a fund of funds scheme that invests in scheme(s) regulated by a financial sector regulator, directly or through a manager, in IFSC, India or foreign jurisdiction(s), which are valued by any independent entity.

Computation of NAV

- 27. (1) The FME shall compute the NAV of each Venture Capital scheme at least on an annual basis.
 - (2) The procedure and methodology for calculating the NAV should be fully documented, and such documentation should be regularly verified and amended, if required.

Contribution by the FME in the scheme

- 28. (1) Under a Venture Capital scheme, the FME or its associate shall invest:-
 - (a) at least 2.5% of the targeted corpus and not exceeding 10% of the targeted corpus in a scheme with targeted corpus up to USD 30 Million;
 - (b) at least USD 750,000 and not exceeding 10% of the targeted corpus in a scheme with targeted corpus more than USD 30 Million:

Provided that the contribution by the FME or its associate shall not be mandatory in case of relocated schemes established or incorporated or registered outside India to IFSC.

Provided further that the ceiling of 10% shall not apply for Venture Capital schemes if:

- (i) the FME and its associate investing in the scheme, are persons resident outside India and do not have any person resident in India as their ultimate beneficial owners; and
- (ii) not more than one-third of the corpus of the scheme is invested in an Investee Company and its associates.
- (2) The said contribution in proportion to investment by the investor(s) in the scheme shall be made by the FME or its associate within forty-five (45) days and be maintained on an ongoing basis:

Provided that the period of forty-five (45) days may be extended, subject to the satisfaction of the Authority.

- (3) The contribution, if brought in by FME, may be taken into consideration for the purpose of net-worth requirements as detailed under the **Chapter II**.
- (4) The said contribution shall be exempted if:
- (a) at least two-thirds $(2/3^{rd})$ of the investors in the scheme by value permit waiver of such contribution;
- (b) at least two-thirds $(2/3^{rd})$ of the investors in the scheme are accredited investors; or
- (c) the scheme is a fund of funds scheme investing in scheme(s) with similar requirements.

Co-investment and Leverage

- 29. (1) A Venture Capital scheme may co-invest in permissible investments under sub-regulation (1) of regulation 22 either through a special purpose vehicle (SPV) in accordance with the framework specified by the Authority or through a segregated portfolio by issuing a separate class of units.
 - (2) The FME shall ensure that:-
 - (a) The investments by such segregated portfolios shall, in no circumstances, be on terms more favourable than those offered to the common portfolio of the Venture Capital scheme; and
 - (b) Appropriate disclosures have been made in the placement memorandum regarding creation of segregated portfolio.
 - (3) A SPV mentioned in sub-regulation (1) may undertake leverage as disclosed in the placement memorandum.

PART B: RESTRICTED SCHEMES (NON-RETAIL SCHEMES)

Restricted Schemes (Non-Retail Schemes)

- 30. (1) Restricted Schemes are schemes that may be launched by Registered FMEs for various investment strategies, such as for:-
 - (a) investing in start-up, early-stage ventures, social ventures, SMEs, infrastructure or other sectors or areas which the government or regulators consider as socially or economically desirable, including venture capital funds, SME Funds, social venture / impact funds, infrastructure funds, ESG Funds, Special Situation funds (as detailed in Part D of this Chapter) and such other Schemes/Funds as may be specified by the Authority; and shall be filed before the Authority as Category I Alternative Investment Fund.

Explanation I.- A Scheme filed under clause (a) may be construed as Category I Alternative Investment Fund as referred under the Income Tax Act, 1961, the Foreign Exchange Management Act, 1999, or any rules, regulations, circulars, notifications, guidelines, etc. issued under these Acts or any other relevant statute.

Explanation II.- Venture capital funds under this Part shall not be required to comply with conditions specified for Venture Capital schemes as specified under Part A of Chapter III of these regulations.

(b) investment for undertaking diverse or complex trading strategies including investment in listed or unlisted derivatives; and shall be filed before the Authority as Category III Alternative Investment Fund.

Explanation.- A Scheme filed under clause (b) may be construed as Category III Alternative Investment Fund as referred under the Income Tax Act, 1961, the Foreign Exchange Management Act, 1999, or any rules, regulations, circulars, notifications, guidelines, etc. issued under these Acts or any other relevant statute.

(c) investment which does not fall under the clauses (a) and (b), shall be filed before the Authority as Category II Alternative Investment Fund.

Explanation.- The Scheme may be construed as Category II Alternative Investment Fund as referred under the Income Tax Act, 1961, the Foreign Exchange Management Act, 1999, or any rules, regulations, circulars, notifications, guidelines, etc. issued under these Acts or any other relevant statute.

(2) The schemes covered under clauses (a) and (c) of sub-regulation (1) shall be filed before the Authority as a close-ended scheme and those covered under clause (b) shall be filed before the Authority either as a close-ended scheme or an open-ended scheme.

Eligible FMEs and Filing of Placement Memorandum

- 31. (1) A Registered FME may launch restricted schemes through private placement by filing the placement memorandum with the Authority along with the applicable fees, in the manner as may be specified by the Authority in this regard.
 - (2) The filing of scheme documents for restricted schemes shall be under green channel whereby the schemes filed shall be open for subscription by investors immediately upon communication from the Authority that the placement memorandum has been taken on record:

Provided that the Authority may, at any stage, offer its comments which shall suitably be incorporated by the FME in the placement memorandum.

Explanation: For the purpose of the Income Tax Act, 1961, the communication received by the FME from the Authority that the placement memorandum has been taken on record, shall be construed as Certificate of Registration.

(3) The placement memorandum for launch of the restricted scheme shall be valid for twelve (12) months from the date of communication from the Authority to the Registered FME that the placement memorandum has been taken on record, during which period the FME shall declare the first close of the scheme by achieving at least the minimum size of corpus as specified under sub-regulation (2) of regulation 35:

Provided that if a FME fails to achieve the minimum size of corpus, as specified under sub-regulation (2) of regulation 35, within the specified time period, it shall have the one-time option to extend the validity of the placement memorandum for a further period of 6 months by paying 50 per cent. (50%) of the fee as applicable for filing of a fresh scheme.

(4) The FME shall ensure that any material changes from the information provided in the placement memorandum, shall be immediately informed to the Authority.

Eligible Investors

- 32. (1) Restricted schemes shall not have more than one thousand (1000) investors or such number as may be specified by the Authority.
 - (2) Investors investing at least USD 150,000 and Accredited Investors may invest in such schemes:

Provided that in case of investors who are employees or directors or designated partners of the FME, the minimum value of investment shall be USD 40,000:

Provided further that a FME may accept investments in a Restricted scheme from multiple investors acting together as joint investors, wherein each such investor shall invest at least the minimum applicable investment amount:

Provided also that the following individuals, not more than two, when act as joint investors, the total investment by such individuals shall be at least USD 150,000:

- (i) An investor and his/her spouse;
- (ii) An investor and his/her parent;
- (iii) An investor and his/her daughter/son.

Provided also that the minimum investment threshold shall not apply to an accredited investor.

Nature and Structure of Scheme

- 33. (1) Restricted schemes may be launched as open ended or close ended schemes.
 - (2) In case of a close ended restricted scheme, the amount to be raised and the tenure of the scheme, which shall not be less than one (1) year, shall be disclosed in the placement memorandum.
 - (3) The tenure of the close ended restricted schemes may be extended up to two (2) years subject to approval of two-thirds $(2/3^{rd})$ of the investors by value of their investment in the restricted scheme.
 - (4) Further extension to the tenure of a close ended restricted scheme beyond the two (2) year period shall be subject to express consent of the willing investors and exit opportunity being made available to the dissenting investors.
 - (5) Restricted schemes shall be constituted in IFSC as Company or LLP or Trust under the applicable laws of India.

Permissible investments

- 34. (1) Subject to other provisions of these regulations, a restricted scheme may invest only in the following instruments or entities in IFSC, India or foreign jurisdiction:-
 - (a) Unlisted securities;
 - (b) Securities listed or to be listed or traded on stock exchanges;
 - (c) Money market instruments;
 - (d) Debt securities;
 - (e) Securitised debt instruments, which are either asset backed or mortgage-backed securities;
 - (f) Units of other investment schemes subject to appropriate disclosure in the placement memorandum;
 - (g) Derivatives including commodity derivatives subject to suitable disclosures in the placement memorandum;
 - (h) Limited liability partnerships; or
 - (i) Such other securities or financial products/assets or instruments as specified by the Authority:

Provided that pending deployment of monies, FME may invest in certificates of deposit, units of investment schemes such as overnight, liquid or money market schemes, money market instruments, bank deposits or any other securities or financial assets or instruments as may be specified by the Authority.

- (2) Any investment made under sub-regulation (1) shall be in accordance with the provisions of these regulations, investment objective of the restricted scheme and disclosures made in the placement memorandum.
- (3) In addition to the above, a close ended scheme may invest up to twenty per cent. (20%) of the corpus in physical assets such as real estate, bullion, art or any other physical asset as may be specified by the Authority.

Restrictions on Investment and Corpus of the Scheme

35. (1) In case of an open-ended scheme, the maximum investment in unlisted securities should not exceed twenty-five per cent. (25%) of the corpus of the scheme:

Provided that in case of an open-ended fund of funds scheme, this requirement shall not be applicable if such scheme is investing in other open-ended scheme(s) which shall not have investment in unlisted securities in excess of twenty-five per cent. (25%) of their corpus.

(2) The minimum size of corpus of the restricted schemes shall be USD 3 Million:

Provided that an open-ended scheme may commence investment activities upon raising at least USD 1 Million in funds and shall achieve the minimum corpus of USD 3 Million within 12 months from the date of communication from the Authority that the placement memorandum of the scheme has been taken on record.

- (3) Restricted schemes may invest in its associate subject to the prior approval of seventy-five per cent. (75%) investors in the scheme by value.
- (4) Restricted schemes shall not buy or sell securities from associates, other schemes of the FME or its associates, or an investor who has committed to invest at least fifty per cent. (50%) of the corpus of the scheme, unless prior approval has been obtained from seventy-five per cent. (75%) investors in the scheme by value:

Provided that the voting process shall exclude such investor(s) who have committed to invest at least fifty per cent. (50%) of the corpus of the scheme and is buying or selling the securities, from or to, the scheme:

Provided further that such approval from investors may not be required for a fund of funds scheme which has disclosed in its placement memorandum the details of the underlying scheme(s) wherein the investments are intended to be made and the nature of association, if any, that the FME has with the manager(s) of such underlying scheme(s).

(5) A Restricted scheme filed with the Authority as a Category I AIF, Category II AIF or Category III AIF shall invest in accordance with such additional conditions as may be specified by the Authority.

Disclosures to investors

- 36. (1) The placement memorandum for restricted schemes shall clearly include disclosures regarding the investment objective, the targeted investors, proposed corpus, investment style or strategy, investment methodology, proposed tenure of the scheme, proposed fees and expenses, risk management practices, KMPs of the FME and other relevant details of the FME and the scheme.
 - (2) Any material deviation or alteration to the fund strategy should be made with the consent of at least two-thirds $(2/3^{rd})$ of investors by value.
 - (3) The FME shall ensure that the NAV is disclosed to the investors at least on a monthly basis in case of an open-ended scheme and half-yearly in case of a close ended scheme within such time period as disclosed in the placement memorandum.
 - (4) The FME shall ensure that the portfolio under the scheme is disclosed to the investors at least on a quarterly basis within one month from the end of the quarter.
 - (5) Any other material disclosure as considered suitable by the FME or the fiduciaries shall be informed to the investors immediately.
 - (6) The FME and the fiduciaries shall comply with the disclosure requirements as may be specified by the Authority.

Borrowing

- 37. A restricted scheme may borrow funds or engage in leveraging activities, subject to the following conditions:-
 - (a) The maximum leverage by the scheme, along with the methodology for calculation of leverage, shall be disclosed in the placement memorandum;
 - (b) The leverage shall be exercised in accordance with the disclosures in the placement memorandum and any deviation therefrom shall be subject to consent of two-thirds (2/3rd) of the investors by value; and
 - (c) The FME intending to employ leverage shall have a comprehensive risk management framework appropriate to the size, complexity and risk profile of the fund.

Valuation

- 38. (1) The FME and fiduciaries shall ensure compliance of investment valuation norms specified in the **Sixth Schedule.**
 - (2) In line with the investment valuation norms, the assets of the scheme shall be valued by an independent service provider, such as a fund administrator, a custodian, a credit rating agency registered with the Authority or a valuer registered with Insolvency and Bankruptcy Board of India or such other person as may be specified by the Authority:

Provided that the above requirement shall not apply in case of a fund of funds scheme that invests in scheme(s) regulated by a financial sector regulator, directly or through a manager, in IFSC, India or foreign jurisdiction(s), which are valued by any independent entity.

Computation of NAV

39. (1) FME shall compute the NAV of each restricted scheme at least on a monthly basis:

Provided that in case of a close ended restricted scheme the computation of NAV shall take place at least half-yearly.

(2) The procedure and methodology for calculating the NAV should be fully documented, and such documentation should be regularly verified and amended, if required.

Contribution by the FME in the scheme

- 40. Under a restricted scheme, the FME or its associate shall invest:
 - (a) In case of a close ended scheme,
 - (i) at least 2.5% of the targeted corpus and not exceeding 10% of the targeted corpus in a scheme with targeted corpus up to USD 30 Million;

- (ii) at least USD 750,000 and not exceeding 10% of the targeted corpus in a scheme with targeted corpus more than USD 30 Million:
- (b) In case of an open-ended scheme,
 - (i) at least 5% of the targeted corpus and not exceeding 10% of the targeted corpus in a scheme with targeted corpus less than USD 30 Million;
 - (ii) at least USD 1,500,000 and not exceeding 10% of the targeted corpus in a scheme with targeted corpus more than USD 30 Million:

Provided that the contribution by the FME or its associate shall not be mandatory in case of relocated funds /schemes established or incorporated or registered outside India to IFSC:

Provided further that ceiling of 10% shall not apply for restricted schemes if:

- (i) the FME and its associate investing in the scheme, are persons resident outside India and do not have any person resident in India as their ultimate beneficial owners; and
- (ii) not more than one-third of the corpus of the scheme is invested in an Investee Company and its associates.
- (2) The said contribution in proportion to investor's investment in the scheme shall be made by the FME or its associate within forty-five (45) days and maintained on ongoing basis:

Provided that the period of forty-five (45) days may be extended subject to the satisfaction of the Authority.

- (3) The said contribution, if brought in by FME, may be taken into consideration for the purpose of net-worth requirements as detailed under the **Chapter II**.
- (4) The said contribution shall be exempted if :-
- (a) at least two-thirds (2/3rd) of the investors in the scheme by value permits waiver of such contribution;
- (b) at least two-thirds (2/3rd) of the investors in the scheme are accredited investors; or
- (c) The scheme is a fund of funds scheme investing in scheme(s) with similar requirements.

Co-investment and Leverage

- 41. (1) A restricted scheme may co-invest in permissible investments under sub-regulation (1) of regulation 34 through a SPV in accordance with the framework specified by the Authority or through a segregated portfolio by issuing a separate class of units.
 - (2) The FME shall ensure that:-
 - (a) The investments by such segregated portfolios shall, in no circumstances, be on terms more favourable than those offered to the common portfolio of the restricted scheme; and
 - (b) Appropriate disclosures have been made in the placement memorandum regarding creation of segregated portfolio.
 - (3) A SPV mentioned in sub-regulation (1) may undertake leverage as disclosed in the placement memorandum.

PART C: RETAIL SCHEMES

Retail Schemes

42. Retail Schemes are schemes that may be launched by Registered FMEs (Retail) for pooling money from all investors or a section of investors through an offer document for investment as per its stated investment objective in various permissible investments.

Eligible FMEs and Filing of Offer Document

- 43. (1) No scheme shall be launched unless a draft offer document is filed with the Authority along with the applicable fees at least twenty-one (21) working days before the launch of the scheme.
 - (2) The validity of the offer document for launch of the scheme shall be twelve (12) months from the date of communication from the Authority to the FME that the offer document has been taken on record.

Explanation.- For the purpose of the Income Tax Act, 1961, the communication received by the FME from the Authority that the offer document has been taken on record, shall be construed as Certificate of Registration.

- (3) The FME shall ensure that the comments of the Authority are incorporated in the offer document prior to launch of the scheme.
- (4) The FME shall ensure that any material changes from the information disclosed in the draft offer document are informed to the Authority immediately.
- (5) No retail scheme shall be filed with the Authority unless it has been approved by the fiduciaries.

Minimum number of Investors

44. Retail schemes shall have at least twenty (20) investors with no single investor investing more than twenty-five per cent. (25%) in a scheme and shall ensure compliance with this requirement within a maximum period of six (6) months from the closure of the offer.

Nature and Structure of Scheme

- 45. (1) Retail schemes may be open-ended or close-ended.
 - (2) The tenure of a close-ended scheme, which shall not be less than three (3) years, shall be disclosed in the offer document.
 - (3) The tenure of the close ended scheme may be extended up to two (2) years, subject to approval of two-thirds $(2/3^{rd})$ of the investors by value of their investment in the scheme and the approval of the Authority.
 - (4) Retail schemes shall be constituted in IFSC as Company or Trust under the applicable laws of India.
 - (5) Retail schemes may be launched for various investment strategies including for investment in Social Ventures, Infrastructure, towards ESG objectives, specific sectors (sectoral schemes), certain themes such as infrastructure (thematic schemes), certain asset class (equity schemes, debt schemes, etc.) or a combination thereof or towards certain solution (retirement schemes, schemes for children education, etc.) subject to such terms and conditions as may be specified by the Authority.

Permissible investments

- 46. (1) Subject to other provisions of these regulations, a retail scheme may invest only in the following instruments or entities in IFSC, India or foreign jurisdictions:-
 - (a) Securities listed or to be listed or traded on stock exchanges;
 - (b) Unlisted securities;
 - (c) Money market instruments;
 - (d) Debt securities;
 - (e) Securitised debt instruments, which are either asset backed or mortgage-backed securities;
 - (f) Units of other investment schemes subject to appropriate disclosure in the offer documents;
 - (g) Derivatives including commodity derivatives only for the purpose of hedging subject to suitable disclosures in the offer document; or
 - (h) Such other securities or financial products/ assets or instruments as specified by the Authority:

Provided that pending deployment of monies, FME may invest in certificates of deposit, units of investment schemes such as overnight, liquid or money market schemes, money market instruments, bank deposits or any other securities or financial assets or instruments as may be specified by the Authority.

(2) Any investment made under sub-regulation (1) shall be in accordance with the provisions of these regulations, investment objective of the retail scheme and disclosures in the offer document.

Restrictions on Investment and AUM of the Scheme

47. (1) In case of an open-ended scheme, the maximum investment in unlisted securities should not exceed fifteen per cent. (15%) of the total AUM of the scheme:

Provided that this restriction shall not be applicable in case of investment in unlisted securities issued by an investment fund which is open-ended in nature, regulated by the concerned regulatory authority in its home jurisdiction, and is permitted for offering to retail investors in its home jurisdiction.

(2) The minimum amount of investment by an investor in case of close-ended schemes investing more than fifteen per cent. (15%) in unlisted securities, shall be USD 10,000:

Provided that a close-ended scheme shall not invest more than fifty per cent. (50%) in unlisted securities:

Provided further that the minimum amount of investment of USD 10,000 and the cap of fifty per cent. (50%) shall not be applicable in case of investment by close-ended retail scheme in unlisted securities issued by an investment fund which is regulated by the concerned regulatory authority in its home jurisdiction, and is permitted for offering to retail investors in its home jurisdiction.

(3) A Retail scheme shall not invest more than ten per cent. (10%) of its AUM in securities of a single company:

Provided that a retail scheme may invest up to fifteen per cent. (15%) in a single company with the prior approval of the fiduciaries:

Provided further that the limit on investment in single company in case of sectoral or thematic or Index schemes shall be the weightage of that company in the representative index, provided by an independent entity, that such scheme intends to benchmark with, or 15%, whichever is higher:

Provided also that fund of funds schemes shall be permitted to invest in other scheme(s) if such scheme(s) meets the requirement under this regulation.

(4) Retail schemes shall not invest more than twenty-five per cent. (25%) of its AUM in a single sector:

Provided that in case of financial services sector, the amount shall not exceed fifty per cent. (50%) of the AUM of the scheme:

Provided further that the limit on sectoral caps shall not apply in case of a sectoral or thematic or an Index Scheme:

Provided also that in case of a fund of funds scheme, the limit on sectoral cap shall not be applicable if such scheme is investing in other scheme(s) which does not have investment in a single sector in excess of 25% of their AUM, or 50% of their AUM in case of financial services sector or when such scheme(s) are sectoral or thematic or index scheme(s).

(5) A Retail scheme shall not invest more than twenty-five per cent. (25%) of the AUM in its associate:

Provided that this restriction shall not be applicable in case of fund of funds schemes which have made disclosure in the offer document regarding the details of the underlying scheme(s) wherein the investments are intended to be made and the nature of association, if any, that the FME has with the manager(s) of the underlying scheme(s).

(6) The minimum size of the retail schemes shall be USD 3 Million:

Provided that an open-ended scheme may commence its investment activities upon receiving at least USD 1 Million from investors and it shall receive at least USD 3 Million from investors within 12 months from the date of communication from the Authority, that the offer document has been taken on record:

Provided further that if a FME fails to achieve the minimum investment within the specified time, it shall have a one-time option to extend the validity of the offer document for a further period of 6 months by paying 50 per cent. (50%) of the fee as applicable for filing of a fresh scheme.

Disclosures to Investors

- 48. (1) The offer document for retail schemes shall clearly include all disclosures which are material for investors to make a decision regarding investing in such schemes.
 - (2) The disclosures in the offer document shall *inter-alia* include disclosures regarding the investment objective, the targeted investors, proposed size, investment style or strategy, investment methodology, proposed tenure of the scheme fees and expenses, risk management practices, KMPs of the FME and other relevant details of the FME and the scheme.
 - (3) Any material deviation or alteration to the fund strategy should be made with the consent of at least two-thirds $(2/3^{rd})$ of investors by value.
 - (4) The FME shall ensure that the NAV is disclosed to the investors on a daily basis in case of an open-ended scheme and on weekly basis in case of a close-ended scheme; in such manner as specified by the Authority.
 - (5) The FME shall ensure that the portfolio under the scheme is disclosed to the investors at least on a quarterly basis within one (1) month from the end of the quarter.
 - (6) Any other material disclosure as considered suitable by the FME or the fiduciaries shall be informed to the investors immediately.
 - (7) The FME and the fiduciaries shall comply with the disclosure requirements as specified above or as may be specified by the Authority.

Borrowing

49. A retail scheme shall not borrow except to meet temporary liquidity needs for the purpose of redemption:

Provided that the retail scheme shall not borrow more than twenty per cent. (20%) of the AUM of the scheme and the duration of such a borrowing shall not exceed six (6) months.

Valuation

- 50. (1) The FME and fiduciaries shall ensure compliance with the investment valuation norms as specified in the **Sixth Schedule.**
 - (2) In line with the investment valuation norms, the assets of the scheme shall be valued by an independent service provider such as a fund administrator, a custodian or a credit rating agency, registered with the Authority, or a valuer registered with Insolvency and Bankruptcy Board of India or such other person as may be specified by the Authority:

Provided that the above requirement shall not apply in case of a fund of funds scheme that invest in scheme(s), regulated by a financial sector regulator, directly or through a manager, in IFSC or India or foreign jurisdiction(s), which are valued by any independent entity.

Computation of NAV

- 51. (1) The FME shall ensure that the NAV of each retail scheme is computed on a daily basis in case of an openended scheme and on a weekly basis in case of a close-ended scheme; in such manner as specified by the Authority.
 - (2) The procedure and methodology for calculating the NAV should be fully documented, and such documentation should be regularly verified and amended.

Contribution by the FME in the scheme

52. (1) Under a retail scheme, the FME or its associate shall invest at least one per cent. (1%) of the AUM of the retail scheme or USD 200,000, whichever is lower:

Provided that the contribution by the FME or its associate shall not be mandatory in case of relocated funds / schemes established or incorporated or registered outside India to IFSC.

Provided further that the contribution by the FME or its associate shall not be mandatory in case of a fund of funds scheme investing in scheme(s) which has similar requirements.

(2) The said contribution shall be made by the FME or its associate within forty-five (45) days and be maintained on ongoing basis:

Provided that the period of forty-five (45) days may be extended subject to the satisfaction of the Authority.

(3) The said contribution, if brought in by FME, may be taken into consideration for the purpose of net-worth requirements as detailed under **Chapter II**.

PART D: SPECIAL SITUATION FUNDS

53. A Registered FME may launch a special situation fund in accordance with the provisions of this Chapter.

Definitions

- 54. For the purpose of this part of Chapter III,
 - (1) "special situation asset" includes:-
 - (a) stressed loan available for acquisition in terms of Clause 58 of Master Direction Reserve Bank of India (Transfer of Loan Exposures) Directions, 2021, as amended from time to time or as part of a resolution plan approved under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 or in terms of any other policy of the Reserve Bank of India or IFSCA or Government of India issued in this regard from time to time;
 - (b) security receipts issued by an Asset Reconstruction Company registered with the Reserve Bank of India;
 - (c) securities of investee companies:
 - (i) whose stressed loans are available for acquisition in terms of Clause 58 of the Master Direction Reserve Bank of India (Transfer of Loan Exposures) Directions, 2021, as amended from time to time, a resolution plan approved under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, or any other policy of the Reserve Bank of India or IFSCA or Government of India issued in this regard from time to time;
 - (ii) against whose borrowings, security receipts have been issued by an Asset Reconstruction Company registered with the Reserve Bank of India;
 - (iii) whose borrowings are subject to corporate insolvency resolution process under Chapter II of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016;

(iv) who have disclosed all the defaults relating to the payment of interest or repayment of principal amount on loans from banks / financial institutions/ Systemically Important Non-Deposit taking Non-Banking Financial Companies/ Deposit taking Non-Banking Financial Companies and /or listed or unlisted debt securities and such payment default is continuing for a period of at least ninety (90) calendar days after the occurrence of such default:

Provided that in case of sub-clauses (iii) and (iv), the credit rating of the financial instruments or credit instruments or borrowings of the company has been downgraded to "D" or equivalent;

- (d) Any other asset as may be specified by the Authority from time to time.
- (2) "special situation fund" means a scheme that invests in special situation assets in accordance with its investment objectives and may act as a resolution applicant under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016.

Eligible FMEs and Filing of Placement Memorandum

- 55. (1) A Registered FME may launch a special situation fund through a private placement memorandum by filing the memorandum with the Authority along with the applicable fees in the manner as specified by the Authority
 - (2) The filing of scheme documents for restricted schemes shall be under a green channel whereby the schemes filed shall be open for subscription by investors immediately upon communication from the Authority to the FME that the placement memorandum has been taken on record:

Provided that the Authority may, at any stage, offer its comments which shall suitably be incorporated by the FME in the placement memorandum.

Explanation.- For the purpose of the Income Tax Act, 1961, the communication received by the FME from the Authority that the placement memorandum has been taken on record, shall be construed as Certificate of Registration.

(3) The validity of the placement memorandum for launch of the scheme shall be twelve (12) months from the date of communication from the Authority, that the placement memorandum has been taken on record, during which period the FME shall declare the first close of the scheme by achieving at least the minimum size of corpus as specified under sub-regulation (1) of regulation 58:

Provided also that if a FME fails to achieve the minimum size of corpus as specified under sub-regulation (1) of regulation 58 within the specified time, it shall have the one-time option to extend the validity of the placement memorandum for a further period of 6 months by paying 50 per cent. (50%) of the fee as applicable for filing of a fresh scheme.

(4) The FME shall ensure that any material changes in the placement memorandum are informed to the Authority immediately.

Nature and Structure of Scheme

- 56. (1) A special situation fund shall only be a close-ended fund.
 - (2) The tenure of a special situation fund, which shall not be less than three (3) years, shall be disclosed in the placement memorandum.
 - (2) The tenure of a special situation fund may be extended up to two (2) years, subject to approval of two-thirds $(2/3^{rd})$ of the investors by value of their investment in the scheme.
 - (3) Further extension to the tenure of a special situation fund beyond the two (2) years period shall be subject to express consent of the willing investors and exit opportunity being made available to the dissenting investors.
 - (3) A special situation fund shall be constituted in IFSC as a company or LLP or Trust or any other form as may be permitted by the Authority under the applicable laws of India.

Permissible Investments

57. A special situation fund shall invest only in special situation assets.

Scheme corpus, eligible investors, investment conditions

- 58. (1) A special situation fund shall have the minimum corpus as may be specified by the Authority.
 - (2) A special situation fund shall accept such eligible investors as may be specified by the Authority.
 - (3) A special situation fund shall comply with such additional investment conditions as may be specified by the Authority.

Borrowing

59. A special situation fund shall not borrow or engage in any leveraging activities other than to meet day-to-day operational requirements.

Other requirements

- 60. (1) The norms regarding disclosures, valuation, computation of NAV, contribution by the FME in the scheme as applicable to a close ended restricted scheme under **Chapter III** of these regulations shall apply to a special situation fund.
 - (2) A special situation fund shall be considered as a category under restricted schemes and accordingly a special situation fund shall additionally comply with such requirements as may be specified by the Authority for close ended restricted schemes from time to time.

CHAPTER IV

EXCHANGE TRADED FUNDS (ETFs)

Exchange Traded Funds

- 61. (1) Only Registered FMEs (Retail) may launch Exchange Traded Funds (ETFs) by filing the draft offer document with the Authority along with the applicable fees, at least twenty-one (21) working days before its launch.
 - (2) The validity of the offer document for the launch of the ETF shall be twelve (12) months from the date of communication from the Authority to the FME that the offer document has been taken on record.

Explanation.- For the purpose of the Income Tax Act, 1961, the communication received by the FME from the Authority that the offer document has been taken on record, shall be construed as Certificate of Registration.

- (3) The FME shall ensure that the comments of the Authority are duly incorporated in the offer document prior to launch of the ETF.
- (4) The FME shall ensure that any material changes from the information provided in the draft offer document are informed to the Authority immediately.
- (5) ETF shall be mandatorily listed and traded on a recognised stock exchange and shall include:
 - (a) Equity Index based ETFs;
 - (b) Debt Index based ETFs;
 - (c) Commodity based ETFs;
 - (d) Hybrid ETFs (investing in 2 or more asset class);
 - (e) Actively Managed ETFs;
 - (f) Any other ETFs subject to approval of the concerned recognised stock exchange and the Authority.
- (6) No offer document of an ETF shall be filed with the Authority unless it has been approved by the fiduciaries:

Provided that in case of ETFs falling under clauses (e) and (f) of sub-regulation (5) above, prior approval of recognised stock exchange(s) where such ETF is intended to be listed, shall be obtained.

(7) An ETF in IFSC shall use the identifier 'IFSC ETF' which identifies it as an ETF listed and traded on recognised stock exchanges, and shall be used at all places including in its name, offer document, and all advertising material.

Equity Index based ETF

- 62. (1) A FME may launch an ETF replicating an Equity Index of IFSC or India or foreign jurisdiction.
 - (2) An Equity Index based ETF that seeks to replicate a particular index shall ensure that such index complies with the following norms:-
 - (a) The index shall have a minimum of ten (10) stocks as its constituents;
 - (b) For a sectoral/ thematic index, no single stock shall have more than thirty-five per cent. (35%) weightage in the index; and
 - (c) For other than sectoral/ thematic indices, no single stock shall have more than twenty-five per cent. (25%) weightage in the index.
 - (3) Equity Index based ETF shall replicate the underlying index to the extent of at least ninety-five per cent. (95%) of total assets.

Debt Index based ETF

- 63. (1) The FME may launch an ETF replicating a Debt Index of IFSC or India or foreign jurisdiction.
 - (2) A debt index-based fund that seeks to replicate a particular index shall ensure that such index complies with the following norms:-
 - (a) The index shall have a minimum five (5) issuers as its constituents;
 - (b) No single issuer shall have more than twenty-five per cent. (25%) weightage in the index; and
 - (c) The rating of the constituents of the index shall be investment grade:

Provided that the conditions specified in clauses (a) and (b) shall not apply to index-based funds investing in Government securities.

(3) Debt index-based ETF shall replicate the underlying index to the extent of at least ninety per cent. (90 %) of total assets:

Provided that if the ETF is not able to replicate the index due to non-availability of issuances of the issuer forming part of the index, the FME may consider such deviations that would lead to least possible tracking error and shall be in line with the disclosures in the offer document.

Commodity based ETFs

- 64. (1) Commodity based ETFs shall invest at least ninety per cent. (90%) in the specified commodity or commodity related security / instrument as specified by the Authority.
 - (2) For launching a commodity based ETF, the FME shall ensure that a KMP with at least than five (5) years of experience in dealing with commodities, is designated as a Fund Manager.

Gold ETF

65. (1) In case of a Gold ETF, at least ninety per cent. (90%) of the AUM shall be invested in Gold or bullion instruments such as Bullion Depository Receipts with underlying Gold, and Exchange Traded Commodity Derivatives (ETCD) with gold as the underlying:

Provided that the exposure to ETCDs having gold as the underlying shall not exceed ten per cent. (10%) of AUM of the scheme:

Provided further that the limit of ten per cent. (10%) shall not be applicable to Gold ETFs where the intention is to take delivery of the physical Gold and not to rollover its position to next contract cycle.

- (2) Gold ETFs shall be benchmarked against the price of spot Gold at the recognised stock exchange or any other benchmark price as may be specified by the Authority and FMEs shall endeavor to have tracking error as low as possible.
- (3) The FMEs shall ensure that for investment in physical Gold, the Gold should be supplied by a refiner certified for complying with OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas.
- (4) Physical Gold shall be stored with a vault registered with the Authority.
- (5) Physical verification of gold underlying the Gold ETF units shall be carried out by an independent agency capable of undertaking such activities and report to the FME and fiduciaries on half yearly basis and not later than two months from the end of the half year.

Silver ETF

66. (1) In case of a Silver ETF, at least ninety per cent. (90%) of the AUM should be invested in Silver or bullion instruments such as Bullion Depository Receipts with underlying Silver and Exchange Traded Commodity Derivatives (ETCD) with silver as the underlying:

Provided that the exposure to ETCDs having silver as the underlying shall not exceed ten per cent. (10%) of AUM of the scheme:

Provided further the limit of ten per cent. (10%) shall not be applicable to Silver ETFs where the intention is to take delivery of the physical silver and not to rollover its position to next contract cycle.

(2) Silver ETFs shall be benchmarked against the price of spot Silver at a recognised stock exchange or any other benchmark price as may be specified by the Authority and the FMEs shall endeavor to have tracking error as low as possible.

- (3) The FMEs shall ensure that for investment in physical Silver, the silver should have supplied by a refiner certified for complying with OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas.
- (4) Physical Silver shall be stored with a vault registered with the Authority.
- (5) Physical verification of silver underlying the Silver ETF units shall be carried out by an independent agency capable of undertaking such activities and report to the FME and fiduciaries on half yearly basis and not later than two months from the end of the half year.

Actively Managed ETFs

- 67. (1) Actively managed ETFs are such ETFs in which the FME has discretion over the composition of portfolio, in accordance with the stated investment objectives and policies.
 - (2) An actively managed ETF shall disclose in its offer document and in all advertising material that it is an actively managed ETF, and shall disclose how it will meet the stated investment objectives including, where applicable, its intention to outperform an index.
 - (3) Draft offer document for Actively Managed ETFs shall be filed with the recognised stock exchange(s) where such ETF is intended to be listed and also with the Authority.

Market Makers

- 68. (1) A FME shall appoint a market maker who shall be responsible for ensuring liquidity in the trading of ETF by way of providing two-way quotes.
 - (2) Market Makers shall be permitted to create units and seek redemptions directly from the FME.
 - (3) Recognised Stock Exchange(s) may provide a simplified framework for authorisation of intermediaries registered with the Authority as market makers.
 - (4) Recognised Stock Exchange(s) shall also provide detailed rules for market makers viz. maximum spread, minimum quantity, if any, incentives, margining, net-settlement etc.

Computation of NAV

- 69. (1) A FME shall compute the NAV of each ETF on a daily basis and publish the same on its website and inform the same to the recognised stock exchange where it is listed for disclosure on its website.
 - (2) The procedure and methodology for calculating the NAV should be fully documented, and such documentation should be regularly verified and amended, if required.

Redemption of ETFs to Investors

- 70. Investors other than market makers may also directly approach the FME for redemption of ETFs, and no exit load shall be charged if:
 - (a) Traded price (based on closing price) of the ETF units is at a discount of more than five per cent. (5%) of NAV for continuous thirty (30) trading days; or
 - (b) No quotes are available on the recognised stock exchange for five (5) consecutive trading days; or
 - (c) Total bid size on the recognised stock exchange is less than higher of one per cent. (1%) of the total units valued at NAV in ETF or USD 2,500 in value, averaged over a period of seven (7) consecutive trading days.

Disclosures to investors

- 71. (1) The offer document for ETFs shall clearly include all disclosures which are material for investors to make an informed decision regarding investing in such ETFs.
 - (2) The disclosures in the offer document shall *inter-alia* include investment objective, the targeted investors, investment style or strategy, investment methodology, proposed fees and expenses, risk management practices, KMPs of the FME and other relevant details of the FME and the ETF.
 - (3) Any material deviation or alteration to the fund strategy should be made with the consent of at least two-thirds $(2/3^{rd})$ of investors by value.
 - (4) The FME shall ensure that the NAV is disclosed to the investors on a daily basis and the manner of such disclosure shall be detailed in the offer document.
 - (5) The FME shall ensure that the portfolio under the ETF is disclosed to the investors and the manner of such disclosure shall be detailed in the offer document.

- (6) Any other material disclosure as considered suitable by the FME or the fiduciaries shall be informed to the investors immediately.
- (7) The FME and the fiduciaries shall ensure compliance with the disclosure requirements as specified above or as may be specified by the Authority.

CHAPTER V

ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE (ESG)

- 72. (1) A FME managing AUM above USD 3 billion as at the close of a financial year or any other threshold of AUM as may be specified by the Authority, shall:
 - (a) establish policy on governance around material sustainability-related risks and opportunities;
 - (b) disclose in its annual report how the FME identifies, assesses and manages material sustainability-related risks;
 - (c) establish and disclose in its annual report the process of factoring sustainability related risks and opportunities into fund manager's investment strategies and processes, including, where relevant, data and methodologies used; and
 - (d) comply with any other sustainability related requirements as may be specified by the Authority.
 - (2) A FME that launches a scheme related to ESG, shall make full disclosure regarding investment objective, investment policy, strategy, material risk, benchmark, etc., in the manner as may be specified by the Authority.
 - (3) All scheme documents filed by FME with the Authority under **Chapter III** shall disclose whether sustainability related risks are incorporated in the decision making along with the details of the same:

Provided that in case where the sustainability related risks are not incorporated in the decision making, a negative statement shall be included.

CHAPTER VI

OTHER FUND MANAGEMENT ACTIVITIES

PART A: PORTFOLIO MANAGEMENT SERVICES

Eligible FME and Clients

- 73. (1) A Registered FME may offer Portfolio Management Services to its clients in accordance with these regulations.
 - (2) A FME in its capacity as a portfolio manager may have the following categories as clients:
 - (a) a person resident outside India;
 - (b) a non-resident Indian;
 - (c) a non-individual resident in India who is eligible under FEMA to invest funds offshore, to the extent of outward investment permitted; and
 - (d) an individual resident in India who is eligible under FEMA to invest funds offshore, to the extent allowed under the liberalised remittance scheme (LRS) of Reserve Bank of India.
 - (3) A FME operating as a portfolio manager in an IFSC shall be permitted to invest in securities and financial products in an IFSC, India or Foreign Jurisdiction:

Provided that in case of a discretionary portfolio management service, it shall invest in the securities listed or to be listed or traded on the stock exchanges, money market instruments, units of investment schemes and other financial products as specified by the Authority from time to time.

Disclosures

- 74. (1) The FME shall provide a disclosure document to the client, prior to entering into a portfolio management agreement with the client.
 - (2) The FME shall ensure that a copy of disclosure document is available on its website.
 - (3) The disclosure document referred to in sub-regulation (1) shall *inter-alia* contain details pertaining to the services offered, risk factors, client representation, financial performance, performance of portfolio manager, auditor observations, nature of expenses, taxation, investor grievance redressal mechanism and litigations by the regulatory authorities against the portfolio manager and its principal officers, directors/ partners/ designated partners and key managerial personnel.

Portfolio Management Agreement.

- 75. (1) A FME shall enter into a written agreement with the portfolio management client that clearly defines the *inter se* relationship and sets out their mutual rights, liabilities and obligations relating to management of portfolio including details pertaining to investment objectives, risk factors, terms of fees, period of the contract, etc.
 - (2) Notwithstanding anything contained in the agreement between the FME and the client, the funds or securities can be withdrawn by the client before the maturity of the contract under the following circumstances, namely-
 - (a) voluntary or compulsory termination of portfolio management services by the FME or the client;
 - (b) suspension or cancellation of the certificate of registration of the FME by the Authority; or
 - (c) bankruptcy or liquidation of the FME.

Report to the Client

- 76. (1) The FME shall periodically furnish a report to the portfolio management client in terms of the agreement with the client which shall *inter-alia* contain details relating to composition and value of the portfolio, transactions undertaken during the period of the report, beneficial interest received during the period of the report, expenses incurred in managing the portfolio and details of risk relating to the securities recommended by the portfolio manager for investment or disinvestment.
 - (2) The report referred to in sub-regulation (1) may be made available online with restricted access to each client.

Dealing with Client Funds

77. (1) A FME shall not accept from the client, funds or securities worth less than USD 75,000 in case of a portfolio management agreement:

Provided that the minimum investment threshold shall not apply to an accredited investor.

- (2) The funds of a client availing portfolio management services (other than those availing only advisory services) may be maintained in-
 - (a) a specific bank account of the FME in a Banking Unit;
 - (b) a specific bank account of the client in a Banking Unit, a bank in India or a Foreign Jurisdiction;
 - (c) a specific account of the client maintained with a regulated broker dealer in IFSC, or an equivalent entity in India or foreign jurisdiction; or
 - (d) any other manner as may be specified by the Authority.

Provided that when the funds are maintained in the specific bank account of a client, the FME operating as portfolio manager shall ensure that it is duly authorised to operate the said bank account either by itself or through a custodian and it shall provide the details of all such bank accounts including transactions carried out thereunder, to the Authority, whenever directed to do so:

Provided further that when the funds of the clients are in a specific account maintained with a regulated broker dealer, the FME operating as portfolio manager shall ensure that -

- (i) adequate controls are in place to ensure requirement specified under sub-regulation (1) is complied with;
- (ii) it is duly authorised to operate the said account, and
- (iii) it shall provide the details of all such accounts including transactions carried out thereunder, to the Authority, whenever directed to do so.
- (3) A FME shall segregate each portfolio management client's holding in securities in separate accounts:

Provided that this sub-regulation shall not apply if the investments of the clients are in jurisdictions permitting omnibus account structure. In such cases, FME shall ensure that the investment using omnibus structure is pursuant to prior consent of the clients; and adequate checks are in place to ensure that the clients' securities are earmarked separately.

- (4) The funds received from the clients, investments or disinvestments, all the credits to the account of the client including interest, dividend, bonus or any other beneficial interest received on the investment and debit for expenses, if any, shall be properly reflected in the client's accounts.
- (5) The FME shall act in a fiduciary capacity in respect of the client's funds and securities, and shall not derive

any direct or indirect benefit out of the client's funds or securities.

(6) The FME shall not borrow funds or securities on behalf of the client.

Investment Restrictions

- 78. (1) The money or securities accepted by the FME shall be invested or managed in terms of the portfolio management agreement between the FME and the client.
 - (2) The FME shall not use the portfolio of its clients for investment in derivatives, unless express consent has been obtained from its clients.
 - (3) The FME shall not enter into any transaction for purchase or sale of any security which is periodically or ultimately settled otherwise than by actual delivery or transfer of security except the transactions in derivatives.
 - (4) A FME shall, ordinarily purchase or sell securities separately for each portfolio management client:

Provided that in the event of aggregation of purchases or sales for economy of scale, *inter se* allocation shall be done on a *pro rata* basis and at weighted average price of the 'day's transactions and the FME shall not keep any open position in respect of allocation of sales or purchases effected in a day.

- (5) The FME shall segregate each client's funds and portfolio of securities and keep them separately from its own funds and securities and be responsible for safekeeping of clients' funds and securities.
- (6) The FME shall not hold the securities belonging to the portfolio account in its own name on behalf of its clients either by virtue of contract with clients or otherwise:

Provided that if the investments of the clients are in jurisdictions permitting omnibus account structure such restriction shall not apply:

Provided further that in case of investments made by the FME through omnibus account structure, it shall ensure that such investments are made subject to prior consent of the clients, and adequate checks are in place to ensure that the clients' securities are earmarked separately.

(7) The FME operating as a portfolio manager, except those providing only advisory services, shall appoint a custodian in respect of securities managed or administered by it.

General Obligations

- 79. (1) The FME shall charge an agreed fee from the clients for rendering portfolio management services without guaranteeing or assuring, either directly or indirectly, any return and the fee so charged may be a fixed fee or a return-based fee or a combination of both.
 - (2) The FME in its capacity as a discretionary portfolio manager shall individually and independently manage the funds of the client in accordance with the needs of the client, in a manner which does not partake the character of a retail fund, whereas a non-discretionary portfolio manager shall manage the funds of the client in accordance with the directions of the client.
 - (3) The FME shall ensure that any person or entity involved in the distribution of its services is carrying out the distribution activities in compliance with these regulations and the circulars and directions issued thereunder by the Authority from time to time.
 - (4) The FME shall report its performance uniformly in the disclosures to the Authority, advertising material, reports to the clients and on its website.
 - (5) The portfolio accounts managed and administered by the FME in its capacity as a portfolio manager shall be audited annually and a copy of the certificate shall be given to the client.

Advisory Services

- 80. A FME as part of its portfolio management services shall enter into an agreement with prospective clients for providing advisory services, provided:
 - (a) it complies with the Regulation 43 to 50 of the IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021.
 - (b) it complies with the code of conduct under the IFSCA (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021; and
 - (c) Advisory services are for a portfolio not less than USD 75,000 in value.

Multi-Family Office

81. (1) A FME may also provide services to multi-family office under a portfolio management agreement as detailed in this Chapter.

(2) The Authority may specify additional conditions, additional permissible investment, etc., for FMEs providing services to multi-family office under a portfolio management agreement.

PART B: INVESTMENT TRUST

Investment Trust in IFSCs

- 82. (1) Any person from IFSC or India or a foreign jurisdiction, desirous to operate an Investment Trust in the IFSCs shall obtain registration with the Authority.
 - (2) An Investment Trust is permitted to raise funds through:
 - (a) Public issue with units listed on a recognised stock exchange;
 - (b) Private placement with units listed on a recognised stock exchange; or
 - (c) Private placement whose units are not proposed to be listed on any recognised stock exchange.
 - (3) The recognised stock exchange(s) shall specify the detailed framework which shall *inter-alia*, include initial disclosure requirements in the offer document, continuous obligations and disclosure requirements, trading, clearing and settlement for Investment Trust whose units are listed or proposed to be listed on a recognised stock exchange(s).
 - (4) The Investment Trust shall comply with the requirements specified by the recognised stock exchange(s).

Definitions

- 83. (1) For the purpose of this Part of Chapter VI:
 - (a) "eligible infrastructure project" means an infrastructure project which, prior to the date of its acquisition by, or transfer to, the InvIT, satisfies the following conditions,
 - (i) For PPP projects,-
 - (a) the Infrastructure Project which is completed and revenue generating project;
 - (b) the Infrastructure Project which has achieved commercial operations date (COD) and does not have the track record of revenue from operations for a period not less than one year; or
 - (c) the Infrastructure Project is a pre-COD project;
 - (ii) In non-PPP projects, the infrastructure project has received all the requisite approvals and certifications for commencing construction of the project;
 - (b) "governing board" means a group of members assigned by the LLP to act in a manner similar to the board of directors in case of a company;
 - (c) "holdco" or "holding company" means a company or LLP or any other structure as approved by the Authority-
 - (i) in which Investment Trust holds or proposes to hold controlling interest, and not less than fifty-one per cent. (51%) of the equity share capital or interest, and which in turn has made investments in other SPV(s), which ultimately holds the infrastructure assets or property(ies), as the case may be;
 - (ii) which is not engaged in an activity other than holding of the underlying SPV(s), real estate/properties or infrastructure projects, as the case may be, and any other activities pertaining to and incidental to such holdings;
 - (d) "Investment Trust" means a REIT or an InvIT, as the case may be;
 - (e) "investment management agreement" means an agreement between the trustee and the investment manager which lays down the roles and responsibilities of the investment manager towards the Investment Trust;
 - (f) "investment manager" means a Fund Management Entity registered under these regulations which manages assets and investments of the Investment Trust and undertakes activities of the Investment Trust;
 - (g) "InvIT" or 'Infrastructure Investment Trust' means the trust registered as such under these regulations;
 - (h) "InvIT assets" means assets owned by the InvIT, whether directly or through a holdco and/ or SPV, and includes all rights, interests and benefits arising from and incidental to ownership of such assets;
 - (i) "parties to the Investment Trust" includes the sponsor(s), investment manager, trustee and project

manager(s), if applicable;

- (j) "PPP project" means an infrastructure project undertaken on a Public- Private Partnership basis;
- (k) "pre-COD project" means an infrastructure project:
 - which has not achieved commercial operation date as defined under the relevant project agreements including the concession agreement, power purchase agreement or any other agreement of a similar nature entered into in relation to the operation of a project or any agreement entered into with the lenders; and
 - ii. which has,
 - a. achieved completion of at least fifty per cent. (50%) of the construction of the infrastructure project as certified by an independent engineer of such project; or
 - b. expended not less than fifty per cent. (50%) of the total capital cost set forth in the financial package of the relevant project agreement;
- (l) "project implementation agreement" or "project management agreement" means an agreement between the project manager, the concessionaire SPV and the trustee which sets out obligations of the project manager with respect to execution of the project and/or management:
 - *Provided* that in case of PPP projects, such obligations shall be in addition to the responsibilities as under the concession agreement or any such agreement entered into with the concessioning authority;
- (m) "project manager" means a company or LLP or a body corporate designated as the project manager by the InvIT, responsible for achieving execution /management of the project and in case of PPP projects, shall mean the entity responsible for such execution and achievement of project milestones in accordance with the concession agreement or any other relevant project document;
- (n) "real estate related assets" shall mean listed or unlisted debt securities and listed shares of or issued by property corporations, mortgage-backed securities, other property funds, and assets incidental to the ownership of real estate;
- (o) "REIT" or "Real Estate Investment Trust" means a trust registered as such under these regulations;
- (p) "REIT assets" means real estate assets and any other assets held by the REIT, on a freehold or leasehold basis, whether directly or through a holdco and/or a special purpose vehicle;
- (q) "special purpose vehicle" or "SPV " means any company or LLP or any other structure as approved by the Authority, -
 - (i) in which either the Investment Trust or the holdco holds or proposes to hold controlling interest and not less than fifty one per cent. (51%) of the equity share capital or interest:
 - *Provided* that this clause shall not apply in case of PPP projects where such acquiring or holding is disallowed by the government or regulatory provisions under the concession agreement or such other agreement, and shall be subject to provisions under clause (e) of Part D under **Fourth Schedule**:
 - (ii) which holds not less than eighty per cent. (80%) of its assets directly in infrastructure projects or properties and does not invest in other SPVs; and
 - (iii) which is not engaged in an activity other than holding and developing properties or infrastructure projects, as the case may be, and activities pertaining to and incidental to such holding or development;
- (r) "sponsor" means a company or LLP or body corporate which sets up the Investment Trust and is designated as such at the time of application;
- (s) "sponsor group" includes:
 - (i) the sponsor(s);
 - (ii) entities or person(s) which are controlled by the sponsor(s);
 - (iii) entities or person(s) who control sponsor(s);
 - (iv) entities or person(s) which are controlled by person(s) as referred at sub-clause (ii).
- (t) "trustee" means a person who holds the assets of Investment Trust in trust for the benefit of the investors;

(u) "valuer" means a person who is authorised to practice as a valuer under the law of the state or country where the valuation takes place;

Registration

- 84. (1) An application for the grant of certificate of registration as Investment Trust shall be made, by the sponsor on behalf of the trust to the Authority in the format specified by the recognised stock exchange(s) or the Authority, and shall be accompanied by a non-refundable fee as may be specified by the Authority.
 - (2) The Authority may, in order to protect the interests of investors, appoint any person to take charge of records, documents of the Investment Trust and for this purpose, also determine the terms and conditions of such an appointment.
 - (3) The Authority may require the applicant to furnish any such information or clarification as may be required by it for the purpose of processing of the application.
 - (4) The Authority, if it so desires, may require the applicant or any authorized representative to appear before the Authority for personal representation in connection with the grant of certificate of registration.
 - (5) The Authority, on receipt of all information and on being satisfied, may grant Certificate of Registration as an Investment Trust, subject to the applicant paying the applicable fee.

Trust

- 85. The following are the eligibility conditions for the Investment trust:
 - (a) The trust shall be created under the laws of India (IFSC or outside IFSC) or foreign jurisdiction;
 - (b) The trust deed has its main objective as undertaking activity of Investment Trust (REIT or InvIT, as the case may be) and includes responsibilities of the Trustee in accordance with the requirements specified in these regulations;
 - (c) persons have been designated as sponsor(s), investment manager and trustee and all such persons are separate entities.

Sponsor

- 86. The following are the eligibility conditions for a sponsor of an Investment Trust:
 - (a) Each sponsor shall hold or propose to hold not less than five per cent. (5%) of the number of units of the Investment Trust on post-initial offer basis:
 - *Provided* that in case the holding goes below five per cent. (5%), the sponsor shall comply with the requirement within a time period of one year from the date of such decline;
 - (b) Each sponsor shall maintain net worth not less than USD 15 million if it is a body corporate or a company, or net tangible assets of value not less than USD 15 million in case it is a limited liability partnership:
 - *Provided* that in case of REIT, each sponsor shall maintain a net worth of not less than USD 3 million and the sponsor(s), on a collective basis, shall maintain a net worth of not less than USD 15 million;
 - (c) The sponsor(s) or its associate(s) shall have a sound track record in development of real estate or infrastructure or fund management in the infrastructure / real estate sector.
 - Explanation.- For the purpose of this sub-regulation, 'sound track record' means relevant experience of at least five (5) years, and where the sponsor is a developer, at least two projects of the sponsor have been completed.

Investment Manager

- 87. (1) In case of private placement, any Registered FME shall be eligible to be appointed as Investment Manager.
 - (2) In case of a public issues, only a Registered FME (Retail) shall be eligible to be appointed as an Investment Manager.

Trustee

88. The following are the eligibility conditions for a trustee of an Investment Trust:

- (a) The entity shall be authorised / registered as a trustee with the Authority or any other securities market regulator and shall not be an associate of the sponsor(s) or investment manager;
- (b) The trustee has necessary wherewithal with respect to infrastructure, personnel, etc. to the satisfaction of the Authority and the recognised stock exchange(s).

Adherence To The Fit And Proper Criteria And Other Responsibilities

- 89. (1) The registration shall be granted only if the Investment Trust and parties to the Investment Trust are fit and proper persons as specified under these regulations.
 - (2) The Parties to an Investment Trust shall perform their roles and discharge their responsibilities as specified in the **Fourth Schedule**.

Currency

90. The units of the Investment Trust shall only be in a freely convertible foreign currency.

Offer of units of Investment Trust

- 91. (1) No initial offer of units by an Investment Trust shall be made unless,—
 - (a) the Investment Trust is registered with the Authority;
 - (b) the value of assets of Investment Trust is not less than USD 75 million; and
 - (c) the offer size is not less than USD 35 million.
 - (2) The minimum offer and allotment of units, to public through an offer document or placement memorandum in respect of Investment Trust, proposed to be listed on a recognised stock exchange shall be as per the below table:

Post Issue Capital	Minimum no./ value of units to be offered
Less than USD 240 million	At least twenty-five per cent. (25%) of the total outstanding units of the Investment Trust
USD 240 million or more but less than USD 600 million	At least USD 60 million
Equal to or more than USD 600 million	At least ten per cent. (10%) of the total outstanding units of the Investment Trust

Provided that the units offered to sponsor or the investment manager or the project manager or their related parties or their associates shall not be counted towards units offered to the public.

Private Placement With Listing

- 92. The fund raising by an Investment Trust by way of private placement whose units are proposed to be listed on the recognised stock exchange(s) shall be subject to compliance with the following:
 - (a) The Investment Trust shall obtain in-principle approval from the recognised stock exchange(s):
 - *Provided* that the in-principle approval shall be valid for a period not greater than six (6) months from the date of its receipt from the recognised stock exchange.
 - (b) The Investment Trust, through the Investment Manager or Investment Banker, shall file a placement memorandum with the Authority along with the applicable fee at least five (5) working days prior to opening of the issue:
 - *Provided* that such opening of the issue shall not be at a date later than six (6) months from the receipt of in-principle approval for listing, from recognised stock exchange(s).
 - (c) The Investment Trust shall raise funds from accredited investor or from investors investing at least USD 150,000:
 - *Provided* that if a privately placed Investment Trust invests or proposes to invest less than eighty per cent of the value of the assets of Investment Trust in completed and revenue generating assets, the minimum investment from each investor shall be USD 1 million.
 - (d) The Investment Trust shall raise funds from at least two (2) and not more than one thousand (1000) investors.

(e) The Investment Trust, through the Investment Manager, shall file the final placement memorandum with the Authority within a period of ten (10) working days from the date of listing of the units.

Private Placement Without Listing

- 93. The fund raising by an Investment Trust by way of private placement, whose units are not proposed to be listed on the recognised stock exchange(s), shall be subject to compliance with the following:
 - (a) The Investment Trust shall file a draft placement memorandum with the Authority in the manner as specified by the Authority, along with the applicable fee, at least five (5) working days prior to opening of the issue:
 - *Provided* that such opening of the issue shall not be at a date later than three (3) months from the date of communication from the Authority that the placement memorandum has been taken on record.
 - (b) The Investment Trust shall raise funds from investors investing at least USD 250,000 or accredited investors.
 - (c) The Investment Trust shall raise funds from not more than fifty (50) investors.
 - (d) The Investment Trust shall file the final placement memorandum with the Authority within a period of ten (10) working days from the date of allotment of the units to the investors.

Public Issues

- 94. The fund raising by an Investment Trust by way of public issue, shall be subject to compliance with the following:
 - (a) The Investment Trust shall raise funds by way of initial public offer and any subsequent issue of units may be by way of follow-on offer, preferential allotment, qualified institutional placement, rights issue, bonus issue, offer for sale or any other mechanism and in such manner as may be specified by the Authority.
 - (b) The Investment Trust, through the Investment Manager or an investment banker appointed by it, shall file a draft offer document along with the applicable fee, not less than thirty (30) working days before filing the offer document with the recognised stock exchange and the Authority.
 - (c) The draft offer document filed with the Authority shall be made public for comments, if any, by hosting it on the websites of the Authority, recognised stock exchange(s) and Investment Manager, investment bankers associated with the issue, for a period of not less than fourteen (14) days.
 - (d) The draft offer document and/ or offer document shall be accompanied by a due diligence certificate signed by the investment manager or investment banker, as the case may be.
 - (e) The Authority may communicate its observations to the investment manager or investment banker within thirty (30) working days from the filing of the offer document or twenty-one (21) working days from the date of receipt of satisfactory reply from the investment manager or investment banker on the queries or clarification, if any, sought by the Authority, whichever is later.
 - (f) The investment manager or investment banker shall ensure that all comments received from the Authority on the draft offer document are suitably incorporated prior to the filing of the offer document with the recognised stock exchanges.
 - (g) The offer document shall be filed with the recognised stock exchange(s) and the Authority not less than five (5) working days before opening of the offer.
 - (h) The initial offer or follow-on offer or rights issue shall be made by the Investment Trust within a period of not more than one (1) year from the date of issuance of observations by the Authority:
 - *Provided* that if the initial offer or follow-on offer or rights issue is not made within the specified time period, a fresh draft offer document shall be filed.
 - (i) The Investment Trust may invite for subscriptions and allot units to investors, subject to the applicable investment guidelines and permissions as may be applicable in that jurisdiction.
 - (j) The initial offer and follow-on offer shall not be open for subscription for a period more than thirty (30) days.
 - (k) In case of over-subscriptions, the Investment Trust shall allot units to the applicants on a proportionate basis rounded off to the nearest integer, subject to minimum subscription amount per subscriber.
 - (l) The Investment Trust shall allot units or refund application money, as the case may be, within twelve (12) working days from the date of closing of the issue.

- (m) The Investment Trust shall issue units only in dematerialized form to all the applicants.
- (n) The price of Investment Trust units issued by way of public issue shall be determined through the book building process or in accordance with the circulars or guidelines issued by the Authority or the recognised stock exchange(s).
- (o) The Investment Trust shall refund money,
 - i. to all applicants in case it fails to collect subscription amount of exceeding ninety per cent. (90%) of the fresh issue size as specified in the offer document;
 - ii. to applicants to the extent of oversubscription in case the money received is in excess of the extent of over-subscription as specified in the offer document:

Provided that right to retain such over subscription cannot exceed twenty-five per cent. (25%) of the issue size:

Provided further that the offer document shall contain adequate disclosures towards the utilisation of such oversubscription proceeds, if any, and such proceeds retained on account of oversubscription shall not be utilised towards general purposes.

(p) Units may be offered for sale to public if such units have been held by the existing unitholders for a period of at least one (1) year prior to the filing of draft offer document with the Authority:

Provided that the holding period for the equity shares, compulsorily convertible securities, from the date such securities are fully paid-up, or partnership interest in the holdco and/or SPV against which such units have been received shall be considered for the purpose of calculation of one (1) year period referred in this regulation:

Provided further that the compulsorily convertible securities, whose holding period has been included for the purpose of calculation for offer for sale, shall be converted to equity shares of the holdco or SPV, prior to filing of offer document.

(q) The amount for general purposes, as mentioned in objects of the issue in the draft offer document filed with the Authority, shall not exceed ten per cent. (10%) of the amount raised by the Investment Trust by issuance of units.

Offer Document or Placement Memorandum

- 95. (1) The offer document or the placement memorandum of an Investment Trust shall contain material, true, correct and adequate disclosures to enable the investors to make an informed investment decision.
 - (2) The offer document or placement memorandum shall include all information as required by the recognised stock exchange(s) and in such format as specified by the recognised stock exchange(s), including:
 - (a) Introduction;
 - (b) Details of sponsor(s), Investment Manager, Project Manager, Trustee and other relevant parties;
 - (c) Brief background of the Investment Trust;
 - (d) Description of the assets under the Investment Trust;
 - (e) Business Details and Strategy;
 - (f) Leverage;
 - (g) Conflict of Interest and Related party transactions;
 - (h) Valuation;
 - (i) Financials;
 - (j) Rights of Unit Holders;
 - (k) Title disclosures, litigations and regulatory actions;
 - (1) Risk Factors;
 - (m) Taxation.
- (3) The following documents shall be submitted to the Authority:
 - (a) Valuation report along with the offer document/ placement memorandum;

- (b) Project implementation/management agreement, along with draft offer document or the placement memorandum;
- (c) Due diligence certificate along with the draft offer document and offer document/ placement memorandum; and
- (d) In principle approval from the recognised stock exchange(s).
- (4) The placement memorandum of an Investment Trust whose units are not proposed to be listed on a recognised stock exchange shall contain all information, to the extent applicable, as specified for an Investment Trust whose units are proposed to be listed on a recognised stock exchange.

Continuous Obligations and Disclosure Requirements

- 96. (1) The Investment Trust listed on a recognised stock exchange shall comply with the continuous obligations and disclosure requirements specified by the recognised stock exchange(s).
 - (2) The following disclosure requirements shall be applicable on an Investment Trust whose units are not listed on a recognised stock exchange:
 - (a) The investment manager of the Investment Trust shall submit annual report, half-yearly report and valuation report to the trustee and unit holders of the Investment Trust, either electronically or through physical copies;
 - (b) The annual and half yearly reports shall contain disclosures as specified for a privately placed Investment Trusts listed on a recognised stock exchange;
 - (c) The investment manager shall disclose to the trustee and unit holders any information having bearing on the operation or performance of the Investment Trust which includes but is not restricted to the following:
 - i. acquisition or disposal of any infrastructure projects or property, directly or through holdco or SPV, value of which exceeds five per cent. (5%) of value of the assets of Investment Trust;
 - ii. additional issue of units by the Investment Trust;
 - iii. details of any credit rating obtained by the Investment Trust and any change in such rating;
 - iv. any issue which requires approval of the unit holders;
 - v. any legal proceedings which may have significant bearing on the functioning of the Investment Trust:
 - vi. notices and results of meetings of unit holders,
 - vii. any instance of non-compliance with these regulations and the circulars or guidelines issued thereunder including any breach of limits; and
 - viii. any material issue that in the opinion of the investment manager or trustee needs to be disclosed to the unit holders.

Investment Conditions

- 97. (1) The Investment Trust may invest in infrastructure projects or properties, as the case may be, through SPVs, subject to the following:-
 - (a) no other shareholder or partner of the SPV shall exercise any rights that prevents the Investment Trust from complying with the regulatory requirements specified by Authority and recognised stock exchange(s), and an agreement has been entered into with such shareholders or partners to that effect prior to investment in the SPV:

Provided that the shareholders' agreement or partnership agreement shall provide for an appropriate mechanism for resolution of disputes between the Investment Trust and the other shareholders or partners in the SPV:

Provided further that the provisions specified by Authority and recognised stock exchange(s) shall prevail in case of inconsistencies between such agreement(s) and the obligations cast upon an Investment Trust by the Authority and recognised stock exchange(s).

(b) in case the SPV is a company or LLP, the investment manager shall in consultation with the trustee appoint majority of the board of directors or governing board of such SPVs as applicable:

Provided that in case of a REIT, the investment manager shall in consultation with the trustee, appoint at least such number of nominees on the board of directors or the governing board of such SPVs, which is in proportion to the shareholding or holding interest of the REIT in the SPV, as applicable;

- (c) the investment manager shall ensure that in every meeting, including annual general meeting of the SPV, the vote of the Investment Trust is exercised.
- (2) The Investment Trust may invest in infrastructure projects or properties, as the case may be, through holdco, subject to the following:
- (a) the ultimate holding interest of the Investment Trust in the underlying SPV(s) is not less than twenty-six per cent (26%);
- (b) no other shareholder or partner of the holdco or the SPV(s) shall exercise any rights that prevent the Investment Trust, the holdco or the SPV(s) from complying with the regulatory requirements specified by Authority and recognised stock exchange(s) and an agreement has been entered into with such shareholders or partners to that effect prior to investment in the holdco and/or SPVs:

Provided that the shareholders' agreement or partnership agreement shall provide for an appropriate mechanism for resolution of disputes between the Investment Trust and the other shareholders or partners in the holdco and/or SPV;

Provided further in case of inconsistencies between such agreement(s) and the obligations cast upon an Investment Trust by the Authority and recognised stock exchange, such obligations shall prevail;

- (c) the investment manager shall, in consultation with the Trustee, appoint the majority of the Board of directors or governing board of the holdco and SPV(s):
 - *Provided* that in case of a REIT, the investment manager, in consultation with the trustee, shall appoint at least such number of nominees on the board of directors or the governing board of the holdco and/or the SPV, which are in proportion to the shareholding or holding interest of the REIT in the SPV; and
- (d) the investment manager shall ensure that in every meeting including, annual general meeting of the Holdco and SPV(s), the vote of the Investment Trust is exercised.
- (3) The investments by an Investment Trust may be in IFSC or India or in foreign jurisdiction:

Provided that where an investment is made in a foreign infrastructure project or real estate asset, as the case may be, the investment manager shall ensure that such investment complies with all the applicable laws and requirements in such jurisdictions.

(4) An Investment Trust shall hold completed and rent generating property or an infrastructure asset, as the case may be, for a period not less than three years from the date of purchase of such asset, directly or through holdco and/or SPV:

Provided that this shall not apply to investment in securities of companies in infrastructure sector other than SPVs.

- (5) For any sale of property, whether by the Investment Trust or holdco or the SPV or for sale of shares or interest in the SPV by the holdco or Investment Trust exceeding ten per cent. (10%) of the value of Investment Trust assets in a financial year, the Investment manager shall obtain prior approval from the unit holders.
- (6) An Investment Trust shall not invest in units of other Investment Trust(s).
- (7) An Investment Trust shall not lend to any person other than the holdco or special purpose vehicle(s) in which the Investment Trust has invested:

Explanation.- Investments in debt securities shall not be considered as lending.

Additional Conditions in Case Of Invit

98. (1) The investment by an InvIT shall only be in holdco and/ or SPVs or infrastructure projects or securities in accordance with the requirements specified in these regulations and the investment strategy as detailed in the offer document:

Provided that in case of PPP projects, the InvIT shall mandatorily invest in the infrastructure projects through holdco and/ or SPV.

- (2) In case of Public Issues of InvIT:-
- (a) At least eighty per cent. (80%) of the value of the InvIT assets shall be invested, proportionate to the holding of the InvITs, in completed and revenue generating infrastructure projects.

Explanation I- If the investment has been made through a holdco and/ or SPV(s), only the portion of direct investments in completed and revenue generating projects by such holdco and/ or SPV(s) shall be considered under this clause, and the remaining portion shall be included in clause (b) of this sub-regulation.

Explanation II- If any project is implemented in stages, the part of the project which can be categorised as completed and revenue generating project shall be considered under this clause and the remaining portion shall be included under clause (b) of this sub-regulation;

- (b) Not more than twenty per cent. (20%) of value of the InvIT assets shall be invested in:
 - (i) under-construction infrastructure projects, whether directly or through holdco and/ or SPVs:
 - Provided that the investment in such assets shall not exceed ten per cent. (10%) of the value of the InvIT assets:
 - (ii) listed or unlisted debt of companies or body corporate in infrastructure sector:
 - *Provided* that this investment shall not include any investment made in debt of the holdco and/ or SPV(s);
 - (iii) equity shares of listed companies which derive not less than eighty per cent. (80%) of their operating income from infrastructure sector;
 - (iv) government securities;
 - (v) securities issued by a supranational agency; and
 - (vi) money market instruments, liquid mutual funds or cash equivalents.
- (3) In respect of InvITs having raised funding through public issue, if the investment conditions are breached on account of market movements of the price of the underlying assets or securities, the investment manager shall inform the same to the trustee and ensure that the investment conditions as specified in these regulations are satisfied within six (6) months of such breach:

Provided that the period may be extended to one year subject to approval from investors.

- (4) In case of private placement of InvIT:-
- (a) At least eighty per cent. (80%) of the value of the InvIT assets shall be invested in eligible infrastructure projects either directly or through holdcos or through SPVs;
- (b) Un-invested funds may be invested in:
 - (i) listed or unlisted debt of companies or body corporate in infrastructure sector:
 - Provided that this shall not include any investment made in debt of the holdco and/ or SPV(s);
 - (ii) equity shares of listed companies which derive not less than eighty per cent. (80%) of their operating income from infrastructure sector;
 - (iii) government securities;
 - (iv) securities issued by a supranational agency; and
 - (v) money market instruments, liquid mutual funds or cash equivalents.

Additional conditions in case of REIT

- 99. (1) The investment by a REIT shall be either directly or through an SPV or through holdco.
 - (2) A REIT shall invest only in the following:-
 - (a) real estate, whether freehold or leasehold, in or outside IFSC;
 - (b) real estate related assets;
 - (c) listed or unlisted debt securities or listed shares of local or foreign non-property corporations;
 - (d) government securities;
 - (e) securities issued by a supranational agency; and
 - (f) cash and cash-equivalent items.
 - (3) The investments in case of public offer should be in compliance with the following requirements:
 - (a) at least seventy-five per cent. (75%) of the REIT assets should be invested in income-producing real estate;

- (b) should not undertake property development activities, unless it intends to hold the developed property upon completion;
- (c) should not invest in vacant land and mortgages except for mortgage-backed securities:

Provided that this requirement shall not apply to any land which is contiguous and extension of an existing project being implemented in stages;

(d) the total contract value of property development activities undertaken and investments in uncompleted property developments should not exceed ten per cent. (10%) of the REIT assets:

Provided that the total contract value of property development activities may exceed ten per cent. (10%) subject to a maximum of twenty five per cent. (25%) of the REIT assets only if:

- (i) the additional allowance of up to fifteen per cent. (15%) of the REIT assets is utilised solely for the redevelopment of an existing property that has been held by it for at least three (3) years and which the REIT will continue to hold for at least three (3) years after the completion of the redevelopment; and
- (ii) it has obtained specific approval of the unit holders.
- (e) for investments in debt securities or listed shares of local or foreign non-property corporations, or government securities or securities issued by a supranational agency, or cash or cash-equivalent items, not more than five per cent. (5%) of the REIT assets can be invested in any one issuer's securities or any one manager's funds; and
- (f) should not derive more than ten per cent. (10%) of its revenue from sources other than:
 - i. rental payments from the tenants of the real estate held by it, or

Explanation.- rental payments include income that is ancillary or incidental to the leasing of real estate such as income from use of signage space and advertising contributions by tenants;

ii.interest, dividends and other similar payments from permissible investments.

- (4) The investment restrictions and requirements under clauses (d) and (e) of sub-regulation (3) are applicable at the time of entering into the transactions.
- (5) If the investment conditions specified under clauses (a) and (f) of sub-regulation (3) are breached on account of market movements of the price of the underlying assets or securities or change in tenants or expiry of lease or sale of properties, the investment manager shall inform the same to the trustee and ensure that the conditions as specified in these regulations are satisfied within six (6) months of such breach:

Provided that the period may be extended by another six (6) months subject to approval from unit holders.

- (6) The investments in case of private placement should be in compliance with the following requirements:-
- (a) At least eighty per cent. (80%) of the value of the REIT assets should be invested in eligible real estate properties either directly or through holdcos or through SPVs;
- (b) Un-invested funds may be invested in:
 - (i) listed or unlisted debt of companies or body corporate in real estate sector:

Provided that this shall not include any investment made in debt of the holdco and/ or SPV(s);

- (ii) equity shares of listed companies which derive not less than eighty per cent. (80%) of their operating income from real estate sector;
- (iii) government securities;
- (iv) securities issued by a supranational agency; and
- (v) money market instruments, liquid mutual funds or cash equivalents.

Distribution policy

- 100. (1) With respect to distributions made by the Investment Trust and the holdco and/or SPV,-
 - (a) not less than ninety per cent. (90%) of net distributable cash flows of the SPV shall be distributed to the Investment Trust /holdco in proportion of its holding in the SPV;
 - (b) not less than ninety per cent. (90%) of net distributable cash flows of the Investment Trust shall be distributed to the unit holders;

- (c) with regard to distribution of net distributable cash flows by the holdco to the Investment Trust, the following shall be complied:
 - (i) with respect to the cash flows received by the holdco from underlying SPVs, hundred per cent. (100%) of such cash flows received by the holdco shall be distributed to the Investment Trust; and
 - (ii) with respect to the cash flows generated by the holdco on its own, not less than ninety per cent. (90%) of such net distributable cash flows shall be distributed by the holdco to the Investment Trust.
- (d) such distributions shall be declared and made not less than once every six (6) months in every financial year in case of publicly offered InvITs and shall be made not later than fifteen (15) days from the date of such declaration.
- (2) If any infrastructure asset or property, as the case may be, is sold by the Investment Trust or holdco or SPV or if the equity shares or interest in the holdco/ SPV are sold by the Investment Trust:
- (a) If the Investment Trust proposes to re-invest the sale proceeds into infrastructure asset or another property, as the case may be, it shall not be required to distribute any sales proceeds to the investors;
- (b) If the Investment Trust proposes not to invest the sales proceeds into any other infrastructure asset or property, as the case may be, within a period of one (1) year, it shall be required to distribute the same in accordance with sub-regulation (1).

Borrowings and deferred payments

- 101. (1) The following provisions shall apply to an Investment Trust listed on a recognised stock exchange:
 - (a) An Investment Trust whose units are listed on a recognised stock exchange may issue debt securities in the manner specified by the Authority:
 - Provided that such debt securities shall be listed on recognised stock exchange(s).
 - (b) The aggregate consolidated borrowings and deferred payments of the Investment Trust, holdco and the SPV(s), net of cash and cash equivalents shall not exceed:
 - (i) seventy per cent. (70%) of the value of the InvIT assets; or
 - (ii) forty nine per cent. (49%) of the value of the REIT assets.
 - (c) If the aggregate consolidated borrowings and deferred payments of the Investment Trust, holdco and the SPV(s), net of cash and cash equivalents exceed twenty five per cent. (25%) of the value of the assets of Investment Trust, for any further borrowing,—
 - (i) up to forty nine per cent. (49%), the Investment Trust shall -
 - (a) obtain credit rating from a credit rating agency; and
 - (b) seek approval of unitholders.
 - (ii) above forty-nine per cent. (49%), an InvIT shall -
 - (a) obtain a credit rating of "AAA" or equivalent for its consolidated borrowing and the proposed borrowing, from a credit rating agency;
 - (b) utilize the funds only for acquisition or development of infrastructure projects;
 - (c) have a track record of at least six distributions, on a continuous basis, post listing, in the years preceding the financial year in which the enhanced borrowings are proposed to be made; and
 - (d) obtain prior approval of unitholders.
 - (d) If the conditions specified in the above sub-clauses are breached on account of market movements of the price of the underlying assets or securities, the investment manager shall inform the same to the trustee and ensure that the conditions are satisfied within six months of such breach.
 - (2) An Investment Trust whose units are not listed on a recognised stock exchange may undertake borrowing to the extent permitted under the trust deed, after seeking approval from such number of investors as specified in the trust deed.

Valuation of assets

102. (1) A full valuation shall be conducted by the valuer at least once in every financial year:

Provided that such full valuation shall be conducted at the end of the financial year ending March 31st within two (2) months from the end of such year.

(2) A half yearly valuation of the assets of Investment Trust shall be conducted by the valuer for the half-year ending on September 30 for incorporating any key changes in the previous six (6) months and such half yearly valuation report shall be prepared within one (1) month from the date of end of such half year:

Provided that in case the consolidated borrowings and deferred payments of an InvIT is above forty-nine per cent. (49%), the valuation of the assets of such InvIT shall be conducted by the valuer for quarter ending June, September and December, for incorporating any key changes in the previous quarter and such quarterly report shall be prepared within one month from the date of the end of such quarter.

- (3) Valuation reports received by the investment manager shall be submitted to the recognised stock exchange(s) within fifteen (15) days from the receipt of such valuation reports, in respect of an InvIT whose units are listed on a recognised stock exchange.
- (4) Prior to any issue of units by publicly offered Investment Trust other than bonus issue, the valuer shall undertake full valuation of all the assets and include the same in the Offer Document:

Provided that such valuation report shall not be more than six months old at the time of such offer:

Provided further that this shall not apply in cases where full valuation has been undertaken not more than six (6) months prior to such issue and no material changes have occurred thereafter.

- (5) For any transaction of purchase or sale of infrastructure projects or properties, whether directly or through holdco and/or SPVs, for publicly offered Investment Trusts, a full valuation of the specific project shall be undertaken by the valuer; if,—
 - (i) in case of a purchase transaction, the asset is proposed to be purchased at a value greater than one hundred and ten per cent. (110%) of the value of the asset as assessed by the valuer;
 - (ii) in case of a sale transaction, the asset is proposed to be sold at a value less than ninety per cent. (90%) of the value of the asset as assessed by the valuer, approval of the unit holders shall be obtained.
- (6) In case of any material development that may have an impact on the valuation of the assets under Investment Trust, then investment manager shall require the valuer to undertake full valuation of the infrastructure project or property under consideration within not more than two (2) months from the date of such event and disclose the same to the trustee and the recognised stock exchange(s) within fifteen (15) days of such valuation.
- (7) The valuer shall not value any assets in which it has either been involved with the acquisition or disposal within the last twelve (12) months other than such cases where valuer was engaged by the Investment Trust for such acquisition or disposal.

Surrender of certificate by an Investment Trust whose units are not listed

- 103. (1) An Investment Trust whose units are not listed on a recognised stock exchange may choose to surrender its certificate of registration to the Authority and on acceptance of surrender of certificate of registration, it shall no longer undertake the activity of an Investment Trust.
 - (2) The Investment Trust and parties to the Investment Trust shall continue to be liable for all their acts of omissions and commissions with respect to activities of the Investment Trust notwithstanding surrender of registration to the Authority.

PART C: FAMILY INVESTMENT FUND

Eligibility Conditions

104. (1) A Family Investment Fund may be set up in the IFSC as a Company, Trust only in the form of Contributory Trust or Limited Liability Partnership or any other form as may be permitted by the Authority from time to time.

Provided where the contributory vehicle is in the form of a Trust, it shall ensure that, -

- (a) the beneficiaries are identifiable based on the provisions of the Trust deed, though not specifically named in the Trust deed;
- (b) the share of each beneficiary should be capable of being determined based on the provisions mentioned in the trust deed and shall not be at the discretion of the trustee; and
- (c) further contributors to the Trust, in addition to the initial contributors, shall not make the existing beneficiaries unknown or their shares indeterminate.

- (2) The requirements under regulations 5 and 8 pertaining to Legal form and Net-worth of a FME respectively, shall not be applicable to a Family Investment Fund.
- (3) A Family Investment Fund should have and maintain a minimum investment of USD 10 million within a period of three (3) years from the date of obtaining certificate of registration.
- (4) The Family Investment Fund may either be open-ended or close-ended, depending upon the requirements of the family.
- (5) A Family Investment Fund may set up additional investment vehicles after filing documents for such vehicles with the Authority and payment of applicable fee as specified by the Authority.
- Explanation I.- Such additional investment vehicles in the form of companies, limited liability partnerships, trusts or any other form as may be specified by the Authority, shall be considered in conjunction for the purpose of meeting the condition specified under sub-regulation (3).
- Explanation II. The Family Investment Fund or the investment vehicle may be construed as Category I Alternative Investment Fund, Category II Alternative Investment Fund or Category III Alternative Investment Fund depending on the investment strategy adopted in accordance with regulation 30.

Permissible Activities

105. A Family Investment Fund may undertake all activities related to managing family investment fund and such other activities as may be specified by the Authority.

Permissible investments

- 106. Subject to other provisions of these regulations, a Family Investment Fund may invest monies only in the following instruments or entities in IFSC, India or foreign jurisdictions in the manner and to the extent as specified by the Authority:-
 - (a) Unlisted securities:
 - (b) Securities listed or to be listed or traded on stock exchanges;
 - (c) Money market instruments;
 - (d) Debt securities;
 - (e) Securitised debt instruments, which are either asset backed or mortgage-backed securities;
 - (f) Units of investment schemes;
 - (g) Derivatives including commodity derivatives;
 - (h) Limited Liability Partnerships;
 - (i) Physical assets such as real estate, bullion, art, etc.; or
 - (j) Such other securities or financial product/assets or instruments as specified by the Authority.

Borrowing

107. A Family Investment Fund may borrow funds and engage in leveraging activities as per their risk management policy.

CHAPTER VII

LISTING

Listing of open-ended schemes

108. The FMEs may list its open-ended schemes on recognised stock exchanges.

Listing of close ended scheme

109. The FMEs may list its close ended schemes on recognised stock exchanges:

Provided that a close-ended retail scheme in which the minimum amount of investment by an investor is less than USD 10,000 shall be mandatorily listed on at least one of the recognised stock exchanges.

Listing of ETFs

110. Units of ETFs shall be mandatorily listed on at least one of the recognised stock exchanges.

Listing of Investment Trust

111. (1) The units of an Investment Trust, except those raised through private placement and are neither listed nor proposed to be listed on a recognised stock exchange, shall be listed on a recognised stock exchange:

- (a) in case of initial public offer, within 12 working days from the date of closure of the initial public offer;
- (b) in case of private placement, within 30 working days from the date of allotment:

Provided that this sub-regulation shall not apply if the initial offer does not satisfy the requirement of minimum subscription amount specified in these regulations.

- (2) The listing of the units of the Investment Trust shall be in accordance with the listing agreement entered into between the Investment Trust and the recognised stock exchange.
- (3) The units of the Investment Trust listed on the recognised stock exchange(s) shall be traded, cleared and settled in accordance with the requirements specified by the recognised stock exchange(s) and such requirements as may be specified by the Authority.
- (4) Any person other than the sponsor(s) holding units of the Investment Trust prior to initial offer, shall hold the units for a period not less than six (6) months from the date of listing of the units.
- (5) An Investment Trust whose units are not listed on a recognised stock exchange may list such units on a recognised stock exchange, subject to it complying with the requirements specified for privately placed and listed Investment Trust under these regulations and in the manner specified by the Authority from time to time.

Approval by Recognised Stock Exchange for Listing

- 112. (1) The FME which intends to list units of its scheme or ETFs or Investment Trust on the recognised stock exchange(s), shall obtain an 'in-principle' approval from recognised stock exchange(s) in accordance with the requirements of the recognised stock exchange(s) from time to time.
 - (2) The delisting of schemes or ETFs or Investment Trust shall be permitted subject to the terms and conditions as may be specified by the recognised stock exchanges.

Disclosures

113. Schemes or ETFs or Investment Trust listed on the recognised stock exchanges shall make such disclosures as may be specified by the Authority or the recognised stock exchanges.

Secondary Listing of an ETF or Investment Trust listed in India or Foreign Jurisdiction

- 114. (1) An ETF or Investment Trust (by whatever name it may be called outside IFSC) may be allowed to list and trade on a recognised stock exchange provided:
 - (a) The ETF or Investment Trust, as the case may be, is listed in India (outside IFSC) or in a foreign jurisdiction; and
 - (b) The ETF or Investment Trust is in compliance with the law of its home jurisdiction.
 - (2) The application for listing of such ETF or Investment Trust shall be filed with the recognised stock exchange(s) in the format and manner provided by the recognised stock exchange(s).
 - (3) The recognised stock exchange(s) may exempt the continuous obligations and disclosure requirements for ETFs or Investment Trust listed on them, provided that the FME submits all information and documents in English to such exchange(s)at the same time as they are released to the home exchange where it has a primary listing.

Suspension of Listing and Trading

- 115. (1) The Authority or the recognised stock exchange may suspend the listing and trading of units of an Investment Trust or schemes or ETF if:
 - (a) the Investment Trust or parties to the Investment Trust or the FME are in non-compliance with the regulatory provisions specified by Authority or the recognised stock exchange(s);
 - (b) the Investment Trust or schemes or ETF is suspended in any other stock exchange; or
 - (c) the suspension is required for ensuring orderly operation of market.
 - (2) The recognised stock exchange may restore the listing and trading of Investment Trust or schemes or ETF that have been suspended if it considers that the suspension is no longer required.

Delisting by Recognised Stock Exchange

- 116. The recognised stock exchange may delist Investment Trust or schemes or ETF if it is satisfied that -
- (a) the Investment Trust / Scheme / ETF is suspended for trading for more than six months or parties to Investment Trust or FME are not taking adequate action to obtain restoration of listing and trading;

- (b) the Investment Trust or parties to Investment Trust or FME is no longer eligible for listing or trading;
- (c) the Investment Trust or schemes or ETF have been compulsorily delisted from another exchange;
- (d) if the exchange is satisfied that there are special circumstances that require delisting of the Investment Trust or schemes or ETF; or
- (e) it is directed to do so by the Authority or any other relevant authority or any court order of applicable jurisdiction.

Voluntary Delisting

117. The recognised stock exchange may delist Investment Trust or scheme or ETF, based on request received from the Investment Trust or FME, in the manner provided by the recognised stock exchange(s) or the Authority.

CHAPTER VIII

GENERAL OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES

Code of Conduct

118. Every FME, fiduciaries, KMPs (including Principal officer, Fund Managers and Designated Compliance Officer) shall abide by the Code of Conduct specified in **Third Schedule.**

Maintenance of books of account, records and other documents

- 119. (1) Every FME shall keep and maintain proper books of account, records and documents for each scheme so as to explain its transactions and to disclose at any point of time the financial position of each scheme and in particular, give a true and fair view of the state of affairs of the scheme, and intimate to the Authority the place where such books of account, records and documents are maintained.
 - (2) Every FME shall maintain and preserve at least the following books of accounts, records and documents, in electronic retrieval form for a minimum of eight years, namely:
 - (a) a copy of the balance sheet at the end of each accounting period;
 - (b) a copy of profit and loss account for each accounting period;
 - (c) a copy of the auditor's report on the accounts for each accounting period;
 - (d) a statement of net worth for each quarter;
 - (e) documents relating to compliance with AML and CFT guidelines;
 - (f) documents relating to account opening of each client and any power of attorney or signature authority forms of the clients;
 - (g) relevant records and documents relating to its activities under these regulations; and
 - (h) such other books of accounts, records and documents as may be specified by the Authority from time to time.
 - (3) The FME shall be required to maintain following records, in electronic retrieval form for a minimum of five years after the winding up of the scheme, namely:
 - (a) the assets under each scheme;
 - (b) valuation policies and practices;
 - (c) investment strategies;
 - (d) particulars of investors and their contribution;
 - (e) rationale for investments made.

Information to the Authority

- 120. (1) The FME, fiduciaries or any person involved in the activities as detailed in these regulations shall accurately and timely furnish such reports, returns, statements and particulars, in such manner, interval and form, as may be specified by the Authority from time to time.
 - (2) The Authority may call for any information, documents or records from FME and entities engaged by FME for any related functions on activities detailed under these regulations.
 - (3) Where any information is called for under sub-regulation (2) the FME shall furnish accurately within the time specified by the Authority.

Business Continuity Plan

- 121. (1) A registered FME shall maintain a business continuity plan identifying procedures relating to an emergency or significant business disruption.
 - (2) A registered FME shall update its business continuity plan in the event of any material change in its operations, structure, business, or location.
 - (3) A registered FME shall conduct an annual review of its business continuity plan.

Cyber Security and Cyber Resilience

122. A registered FME shall have robust cyber security and cyber resilience framework in accordance with the requirements as may be specified by the Authority from time to time.

Risk Management and Internal Controls

- 123. (1) A FME shall have a sound risk management system for comprehensively managing all risks.
 - (2) A FME shall have adequate internal procedures and controls, given the types of business in which it engages, including any activities which have been outsourced, with the aim of protecting the interests of clients/investors and their assets and ensuring proper management of risk.

Guaranteed returns

- 124. No guaranteed return shall be offered in a scheme or under an agreement for PMS,
 - (a) unless such returns are fully guaranteed by the FME;
 - (b) unless a statement indicating the guarantee including details thereof is made in the offer document / agreement;
 - (c) the manner in which the guarantee is to be met has been stated in the offer document / agreement.

Change in control

125. (1) A FME shall seek prior approval of the Authority in case of any direct or indirect change in control of the FME:

Provided that where a FME operating in the form of branch is required to take prior approval from its sectoral regulator in its principal place of operation, it shall only inform such change to the Authority, within fifteen (15) days thereof.

(2) The Authority may consider such request for change in control subject to such conditions, as deemed appropriate including offering exit opportunity to investors.

Payment of Fees

126. A FME shall pay the fees pertaining to annual fees, scheme filing fee or any other fees as may be specified by the Authority from time to time.

Advertisements

127. Advertisements issued by FME, if any, shall be in conformity with the Advertisement Code as specified in the **Fifth Schedule** of these regulations.

Fees and Expenses of the Schemes.

- 128. (1) All fees and expenses should be clearly identified and appropriated separately for each scheme.
 - (2) The FME shall ensure suitable disclosure in the offer document / placement memorandum regarding the maximum fees and expenses that it may charge and each expense item shall be disclosed separately as a specific line item in the offer document / placement memorandum.

Appointment of Investment Committee

- 129. (1) The FME may, at its discretion, constitute an Investment Committee to make investment decisions for the schemes.
 - (2) All responsibilities casted upon the FME and Fund Managers under these regulations, to the extent applicable, shall also be complied with by the members of such Investment Committee.

Merger, demerger or restructuring of schemes

130. Merger, demerger and restructuring of the scheme(s) shall be in accordance with the conditions as may be specified by the Authority and with the prior approval by the Authority.

Winding up of the Scheme

- 131. (1) A scheme of the FME may be wound up:-
 - (a) When the tenure of the scheme, as mentioned in the placement memorandum / offer document, is over;
 - (b) If seventy-five per cent. (75%) of the investors, by value of their investment in the scheme, pass a resolution at a meeting of investors that the scheme be wound up.
 - (2) The Authority, in the interest of investors and for orderly development of the financial market, may direct a FME to:-
 - (a) wind up a scheme, subject to such conditions as deemed appropriate;
 - (b) merge certain schemes; or
 - (c) manage schemes of other FMEs.

Appointment of Custodian

- 132. The FME shall appoint an independent custodian to provide the custodial services for the following schemes:-
 - (a) Retail schemes;
 - (b) Open ended restricted schemes; and
 - (c) All other schemes managing AUM above USD 70 Million.

Provided that the requirement of appointment of custodian shall not be mandatory for fund of funds schemes where the underlying scheme(s) have appointed independent custodian(s).

Explanation I. – The Custodian appointed under this regulation shall be based in IFSC, unless the local laws of the jurisdiction where the securities have been issued mandate appointment of a custodian in that jurisdiction, in which case, the FME may appoint a custodian based in that jurisdiction regulated by the financial sector regulator in that jurisdiction for such securities and make necessary arrangement to provide such information to Authority whenever directed to do so.

Explanation II.-In case of schemes which are required to appoint custodian in IFSC in terms of the abovementioned provision, if any agreement has been entered into with a custodian which is not based in IFSC as on the date of notification of these regulations, such schemes shall be required to appoint custodian in IFSC within twelve (12) months from the date of notification of these regulations.

Redemption of Close ended scheme

133. A close-ended scheme, unless its tenure is extended as specified under these regulations, shall be fully redeemed at the end of maturity period.

Scheme Annual Report

- 134. (1) FME shall prepare an annual report of accounts of the schemes and abridged summary thereof, in respect of each financial year and shall submit the same to the Authority not later than four months from the end of financial year.
 - (2) The annual report and abridged summary shall contain details that are necessary for the purpose of providing a true and fair view of the operations of the scheme.
 - (3) An abridged summary of the annual report of the scheme shall be shared with the investors within four months from the end of the financial year:

Provided that if an investor seeks the full annual report, the FME shall provide the same within fifteen (15) days from the date of the receipt of such request.

Auditor's report

- 135. (1) Every scheme launched by FME shall have the annual statement of accounts audited by an auditor who is not in any way associated with the FME.
 - (2) The auditor shall be appointed by the fiduciaries.
 - (3) The auditor shall forward his report to the fiduciaries and such report shall form part of the Annual Report of the schemes.

Other disclosures to the investors

136. (1) The FME shall ensure that investors are provided information about their holding in the schemes of FME at the end of every month and within ten working days in case of receipt of such request from an investor.

(2) The fiduciaries shall make such disclosures to the investors as are essential in order to keep them informed about any information which may have an adverse bearing on their investments.

Restrictions on business activities of the FME

137. The FME shall not undertake any business activities other than as specified under these regulations, without prior approval of the Authority:

Provided that a FME operating in the form of branch in an IFSC shall inform the Authority within fifteen (15) days regarding any approval obtained from the sectoral regulator in its principal place of operations, if the activity it intends to conduct outside IFSC requires such specific approval.

Provided further that FME intending to open a branch or representative office in other jurisdictions for the purpose of marketing their offerings and client service shall give prior intimation to the Authority with the details regarding such branch or representative office.

CHAPTER IX

INSPECTION AND AUDIT

Inspection

- 138. (1) The Authority may *suo motu* or upon receipt of information or complaint at any time appoint one or more persons as Inspecting Authority to undertake the inspection of the books, accounts, records, documents, infrastructure, procedures, systems of a FME or any other entity associated with the activities under these regulations for any purpose or to investigate the affairs of schemes and activities as detailed under these regulations including the purposes as specified under sub-regulation (2).
 - (2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may include, -
 - (a) to ensure that the books of account, records and documents are being maintained in the manner as required under these regulations;
 - (b) to ensure that the provisions of the Act, the regulations and circulars issued thereunder, are complied with:
 - (c) to ascertain whether adequate internal control systems, procedures and safeguards have been established or are being followed by the FME or other entities to fulfil its obligations under these regulations;
 - (d) to ascertain whether any circumstances exist which would render the FME or other entities unfit or ineligible;
 - (e) to inquire into the complaints received from the investors, clients, other market participants, or any other person on any matter having a bearing on the activities of the FME; and
 - (f) to inquire *suo motu* into such matters as may be deemed fit in the interest of investors or the financial market in IFSC.
 - (3) Before undertaking an inspection under sub-regulation (1), the inspecting authority shall give a notice to the FME or such other entities referred to in sub- regulations (1):

Provided that where the inspecting authority is satisfied that in the interest of the investors no such notice should be given, it may, for reasons to be recorded in writing, dispense with such notice.

Obligations of FME on inspection

- 139. (1) Where an inspection of a FME is undertaken by the Authority, such FME and every principal officer, partner, designated partner, trustee, director, chairperson, CEO, KMPs, officer, employee and any agent, etc., of the FME shall provide all assistance and cooperate with the Inspecting Authority and shall furnish books of accounts, records and documents to the Inspecting Authority with such statements and information relating to its activities within such time as decided by the Inspecting Authority.
 - (2) The FME shall give all assistance as may be required in connection with the inspection and allow the Inspecting Authority to have reasonable access to its premises and extend reasonable facility for examining any books of accounts, records and documents in its possession, and also provide copies of records or documents or other material which in the opinion of the inspecting authority are relevant for the purposes of the inspection.
 - (3) The Inspecting Authority, in the course of inspection, shall be entitled to examine or record the statements of any principal officer, partner, designated partner, trustee, director, chairperson, officer, employee and any agent of the FME
 - (4) It shall be the duty of every principal officer, partner, designated partner, trustee, director, chairperson, CEO, KMPs, officer, employee and any agent of the FME to give to the inspecting officer all assistance in

connection with the inspection, which the inspecting officer may require.

Appointment of auditor or valuer

140. (1) The Authority may appoint an auditor to inspect the books of account, records, documents infrastructures, systems and procedures or affairs of an FME:

Provided that the auditor so appointed shall have the same powers of an inspecting authority:

Provided further that a FME and its employees shall have the same obligations towards the auditor as they have towards the Inspecting Authority as specified under regulation 139.

- (2) The Authority may appoint a valuer to value the scheme assets if considered necessary.
- (3) The Authority shall be entitled to recover expenses including fees paid to the auditors / valuer as may be incurred by it, for such inspection.

Submission of report

141. The Inspecting Authority shall submit the inspection report to the Authority, and the Authority may take such action as it may deem fit and appropriate, on such report:

Provided that if directed to do so by the Authority, the Inspecting Authority may submit an interim report.

Action by the Authority upon inspection.

- 142. The Authority may, after consideration of the inspection report and after giving reasonable opportunity of being heard to the FME and/ or its partner, designated partner, trustee, director, chairperson, CEO, KMPs, and any agent, etc., issue such direction as it deems fit in the interest of financial market or the investors, including directions in the nature of:-
 - (a) requiring FME not to launch new schemes or raise money from investors for a particular period;
 - (b) prohibiting the person concerned from disposing of any of the properties of the fund or scheme acquired in violation of these regulations;
 - (c) requiring the person concerned to dispose of the assets of the fund or scheme in a manner as per the directions;
 - (d) requiring the person concerned to refund any money or the assets to the concerned investors, along with or without interest, collected under the scheme;
 - (e) prohibiting the person concerned from operating in the financial market or from accessing the financial market for a specified period;
 - (f) any other direction(s), as the Authority may deem appropriate.

CHAPTER X

LIABILITY FOR ACTION IN CASE OF DEFAULT

Suspension, cancellation of registration or any other actions

- 143. The Authority may take such action as deemed fit, including suspension or cancellation of registration, against a FME if it:-
 - (a) fails to exercise due diligence or comply with any conditions subject to which a certificate of registration has been granted;
 - (b) contravenes any of the provisions of the Act or rules or regulations or circulars or guidelines or directions or instructions issued thereunder;
 - (c) fails to furnish any information relating to its activity as a FME as directed by the Authority;
 - (d) furnishes to the Authority information which is false or misleading in any material particular;
 - (e) does not submit periodic returns or reports as directed by the Authority;
 - (f) does not co-operate in any enquiry, inspection or investigation conducted by the Authority;
 - (g) fails to resolve the complaints of investors or fails to give a satisfactory reply to the Authority; or
 - (h) commits any other act/omission which in the opinion of the Authority warrants such action or which is against the interest of the investors.

CHAPTER XI

POWER TO RELAX, ISSUE CLARIFICATIONS AND SPECIFY ADDITIONAL REQUIREMENTS

Power to relax strict enforcement of the regulations

- 144. (1) The Authority, for reasons to be recorded in writing, may in the interest of development of financial market in IFSC, relax the strict enforcement of any requirements of these regulations.
 - (2) For seeking relaxation under sub-regulation (1), an application giving details and the grounds on which such relaxation has been sought, shall be filed with the Authority along with a non-refundable fee as may be specified by the Authority.
 - (3) The Authority shall process such application within sixty (60) days of the date of receipt of the application, complete in all respects, including responses to clarifications sought and shall record reasons for acceptance or refusal of the relaxations sought by the applicant.

Regulatory or Innovation Sandbox and Fund Lab

145. (1) The Authority may, exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the requirements under these regulations for a period as may be specified but not exceeding eighteen months, for furthering innovation in aspects relating to testing new products, strategies, processes, services, business models, use of technology, etc. in live environment of regulatory or innovation sandbox in the financial markets:

Provided that any experiment in a scheme towards a new strategy shall not solicit money from public and shall be governed by a framework specified by the Authority.

(2) Any exemption granted by the Authority under sub-regulation (1) shall be subject to the applicant satisfying such conditions as may be specified by the Authority including conditions to be complied with on a continuous basis.

Power to specify norms, procedures, issue clarifications and remove difficulties

- 146. (1) For the purposes of implementation of these regulations and matters incidental thereto, the Authority may specify norms, procedures, processes, additional requirements, etc. by way of circulars, guidelines or directions.
 - (2) In order to remove any difficulties in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Authority may issue directions through guidance notes or circulars.

CHAPTER XII

MISCELLANEOUS

Delegation of powers

147. The powers exercisable by the Authority under these regulations shall also be exercisable by any officer of the Authority to whom such powers are delegated by the Authority.

Repeal and Savings

- 148. (1) On and from the commencement of these regulations, the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022, shall stand repealed.
 - (2) On and from the commencement of these regulations, the following circulars issued by the Authority shall stand superseded:
 - a. IFSCA Circular No. IFSCA-IF-10PR/1/2023-Capital Markets/4 issued on July 25, 2024; and
 - b. IFSCA Circular No. IFSCA-IF-10PR/1/2023-Capital Markets/5 issued on October 29, 2024.
 - (3) Notwithstanding such repeal and supersession,
 - (a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken including registration or approval granted, suspended or cancelled, fees collected, any adjudication, enquiry or investigation commenced or show-cause notice issued, under the repealed regulations, superseded circulars, shall be deemed to have been done or taken or commenced under the corresponding provisions of these regulations;
 - (b) any application made to the Authority under the repealed regulations, prior to such repeal, and pending before it shall be deemed to have been made under the corresponding provisions of these regulations;
 - (c) the previous operation of the repealed regulations, superseded circulars or anything duly done or suffered thereunder, any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the repealed regulations, any penalty incurred in respect of any violation committed against the repealed regulations, or

- any investigation, legal proceeding or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty as aforesaid, shall remain unaffected as if the repealed regulations have never been repealed.
- (4) After the repeal of International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022, any reference thereto in any other regulations made, guidelines or circulars issued thereunder by the Authority, any act of the Government of India or laws enacted by other statutory authorities shall be deemed to have the reference to the corresponding provisions of these regulations.
- (5) Save as otherwise contained in sub-regulation (2), the circulars or guidelines issued by Authority under the International Financial Services Centres Authority (Fund Management) Regulations, 2022, shall be deemed to have been issued under these regulations unless and until they are specifically superseded or modified by the Authority.

FIRST SCHEDULE

(Regulation 3)

MANNER OF APPLICATION FOR REGISTRATION

Applicants shall file their application in the SWIT and shall provide the following declarations and undertakings as part of their application in the SWIT:

- a) We hereby declare that the information supplied in the application, including the attachments thereto, is complete and true.
- b) The activities proposed in the IFSC are in line with the object clause.
- c) The applicant and its principal officers, directors/ partners/ designated partners, key managerial personnel and controlling shareholders are fit and proper persons.
- d) We shall ringfence the operations of branch from other operations of the applicant (applicable in case of branch)
- e) We shall notify IFSCA immediately of any material change in the information provided in the application.
- f) We shall ensure that the key activities of Investment decision, portfolio management and grievance handling shall be undertaken from IFSC.
- g) We shall ensure that Key Management Personnel as required under regulation 7 shall be based out of IFSC.
- h) We further undertake to comply with and be bound by the International Financial Services Centres Authority Act, 2019, and the regulations, circulars, guidelines and instructions thereunder as issued by IFSCA from time to time.
- i) We further agree that as a condition of registration, we shall at all times abide by such operational instructions/directives as may be issued by the IFSCA from time to time.
- j) We shall, to the satisfaction of IFSCA, furnish any other information as may be sought by IFSCA.

SECOND SCHEDULE NET WORTH REQUIREMENTS

S. No.	Category	Net Worth
1	Authorised FME	USD 75,000
2	Registered FME (Non-retail)	USD 5,00,000
3	Registered FME (Retail)	USD 1,000,000

THIRD SCHEDULE

CODE OF CONDUCT AND OBLIGATIONS

PART A: CODE OF CONDUCT AND OBLIGATIONS OF THE FUND MANAGEMENT ENTITY

- (a) The FME shall take all reasonable steps and exercise due diligence to ensure that the investment of funds pertaining to any scheme is not contrary to the provisions of these regulations.
- (b) The FME shall be responsible for the acts of commission or omission by its employees or the persons whose services have been procured by the FME.
- (c) Notwithstanding anything contained in any contract or agreement or termination, the FME or its directors or

- partners or other officers shall not be absolved of liability to the scheme or its investors for their acts of commission or omission, while holding such position or office.
- (d) The Chief Executive Officer (whatever be the designation) of the FME shall ensure that the FME complies with all the provisions of these regulations and the guidelines or circulars issued in relation thereto from time to time and that the investments made by the FME are in the interest of the unit holders and shall also be responsible for the overall risk management function of the FME.
- (e) The FME shall not appoint any person as key personnel who has been found guilty of any economic offence or involved in violation of securities laws.
- (f) The FME shall compute and carry out valuation of investments made by its scheme(s) in accordance with the investment valuation norms specified in **Sixth Schedule**, and shall publish the same.
- (g) The FME and its controlling shareholders shall be liable to compensate the affected investors and/or the scheme for any unfair treatment to any investor as a result of inappropriate valuation.
- (h) The FME must ensure that all investors are provided with adequate, accurate, explicit and timely information fairly presented in a simple language about the investment policies, investment objectives, financial position and general affairs of the scheme.
- (i) The FME shall ensure that the assets and liabilities of each scheme are segregated and ring-fenced from other schemes of the FME; and bank accounts and securities accounts of each scheme are segregated and ringfenced.
- (j) The FME must not use any unethical means to sell, market or induce any investor to buy their schemes.
- (k) The FME shall maintain high standards of integrity and fairness in all their dealings and in the conduct of their business.
- (l) The FME shall render at all times high standards of service, exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment.
- (m) The FME shall not make any exaggerated statement, whether oral or written, either about their qualifications or capability to render investment management services or their achievements.
- (n) The FME shall ensure compliance with the Anti-Money Laundering/ Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) norms as applicable.

PART B: CODE OF CONDUCT AND OBLIGATIONS OF FIDUCIARIES (DIRECTORS / DESIGNATED PARTNERS / TRUSTEES OF THE FUND)

- (a) Based on the legal structure of the fund/scheme, the Board of Directors in case of Company, Designated Partners in case of LLP and Trustees (including the Board in case of a Trustee company) in case of a Trust, shall:
 - (i) ensure that the monies of the schemes are invested to achieve the objectives of the scheme and in the interest of the investors.
 - (ii) the assets and liabilities of each scheme are segregated and ring-fenced from other schemes of the FME; and bank accounts and securities accounts of each scheme are segregated and ring-fenced.
 - (iii) ensure that different activities of FME are carried at arm's length and interest of investor under one activity are not being compromised with those of any other scheme or of other activities of the FME.
 - (iv) have a right to obtain from the FME such information as is considered necessary.
 - (v) render at all times high standards of service, exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment.
 - (vi) obtain internal audit reports from independent auditors as and when deemed appropriate.
 - (vii) hold frequent meetings to ensure it discharges the various responsibilities under these regulations.
 - (viii) communicate in writing to the FME of the deficiencies and checking on the rectification of deficiencies.
 - (ix) ensure before the launch of any scheme that it has,—
 - (a) systems in place for its back office, dealing room and accounting;
 - (b) appointed all key personnel;
 - (c) appointed auditors to audit its accounts;
 - (d) designated a compliance officer who shall be responsible for monitoring the compliance of the

- Act, rules and regulations, notifications, guidelines, instructions, etc., issued by the Authority or the Central Government and for redressal of investors grievances;
- (e) appointed fund administrators registered with the Authority or capabilities to undertake such activities in-house by the FME
- (f) obtained, wherever required under these regulations, prior in principle approval from the recognised stock exchange(s) where units are proposed to be listed.
- (x) ensure that FME has not given any undue or unfair advantage to any associates or dealt with any of the associates of the FME in any manner detrimental to interest of the investors.
- (xi) quarterly review all transactions carried out between the schemes, FME and its associates.
- (xii) shall on a yearly basis review the net-worth of the FME to ensure compliance with the threshold provided in **Second Schedule** on a continuous basis.
- (xiii) shall ensure that the scheme/fund property is properly protected, held and administered by proper persons and by a proper number of such persons.

PART C: CODE OF CONDUCT AND OBLIGATIONS OF PRINCIPAL OFFICER, FUND MANAGER AND COMPLIANCE OFFICER

- (a) The Principal Officer shall ensure that all the activities of the FME are in accordance with the provisions of these regulations and various circulars and guidelines issued thereunder.
- (b) The Principal Officer shall ensure that the funds of the schemes are invested to achieve the objectives of the scheme and in the interest of the investors.
- (c) Where the Principal Officer has reason to believe that the conduct of business of the FME is not in accordance with these regulations it shall forthwith take such remedial steps as are necessary by it and shall immediately inform the Authority of the violation and the action taken by it.
- (d) The Principal Officer shall periodically review the investor complaints received and shall ensure immediate redressal of the same by the FME.
- (e) Principal Officer and Fund Managers shall:
 - (i) abide by the Act, Rules, Regulations, Guidelines and Circulars governing the securities market;
 - (ii) strive for highest ethical and professional standards to enhance the reputation of the markets;
 - (iii) act honestly in dealings with other market participants;
 - (iv) act fairly and deal with market participants in a consistent and transparent manner;
 - (v) act with integrity, particularly in avoiding questionable practices and behaviour;
 - (vi) not indulge in any unethical business activities or professional misconduct involving dishonesty, fraud or deceit or commit any act that could damage the reputation of the organisation or the fund management industry;
 - (vii) identify existing or potential conflicts of interest as per their institutions policies and address the same;
 - (viii) not carry out any transaction on behalf of a scheme with any counter party who is an associate of the FME / controlling shareholders unless such transaction is carried
 - a. out on arm's length basis after taking into account the interest of investors and;
 - b. in terms of the provisions of these regulations and circulars issued thereunder.
 - (ix) not offer or accept any inducement in connection with the affairs or business of managing the funds of investors which is likely to conflict with the duties owed to the investors;
 - (x) not receive any gift or entertainment which is not in adherence of the gift and entertainment policy of the FME framed in this regard.
- (f) The KMP designated as compliance officer shall
 - (i) be responsible for monitoring the compliance of the Act, rules and regulations, notifications, guidelines, instructions, etc., issued by the Authority and for redressal of investors grievances immediately.
 - (ii) independently report to the Authority any non-compliance observed by him.

PART D: CONFLICT OF INTEREST

- (a) The FME shall act in a fiduciary capacity towards its investors and shall disclose to the investors, all of interests as and when they arise or seem likely to arise.
- (b) FME shall establish and implement written policies and procedures to identify, monitor and appropriately mitigate conflicts of interest throughout the scope of business.
- (c) FME shall abide by high level principles on avoidance of conflicts of interest with associated persons, as may be specified by the Authority from time to time.
- (d) FME shall ensure that different activities of FME are carried at arm's length and interest of investor under one activity are not being compromised with those of any other scheme or of other activities of the FME.

PART E: CODE OF CONDUCT AND OBLIGATIONS OF THE FUND MANAGEMENT ENTITY ACTING AS A PORTFOLIO MANAGER

- (a) A FME acting as a Portfolio Manager shall:-
 - (i) ensure that the money received from the client for an investment purpose is deployed as soon as possible for that purpose and money due and payable to a client is paid forthwith.
 - (ii) not execute any trade against the interest of the clients in its proprietary account.
 - (iii) obtain in writing, interest of the client in various corporate bodies which enables such client to obtain unpublished price sensitive information of such corporate bodies.
 - (iv) where necessary and in the interest of the client, take adequate steps for the transfer of the clients' securities and for claiming and receiving dividends, interest payments and other rights accruing to the client.
 - (v) take necessary action for conversion of securities and subscription for renunciation of rights in accordance with the clients' instruction.
 - (vi) not use its status as any other registered intermediary to unduly influence the investment decision of the clients while rendering portfolio management services.
 - (vii) not make any statement or indulge in any act, practice or unfair competition, which is likely to be harmful to the interests of other portfolio managers or is likely to place such other portfolio managers in a disadvantageous position in relation to the portfolio manager himself, while competing for or executing any assignment.
 - (viii) ensure that the investors are provided with true and adequate information without making any misguiding or exaggerated claims and are made aware of attendant risks before any investment decision is taken by them;
 - (ix) render the best possible advice to the client having regard to the client's needs and the environment, and his own professional skills; and
 - (x) ensure that all professional dealings are effected in a prompt, efficient and cost-effective manner.

FOURTH SCHEDULE

ROLES AND RESPONSIBILITIES FOR PARTIES TO AN INVESTMENT TRUST

PART A: ROLES AND RESPONSIBILITIES OF TRUSTEE

- (a) The trustee shall hold the Business assets in trust for the benefit of the unit holders in accordance with the trust deed and the requirements specified in these regulations.
- (b) The trustee shall enter into an investment management agreement with the investment manager on behalf of the Investment Trust.
- (c) The trustee shall oversee activities of the investment manager in the interest of the unit holders and ensure that the investment manager complies with the responsibilities and shall obtain compliance certificate from the investment manager on a quarterly basis.
- (d) The trustee shall oversee activities of the project manager, where applicable, with respect to compliance with these regulations and the project implementation agreement/ project management agreement and shall obtain compliance certificate from the project manager on a quarterly basis.
- (e) The trustee shall make distributions and ensure that investment manager makes timely declaration of distributions to the unit holders.

- (f) The trustee shall ensure that subscription amount is kept in a separate bank account with IFSC banking unit in name of the Investment Trust and is only utilized for adjustment against allotment of units or refund of money to the applicants till the time such units are listed.
- (g) The trustee shall ensure that the remuneration of the valuer is not linked to or based on the value of the asset being valued.
- (h) The trustee shall ensure that the investment manager convenes meetings of the unit holders and oversee the voting by unitholders and declare outcome of the voting.
- (i) In case of any change in investment manager due to removal or otherwise,-
 - (i) prior to such change, the trustee shall obtain approval from unit holders and approval from the Authority:
 - *Provided* that the approval from the Authority shall not be required in respect of an Investment Trust that is privately placed whose units are not listed on any recognised stock exchange.
 - (ii) the trustee shall appoint the new investment manager within three months from the date of termination of the earlier investment management agreement;
 - (iii) the previous investment manager shall continue to act as such at the discretion of trustee till such time as new investment manager is appointed;
 - (iv) the trustee shall ensure that the new investment manager shall stand substituted as a party in all the documents to which the earlier investment manager was a party;
 - (v) the trustee shall ensure that the earlier investment manager continues to be liable for all its acts of omissions and commissions notwithstanding such termination.
- (j) In case of any change in the project manager due to removal or otherwise,-
 - (i) the trustee shall appoint the new project manager within three months from the date of termination of the earlier project implementation agreement/ project management agreement;
 - (ii) the trustee may, either *suo motu* or based on the advice of the concessioning authority appoint an administrator in connection with an infrastructure project(s);
 - (iii) the previous project manager shall continue to act as such at the discretion of trustee till such time as new project manager is appointed;
 - (iv) all costs and expenses in this regard will be borne by the new project manager;
 - (v) the trustee shall ensure that the new project manager shall stand substituted as a party in all the documents to which the earlier project manager was a party;
 - (vi) the trustee shall ensure that the earlier project manager continues to be liable for all its acts of omissions and commissions for the period during which it served as the project manager, notwithstanding such termination
- (k) In case of change in control of the project manager in a PPP project, the trustee shall ensure that written consent of the concessioning authority is obtained in terms of the concession agreement prior to such change, where applicable.
- (l) The trustee of an Investment Trust shall not invest in units of the Investment Trust in which it is designated as the trustee.

PART B: ROLES AND RESPONSIBILITIES OF INVESTMENT MANAGER

- (a) The investment manager shall make the investment decisions with respect to the underlying assets or projects of the Investment Trust including any further investment or divestment of the assets.
- (b) The investment manager shall oversee activities of the project manager with respect to compliance with these regulations and the project implementation agreement/ project management agreement and shall obtain compliance certificate from the project manager on a quarterly basis.
- (c) The investment manager shall ensure that the assets of Investment Trust or holdco or SPV have proper legal and marketable titles, to the extent applicable, and that all the material contracts entered into on behalf of Investment Trust or SPV are legal, valid, binding and enforceable by and on behalf of the Investment Trust or SPV.
- (d) The investment manager shall ensure that the investments made by the Investment Trust are in accordance with the investment conditions and in accordance with the investment strategy of the Investment Trust.

- (e) The investment manager, in consultation with trustee, shall appoint an auditor for a period of not more than five consecutive years:
 - *Provided* that the auditor, not being an individual, may be reappointed for a period of another five consecutive years, subject to approval of unitholders in the annual meeting.
- (f) The investment manager shall ensure that the assets of Investment Trust are adequately insured.
- (g) The investment manager shall ensure that it has adequate infrastructure and sufficient key personnel with adequate experience and qualification to undertake management of the Investment Trust at all times.
- (h) The investment manager and the investment banker(s) shall be responsible for all activities pertaining to issue and listing of units of the Investment Trust.
- (i) The investment manager shall be responsible for all activities pertaining to the issue of units of Investment Trust in respect of privately placed Investment Trust whose units are not listed on a recognised stock exchange.
- (j) The investment manager and the investment bankers(s) shall ensure that disclosures made in the offer document or placement memorandum contains material, true, correct and adequate disclosures and are in accordance with the requirements specified by Authority or the recognised stock exchange(s), in respect of Investment Trust listed on a recognised stock exchange.
- (k) The investment manager shall ensure that disclosures made in the placement memorandum contains material, true, correct and adequate disclosures and are in accordance with the requirements specified by Authority in respect of privately placed Investment Trust whose units are not listed on a recognised stock exchange.
- (l) The investment manager shall declare distributions to the unit holders in accordance with the distribution policy as provided in these regulations.
- (m) The Investment manager shall ensure that adequate controls are in place to ensure segregation of its activity as manager of the Investment Trust from its other activities.
- (n) The investment manager shall submit to the trustee, -
 - (i) quarterly reports on the activities of the Investment Trust;
 - (ii) valuation reports within fifteen days of the receipt of the valuation report from the valuer;
- (o) The investment manager shall ensure that the audit of accounts of the Investment Trust by the auditor is done not less than once in a year and such report is:
 - (i) submitted to the recognised stock exchange(s) within sixty (60) days of end of such financial year ending March 31st, in respect of Investment Trust listed on a recognised stock exchange; or
 - (ii) submitted to the trustee and unitholders, either electronically or through physical copies, in respect of privately placed Investment Trust whose units are not listed on a recognised stock exchange.
- (p) The investment manager may appoint a custodian in order to provide such custodial services as may be authorised by the trustees.
- (q) The investment manager shall place, before its board of directors in the case of a company or the governing board in case of an LLP, a report on activity and performance of the Investment Trust every three months.

PART C: ROLES AND RESPONSIBILITIES OF PROJECT MANAGER

- (a) The project manager shall undertake operations and management of the InvIT assets including making arrangements for the appropriate maintenance, as may be applicable, either directly or through the appointment and supervision of appropriate agents and as required under any project agreement including a concession agreement in the case of a PPP project.
- (b) If the InvIT invests in under construction projects, the project manager shall,—
 - (i) undertake the operations and management of the projects, either directly or through appropriate agents;
 - (ii) oversee the progress of development, approval status and other aspects of the project up to its completion, in case of appointment of agents for the purpose of execution.
- (c) The project manager shall discharge all obligations in respect of achieving timely completion of the project implementation agreement/ infrastructure project, wherever applicable, implementation, operation, maintenance and management of such infrastructure project in terms of the project management agreement.

PART D: ROLES AND RESPONSIBILITIES OF SPONSOR

- (a) The sponsor(s) and sponsor group(s) shall set up the Investment Trust and appoint the trustee(s) of the Investment Trust.
- (b) The sponsor(s) and sponsor group(s) shall transfer or undertake to transfer to the Investment Trust, its entire

shareholding or interest and rights in the holdco and/ or SPV or ownership of the real estate assets or infrastructure projects, as the case may be, subject to a binding agreement and adequate disclosures in the offer document or placement memorandum, prior to allotment of units of the Investment Trust:

Provided that this shall not apply to the extent of any mandatory holding of shares or interest and rights in the holdco and/ or SPV by the sponsor(s) and sponsor group(s) as per any Act or regulations or circulars or guidelines of government or any regulatory authority or concession agreement.

- (c) With respect to holding of units in the Investment Trust,
 - (i) the sponsor(s) and sponsor group(s) together shall hold not less than twenty per cent. (20%) of the total units of the Investment Trust after initial offer of units, on a post-issue basis for a period of not less than 3 years from the date of the listing of such units
 - (ii) Any holding by sponsor in Investment Trust, exceeding twenty per cent. (20%) on a post issue basis, shall be held for a period of not less than one year from the date of listing of such units.
- (d) Sponsor(s) would be responsible for all acts, omissions and representations/ covenants of the Investment Trust related to formation of Investment Trust, sale/ transfer of assets/holdco/SPV to the Investment Trust.
- (e) In case of PPP projects where the InvIT is investing in infrastructure assets through SPV(s), in case such acquiring or holding is disallowed by government or under any provisions of the concession agreement or any other such agreement,—
 - (i) the sponsor may continue to maintain such holding at the SPV level;
 - (ii) the consolidated value of all such holdings at the SPV level and the value of the units of InvIT held by the sponsor shall not be less than the value of fifteen per cent. (15%) of the total units of the InvIT after initial issue of units on a post-issue basis;
 - (iii) such units of the InvIT and shares or interest in the SPV shall be held for a period of not less than three years from the date of the listing of units of the InvIT;
 - (iv) in case such holding of sponsor in the SPV results in the InvIT not having controlling interest and not having more than fifty one per cent. (51%) shareholding or interest in the SPV, the sponsor shall enter into a binding agreement with the InvIT to ensure that decisions taken by the sponsor including voting with respect to the SPV are in compliance with the requirements in this circular and not against the interest of the InvITs or the unit holders and shall be subject to further guidelines as may be specified by the Authority.

PART E: ROLES AND RESPONSIBILITIES OF VALUER

- (a) The valuer(s) shall ensure that the valuation of the Business assets is impartial, true and fair and is in accordance with these regulations.
- (b) The valuer(s) shall ensure that it has sufficient and adequate financial, human and other resources to enable it to perform valuations.
- (c) The valuer(s) and any of its employees involved in valuing of the assets of the Investment Trust, shall not,-
 - (i) invest in units of the Investment Trust or in the assets being valued; and
 - (ii) sell the assets or units of Investment Trust held prior to being appointed as the valuer, till the time such person is designated as valuer of such Investment Trust and not less than six months after ceasing to be valuer of the Investment Trust.
- (d) The valuer(s) shall conduct the valuation of the Investment Trust assets with transparency and fairness and shall render, at all times, high standards of service, exercise due diligence, ensure proper care and exercise independent professional judgment.
- (e) The valuer(s) shall act with independence, objectivity and impartiality in performing the valuation.
- (f) The valuer(s) shall not accept remuneration, in any form, for performing a valuation of the Investment Trust assets from any person other than the Investment Trust or its authorized representative.
- (g) The valuer(s) shall before accepting any assignment, from any related party to the Investment Trust, shall

disclose to the Investment Trust any direct or indirect consideration which the valuer may have in respect of such assignment.

PART F: ROLES AND RESPONSIBILITIES OF AUDITOR

- (a) The auditor shall conduct audit of the accounts of the Investment Trust and prepare the audit report based on the accounts examined by him and after taking into account the relevant accounting and auditing standards.
- (b) The auditor shall, to the best of his information and knowledge, ensure that the accounts and financial statements, including profit or loss and cash flow for the period and such other matters as may be specified, give a true and fair view of the state of the affairs.
- (c) The auditor shall have a right of access at all times to the books of accounts and vouchers pertaining to activities of the Investment Trust.
- (d) The auditor shall have a right to require such information and explanation pertaining to activities of the Investment Trust as he may consider necessary for the performance of his duties as auditor from the employees of Investment Trust or parties to the Investment Trust or holdco or SPV or any other person in possession of such information.

FIFTH SCHEDULE

ADVERTISEMENT CODE

- (a) Advertisements shall be accurate, true, fair, clear, complete, unambiguous and concise.
- (b) Advertisements shall not contain statements which are false, misleading, biased or deceptive, based on assumption/projections and shall not contain any testimonials or any ranking based on any criteria.
- (c) Advertisements shall not be so designed as likely to be misunderstood or likely to disguise the significance of any statement. Advertisements shall not contain statements which directly or by implication or by omission may mislead the investor.
- (d) Advertisements shall not carry any slogan that is exaggerated or unwarranted or slogan that is inconsistent with or unrelated to the nature and risk and return profile of the product.
- (e) Advertisements shall not be so framed as to exploit the lack of experience or knowledge of the investors. Extensive use of technical or legal terminology or complex language and the inclusion of excessive details which may detract the investors should be avoided.
- (g) Advertisements shall contain information which is timely and consistent with the disclosures made in the Scheme Documents.

SIXTH SCHEDULE

INVESTMENT VALUATION NORMS - PRINCIPLES OF FAIR VALUATION

A FME shall value its investments in accordance with the following overarching principles so as to ensure fair treatment to all investors including existing investors as well as investors seeking to invest:

- (a) The valuation of investments shall be based on the principles of fair valuation i.e., valuation shall be reflective of the realizable value of the securities/financial product/assets. The valuation shall be done in good faith and in true and fair manner through appropriate valuation policies and procedures.
- (b) The policies and procedures shall identify the methodologies that will be used for valuing each type of securities/financial products/assets held by the schemes. Investment in new type of securities/financial products/assets by the scheme shall be made only after establishment of the valuation methodologies for such securities/ financial products/assets.
- (c) The assets held by the FME shall be consistently valued according to the policies and procedures. The policies and procedures shall describe the process to deal with events where market quotations are no longer reliable for a particular asset.
- (d) The FME shall provide for the periodic review of the valuation policies and procedures to ensure the appropriateness and accuracy of the methodologies used and its effective implementation in valuing the securities/financial products/assets.

- (e) The valuation policies and procedures approved by the FME should seek to address conflict of interest.
- (f) Disclosure of the valuation policy and procedures (with regard to valuation of each category of securities/financial product/assets where the scheme will invest, situation where these methods will be used, process and methodology and impact of implementation of these methods, if any) shall be made in offer document and on the website of the FME to ensure transparency of valuation norms to be adopted by FME. This clause shall be applicable only in respect of Retail Schemes.
- (g) The responsibility of true and fairness of valuation and correct NAV shall be of the FME, irrespective of disclosure of the approved valuation policies and procedures i.e., if the established policies and procedures of valuation do not result in fair/ appropriate valuation, the FME shall deviate from the established policies and procedures in order to value the assets/ financial products / securities at fair value:

Provided that any deviation from the disclosed valuation policy and procedures may be allowed with appropriate disclosures to investors.

K. RAJARAMAN, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./971/2024-25]